खण्ड-363, अंक-8
सोमवार, 21 भाद्रपद, शक संवत् 1905
(12 सितम्बर, 1983 ई0)

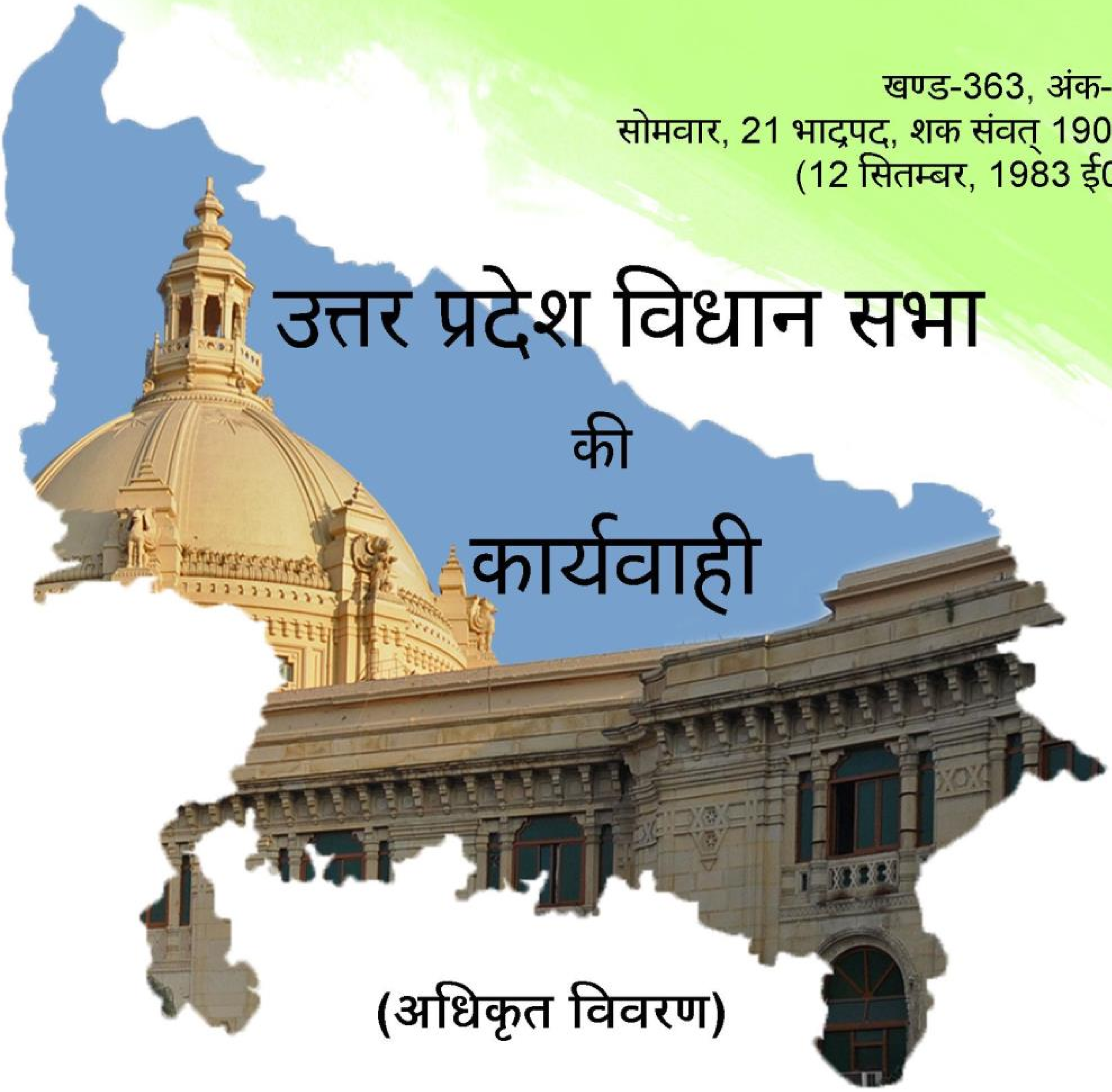

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 363 में 8 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
1983

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय—सूची

विषय	पृष्ठ–संख्या
उपस्थित सदस्य ..	1—5
प्रश्नोत्तर ..	7—102
नियम 301 की सूचनाएं ..	102—103
शाहजहांपुर में नहरों तथा रजबहों की सफाई न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	103
सीतापुर में बिजली आपूर्ति में अनियमितता से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	103
गोरखपुर में गणेश शुगर मिल का शीरा बह कर खेतों में जाने से फसल को क्षति तथा वातावरण पर प्रभाव के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	104
ग्राम बौड़रा, थाना अतरौलिया, आजमगढ़ में आवास हेतु आवंटित भूमि के पट्टेदारों को पुलिस द्वारा हटाये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	104—105
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, वाराणसी में वन प्रसार कर्ता पद के लिए हुई परीक्षा में अनियमितता के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	105
पर्वतीय क्षेत्र के अस्पतालों में पर्वतीय क्षेत्रों के डाक्टरों की नियुक्ति न किए जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	105—106
पर्वतीय क्षेत्र के विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	106
गोरखपुर में आनन्द नगर गणेश शुगर मिल के शीरे के फैलाव से वातावरण प्रदूषित होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	106—107
जनपद हरदोई के तहसील बिलग्राम के कतिपय ग्रामों में बन गायों के आतंक के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	107
फैजाबाद में मड़हा (तमसा) नदी की बाढ़ से क्षति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	107—108
प्रदेश के वैक्सीनेटर एसोशिएशन एवं मलेरिया कर्मचारी संघ द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में अनशन किए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	108

विषय	पृष्ठ-संख्या
विधान सभा क्षेत्र बिसवां, सीतापुर में नाले का निर्माण न होने से कतिपय ग्रामों के डूबने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	108—109
बस्ती सदर में बिजली आपूर्ति की नियमित मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	109
श्रीमती राजकुंवरि, निवासिनी बाघा जोत, थाना हुजूरपुर, जनपद बहराइच के पुत्र की हत्या पुलिस साजिश से असामाजिक तत्वों द्वारा किए जाने के सन्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	109
जनपद बरेली के अन्तर्गत ब्लाक भूता के कतिपय ग्रामों में मलेरिया का प्रकोप के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	110
देवरिया तथा गोरखपुर जनपदों में गन्डक नहर की सीवेज से उत्पन्न स्थिति तथा ट्यूबवेलों की मरम्मत की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	110
जनपद टिहरी गढ़वाल के देव प्रयाग तहसील के ग्राम डिन्दान पट्टी के हरिजनों को आवंटित आवास हेतु भूमि पर कब्जा दिलाये जाने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	111
बुन्देलखंड के जिलों में बाढ़ से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	111
तहसील मुख्यालय में बने आवासों में अधिकारियों द्वारा उनका प्रयोग न कर जनपद मुख्यालय में बने रहने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	111—112
तहसील बलरामपुर (गोन्डा) में भाभर नाले के कटान से कतिपय ग्रामों को क्षति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	112
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बिलारी के प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा रोगियों से पैसा लेने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	112—113
इटावा के मृत पशुओं को उठाने तथा हड्डी व चमड़े का ठेका हरिजनों, मेहतरों को न दिए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	113
कन्धी मोहाल, हीरामन का पुरवा (कानपुर) में सीवर व्यवस्था न होने और नागरिकों से सीवर टैक्स की वसूली किए जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	113—114
मथुरा जनपद के कोसी नगर की रामलीला कमेटी का सोने का सिंहासन चोरी हो जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	114

विषय	पृष्ठ-संख्या
मेडिकल कालेजेज में डाक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस पर लगी रोक से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	114--115
कर्जन ब्रिज के पास रेलवे लाइन पर मिली श्री संजय झा की लाश से छात्रों में व्याप्त असंतोष के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	115
जनपद पीलीभीत के कतिपय विकास खन्डों में अतिवर्षा से मकानों के क्षति तथा राहत की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	115--116
विधान सभा क्षेत्र पूरनपुर, जनपद शाहजहांपुर में बाढ़ से हुई क्षति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	116
औद्योगिक केन्द्र मऊनाथ भंजन की सड़कों पर जल जमाव के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	116--117
परिवहन विभाग में कार्यरत सहायक अभियन्ता, श्री अजय सिंह की बार-बार स्थानान्तरण किए जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	117
पुलिस द्वारा ग्राम कोइरीपुर (सुल्तानपुर) निवासी दो व्यक्तियों की हत्या के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	117--118
जनपद झांसी के मऊरानी क्षेत्र में बाढ़ की विभीषिका के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	118
अल्प सूचित तारांकित प्रश्न संख्या 2 के अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर गोपनीयता के आधार पर दिए जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न	118--120
श्री सन्त बक्स रावत व श्री जनार्दन प्रसाद ओझा द्वारा दी गई अपनी नियम 301 की सूचना को स्वीकृत किए जाने की मांग	120
फैजाबाद में हुई घटनाओं में श्री मित्रसेन सदस्य विधान सभा को अभियुक्त बनाये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न ..	121
शासन के आदेश के बावजूद गोंडा जिले में विभिन्न प्रकार की वसूली जारी रखने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न ..	121--122
मुख्य मन्त्री के विरुद्ध हस्ताक्षर अभियान चलाने तथा सदन का उपवेशन समाप्त किए जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न ..	122--124
मुख्य मन्त्री विवेकानुदान कोष की धनराशि वितरण में सत्ता पक्ष तथा विपक्ष की संस्तुति में भेदभाव किए जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न	124--126

विषय	पृष्ठ-संख्या
बलरामपुर (गोण्डा) में अधिवक्ताओं द्वारा हड़ताल से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	126--127
शाहजहांपुर में 20 सूत्री कार्यक्रम की मीटिंग में श्री सत्यपाल सिंह विधायक को न बुलाये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	127--128
पूर्व सरकार के निर्णय के अनुसार कतिपय अंग्रेजी समाचार पत्रों द्वारा सूचना विभाग का समाचार देवनागरी लिपि में न छापे जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ..	128--130
जनपद शाहजहांपुर में एक हरिजन चौकीदार की पुलिस द्वारा हत्या किए जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न उठाये जाने का प्रयास	130--131
विधायकों के प्रवेश-पत्र से सचिवालय अनेक्सी में प्रवेश के सम्बन्ध में जानकारी की मांग ..	131--132
उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (नवां संशोधन) नियमावली, 1983 (सदन के पटल पर रखी गई) ..	132
वित्त बिक्रीकर अनुभाग-2 की विज्ञप्ति (सदन के पटल पर रखी गई)	132
उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (पन्द्रहवां संशोधन) नियमावली 1983, (सदन के पटल पर रखी गयी) ..	133
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग नियमावली, 1983, (सदन के पटल पर रखी गई)	133
लखनऊ जांच आयोग की रिपोर्ट (सदन के पटल पर रखी गई) ..	133
फर्रुखाबाद में हुई घटनाओं के सम्बन्ध में एकल सदस्यीय जांच आयोग का प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया) ..	133
उत्तर प्रदेश मंत्री (यात्रा भत्ता) नियमावली, 1983 (सदन के पटल पर रखी गयी)	134
उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम लि० की द्वितीय वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा विवरण 1979-80 (सदन के पटल पर रखा गया) ..	134
उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम लखनऊ की वर्ष 1980-81 की तेईसवीं वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा विवरण (सदन के पटल पर रखा गया)	134
उत्तर प्रदेश उपादान के भुगतान की (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1983 (सदन के पटल पर रखी गयी) ..	134
उत्तर प्रदेश उपमंत्री (यात्रा भत्ता) नियमावली, 1982 (सदन के पटल पर रखी गयी)	134--135

विषय	पृष्ठ-संख्या
विधान मण्डल के दोनों सदनों को श्री राज्यपाल द्वारा दिए गए अभिभाषण में लिखित अंश के अतिरिक्त अन्य बातें कही जाने के सम्बन्ध में उठाए गए औचित्य के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	135--139
दिनांक 17 फरवरी, 1983 को श्री गोपालराम दास, राज्य मंत्री द्वारा दिए गए वैयक्तिक स्पष्टीकरण पर उठायी गयी आपत्ति पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	139--140
गढ़वाल विश्वविद्यालय तथा अन्य पांच निकायों के चुनाव कार्यक्रम को निरस्त करके पुनः निर्धारित किए जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	140
गोरखपुर श्री गांधी आश्रम के कार्यकर्ताओं पर असामाजिक तत्वों द्वारा की गयी ज्यादती के सम्बन्ध में वक्तव्य ..	141--142
उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेन्शन) (संशोधन) विधेयक, 1983 के पुरः स्थापन पर उठायी गयी आपत्ति का निराकरण ..	143--144
उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल(सदस्यों की उपलब्धियां और पेन्शन) (संशोधन) विधेयक, 1983 (पुरः स्थापित किया गया) ..	144--145
विशेषाधिकार समिति में लम्बित कतिपय मामलों को निपटाने हेतु उसके कार्यकाल में वृद्धि का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	145--146
मण्डल आयोग की रिपोर्ट को शीघ्रातिशीघ्र सरकार द्वारा लागू किए जाने के सम्बन्ध में नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्ताव (संशोधित रूप में स्वीकृत)	146--180
ईंट भट्टा मालिकों द्वारा प्रस्तावित प्रदेश व्यापी हड़ताल के सम्बन्ध में चर्चा	180--195
उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 1983 (पारित)	195--97
दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1982 (पारित)	197--202
उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन) अध्यादेश, 1983 के अनुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन) विधेयक, 1983 (संकल्प अस्वीकृत विधेयक पारित) ..	202--211
उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1983 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1983 (संकल्प अस्वीकृत, विधेयक पारित) ..	212--217

विषय	पृष्ठ-संख्या
डा0 अम्बेदकर छात्रावास मुजफ्फरनगर में पुलिस द्वारा कब्जा किए जाने के सम्बन्ध में होने वाले वक्तव्य के स्थगन की सूचना ..	217--218
फ्मकी पावर हाउस, कानपुर में विद्युत् उत्पादन के ठप्प होने से विद्युत् संकट के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य ..	218--220
नियम 51 तथा 56 में दी गयी सूचनाओं पर दिए जाने वाले वक्तव्य के स्थगन पर आपत्ति ..	220--222
झांसी में स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के पुत्र का अपहरण किए जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य	222--223
वृन्दावन में पुलिस फायरिंग से कई लोगों के घायल होने के सम्बन्ध में वक्तव्य	223--226
श्री हरीश भाटिया पुत्र श्री चमन लाल भाटिया, निवासी कस्बा व थाना लाल कुवां नैनीताल को पुलिस द्वारा परेशान करने के सम्बन्ध में वक्तव्य	226--228
विधायकों के आवास हेतु गठित समिति के सदस्यों के नाम निर्देशन के सम्बन्ध में अध्यक्ष विधान सभा तथा सभापति विधान परिषद् को प्राधिकृत किए जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	228--529
सदन के अनिश्चितकाल के स्थगन पर प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	229--231
नत्थियाँ	233--248

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, दिनांक 12 सितम्बर, 1983

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष श्री धर्म सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य 359

अकबर हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
अकबाल हुसैन, श्री (गोंडा)
अजहर ईमाम, श्री (मिर्जापुर)
अजीत कुमार सिंह, श्री (कानपुर)
अजीत सिंह सेठी, श्री (मेरठ)
अनवार खां, श्री (अलीगढ़)
अनवार मोहम्मद खां, श्री (फर्रुखाबाद)
अबुल कलाम, श्री (आजमगढ़)
अमरनाथ सिंह, श्री उर्फ अनिल सिंह (फतेहपुर)
अमर सिंह, श्री (सहारनपुर)
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री (बरेली)
अम्बिका सिंह, श्री (बस्ती)
अम्मार रिजवी, श्री (सीतापुर)
अलमेलु अम्माल, कुमारी (बस्ती)
अशफाक अहमद अन्सारी, श्री (बरेली)
आजाद कुमार कर्दम, श्री (आगरा)
इन्द्रजीत, श्री (फतेहपुर)
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (लल्लू) (बहराइच)
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री (गाजियाबाद)
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री (इलाहाबाद)
उदयवीर सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
उपेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (खीरी) (उर्फ सुत्तन भैय्या)
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री (गोंडा)
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी (एटा)
ऊदल, श्री (वाराणसी)
ए० सी० ग्राइस, श्री (कानपुर)
ओम प्रकाश जिन्दल, श्री (आगरा)
ओम प्रकाश रिछारिया, श्री (ललितपुर)
कन्हैया लाल, श्री (मथुरा)
कन्हैया लाल महेन्द्रू, श्री (लखनऊ)
कमला दरियाबादी, श्रीमती (कानपुर)
कमला देवी, श्रीमती (हरदोई)
कमला प्रसाद सिंह, श्री (जौनपुर)
कमला साहनी, श्रीमती (बस्ती)
कल्याण सिंह मोलंकी, श्री (बरेली))
कल्लू राम, श्री (मिर्जापुर)
काजी मोहिउद्दीन, श्री (सहारनपुर)
काशीनाथ मिश्र, श्री (बलिया)
किशोरी शुक्ला, श्रीमती (गोरखपुर)
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री (हमीरपुर)
कुंवर सिंह नेगी, श्री (चमोली)
कुदसिया बेगम, श्रीमती (हरदोई) (बेगम एजाज रसूल)
कुबेर भण्डारी, श्री (देवरिया)
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री (रायबरेली)
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज) (फतेहपुर)
कृष्ण मगन सिंह, श्री (बाराबंकी)
कृष्ण वीर सिंह, श्री (बदायूं)
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर (आगरा)
केदार सिंह, श्री (आजमगढ़)
केदारनाथ सिंह, श्री (गोरखपुर)
केशरी प्रसाद, श्री (जौनपुर)
केशराम, श्री (बदायूं)
कैलाशचन्द्र यादव (एडवोकेट), श्री (एटा)
कैलाश टण्डन, श्री (वाराणसी)
कैलाश प्रसाद, श्री (गोरखपुर)
खरवत, श्री (वाराणसी)
खान गुफरान जाहिदी, श्री (फतेहपुर)
खुर्शीद अहमद अन्सारी, श्री (मुरादाबाद)
खुशहाल सिंह रांगड़, श्री (टिहरी गढ़वाल)
खैरुल बशर, श्री (आजमगढ़)
ख्वाजा हलीम, श्री (अलीगढ़)
गंगा सागर शंखवार, श्री (कानपुर)
गजेन्द्र सिंह, श्री (इटावा)
गजेन्द्र सिंह, श्री (बाराबंकी)
गया सिंह, श्री (उन्नाव)

गुड़िया सत्येन्द्र चन्द्र, श्री (नैनीताल)
गुलाब सेहरा, श्री (आगरा)
गुलाब नबी, श्री (आगरा)
गेंदा देवी, श्रीमती (बस्ती)
गोपाल राम दास, श्री (अल्मोड़ा)
गोपी नाथ दीक्षित, (उन्नाव)
गोपीनाथ वर्मा, श्री (फैजाबाद)
गोरे लाल शाक्य, श्री (इटावा)
गोवर्धन तिवारी, श्री (अल्मोड़ा)
गौरी देवी, श्रीमती (गोरखपुर)
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री (इटावा)
चन्दन सिंह, श्री (मथुरा)
चन्द्र प्रकाश शर्मा, प्रो० (बांदा)
चन्द्रबली ब्रह्मचारी, श्री (आजमगढ़)
चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री (पौड़ी गढ़वाल)
चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री (लखनऊ)
चन्द्र सिंह, श्री (मेरठ)
चन्द्र चन्द्र ओझा, श्री (पिथौरागढ़)
चेतराम गंगवार, श्री (बरेली)
छेदा लाल चौधरी, श्री (खीरी)
छेदी लाल, श्री (गोंडा)
जंग बहादुर, श्री (जौनपुर)
जगदीश नारायण, श्री (फतेहपुर)
जगदीश प्रसाद, श्री (इलाहाबाद)
जगदीश सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
जगदीश सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
जटाशंकर सिंह, श्री (बहराइच)
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री (गोरखपुर)
जफर अली नकवी, श्री (खीरी)
जमुना प्रसाद, श्री (बाराबंकी)
जयदीप सिंह बरार, श्री (बरेली)
जसवन्त सिंह विष्ट, श्री (अल्मोड़ा)
जावेद अली, श्री (मथुरा)
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
जियाराम शुक्ल, 'विकल साकेती', श्री (फैजाबाद)
जीराज सिंह मौर्य, श्री (मुरादाबाद)
जैराज गौतम, श्री (सुल्तानपुर)
झग्गड़ सिंह, श्री (मेरठ)
झिलमिट राम, श्री (गाजीपुर)
तपेश्वर, श्री (आजमगढ़)
तेजनरायन त्रिवेदी, श्री (खीरी)
तेज बहादुर सिंह, श्री (जौनपुर)
तेज बहादुर गंगवार, श्री (पीलीभीत)
थम्मन सिंह गहलौत, श्री (बिजनौर)
दयाल कृष्ण, श्री (मथुरा)
दलजीत सिंह, श्री (रामपुर)
दल सिंगार सिंह, श्री (आजमगढ़)
दामोदर शर्मा, श्री (मेरठ)
दीना नाथ, श्री (बस्ती)
दीपक कुमार, श्री (मुजफ्फरनगर)
दीप नराधन वन महन्थ, श्री (गोंडा)
दीपू उर्फ दीप नारायण, श्री (आजमगढ़)
दूधनाथ राजभर, श्री (आजमगढ़)
देवी प्रसाद, श्री (बहराइच)
देवेन्द्र पाण्डेय, श्री (सुल्तानपुर)
देवेन्द्र बहादुर सिंह चन्देल, श्री (कानपुर)
द्वारिका नाथ धवन, श्री (देहरादून)
धनी राम वर्मा, श्री (इटावा)
धनेश्वरी देवी, श्रीमती (वाराणसी)
धरमपाल, श्री (बहराइच)
धर्मपाल सिंह, डाक्टर (अलीगढ़)
धर्मवीर सिंह त्यागी, श्री (मुजफ्फरनगर)
धर्म सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
ध्रुप राय, श्री (देवरिया)
नकली सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
नत्थू लाल, श्री (हरदोई)
नन्द किशोर सिंह, श्री (देवरिया)
नन्द राम, श्री (बरेली)
नरेन्द्र सिंह भण्डारी, श्री (पौड़ी गढ़वाल)
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री (पिथौरागढ़)
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री (हरदोई)
नाजिर अली, श्री (शाहजहांपुर)
नियाज हसन खां, श्री (प्रतापगढ़)
निर्भय नारायण सिंह, श्री (बलिया) (उर्फ लाल बाबू)
निर्मल खत्री, श्री (फैजाबाद)
नेत्रपाल सिंह, श्री (एटा)
नौनिहाल सिंह चौधरी, श्री (इलाहाबाद)
पंचानन राय, श्री (आजमगढ़)
पन्ने लाल, श्री (गोरखपुर)
परमाई लाल, श्री (हरदोई)
परमात्मा प्रसाद सिंह, श्री (बस्ती)
प्रवीन कुमार शर्मा, श्री (बुलन्दशहर)
परागी लाल चौधरी, श्री (सीतापुर)
पहलवान, श्री (जौनपुर)
पारवती देवी, श्रीमती (बाराबंकी)
पुरुषोत्तम, श्री (मिर्जापुर)
पूरन चन्द्र, श्री (अलीगढ़)

प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री (हमीरपुर)
प्रदीप कुमार यादव, श्री (बाराबंकी)
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री (प्रतापगढ़)
प्रभू नारायण सिंह, श्री (जौनपुर)
प्रमोद कुमार, श्री (प्रतापगढ़)
प्रियदर्शी जेतली, श्री (फैजाबाद)
प्रेमवती, श्रीमती (बदायूं)
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती (लखनऊ)
फखरे आलम, श्री (बदायूं)
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री (गोरखपुर)
बंशीधर, श्री (रामपुर)
बंशीधर राज, श्री (खीरी)
बच्चा पाठक, श्री (बलिया)
बनवारी राम, श्री (वाराणसी)
बब्बन सिंह, श्री (बलिया)
बलराम सिंह यादव, श्री (इटावा)
बलवीर सिंह, श्री (फर्रुखाबाद)
बल्देव सिंह आर्य, श्री (उत्तर काशी)
बाबू राम, श्री (पीलीभीत)
बाबू लाल, श्री (गोंडा)
बाबू लाल, श्री (हमीरपुर)
बिहारी लाल, श्री (नैनीताल)
बिहारी लाल दोहरे, श्री (फर्रुखाबाद)
बुद्ध पाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
बृजकिशोर मिश्र, डा० (देवरिया)
बेनी बाई, श्रीमती (झांसी)
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री (इलाहाबाद)
भगवती सिंह विशारद, श्री (उन्नाव)
भागीरथ, श्री (झांसी)
भानु प्रताप सिंह, श्री (बरेली)
भास्कर पाण्डेय, श्री (देवरिया)
भोला लाल, श्री (उन्नाव)
भूपसिंह केन, श्री (गाजियाबाद)
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री (गोरखपुर)
भोला पाण्डेय, श्री (बलिया)
मन्डलेश्वर सिंह, श्री (आगरा)
मथुरा प्रसाद पान्डेय, श्री (बस्ती)
मन्जूर अहमद, श्री (मेरठ)
मसरूर जाफरी, श्री उर्फ शबरोज (गोंडा)
महाबीर सिंह, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री (आगरा)
महारानी दोहरे, श्रीमती (इटावा)
महेश उपाध्याय, श्री (आगरा)
महेश प्रसाद, श्री (देवरिया)
माण्डवी प्रसाद सिंह, श्री (वाराणसी)
माधव प्रसाद, श्री (फैजाबाद)
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री (एटा)
मान बहादुर, श्री (गोंडा)
मारकण्डेय चन्द्र, श्री (गोरखपुर)
मित्रसेन, श्री (फैजाबाद)
मीर मजहर अली, श्री (बदायूं)
मुईद अहमद, श्री (सुल्तानपुर)
मुख्तार अनीस, श्री (सीतापुर)
मुन्शी लाल, श्री (मैनपुरी)
मुरलीधर मुनीम, श्री (गोंडा)
मुहम्मद आजम खां, श्री (रामपुर)
मेंहदी असगर, श्री (मुजफ्फरनगर)
मोहन लाल, श्री (हमीरपुर)
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री (बदायूं)
मोहम्मद उमर, डाक्टर (गोंडा)
मोहम्मद नबी, श्री (बस्ती)
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री (लखनऊ)
मोहम्मद वसीम, हाजी (रायबरेली)
मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री (वाराणसी)
यशपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
यशपाल सिंह, श्री (सहारनपुर)
योगेन्द्र सिंह, कुंवर (फर्रुखाबाद)
योगेश चन्द्र, श्री (वाराणसी)
रईसउद्दीन वारसी, श्री (मुरादाबाद)
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री (गोंडा)
रघुबीर सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
रमाकान्त मिश्रा, श्री (इलाहाबाद)
रमेश चन्द्र शुक्ल, श्री (रायबरेली)
रवीन्द्र, श्री (आजमगढ़)
राज किशोर राव, श्री (बहराइच)
राज कुमार राय, श्री (आजमगढ़)
राजपति देवी, श्रीमती (सुल्तानपुर)
राजपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राज मंगल पाण्डेय, श्री (देवरिया)
राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री (झांसी)
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री (सीतापुर)
राजेन्द्र त्रिपाठी, श्री (इलाहाबाद)
राजेन्द्र सिंह, श्री (एटा)
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री (फर्रुखाबाद)
राम अवध प्रसाद, श्री (बस्ती)
राम आसरे पासवान, श्री (बस्ती)
राम आसरे वर्मा, श्री (हरदोई)
राम औतार दीक्षित, श्री (हरदोई)
राम करन, श्री (वाराणसी)

राम कुंवर सिंह, श्री (आजमगढ़)
राम कुमार भार्गव, श्री (सीतापुर)
राम कृष्ण उपाध्याय, डा० (जौनपुर)
राम गोविन्द, श्री (बलिया)
राम चन्द्र, श्री (वाराणसी)
राम चरण सिंह, श्री (मिर्जापुर)
राम जनम सिंह, श्री (वाराणसी)
रामजी राम, श्री (फैजाबाद)
रामधनी, श्री (गाजीपुर)
राम नारायण सिंह, एडवोकेट (गाजीपुर)
राम नरेश शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
राम नारायण पाठक, श्री (कानपुर)
रामपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राम प्यारे पाण्डेय, श्री (फतेहपुर)
राम प्रसाद, श्री (जालौन)
राम प्रसाद, श्री (मुजफ्फरनगर)
राम भजन लाल, श्री (खीरी)
राम यश सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम रतन सिंह, श्री (सीतापुर)
राम लाल, श्री (सीतापुर)
राम लाल वर्मा, श्री (हरदोई)
राम शिरोमणि, श्री (जौनपुर)
राम समुझावन, श्री (जौनपुर)
राम सागर, श्री (बाराबंकी)
राम सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
रामसिंह रावल, श्री (एटा)
राम स्वरूप वर्मा, श्री (कानपुर)
राम हर्ष मिश्र, श्री (बहराइच)
राम हर्ष राय, श्री (गाजीपुर)
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री (बरेली)
रामेश्वर प्रसाद, श्री (बांदा)
रिजवानुर्रहमान किदवाई, श्री (बाराबंकी)
रूप राम, श्री (शाहजहांपुर)
रूल्हा सिंह, श्री (सहारनपुर)
रेवती रमण सिंह, (इलाहाबाद) (उर्फ मणि जी)
लटूरी सिंह, श्री (एटा)
लल्लू सिंह चौहान, श्री (मैनपुरी)
लाल प्रताप सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
लालसा, श्री (आजमगढ़)
लोकपति त्रिपाठी, श्री (मिर्जापुर)
वासुदेव सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
विजय कुमार, श्री (लखनऊ)
विजय पाल सिंह, श्री (गाजियाबाद)
विजय शंकर सिंह, श्री (गाजीपुर)
विद्या सागर नौटियाल, श्री (टिहरी-गढ़वाल)
विनोद कुमार तिवारी, डाक्टर (पीलीभीत)
विमल प्रसाद तिवारी, श्री (फर्रुखाबाद)
विलायती राम कत्याल, श्री (कानपुर)
विशन लाल, श्री (बिजनौर)
विश्राम दास, श्री (इलाहाबाद)
विष्णु दयाल वर्मा, श्री (मैनपुरी)
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री (सीतापुर)
वीरेन्द्र सिंह ढाना, कुंवर (गाजियाबाद)
वृद्धि नारायण सिंह, श्री (वाराणसी)
शंकर सिंह, श्री (जालौन)
शम्भूनाथ, श्री (आजमगढ़)
शरीयतुल्ला, श्री (मुरादाबाद)
शिरोमणि, श्री (बांदा)
शिव दर्शन, श्री (रायबरेली)
शिव नरेश, श्री (बांदा)
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर (कानपुर)
शिव नारायण सिंह नेगी, श्री (नैनीताल)
शिवपाल सिंह, श्री (उन्नाव)
शिव बालक, श्री (रायबरेली)
शिव मंगल सिंह, श्री (मैनपुरी)
शिवराज सिंह, श्री (अलीगढ़)
शिवानन्द नौटियाल, डाक्टर (पौड़ी गढ़वाल)
शेर बहादुर, श्री (फैजाबाद)
शौनाथ सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम सरायन तिवारी, श्री (गोरखपुर)
श्याम लाल बाजपेयी, श्री (बाराबंकी)
श्याम सिंह, श्री (बजनौर)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री (इलाहाबाद)
श्रीकृष्ण गोयल, श्री (बदायूं)
श्रीनाथ सिंह, श्री (वाराणसी)
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री (वाराणसी)
संजय सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
सईदुल हसन, श्री (बुलन्दशहर)
सच्चिदानन्द, श्री (उन्नाव)
सतीश अजमानी, श्री (खीरी)
सतीश चन्द्र जायसवाल, श्री (इलाहाबाद)
सत्यपाल सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
सन्त बक्स रावत, श्री (लखनऊ)
सन्तोष कुमारी, श्रीमती (बदायूं)
सरजू प्रसाद 'सरोज', श्री (प्रतापगढ़)
साहब सिंह, श्री (गाजीपुर)
सिकन्दर अली खां, नवाब श्री (शाहजहांपुर)

सीताराम निषाद, श्री (फैजाबाद)
सुखदा मिश्रा, श्रीमती (इटावा)
सुखवीर सिंह गहलौत, श्री (गाजियाबाद)
सुग्रीव सिंह, श्री (देवरिया)
सुजान सिंह बुन्देला, श्री (ललितपुर)
सुनीता चौहान, श्रीमती (रायबरेली)
सुनील शास्त्री, श्री (गोरखपुर)
सुन्दर सिंह, श्री (बहराइच)
सुमन लता, श्रीमती (कानपुर)
सुरेन्द्र कपिल, श्री (सहारनपुर)
सुरेन्द्र कुमार, श्री (गाजियाबाद) (उर्फ मन्ना)
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री (बस्ती)
सुरेन्द्र सिंह, श्री (गाजीपुर)
सुरेश दत्त पालीवाल, श्री (जालौन)
सूबेदार सिंह, श्री (मैनपुरी)
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री (जौनपुर)
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती (लखनऊ)
स्वामी नेमपाल, श्री (बुलन्दशहर)
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री (हमीरपुर)
हंसराज सिंह वर्मा, श्री (एटा)
हरगोविन्द वर्मा, श्री (सीतापुर)
हरदेव, श्री (बलिया)
हरबंश प्रसाद पाण्डेय, श्री (बांदा)
हरिद्वार पाण्डेय, श्री (गोरखपुर)
हरि प्रसाद कुरील, श्री (उन्नाव)
हरी सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
हरी किशन श्रीवास्तव, श्री (कानपुर)
हरीशंकर, श्री (हरदोई)
हाफिज मोहम्मद सिद्दीक, श्री (मुरादाबाद)
हेमचन्द निमेष, श्री (मेरठ)

अवध दूदेश्वर

विधान सभा
सचिवालय, उत्तर प्रदेश

प्रश्नोत्तर

सोमवार, 12 सितम्बर, 1983 ई0

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

आर0 डी0 एस0 इन्टर कालेज, कलामगंज, सुल्तानपुर के सेवा-निवृत चपरासी श्री हौसला की आयु की जांच

*1--श्री जैराज गौतम--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सुल्तानपुर जनपद के अन्तर्गत आर0 डी0 एस0 इन्टर कालेज, कामतागंज (दोस्तपुर) में चपरासी के पद पर कार्यरत श्री हौसिला हरिजन को प्राचार्य ने अनियमित ढंग से 60 वर्ष की आयु रजिस्टर में अंकित करके सेवा-निवृत्त कर दिया है जबकि जिला मुख्य चिकित्सा-धिकारी, सुल्तानपुर द्वारा 30 वर्ष की आयु क प्रमाण-पत्र श्री हौसिला हरिजन को दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर उचित कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

शिक्षा मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)--

श्री हौसला ने नियुक्ति के समय दिये गये अपने प्रार्थना-पत्र दिनांक 17-11-1972 में अपनी आयु लगभग 53 वर्ष बताई थी। इसके आधार पर उनकी सेवा पुस्तिका में जन्मतिथि 8-2-1920 अंकित की गयी। श्री हौसला को सेवा में नियुक्ति के समय तथा सेवा-निवृत्ति से पूर्व अपनी आयु के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया किन्तु सेवा काल में उनके द्वारा कोई प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये। यथानुसार वे फरवरी, 1980 से सेवा-निवृत्त हो गये। इसके लगभग डेढ़ वर्ष बाद उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी से आयु का प्रमाण-पत्र 26-5-1981 को प्राप्त कर जिला विद्यालय निरीक्षक को प्रस्तुत किया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने अपने प्रमाण-पत्र में उनकी आयु लगभग 30 वर्ष बताई है। न्याय पंचायत के प्रमाण-पत्र में भी उनका जन्म वर्ष 1945 बताया गया है। इस तरह उनकी आयु के अंकन में काफी भिन्नता है। पूरे मामले की जांच कराये जाने के आदेश शिक्षा निदेशक को दे दिये गये हैं।

श्री जैराज गौतम--

मान्यवर, पिछली बार मेरा यह प्रश्न स्थगित किया गया था, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि यह उत्तर माननीय शिक्षा मन्त्री जी पिछली सूचना के आधार पर दे रही हैं या अतिरिक्त सूचना, जो उन्होंने मंगायी उसके आधार पर ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

पिछली बार जो बहस हुई थी उसी के अनुसार कार्यवाही करते हुये शिक्षा निदेशक को यह आदेश दिये गये कि वे पूरी जांच करके रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

श्री पंचानन राय--

पिछले सोमवार को यह प्रश्न स्थगित किया गया था और शासन से यह अपेक्षा की गयी थी कि शासन पूरी सूचना एक सप्ताह में मंगा कर सदन को देगा। यह हौसला हरिजन एक बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति है। सिविल सर्जन ने उसकी आयु 30 वर्ष बतायी है। ग्राम पंचायत रजिस्टर के हिसाब से उसकी आयु 36 वर्ष बैठती है। पर 60 वर्ष तो किसी भी हिसाब से नहीं बैठती है। एक आरोप यह लगाया गया था कि चूंकि उसने पैसा नहीं दिया इसलिये उसे निकाल दिया गया। हरिजन को चपरासी रखना वैसे भी प्रधानाचार्य वगैरह पसन्द नहीं करते हैं। अब अगर उसकी उम्र 36 भी मान ली जाये तो भी उसे 24 वर्ष और नौकरी करनी चाहिये थी। तो क्या माननीय शिक्षा मन्त्री जी यह आश्वासन देंगी कि उसे तत्काल सेवा में ले लिया जायेगा और उसकी सेवा समाप्त नहीं मानी जायेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

उसने अपनी आयु का कोई ठोस प्रमाण-पत्र दिया ही नहीं। कोई जन्म पत्री भी नहीं थी। उसने कहा कि नियुक्ति के समय उसकी उम्र 53 वर्ष है। वही उसके कहने के अनुसार ही सर्विस बुक में लिख दी गयी। जब नियुक्ति-पत्र उसको दिया गया था तब भी उससे कहा गया था कि वह आयु प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करे, पर आज तक उसने दिया ही नहीं। रिटायरमेंट इनका दिनांक 29-2-80 को हुआ और उसके 6 माह पहले उनको पत्र दिया गया था कि आप रिटायर होने वाले हैं, अतः आप अगर अपना कोई प्रतिवेदन आयु के सम्बन्ध में देना चाहें तो दे सकते हैं। लेकिन उसने रिटायर होने के बाद 15-6-81 को प्रतिवेदन दिया है, सी0 एम0 ओ0 का प्रमाण-पत्र 26-5-81 को मिला है और पंचायत राज वाला भी बाद में आया है रिटायरमेंट होने के काफी समय बाद।

श्री भीखा लाल--

जैसा पंचानन राय जी ने कहा, अभी पिछली बार इसी बिना पर यह सवाल स्थगित किया गया था कि शिक्षा मन्त्री जी फर्दर इंक्वायरी कर लें, लेकिन आज जवाब दिया गया है कि शिक्षा निदेशक को जांच के आदेश दे दिये गये हैं, तो क्या वह इस बिन्दु पर जांच करा लेंगी कि इस हरिजन चपरासी का स्थायी करने के लिए वहां के प्रधानाचार्य उससे पैसा मांगते थे, और जब वह पैसा नहीं दे सका तो उन्होंने 23 वर्ष की आयु का जो दिया था, उसको 53 वर्ष किया गया, ताकि उसे रिटायर किया जा सके, क्या आप इसकी भी जांच करा लेंगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

ऐसी बात नहीं है। उसकी अप्लीकेशन है, 53 वर्ष उन्होंने आयु लिखा है। उनका प्रार्थना-पत्र सामने है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि 'अतः आपसे प्रार्थना है कि मुझे विद्यालय में रखने की कृपा करें, इस समय मेरी आयु लगभग 53 वर्ष होगी, और उनका अंगूठा इसमें लगा है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मन्त्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इससे पहले भीखालाल जी ने एक बिन्दु इसमें उठाया है और उसमें यह स्पष्ट आरोप लगाया है कि वहां के प्रधानाचार्य उससे पैसा लेते थे और पैसा उससे चाहते थे, तो शिक्षा मंत्री जी से इतना आश्वासन चाहिए कि क्या आप इस बिन्दु पर भी जांच कराने की कृपा करेगी ? आवेदन-पत्र से बात साफ नहीं होती है । क्या मंत्री जी इस पर जांच करायेंगी, चूंकि प्रधानाचार्य एक स्पष्ट कदाचार के कारण उनके साथ न्याय करने को तैयार नहीं हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

यह अन्डरस्टुड है जब जांच हो रही है तो इस बिन्दु पर भी कराई जायेगी ।

श्री श्याम लाल वाजपेयी--

अध्यक्ष जी, मैं आपके भविष्य से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं एक ओर तो वह हरिजन चपरासी अनपढ़ है और भीखा लाल जी ने स्पष्ट आरोप लगाया कि उससे पैसा मागते थे और न देने पर उससे मनमाने ढंग से प्रार्थना-पत्र लिखाया गया, आप प्रधानाचार्य और निदेशक को बहुत महत्व दे रही हैं, लेकिन क्या आप इस आदरणीय सदन और माननीय सदस्यों की भावनाओं को सामने रखकर उक्त सेवा मुक्त हरिजन चपरासी को तत्काल सेवा में लेकर, उसके बाद जांच कार्यवाही चलायेंगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

इस विषय में कोई भी आश्वासन इस स्टेज पर देना मेरे लिए सम्भव नहीं है ।

(व्यवधान)

उसकी सर्विस-बुक हमारे सामने है, सर्विस बुक में उसका अंगूठा निशान है और हस्ताक्षर भी हैं और यह तिथि दी है । हमारे सामने एक यह बड़ी डिफकल्टी है कि रिटायर होने के कई माह बाद उसने सी0 एम0 ओ0 का सार्टीफिकेट दिया है, इसलिए कठिनाई है, बड़ा काम्पलीकेशन हो जाता है । इसकी जांच की जायेगी और इसकी रिपोर्ट पर हम न्यायोचित कार्यवाही अवश्य करेंगे ।

श्री जेराज गौतम--

श्रीमन्, यह विद्यालय मेरे गांव का है और मैं उस विद्यालय की प्रबन्ध कमेटी में पिछले 5 वर्ष तक सदस्य था । यह लड़का मेरे गांव का है जो मुझसे मुश्किल से 5 साल छोटा है । जिस समय उसकी नियुक्ति की गयी थी उस समय प्राचार्य ने 23 साल आयु लिखी थी । उस विद्यालय के प्राचार्य वहां के 10 चपरासियों से हर महीने 50 रुपये ले रहे हैं । मेरे पास जब यह शिकायत आयी तो मैंने निवेदन किया कि यह पैसा लेते हैं यह ठीक नहीं है । यह पैसा लेना बन्द कर दें । जब हौसला ने पैसा देना बन्द कर दिया तो हौसला को मारा गया । मैंने उसका डाक्टरी मुआइना कराया । उसके बाद प्राचार्य ने कहा कि अगर तुम

2 हजार रुपया दोगे तो काम करने का मौका दिया जायगा वरना हटा दिया जायगा और इसके बाद आयु ज्यादा लिखाकर उसको रिटायर कर दिया गया। तो वह लड़का मेरे पास आया। मैंने इस पर कहा कि इसके साथ ज्यादती हो रही है इसकी उम्र 60 साल नहीं है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। इसके बाद मैं उसको ले कर सी0 एम0 ओ0, जो सक्षम अधिकारी हैं उनके पास गया और कहा कि इसकी जो एक्चुअल आयु है उसका प्रमाण-पत्र दे दीजिए तो श्रीमन्, उन्होंने प्रमाण-पत्र दिया। उसके बाद से बराबर लिखापढ़ी चल रही है। तो मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा और यह जानना चाहूंगा कि क्या इस हरिजन चपरासी को, जो उस विद्यालय में मात्र अकेला हरिजन चपरासी था उसको पुनः सेवा में लेगी और पिछले 3 वर्षों का जो वेतन नहीं दिया गया है उसका भुगतान करने का आश्वासन देगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, मेरा यही निवेदन करना है कि अगर यह सब विधायक महोदय, जानते थे तो जैसा आप कह रहे हैं, जब वह रिटायर हुआ था तो डेढ़ साल तक उसने प्रमाण-पत्र क्यों नहीं दिया। मैं विश्वास दिलाती हूं कि इसकी तुरन्त जांच करवाकर जो भी तथ्य सामने आयेंगे वह आपके सामने प्रस्तुत कर दिए जायेंगे।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, स्थिति बड़ी साफ है। माननीय मंत्री जी अनावश्यक तूल दे रही हैं। जांच का एक ही मुद्दा है वह है उसकी आयु का तो जो सक्षम अधिकारी हैं उसने आयु का सर्टीफिकेट दे दिया। तो फिर मैं पूछना चाहता हूँ कि जांच किस चीज की करा रही हैं। सी0 एम0 ओ0, जो सक्षम अधिकारी हैं उसने प्रमाण-पत्र दे दिया कि उसकी उम्र 30 साल है। फिर इसके बाद जांच कराने का क्या औचित्य है ? जैसा कि जैराज जी ने बताया उसको मारा भी गया है। तो यह प्रकरण ऐसा है जो प्रधानाचार्य की इच्छा को साफ करता है कि वह क्या चाहते थे। ऐसी स्थिति में आप उसको संरक्षण दें और इस आदरणीय सदन के सदस्यों को भी संरक्षण दें। माननीय मंत्री जी को आप निर्देशित करें कि उसको सर्विस में लें। सी0 एम0 ओ0 ने जो सर्टीफिकेट दिया है उसको आप मेडिकल बोर्ड को भेजें यही एक मुद्दा रह जाता है। उसको सेवा में वापस ले और सी0 एम0 ओ0 के सर्टीफिकेट की जांच मेडिकल बोर्ड से करवाती रहें।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, अगर आपकी आज्ञा हो तो बोर्ड को रिफर कर दिया जाय। मेडिकल बोर्ड को रिफर कर दिया जायगा और सारी जांच आख्या को मेडिकल बोर्ड की आख्या सहित आपको प्रस्तुत कर दिया जायगा। आपको जो आज्ञा होगी उसका पालन किया जायगा।

श्री अध्यक्ष--

माननीय शिक्षा मंत्री जी, जो सदन में प्रश्न किए गए हैं और जिन मुद्दों को उठाया गया है, तो खास तौर से जो प्रश्न किए गए हैं उनको सामने रखकर उनके आधार पर जांच करायें और उसके बाद सदन को सूचित करें।

श्री पंचानन राय--

इस प्रश्न को स्थगित कर दीजिए ।

[सोमवार, दिनांक 12 सितम्बर, 1983 हेतु निर्धारित तारांकित प्रश्न ।]

स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को छात्र वृत्ति की दरों में वृद्धि पर विचार

*1--श्रीमती प्रेमवती तिवारी--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को शिक्षा हेतु 30 रु0 माहवार छात्रवृत्ति दी जाती है ? यदि हां, तो कब से दी जा रही है ? क्या सरकार इसको बढ़ाने के प्रश्न पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

स्वतन्त्रता सग्राम सेनानियों के आश्रितों को कक्षा 6 से शोध स्तर तक विभिन्न दरों से छात्रवृत्ति दी जा रही है । स्नातक स्तर के छात्रों को 30 रुपए प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति दी जाती है । यह योजना वर्ष 1949 से लागू है । स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों की छात्रवृत्ति की दरों में वृद्धि की मांग शासन के विचाराधीन है ।

श्रीमती प्रेमवती तिवारी--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि सन् 1949 से 30 रुपया स्नातक विद्यार्थियों को दे रहे हैं। इसके पहले भी इसी माननीय सदन में कई बार प्रश्न हुए हैं और उस समय कहा गया कि शासन के विचाराधीन है स्वतन्त्रता संग्राम के व्यक्तियों को पेंशन मिलती थी उसमें बढ़ोत्तरी हुई है तो इन विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति में कब तक बढ़ोत्तरी हो जायेगी और कब तक यह मामला शासन के विचाराधीन रहेगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

अभी तो विचाराधीन है । अभी जो दे रहे हैं उसमें केवल 30 रुपया नहीं दे रहे हैं । अभी कक्षा 6-8 तक 8 रुपये, 9-10 को 15 रुपये 11-12 को 25 रुपये, स्नातक को 30 रुपये और स्नातकोत्तर और शोध के लिए 50 रुपये दे रहे हैं । इसके अतिरिक्त फीस निःशुल्क करने का प्राविधान है जिसकी कमी सरकार पूरा करती है । दूसरे सरकार द्वारा अनावर्तक अनुदान पुस्तकों के लिए 6-8, 50 रुपए, 9-10 को 75 रुपये, 11-12 को 100 रुपये, स्नातक को 150 रुपए और स्नातकोत्तर को 180 रुपये प्रति छात्र प्रति वर्ष दिया जाता है।

श्रीमती प्रेमवती तिवारी--

मैं यह जानना चाहती हूं कि जो शिक्षा मंत्री जी ने छात्रवृत्तियां बताई हैं वह सभी स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों को मिल रही हैं अथवा कुछ को ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

एक आधार तो यह है कि छात्र स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी का आश्रित हो, जैसे उनका पुत्र, पुत्री अथवा बहन । दूसरा वार्षिक परीक्षा में 45 प्रतिशत अंक प्राप्त किया हो । ऐसे योग्य बालकों के लिए यह प्राविधान है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखेंगी कि जो यह छात्रवृत्ति मिल रही है यह बहुत कम है । इसके पहले मैंने भी सवाल किया था तो उत्तर आया था कि विचाराधीन है । विचाराधीन किस स्टेज पर है ? क्या शिक्षा विभाग ने फैसला कर लिया, मंत्रिमंडल का अनुमोदन हो गया, क्या वित्त विभाग में अटका हुआ है ? किस स्टेज पर है । क्या मंत्री जी इस समय आश्वासन देने की कृपा करेंगी कि 15 दिन या एक महीने के अन्दर मंत्रिमण्डल में विचार करके वित्त विभाग की स्वीकृति से इन छात्रों की छात्रवृत्ति दुगनी करने की कृपा करेंगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

माननीय सदस्य ने बड़ी इन्टरेस्टिंग बात कही । शिक्षा विभाग, वित्त विभाग, मंत्रिमण्डल सब शासन के अंग हैं । शासन जब कोई निर्णय लेता है तो सब एक जुट होकर लेते हैं । अभी यह शासन के विचाराधीन है । इस समय नहीं बता पाऊंगी इसके लिए माननीय विधायक और माननीया विधायिकाजी से मैं क्षमा प्रार्थी हूं । मैं शीघ्र निर्णय लेने का प्रयास करूंगी ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में यह कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने पत्रावली से बहुत कुछ पढ़ा, लेकिन मान्यवर, मैं सीधा सवाल करना चाहता हूं कि जो मंत्री जी ने छात्रवृत्ति बताई है वह सन् 1949 से लागू है । सन् 1949 से 1983 तक महंगाई के कारण चाहें वह विधायक हों, सरकारी कर्मचारी हों, या मंत्री हों विभिन्न क्षेत्रों में वृत्ति बढ़ाई गई है । क्या इन सबको देखते हुए माननीय मंत्री जी इस आजाद अमर प्रहरी स्वतन्त्रता संग्रामी छात्रों की छात्रवृत्ति बढ़ाने की कृपा करेंगी ? मान्यवर, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी इस छात्रवृत्ति को जो 30 रुपये हैं, बढ़ाकर 40-45 या 50 रुपया करने की घोषणा करेंगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, मैंने जैसा निवेदन किया कि प्रश्न अभी विचाराधीन है, जो निर्णय होगा उससे हम अवगत करा देंगे । हमारे माननीय विधायक महोदय काफी विद्वान और गुणवान हैं । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि महंगाई बहुत है तो हमने इस महंगाई को देखते हुए फीसों की दर को बढ़ाया नहीं है और वर्षों-वर्षों से वही फीसें हैं जो पहले थीं और वही आज भी हैं ।

कमला माहेश्वरी आर्य कन्या महाविद्यालय, मिर्जापुर की प्राचार्या द्वारा फर्जी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर उनके विरुद्ध कार्यवाही

*2--राधेश्याम पटेल (अनुपस्थित)--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के पाचवें सोमवार को सर्वश्री राधेश्याम पटेल, अजहर इमाम, कल्लू राम रत्नाकर द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 19 के क्रम में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राचार्या पद पर फर्जी प्रमाण-पत्रों के आधार पर अनुमोदन लेना सिद्ध हो जाने पर अब तक दोषी

प्राचार्या के विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई ? क्या सरकार का उक्त पद पर लगभग 2,500 रु0 प्रतिमाह वेतन के रूप में अनियमित भुगतान हो रहा है ? क्या वेतन रोकने की कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मामला कुलाधिपति महोदय के अधिकार क्षेत्र में आता है, अतः आवश्यक निर्णय हेतु भेजा गया था । कुलाधिपति महोदय ने इस मामले में विचारोपरान्त किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं समझी ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश मेकेनिकल इंगीनियरिंग एसोशिएशन द्वारा भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन के सम्बन्ध में ज्ञापन पर कार्यवाही

*3 श्री राम आसरे वर्मा--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश मेकेनिकल इंजीनियरिंग एसोशिएशन का कोई ज्ञापन जनवरी, 1983 में भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन के बारे में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव)--

जी हां ।

श्रेणी दो तथा श्रेणी एक के क्रमशः 13 व 3 पद यांत्रिक अभियन्ताओं के लिए आवंटित कर दिए गए हैं तथा अधीक्षण अभियन्ता के एक पद पर भी यांत्रिक संवर्ग के अभियन्ता की तदर्थ प्रोन्नति की गई है ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन एक यांत्रिक विभाग है और इस यांत्रिक विभाग में यांत्रिक लोगों को भरकर साजिश बनाकर, अपंग बनाने की कोशिश की जा रही है । माननीय मंत्री जी इस साजिश से अवगत अवश्य होंगे । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो जवाब आया है उसके दो हिस्से हैं 13 और 3 यांत्रिक अभियन्ताओं के लिए आवंटित कर दिया गया है । एक हिस्से में अधीक्षण अभियन्ता की तदर्थ प्रोन्नति के बारे में कहा गया है । मान्यवर, इसमें एक उत्तर तो सही है लेकिन मान्यवर, यह 13 और 3 जो हैं इसमें ज्ञापन मिलने के पहले की स्थिति की मंत्री जी को जानकारी है कि 13 व 3 यांत्रिक अभियन्ताओं की नियुक्ति के विरोध में 2 अधीक्षण अभियन्ता 9 अधिशासी अभियन्ता तथा 24 सहायक अभियन्ता की मांग शामिल थी ?

श्री बलराम सिंह यादव--

मान्यवर, मांग तो थी । यह विभाग से प्रस्ताव शासन को आया था कि दो के श्रेणी एक के जो पद विभाग ने शासन को भेजे थे वह स्वीकृत कर दिये गये हैं इनमें 13 पद तो हैं यांत्रिक अभियन्ता के दिये गये हैं एक पद

विद्युत् अभियन्ता को दिया गया है इसमें कई वर्ग के लोग हैं ऐसा नहीं है कि सिर्फ यांत्रिक अभियन्ता सम्पूर्ण कार्य कर लेंगे ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी को यह जानकारी है कि भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन के निदेश द्वारा पत्र संख्या 1470/अ, दिनांक 13 जनवरी, 1982 के द्वारा शासन को यह अवगत कराया गया था कार्यहित में कि योग्यता की अपरिहार्यता को देखते हुए अविशासी अभियान्ता जैसे पद पर मेकेनिकल अधिकारियों की नियुक्ति वांछनीय होगी ? यदि हां तो फिर 3 पदों के आंवटन का क्या औचित्य है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

मान्यवर, इस पत्र की जानकारी मुझे नहीं है, इसकी जानकारी कर ली जायगी ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी यह आश्वस्त करेंगे कि संदर्भित पत्र की जानकारी करके तदनुसार कार्यवाही करा दी जायगी ?

श्री बलराम सिंह यादव—

मान्यवर, इस पत्र पर विचार करने में शासन को कोई एतराज नहीं है ।

प्रगति आश्रम हाई स्कूल, बालागंज, लखनऊ की प्राइमरी जूनियर हाई स्कूल तथा हाई स्कूल की मान्यता

*4—श्री मोहन सिंह (अनुपस्थित)—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के प्रथम सोमवार, दिनांक 7 फरवरी, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या-24 के उत्तर के संदर्भ में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि प्रगति आश्रम सर्वप्रथम प्राइमरी स्कूल के रूप में प्रारम्भ हुआ, उसके बाद जूनियर हाई स्कूल हुआ, तत्पश्चात् हाई स्कूल बना ? यदि हां, तो प्रगति आश्रम हाई स्कूल, बालागंज, लखनऊ के प्राइमरी, जूनियर हाई स्कूल सेक्शनों को मान्यता प्रदान करने सम्बन्धी आदेशों की प्रमाणित प्रतिलिपियां सदन के पटल पर रखते हुए यह बतायेंगे कि सम्बन्धित मान्यताएं विपरीत क्रम से प्रदान की गयीं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

यह विद्यालय वर्ष 1958 में प्राइमरी स्कूल के रूप में प्रारम्भ हुआ । इसे जूनियर हाई स्कूल की स्थायी मान्यता दिनांक 10 दिसम्बर, 1975 से प्रदान की गयी । तत्पश्चात यह विद्यालय वर्ष 1976 की परीक्षा से हाई स्कूल हो गया । विद्यालय को प्राइमरी सेक्शन मान्यता प्राप्त नहीं है । जूनियर सेक्शन की स्थायी मान्यता प्रदान करने के आदेशों की प्रतिलिपि संलग्न है ।

चूंकि विद्यालय को, प्राइमरी सेक्शन की मान्यता प्रदान ही नहीं की गई है, अतः, प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल की मान्यता विपरीत क्रम में प्रदान करने का प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी "क" आगे पृष्ठ 233 पर)

फूलमती कन्या इन्टर कालेज, कटघर, मुरादाबाद से सम्बद्ध प्राइमरी विभाग की अध्यापिकाओं को वेतन भुगतान

*5--श्री भीखा लाल--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फूलमती कन्या इण्टर कालेज, कटघर, जिला मुरादाबाद से सम्बद्ध प्राइमरी विभाग की अध्यापिकाओं के वेतन मई, 1982 से न दिए जाने के सम्बन्ध में अध्यापिकाओं ने 12 सितम्बर, 1982 को उनको एक ज्ञापन उनके बरेली आगमन के अवसर पर दिया था जिस पर उन्होंने तुरन्त वेतन भुगतान करने के आदेश दिए थे ? यदि हां, तो क्या बकाया वेतन का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री भीखा लाल--

अध्यक्ष महोदय, मेरा यह प्रश्न 22 अप्रैल, 1983 का है और पांच माह के बाद उत्तर दिया जा रहा कि सूचना एकत्र की जा रही है । एक इन्टर कालेज से सम्बद्ध एक प्राइमरी स्कूल है, उसके अध्यापकों का वेतन मई, 1982 से नहीं मिला, उसका प्रतिवेदन माननीय मंत्री जी को उनके बरेली आगमन के अवसर पर दिया गया था, तो क्या जानकारी करनी है कि प्रतिवेदन शिक्षा मंत्री जी को मिला या नहीं ? दूसरे अध्यापकों को वेतन दिया गया अथवा नहीं । इन दो बिन्दुओं पर सूचना मांगी गयी है । तो मैं जानना चाहता हूं कि शिक्षा मंत्री जी इन दो बिन्दुओं में किस बात की जानकारी एकत्र कर रही हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, वह पत्र उपलब्ध नहीं है, ढूंढ़ा जा रहा है । माननीय विधायक जी ने इस बात पर ध्यान आकर्षित किया है कि टीचर्स वेतन नहीं पा रहे हैं । मैं इस सम्बन्ध में आपके आदेशानुसार ज्ञात कर लूंगी और वेतन दिलवाने का प्रयास करूंगी ताकि उनको जो भी वेतन मिलता है, उसका भुगतान कर दिया जाय । जहां तक मेरी सूचना है यह विद्यालय अनुदान सूची में नहीं है और प्रबन्धक स्वयं अपने ही रेट से उनको भुगतान कर रहे हैं । जो भी हो वेतन समय से दिया जाना चाहिये । मैं इस बात को समझती हूं और इस पर उचित कार्यवाही करके आपको सूचित किया जायगा ।

जूनियर हाई स्कूल के प्रधानाध्यापकों को हाई स्कूल के प्रधानाध्यापकों के पद पर प्रोन्नति

*6--श्री रेवती रमण सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जो प्रधानाध्यापक पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत हैं और जो सभी शर्तें पूरा करते हैं, उन्हें हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी नहीं, क्योंकि इसका कोई औचित्य नहीं है ।

श्री रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, इसी सदन में पिछले सत्र में माननीय मंत्री जी ने यह कहा था कि यह विचारणीय है और इस पर विचार कर रहे हैं और जहां तक है सरकार इसको मान लेगी। अब माननीय मंत्री जी कह रही हैं कि इसका औचित्य नहीं है इसमें क्या गड़बड़ी है, कि यह क्यों नहीं किया जा सका, क्या माननीय मन्त्री जी बताएंगी यह क्यों सम्भव नहीं हो सका ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, आपका कहना सही है। विभाग में बहुत से प्रश्न आते हैं, समस्यायें आती हैं, उन पर विचार किया जाता है, लेकिन उन पर विचार करने के बाद हम लोगों ने इस बात को समझा कि इसका औचित्य नहीं है। जूनियर हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक एप्वाइंट करते हैं। उनको चयन समिति के द्वारा एप्वाइंट किया जाना चाहिए ताकि जूनियर हाई स्कूल का स्तर ऊंचा रहे।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी के उत्तर के संदर्भ में मैं जानना चाहूंगा कि जो जूनियर हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक हैं, वह परिश्रम करके स्कूल चलाते हैं। अपने दम पर स्कूल का संचालन करते हैं, सारा काम करते हैं और जहां उस विद्यालय को प्रोन्नत किया गया, उसको हटा दिया जाता है। इस बात से उनके अन्दर जो इनीशियेटिव है, वे उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं।

माननीय मन्त्री जी का जो उत्तर है, उसमें उन्होंने कहा कि विचारोपरान्त ऐसा पाया गया। उसमें कोई रेशनल नजर नहीं आता है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि जनभावनाओं को तथा मांगों को देखते हुए क्या वह इस प्रकरण पर पुना विचार करेंगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, हाई स्कूल के प्रधानाध्यापकों को चयन सम्बन्धी जो प्रक्रिया है वह इन्टरमीडिएट ऐक्ट 1981 के अनुसार होती है। लगभग 62 वर्षों से यही प्रक्रिया चली आ रही है। कई बार यह प्रकरण आ चुका है और इसके ऊपर विचार-विमर्श भी हो चुका है। विचारोपरान्त यही पाया गया कि यदि हाई स्कूल में योग्य प्रधानाचार्यों को रखना है तो उन्हें चयन प्रक्रिया के माध्यम से ही रखना चाहिये। जो जूनियर हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक हैं यदि वे योग्यता रखते हैं तो उन्हें चयन समिति के समक्ष जाना चाहिए। यदि चयन समिति के समक्ष वे अपनी योग्यता को सिद्ध करते हैं तो उन्हें अवश्य हाई स्कूल का प्रधानाध्यापक बनाया जायेगा। ऐसी बात नहीं आज तक कई लोगों का सलेक्शन भी हो चुका है।

माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा प्रधानाचार्य के पदों पर चयन हेतु विज्ञापन में आरक्षण की व्यवस्था

*7--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा प्रधानाचार्यों के चयन हेतु जो विज्ञापन दिनांक 9-4-1983 को लखनऊ से प्रकाशित दैनिक 'स्वतन्त्र भारत' तथा 'जागरण' में विज्ञापित हुआ है उसमें अनुसूचित जाति तथा

अनुसूचित जन0जाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है ? यदि हां, तो उसका प्रतिशत एंव रूप रेखा क्या है यदि नहीं तो आरक्षण न रखने का कारण क्या है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

आरक्षण की व्यवस्था पदों की संख्या एक से अधिक होने पर ही लागू होती है और प्रधानाचार्य का पद प्रत्येक विद्यालय में एक ही होता है। अतः प्रश्नगत विज्ञापन में आरक्षण का उल्लेख करना आवश्यक ही नहीं था।

श्री राजेन्द्र कुमार कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैंने किसी एक निश्चित विद्यालय के बारे में प्रश्न नहीं किया था। मैंने जो प्रश्न किया था वह सम्पूर्ण प्रदेश में शिक्षा आयोग द्वारा प्रधानाचार्यों के चयन के बारे में किया था। पूरे प्रदेश में प्रधानाचार्यों का एक साथ चयन होता है तथा अलग-अलग जगह उनका ट्रान्सफर भी होता है। अब मैं मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो विज्ञापन चयन के बारे में निकाला गया था प्रधानाचार्यों के लिए, उसमें हरिजनों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, दो प्रकार के अध्यापक हैं एक तो राजकीय विद्यालय हैं, उनमें प्रधानाचार्यों की नियुक्ति की जाती है। उसमें नियमानुसार तथा शासनादेशानुसार जो 18 प्रतिशत का आरक्षण है, हरिजनों को दिया जाता है। और उस नियम का पालन करने का प्रयास भी किया जा रहा है। जहां तक प्राइवेट स्कूल्स का प्रश्न है वह एक सिंगल यूनिट है, उसमें सिर्फ एक प्रधानाचार्य की आवश्यकता होती है। इट इज नाट ए वे आफ कैडर।

श्री अध्यक्ष--

आप इसका हिन्दी में अनुवाद करें।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, माफ कीजिए। मैंने कहा कि यह एक कैडर नहीं है। एक विद्यालय में एक प्रधानाचार्य होता है और उसका अलग से एडवरटाइजमेन्ट होता है तथा चयन भी अलग से किया जाता है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैंने सिर्फ एक बात पूछी थी, यह दुर्भाग्य है कि मैं अपना प्रश्न माननीया मन्त्री जी को नहीं समझा पाता हूं। प्रधानाचार्यों की जो नियुक्तियां हो रही हैं सहायता प्राप्त तथा मान्यता प्राप्त विद्यालयों के लिए शिक्षा आयोग द्वारा मैं राजकीय विद्यालयों के बारे में नहीं जानना चाहता हूं।...

मान्यवर, केवल यह जानना चाहता हूं कि क्या शासन की नीति यह जो प्रधानाचार्यों की नियुक्तियां हो रही हैं, या भविष्य में होंगी आयोग के द्वारा, हमेशा सिंगल हुआ करेंगी। यह सब एक हैं, केवल यहां वहां ट्रांसफर और समायोजन की बात है, यह माननीय मन्त्री जी को मालूम है। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार ने कोई योजना प्रधानाचार्यों के चयन में आरक्षण की, की है ? यदि हां, तो वे क्या हैं ? और यदि नहीं, तो प्रधानाचार्यों के चयन में आरक्षण की व्यवस्था क्यों नहीं की है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, मैंने पहले ही निवेदन किया कि एक विद्यालय और एक प्रधानाचार्य के हिसाब से चयन होना है। सम्पूर्ण विद्यालयों का एक साथ चयन नहीं है। स्कूल, वाइज चयन होना है, प्रदेशवाइज नहीं होना प्रदेश के स्तर से नहीं होना है। दूसरी बात यह है कि अनुसूचित जाति की एक ही पोस्ट के लिए यदि कोई व्यक्ति योग्य है तो यह नहीं कि उसका सलेक्शन नहीं होगा, उसका क्यों नहीं होगा, जरूर सेलेक्शन होगा।

श्री पंचानन राय--

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने अलग-अलग विद्यालयों के प्रधानाचार्यों की बात बताई है। शासन ने शिक्षा सेवा आयोग गठित कर दिया, जिससे प्रधानाचार्यों का चयन होगा। शासन की नीति है कि सभी सेवाओं में 18 प्रतिशत हरिजनों को आरक्षण दिया जाय। इन्होंने विधिक कठिनाई यह बताई कि एक संवर्ग नहीं है। तो, मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि शासन की इस नीति को ध्यान में रखते हुये कि हरिजनों को 18 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा, शिक्षा सेवा आयोग द्वारा नियुक्ति के लिये प्रधानाचार्यों का एक संवर्ग बनाने का विचार करेंगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

यह एक संवर्ग है ही नहीं, अलग-अलग विद्यालय हैं। उन विद्यालयों में जितने टीचर्स होते हैं, उनके अनुसार आरक्षण दिया जाता है। जैसे मान लीजिए एल0 टी0 के 10 टीचर्स हैं, तो उनमें आरक्षण देने का प्राविधान है।

श्री पंचानन राय--

मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि· · ·

श्री अध्यक्ष--

अभी मैंने आपको आज्ञा नहीं दी है, आप बिना आज्ञा के नहीं बोलेंगे। श्री पंचनन राय, आप प्रश्न करें।

श्री पंचनन राय--

मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। मान्यवर, आप इन मन्त्रियों को निर्देश दें कि सवाल जो पूछा जाय, उसी के अनुरूप मन्त्री उत्तर दें। मान्यवर, मैंने यह कहा कि एक ही शिक्षा सेवा आयोग है, जो प्रदेश के लिये चयन करेगा। विधिक कठिनाई आपने यह बताई कि एक संवर्ग नहीं है। तो जानना मैं यह चाहता था कि शासन इस बात पर विचार करेगा कि, हरिजनों के बाबत नीति भी कार्यान्वित हो सके, इसके लिए प्रधानाचार्यों का एक संवर्ग बना दिया जाय। प्रश्न मेरा यह था और जवाब कुछ दिया जा रहा है।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, यह बहुत से प्राइवेट स्कूल हैं, अलग-अलग यूनिट हैं, इनका आपस में एक दूसरे से सम्बन्ध नहीं है। इनका संवर्ग एक नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

माननीया मन्त्री जी, प्रश्न यह किया जा रहा है कि शिक्षा सेवा आयोग द्वारा जो वेकेन्सीज निकलेंगी, उसमें आरक्षण का प्राविधान है या नहीं ? आप इसका उत्तर दें ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, मैंने निवेदन किया कि यह एक विद्यालय नहीं है, यह एक विभाग नहीं है । अलग-अलग विद्यालय हैं, अलग-अलग मैनेजमेन्ट्स हैं । पहले शिकायतें यह आती थी कि प्रत्येक विद्यालय में जो उनकी मैनेजमेन्ट कमेटी है, जो अपाइंट करती थी, उसमें सेलेक्शन ठीक से नहीं होता है । इसलिए अब विभाग की ओर से सेलेक्शन हो रहा है । कोई संवर्ग एक नहीं है और न हो सकता है । विद्यालय अलग-अलग हैं, यूनिट्स अलग-अलग हैं ।

श्री सूबेदार सिंह--

मान्यवर, चूंकि जिस समय तक यह नियुक्तियां प्रबन्ध तन्त्र के हाथ में थी, उस समय सेलेक्शन में गड़बड़ियां होती थी, यह जो इन्होंने बताया है, सही है, क्योंकि अपनी जगह पर एक यूनिट थी । लेकिन अब जब कि सेलेक्शन प्रधानाचार्यों का आपके द्वारा गठित, मनोनीत आयोग कर रहा है, ऐसी स्थिति में प्रधानाचार्यों का एक संवर्ग बन गया है, इससे इंकार नहीं किया जा सकता है । यह अभी बात आई कि आरक्षण के बाबत अभी तक प्राविधान नहीं किया गया है । मैं उनसे जानना यह चाहता हूं कि क्या इस बात को ध्यान में रखते हुये कि शिक्षा क्षेत्र में पिछड़े वर्ग कमजोर वर्ग के लोगों की उपेक्षा हो रही है, इसमें नये सिरे से विचार करेंगी, ताकि उनको आरक्षण दिया जाय ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

आरक्षण तो है ही । आरक्षण नियमों का उल्लंघन कर ही नहीं सकते । आरक्षण जो 18 प्रतिशत के हिसाब से हैं, वे तो आरक्षण देना ही है हमको और देने का हमेशा प्रयास करेंगे तथा कमजोर वर्ग को उठाने का प्रयास करेंगे । यह हमारा शासन है, जिसमें ....

(व्यवधान)

पुलिस विभाग में और सब विभागों में कोटे को पूरा किया है और ज्यादा भी किया है ।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

इनके शब्दों के वाक्जाल और शब्दों की जगलरी से अलग हटकर एक साफ सवाल पूछना चाहूंगा । अगर शासन की नीति शिक्षा संस्थाओं में संविधान के तहत, आरक्षण देने की है तो क्या जो एग्जिसटिंग नियम हैं, अगर वे आड़े आते हैं, तो क्या उनको निरस्त करते हुये प्रधानाचार्यों के चयन में भी आरक्षण की व्यवस्था करने को तैयार हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

वह मैंने अभी आपसे कहा कि जहां पर संवर्ग एक है जैसे यदि 10 धानाध्यापकों की नियुक्तियां करनी हों या 20 की करनी हों, तो उसमें आरक्षण

की व्यवस्था है, लेकिन जहां संवर्ग एक नहीं है और केवल एक ही व्यक्ति का चयन किया जाना है, तो हम 18 प्रतिशत के हिसाब से कैसे आरक्षण दे सकते हैं ?

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, शासन की घोर हरिजन विरोधी नीति है, माननीया मन्त्री उत्तर ठीक प्रकार से नहीं दे रही हैं । मैं व मेरा दल इसके विरोध में सदन का बहिर्गमन करता है ।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त ने अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग किया ।)

श्री बिहारी लाल—

मैं जानना चाहता हूं कि वर्ष 1982–83 में आपकी शिक्षा संस्थाओं में जितनी नियुक्तियां हुई, उसमें हरिजनों का 18 प्रतिशत कोटा पूरा किया गया या नहीं ? यदि नहीं किया गया तो····

श्री अध्यक्ष—

यह बहुत व्यापक है, मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूं ।

श्री कुंवर सिंह नेगी—

मान्यवर, माननीया मन्त्री द्वारा उत्तर ठीक प्रकार नहीं दिया जा रहा है । इनकी नीति हरिजन विरोधी है । मैं इसके विरोध में सदन त्याग करता हूं ।

(श्री कुंवर सिंह नेगी सदन त्याग कर चले गये ।)

(व्यवधान)

श्री प्रियदर्शी जेतली—

माननीया मन्त्री जी के उत्तर से सम्बन्धित, उन्होंने बताया कि अलग–अलग विद्यालयों के प्रधानाचार्यों के अलग–अलग चयन की बात है, इसलिए वहां पर यह हार्ड एन्ड फास्ट रूल नहीं किया जा सकता कि 18 प्रतिशत रिजर्वेशन हो । विद्यालयों के चयन में बहुत से विद्यालयों में आज भी परसेन्टेज की पूर्ति नहीं हुई है, तो क्या चयन के समय उन विद्यालयों में प्रधानाचार्यों का जब चयन किया जाएगा, हरिजनों के कोटे की पूर्ति को ध्यान में रखते हुए आरक्षण देने की कृपा करेंगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

इसके लिए हम दृढ़ प्रतिज्ञ हैं कि जो भी हमारे कानून में हरिजनों के लिए आरक्षण है या पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण है, उसके अन्तर्गत सम्यक रूप से हरिजनों के साथ न्याय करेंगे और प्राविधान करेंगे ।

*8—श्री सरदार सिंह—

[5वें बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या–2 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।)

ग्राम पंचायतों को विकास कार्यों हेतु अनुदान स्वीकृति का प्रश्न

*9--श्री जयदीप सिंह बरार--

क्या सरकार किसी ऐसे प्रस्ताव पर विचार कर रही है कि नगरपालिकाओं और नगर क्षेत्रों की तरह, ग्राम पंचायतों को भी विकास कार्यों के लिए शासन द्वारा सीधे कुछ धनराशियां ग्रान्ट के रूप में दी जायें ताकि ग्राम सभा में होने वाले ऐसे आवश्यक कार्य समय से हो सकें ? यदि हां, तो क्या आगामी वर्ष के बजट में इसके लिए समुचित धनराशि की व्यवस्था की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इस पर विचार करेगी ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी नहीं ।

ग्राम पंचायतों के पास नगरपालिकाओं की भांति अपना कोई स्टाफ नहीं है, अतः उन्हें सीधे अनुदान स्वीकृत करना व्यवहारिक नहीं होगा ।

श्री जयदीप सिंह बरार--

यह सभी को ज्ञात है कि धनाभाव के कारण पंचायतों के विकास के कार्य प्रायः मृतप्राय से रहते हैं । उत्तर में दिया है कि ग्राम पंचायतों के पास नगर-पालिकाओं की भांति अपना कोई स्टाफ नहीं है, अतः उन्हें सीधे अनुदान स्वीकृत करना व्यावहारिक नहीं होगा । मैं जानना चाहूंगा कि नगरपालिकाओं में तो ग्रान्ट की सारी धनराशि कर्मचारी खा जाते हैं, जिसके कारण विकास कार्यों में धन खर्च नहीं होता है । ऐसी स्थिति में जब सारा धन विकास कार्यों में लगने की सम्भावनायें अधिक हैं तो कौन सी ऐसी कठिनाई है जो अव्यावहारिक है, जिसके आधार पर धन का उपयोग नहीं हो पायेगा ?

श्री बलराम सिंह यादव--

मान्यवर, गांव पंचायतों में खड़ंजा लगाने का काम, नालियां, पंचायतघर व शौचालय आदि बनाने के टेक्निकल काम होते हैं, इसलिए यह पैसा सीधे गांव पंचायतों को नहीं दिया जाता है, बल्कि ब्लाक को पैसा दिया जाता है क्योंकि ब्लाक्स में जे० ई० आदि रहते हैं और यह सारे काम उनके माध्यम से ही होते हैं ।

श्री जयदीप सिंह बरार--

मान्यवर, मेरा जो प्रश्न था वह यह नहीं था मेरा स्पष्ट प्रश्न यह था कि आप कार्य किसी के जरिये से करवायें, लेकिन जो विकास कार्य होते हैं पुलिया आदि का तत्काल बनवाने का जिला परिषद् को जाते हैं, इसलिए सीधे पैसा आप ग्राम पंचायतों को दें तो इससे जो भी आवश्यक कार्य होंगे, वह वहीं पर बन जायेंगे ।

श्री बलराम सिंह यादव--

इसका एक कारण यह भी है कि हमारे पास लगभग 7.5 हजार गांव पंचायत हैं और साधन और धन इतने नहीं हैं कि हर गांव पंचायत को पैसा दिया जाय । इसलिए मान्यवर, हम बी० डी० सी० को पैसा दे देते हैं और इस ब्लाक डेवलपमेंट कमेटी की मीटिंग में धन आवंटित होता है और वही गांव पंचायतों को बांटते हैं ।

कुमायूं विश्वविद्यालय में अग्निकान्ड की जांच तथा क्षतिपूर्ति की कार्यवाही

*10--श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कुमायूं विश्वविद्यालय में 1982-83 में भीषण अग्निकान्ड के कारणों की खोज हेतु रज्य सरकार ने किसी जांच समिति की नियुक्ति की है ? यदि हां, तो इसमें क्या निष्कर्ष निकला और सम्बन्धित विश्वविद्यालय को क्षतिपूर्ति हेतु क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी नहीं ।

इस अग्निकांड की जांच विश्वविद्यालय द्वारा कराई जा रही है । विश्वविद्यालय को अग्निकांड के कारणों से शासन को अवगत कराने हेतु लिखा गया था । उनकी आख्या अभी प्राप्त नहीं हुई है ।

विश्वविद्यालय को इस अग्निकांड से क्षतिग्रस्त भवनों के निर्माण साज-सज्जा एवं उपकरणों के क्रय हेतु रु0 20·00 लाख का अनावर्तक अनुदान 5 फरवरी, 1983 के शासनादेश द्वारा तात्कालिक सहायता के रूप में स्वीकृत किया गया ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि अभी तक जो जांच समिति बनी थी उसकी रिपोर्ट न आने का कारण क्या है ? दूसरी बात यह कि इस अग्निकांड में कितनी क्षति हुई और शासन ने अपनी तरफ से इस जांच के न कराने का कारण क्या है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, इस भीषण अग्निकांड की जांच कई स्तर से हुई एक तो सबसे पहले यूनिवर्सिटी को जांच के लिए कहा गया उन्होंने अपनी एक जांच कमेटी बैठाई, जिसमें सदस्य के रूप में श्री के0 के0 पान्डेय, श्री राबर्ट ह्वीलर, सदस्य कार्य परिषद् नैनीताल और श्री रवीन्द्र कुमार, अधिशासी अभियंता, सा0 नि0 विभाग, नैनीताल और दूसरी जांच विश्वविद्यालय के विकास अधिकारी डा0 श्रीवास्तव ने मौके की जांच 18, 19, 20 और 21 नवम्बर, 82 में की और अपनी आख्या 23 नवम्बर, 1982 को दी । और इस अग्निकान्ड की क्षति का मूल्यांकन 22 लाख, 76 हजार रु0 और 75 पैसे का हुआ । और क्षति के मूल्यांकन की रिकमेंडेशन यहां के जिलाधिकारी ने भी की और जब जिलाधिकारी की रिकमेन्डेशन यहां आ गई तो उसके अनुसार शासन ने 20 लाख रु0 तुरन्त सैंक्शन कर दिए और मान्यवर, तीसरी जांच जो कराई 8 नवम्बर, 1982 को । जब घटना स्थल पर पुलिस आई और उसने मौके का निरीक्षण कर अपने इक्सपर्ट्स द्वारा जांच कराई जिसकी रिपोर्ट भी प्रस्तुत है ।

श्री जसवंत सिंह विष्ट--

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो माननीय मन्त्री जी यह कह रही हैं कि जांच समिति विश्वविद्यालय द्वारा बैठाई गई और जांच रिपोर्ट आ गई है । और दूसरी तरफ कह रही हैं कि जांच की रिपोर्ट आ गई है । तो मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इसमें सत्यता क्या है ? जैसा

कि अभी आपने कहा कि जांच की रिपोर्ट आ गई है तो उसे आप सदन में पढ़ कर सुना दीजिए ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, जैसा कि मैंने अभी बताया कि यह जांच तीन स्तर से हुई एक तो एग्जीक्यूटिव कमेटी यूनिवर्सिटी ने जांच स्वयं कराई उनके द्वारा, जिनके नाम मैंने अभी बताये थे । दूसरी पुलिस कमीशन की तरफ से जांच कराई गई । एक और जांच तीव्रता से मामला एक्सपेडाइट करने के लिए कराई गई यूनीवर्सिटी के वाइस चान्सलर के द्वारा डाक्टर श्रीवास्तव से । डाक्टर श्रीवास्तव को जांच करने के लिए एप्वाइन्ट किया गया था जिन्होंने बतलाया कि 22,00 776 रु0 75 नये पैसे की हानि हुई और उनकी आख्या का अनुमोदन जिलाधिकारी ने किया और उसी को हमने पेश किया । जहां तक तीसरी जांच का सम्बन्ध है, उसकी रिपोर्ट आ गई है और उस रिपोर्ट को एक्सपेडाइट करने के लिए निवेदन कर दिया है, जब आ आयेगी तो उसे उपस्थित कर दूंगी । उसकी क्षतिपूर्ति की जहां तक बात है तो उसके लिए हमने तुरन्त दान महाकल्याण कर दिया है ।

प्रदेश के ग्राम प्रधानों के सम्मेलन का उद्देश्य तथा उसमें हुए व्यय का विवरण

*11--श्री मोतीलाल देहलवी तथा श्री हरगोविन्द वर्मा (अनुपस्थित)--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि विगत 23 अप्रैल, 1983 को शासकीय स्तर पर प्रदेश के ग्राम प्रधानों का सम्मेलन लखनऊ में किया गया था, उसका उद्देश्य क्या था ? इस सम्मेलन में कितने अधिकारी शामिल हुए थे तथा इस सम्मेलन में शासन का कुल कितना धन खर्च हुआ ? क्या इसी सन्दर्भ में कृपया यह भी बतायेंगे कि सम्मेलन में शामिल होने वाले ग्राम प्रधानों का मार्ग एवं भोजन आदि व्यय का वहन किसके द्वारा किया गया तथा प्रदेश के गांवों को इस सम्मेलन से क्या--क्या लाभ हुआ ।

श्री बलराम सिंह यादव--

जी हां ।

सम्मेलन का उद्देश्य पंचायतीराज संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण तथा 20 सूत्रीय कार्यक्रम में ग्राम प्रधानों का अधिक से अधिक सहयोग प्राप्त करना था ।

सम्मेलन में 2,843 अधिकारी सम्मिलित हुये थे । इनमें 2,516 विभाग के ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता ग्राम पंचायत अधिकारी थे, जो कि विभागीय तथा अन्य विविध ग्राम विकास कार्यक्रमों में प्रधानों के साथ कार्य में संलग्न रहते हैं ।

सम्मेलन पर शासन का 2,66,000 रु0 व्यय हुआ ।

इस सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रधानों का मार्ग एवं भोजन आदि व्यय का वहन शासन द्वारा नहीं किया गया । ग्राम प्रधानों ने अपने मार्ग एवं भोजन आदि का व्यय स्वयं वहन किया ।

सम्मेलन के फलस्वरूप ग्राम प्रधानों को गांवों के विकास कार्यक्रमों में प्रभावी भूमिका निभाने के लिये अतिरिक्त अधिकार प्रदान किये गये तथा 20 सूत्रीय कार्यक्रम, ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में तेजी आयी ।

नगरपालिका, फर्रुखाबाद को बेसिक विद्यालयों की मरम्मत हेतु स्वीकृत धनराशि

*12--श्री विमल प्रसाद तिवारी--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के चौथे सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 93 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे की वर्ष 1981-82 के लिए नगर क्षेत्र, फर्रुखाबाद के विद्यालयों की मरम्मत हेतु जो बीस हजार रुपए का ड्राफ्ट बी0 एस0 ए0, फर्रुखाबाद को भेजा गया था, तथा जो उन्हें नहीं प्राप्त हुआ, के पता लगाने के विषय में क्या कार्यवाही की गयी एवं कार्यवाही का विवरण क्या है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

वर्ष 1981 की बाढ़ व बरसात से प्रभावित बेसिक परिषदीय स्कूल भवनों की मरम्मत हेतु जनपद फर्रुखाबाद के नगर क्षेत्र को रु0 45,000 की धनराशि स्वीकृत की गयी थी। इस स्वीकृत धनराशि में नगर फर्रुखाबाद क्षेत्र के लिये स्वीकृत रु0 20,000 की प्रश्न में कथित धनराशि भी सम्मिलित थी। वास्तव में प्रश्नगत बैंक ड्राफ्ट खोया नहीं था वरन् रु0 55,000 के उक्त बैंक ड्राफ्ट में रु0 20,000 की धनराशि भी सम्मिलित थी। इस धनराशि का बैंक ड्राफ्ट में सम्मिलित होना जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को स्पष्ट नहीं हो सका था। प्रश्नगत धनराशि रुपया 20,000 स्कूल भवनों की मरम्मत हेतु नगर-पालिका, फर्रुखाबाद को दी जा चुकी है।

श्री विमल प्रसाद तिवारी--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि अभी जो उन्होंने अपने उत्तर में कहा कि 45,000 रु0 की स्वीकृत धनराशि में ही 20,000 रु0 की धनराशि भी सम्मिलित थी। परन्तु जो मेरा पिछला प्रश्न था इसी से सम्बन्धित, तो उसके उत्तर में यह आया था कि 45,000 रु0 का एक बैंक ड्राफ्ट भेजा गया था और दूसरा बैंक ड्राफ्ट 20,000 रु0 का भेजा गया था, जो कि वहां पर प्राप्त नहीं हुआ। तो मैं माननीय मंत्री जी से इस सम्बन्ध में स्पष्ट जानकारी चाहता हूं कि कौन सा उत्तर सही है आज वाला या जो इन्होंने पहले दिया था, वह वाला ? और यदि पहले वाला उत्तर सही नहीं था तो फिर उस उत्तर के देने का आधार क्या था ? किस आधार पर यह बात बताई गयी थी कि 45,000 रु0 का एक बैंक ड्राफ्ट और दूसरा 20,000 रु0 का बैंक ड्राफ्ट भेजा गया, जो कि वहां के बेसिक शिक्षा अधिकारी थे उनको ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, इस विषय में हमने बड़ी विशद जांच करायी और उसकी जो जांच आख्या जिले से आयी है, मई, 1981 में कि बाढ़ से क्षतिग्रस्त शिक्षा परिषदीय भवनों की मरम्मत के लिये पत्र संख्या 2157/15-5, दिनांक 24-5-82 को बैंक ड्राफ्ट संख्या के0 एस0 ए0 वयू0 27753 के द्वारा 45,000 रु0 की धनराशि अगस्त, 1982 में नगरपालिकाओं में भवनों के मरम्मत हेतु प्राप्त हुए थे। बेसिक शिक्षा अधिकारी की आख्या जाती है। विवरण संलग्न है। फर्रुखाबाद में 20 हजार, कन्नौज में 10, कायमगंज में 10 हजार, छिबरामऊ 5000 कुल 45 हजार दिया गया है। उक्त 20 हजार रूपये की धनराशि फर्रुखाबाद नगर क्षेत्र के प्रभारी अधिकारी को 31-3-1983 को बैंक ड्राफ्ट द्वारा दे दी गयी है।

श्री विमल प्रसाद तिवारी--

मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मेरा प्रश्न कुछ था और उत्तर उन्होंने कुछ और दिया है। उन्होंने एक पत्र को पढ़ दिया है। पिछले प्रश्न के उत्तर में यह कहा था कि 45 हजार का बैंक ड्राफ्ट भेजा गया और 20 हजार का दूसरा भेजा गया जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को प्राप्त नहीं हुआ और आज उत्तर आया है कि 45 हजार भेजे गये जिसमें से 20 हजार फर्रुखाबाद का था, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि पिछले उत्तर का क्या आधार था ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जो 20 हजार रुपया दिया गया वह 45 हजार में ही सम्मिलित है। अब उसका क्लेरीफिकेशन कर दिया गया है।

*13--श्री चन्दन सिंह--

[6ठें गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या 12 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*14--श्री राज कुमार राय--

[दिनांक 21-3-83 को तारांकित प्रश्न संख्या 13 द्वारा उत्तरित]

के0 डी0 सिंह बाबू स्टेडियम, लखनऊ के महिला छात्रावास की तीन छात्राओं का निलम्बन तथा वार्डेन और आर0 एस0 ओ0 के विरुद्ध शिकायत

*15--श्याम लाल वाजपेयी--

क्या खेलकूद मंत्री को ज्ञात है कि के0 डी0 सिंह बाबू स्टेडियम, लखनऊ के महिला छात्रावास से 22-11-82 को चार छात्राएं बिना बताए गायब हो गई थीं। यदि हां, तो क्या छात्राओं के अभिभावकों ने स्टेडियम अधिकारियों को लिखा है कि महिला छात्रावास की वार्डेन द्वारा अनैतिक कार्य कराए जाने के कारण वे अपनी लड़कियों को भेजने में असमर्थ हैं ? यदि हां, तो छात्रावास की वार्डेन और आर0 एस0 ओ0 पर क्या कार्यवाही हुई ? क्या यह सत्य है कि 16-12-82 को एक एक बाहरी व्यक्ति ने के0 डी0 सिंह बाबू स्टेडियम के अन्दर किसी अल्प वयस्क लड़की के साथ बलात्कार किया था, जिसे स्टेडियम अधिकारियों ने दबाने का असफल प्रयास किया ? यदि हां, तो शासन के0 डी0 सिंह बाबू स्टेडियम को सुव्यवस्थित करने के लिए कौन से कारगर उपाय सोच रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी नहीं। यह सत्य नहीं है कि प्रश्नगत महिला छात्रावास से दिनांक 22-11-82 को 4 छात्राएं गायब हो गई थीं। वस्तुस्थिति यह है कि वार्डेन द्वारा अनुशासनहीनता हेतु डांटे जाने पर 3 छात्राएं बिना बताए अपने घर चली गई थी। इस आचरण के कारण इन छात्राओं को 15 दिन के लिए छात्रावास से निलम्बित कर दिया गया था। बाद में तीनों छात्रायें पिता/भाई के साथ वापस आई और भविष्य में गलती न करने का आश्वासन दिया।

छात्राओं के अभिभावकों द्वारा छात्रावास की वार्डन के विरुद्ध छात्रावास में अनैतिक कार्य कराए जाने की कोई शिकायत नहीं की गई है और न ही लड़कियों को छात्रावास भेजने में असमर्थता व्यक्त की गई है। अतएव वार्डन और आर० एस० ओ० के विरुद्ध किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है।

दिनांक 16-12-82 को नहीं बल्कि दिनांक 15-12-82 को किसी बाहरी व्यक्ति ने के० डी० सिंह "बाबू" स्टेडियम, लखनऊ में एक अल्प वयस्क लड़की के साथ आरोपित बलात्कार का प्रयत्न किया था। इसे दबाने का कोई प्रयास नहीं किया गया। इस घटना की एफ० आई० आर० उसी दिनांक को हजरतगंज थाने में दर्ज है। स्टेडियम पूर्णतः सुव्यवस्थित है, अतः अन्य किसी उपाय पर विचार करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री श्याम लाल वाजपेयी--

मान्यवर, यह आदरणीय सदन जो है वह जनतंत्र की गंगा है और माननीय मंत्री जी ने प्रश्न चिता पर सत्य का दाह कर दिया है। मान्यवर, सत्य का दाह संस्कार कर दिया है। इनके अफसरों ने जो उत्तर दिया वही इन्होंने इस सदन में कह दिया। मान्यवर, मैं उस स्टेडियम में 10 साल रहा हूं। इन्होंने मूल भावना को दबा दिया है। इन्होंने लिखा है कि वस्तुस्थिति यह है कि वार्डन द्वारा अनुशासनहीनता हेतु डांटे जाने पर 3 छात्राएं बिना बताए अपने घर चली गई थीं। इस आचरण के कारण इन छात्राओं को 15 दिन के लिए छात्रावास से निलम्बित कर दिया गया था। मेरा कहना है कि वहां की वार्डन भूला गांगुली लड़कियों से अनैतिक कार्य कराती है। मैं जानना चाहता हूं कि कौन सी अनुशासनहीनता है जो 15 दिन के लिए निलम्बित किया गया ? क्या उनके अभिभावकों को कोई पत्र दिया गया इस सम्बन्ध में ? अगर पत्र दिया गया तो दिखाने की कृपा करें ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी---

मान्यवर, 10 साल मैं भी रही हूं, मेरा भी छात्राओं से लगाव है। सन् 1946 से मैं छात्राओं के बीच में ही रह रही हूं।

मैं उनकी मां हूं और मैं जानती हूं कि मैंने उनके लिए क्या-क्या नहीं किया है....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

केवल प्रश्न का उत्तर दें।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जो मेरे सामने तथ्य हैं उनके अनुसार ही मैं बता रही हूं। मैं नारी शिक्षा निकेतन में रही हूं। मैंने भी छात्रों को दंडित किया है। मैं उनके मां-बाप की शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने कहा कि मैंने ठीक किया है। मैंने अनुशासन के खिलाफ कार्यवाही की है। जिन्होंने अनुशासन भंग किया है, जो दोषी हैं उनके खिलाफ हमने भी ऐक्शन लिया है...

(व्यवधान)

उन लड़कियों को वहां डांटा गया।

श्री श्याम लाल वाजपेयी--

मान्यवर, यह तो प्रश्न का पहला अंश हुआ। दूसरा अंश मेरे प्रश्न का यह है कि 15-12-82 को एक अल्प वयस्क लड़की के साथ स्टेडियम की सीढ़ियों पर एक व्यक्ति ने बलात्कार किया। मैं माननीय मंत्री जी के ऊपर स्पष्ट आरोप लगाते हुए यह पूछना चाहता हूं कि वह कौन सा व्यक्ति है? क्या यह वह व्यक्ति नहीं है जो सुश्री भूला गांगुली, छात्रावास वार्डन के पास और उनके मनचाहे स्थानों पर उस छात्रावास में आने का अभ्यस्त था और उसी ने उस अल्प वयस्क लड़की के साथ बलात्कार किया? क्या मंत्री जी स्पष्ट उत्तर देने की कृपा करेंगी?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, मैं पहले प्रश्न का उत्तर बता रही हूं। जिन तीन लड़कियों के बारे में कहा गया...

(व्यवधान)

जहां पर भ्रष्टाचार है उसके लिए मुझसे बढ़कर कोई और चिन्तित नहीं हो सकता। मैं माननीय सदस्य की भावनाओं को एप्रिशियेट करती हूं और उनको विश्वास दिलाती हूं कि कहीं किसी छात्रा या लड़की के सम्बन्ध में कोई अत्याचार न हो।

(व्यवधान)

श्री श्याम लाल वाजपेयी--

मैं पचासों पत्र लिख चुका हूं। एक ब्रोथेल बना हुआ है।

(व्यवधान)

(विरोध पक्ष के कई सदस्य खड़े होकर एक साथ बोलने लगे।)

श्री अकबाल हुसैन--

मान्यवर, प्रश्न का उत्तर दिला दें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

इसे आप स्थगित कर दें।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जो फैक्ट्स हैं और जो एफ0 आई0 आर0 हुई उसमें नाम है, मैं बता सकती हूं।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें। माननीय श्याम लाल वाजपेयी, आप पूरा विवरण उनको लिख कर दीजिये। मैं उनको आदेश करता हूं कि वे इस मामले की पुनः जांच करा लें।

श्री भीखा लाल--

मान्यवर, ये लड़कियों की मां हैं। ये यहां बैठी हैं और उनकी दादी दिल्ली में बैठी हैं....

(व्यवधान)

(कई सदस्य खड़े होकर एक साथ बोलने लगे और कुछ स्पष्ट नहीं सुनायी दिया।)

श्री अध्यक्ष--

आप लोग बैठें। मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूं।

एटा जनपद में मौजा सोंसा में मेला में जिला परिषद् द्वारा वसूल लाइसेन्स फीस

*16--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि एटा जनपद में मौजा सोंसा, परगना सोहार में प्रतिवर्ष दो बार कोई विराट मेला लगता है ? यदि हां, तो उस पर प्रतिवर्ष लाखों रुपये की आय निजी स्वामित्व में, बिना किसी प्रकार के कर अदा किए जाने का क्या औचित्य है ? सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी हां। जिला परिषद्, एटा द्वारा मेला मालिकान से प्रतिवर्ष 500 रु0 लाइसेंस फीस के नियमित रूप से वसूल किये जा रहे हैं। अतः सरकार द्वारा किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

श्री शहजाद सिंह, उप कृषि निदेशक, गोरखपुर के विरुद्ध शिकायतों की जांच

*17--श्री भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री मारकण्डेय चन्द तथा श्री कैलाश प्रसाद--

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री शहजाद सिंह, उप कृषि निदेशक, गोरखपुर के विरुद्ध श्री हरेकृष्ण, संयुक्त कृषि निदेशक द्वारा की जा रही जांच में कितने आरोप सिद्ध पाये गये ? उन पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि आरोप गम्भीर हैं तो क्या शासन इनको निलम्बित करेगा ?

नोट--तारांकित प्रश्न संख्या-15 के उपरान्त तारांकित प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

कृषि मंत्री (श्री यशपाल सिंह)--

श्री शहजाद सिंह तत्कालीन उप कृषि निदेशक, गोरखपुर के विरुद्ध शिकायतों की प्रारम्भिक जांच अभी क्रमित है, अतएव आरोपों की पुष्टि के बारे में इस समय कुछ कहना अपरिपक्व होगा। जांच चल रही है, अतः निलम्बन का फिलहाल अभी प्रश्न नहीं उठता है।

*18--श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

[3रे बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या-17 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

भारत सरकार की पुरोनिधानित योजनान्तर्गत ग्राउण्ड वाटर आर्गेनाइजेशन द्वारा नलकूपों, पम्पों और स्ट्रेनर का अध्ययन

*19--श्री नरेन्द्र सिंह--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार की पुरोनिधानित योजना के अन्तर्गत ग्राउण्ड वाटर आर्गेनाइजेशन में प्रदेश के कृषकों के लाभ के लिए नलकूपों, पम्पों आदि का अध्ययन कर, सुधार करना प्रस्तावित था ? यदि हां, तो इस योजना में क्या प्रगति हुई है ? यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी हां।

प्रश्नगत योजना में नलकूपों पम्पों और स्ट्रेनर का अध्ययन कर सुधारी हुई डिजाइन करना प्रस्तावित था। वर्तमान समय में उपरोक्त कार्यों पर अध्ययन किया जा रहा है। एक हस्तचलित एवं बैल चालित पम्पों के माडल का परिकल्पन भी किया जा रहा है। दोनों पम्पों की डिजाइन का कार्य लगभग पूरा हो चुका है और इनके प्राथमिक माडल बनाये भी जा चुके हैं।

आचार्य नरेन्द्र देव प्रौद्योगिक एवं कृषि विश्वविद्यालय, फैजाबाद में विभिन्न पदों पर की गयी नियुक्तियों का विवरण

*20--श्री मित्रसेन--

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि आचार्य नरेन्द्र देव प्रौद्योगिक एवं कृषि विश्वविद्यालय, फैजाबाद के विज्ञापन 224001/उ0 प्र0/पत्रांक 139, दिनांक 21-4-82 ई0 के आधार पर कुल कितने व्यक्तियों की किन-किन पदों पर नियुक्तियां की गयीं ? नियुक्तियों का आधार एवं मापदण्ड क्या था ?

श्री यशपाल सिंह--

दिनांक 21-4-82 के विज्ञापन के आधार पर तथा सामयिक आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए कुल 106 व्यक्तियों की नियुक्ति निम्नलिखित पदों पर की गयी--

1--गेम्स अटेन्डेन्ट

2--हास्टल अटेन्डेन्ट

3--मैसेन्जर

4--वाचमैन/चौकीदार

5--अटेन्डेन्ट

6--एनीमल अटेन्डेन्ट

7--हलवाहा

8--लेबोटरी अटेन्डेन्ट

9--माली

10--वार्ड ब्वाय कम स्ट्रेचर बेयरर

11--हेल्पर

12--लेब अटेन्डेन्ट

13--सीड प्रोडेक्शन अटेन्डेन्ट

14--सर्विस मैन

15--चपरासी

16--आया

17--स्वीपर

18--ट्यूबबेल आपरेटर

19--ट्रैक्टर ड्राइवर

परिनियम के अध्याय 13 (1) के प्राविधान के अनुसार नियुक्तियों का आधार और मापदण्ड "सर्वथा योग्यता" था किन्तु इसमें वरीयता विश्वविद्यालय में तदर्थ रूप से कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, दैनिक श्रमिक तथा जिन कृषकों की भूमि अध्याप्ति की गई उनके आश्रितों को दी गई ।

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

तदर्थ नियुक्त राजकीय कर्मचारियों के नियमितीकरण सम्बन्धी निर्णय पर अग्रिम कार्यवाही

**1--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त तथा श्री मोहन सिंह--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि 1 मई, 1983 के पूर्व तदर्थ नियुक्त राजकीय कर्मचारियों को नियमित किए जाने का फैसला हाल में ही सरकार द्वारा लिया गया है ? यदि हां, तो इसकी रूप-रेखा क्या है तथा अनुमानतः कितने कर्मचारी नियमित होंगे ?

सार्वजनिक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मामला विचाराधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न यह है कि 1 मई, 1983 तक जो तदर्थ नियुक्त कर्मचारी हैं उनको स्थायी करने के बारे में शासन ने फैसला लिया है ? इसका उत्तर यह दिया गया कि मामला विचाराधीन है । मैं जानना चाहता हूं कि यह सही है कि यह निर्णय मंत्रि-मंडल में किसी स्तर पर लिया होगा जैसा कि समाचार-पत्रों में हमने पढ़ा है उसको कार्यान्वित करने के लिए कुछ औपचारिकतायें पूरी होना बाकी रह गई हैं ? यदि हां, तो जो निर्णय लिया गया है उसकी रूपरेखा क्या है ? यदि वह गोपनीय नहीं है तो क्या मंत्री जी सदन में बताने की कृपा करेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त की जो सूचना है वह भी सही है और जो प्रश्न का उत्तर दिया गया है वह भी सही है । विचाराधीन इस वजह से कहा गया है कि कुछ फारमेलिटीज पूरी करनी जरूरी होती हैं । पब्लिक सर्विस कमीशन को लिखना होता है । वहां से जो निर्णय होकर आता है वह कैबिनेट के सामने रखा जाता है । उनके कमेन्ट्स पर पुनः विचार करके निर्णय लेना होता है ।

यह हो सकता है कि बहुत से सुझाव पब्लिक सर्विस कमीशन के पास आये हों और जिन पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता हो और वह कैबिनेट के पास आये हों और उन पर पुर्नविचार करना होता है । तो इस वजह से लिखा है कि मामला विचाराधीन है । जहां तक दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है कि क्या रूप-रेखा है । उसकी रूप-रेखा यह है कि जैसे पहले 1-4-5-79 की नियमावली में है 1-7-77 के पहले के कर्मचारियों को रेगुलराइज करने की बात थी । इसी तरह से निर्णय की बात है कि 1-5-83 और 1-1-79 के बीच के कर्मचारी जो काम कर रहे हैं उनको रेगुलराइज करने की बात है, जिनका डायरेक्ट एडहौक रैक्रूटमेन्ट हुआ है और वे रिक्विजिट क्वालिफिकेशन रखते हैं । इस बात पर पब्लिक सर्विस कमीशन से पत्राचार जारी है जैसे ही बात आ जायेगी तो निर्णय ले लिया जायेगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

इस बात को ध्यान में रख कर कि 1-1-79 से 1-5-83 के बीच में जो तदर्थ नियुक्तियां हुई उनको रेगुलराइज करने का मामला करीब-करीब तय है, जिसकी नीति शासन बना रहा है तो जिन पदों के अगेन्स्ट लोक सेवा आयोग से विज्ञापन हो गया है तो क्या इस बात पर विचार करेंगे कि फिलहाल उनकी भर्ती का काम रोक दिया जाय ?

श्री अम्मार रिजवी--

जो लोग कार्य कर रहे हैं और पूरी क्वालिफिकेशन रखते हैं उनको किसी प्रकार हटाने का प्रश्न नहीं है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मेरे पूछने का आशय दूसरा था कि जो तदर्थ नियुक्तियां हो गयी हैं उनको हटाने का इरादा नहीं है, यह सही है । लेकिन उन्हीं पदों के लिए जो विज्ञापन पब्लिक सर्विस कमीशन ने कर रखा है और भर्ती करने की कार्यवाही

हो रही है और वह लिस्ट शासन को दे देता है । तो उससे पहले इसको टालने के लिए लोक सेवा आयोग से निवेदन करेंगे कि इन पदों के अगेन्स्ट जो विज्ञापन हुआ है उनको भर्ती रोक दें ?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, जो एडवरटाइजमेन्ट इस तरह के हुए हैं और जो इन लोगों से सम्बन्धित हैं, जो 1-1-79 और 1-5-83 के बीच कार्य कर रहे हैं । जैसे पहले रैगुलराइज किये गये हैं उसी तरह जो कार्य कर रहे हैं अगर ऐसे लोगों की बात है तो उसे रोक दिया जायेगा ।

आई० ए० एस० तथा आई० पी० एस० अधिकारियों के विरुद्ध लोकायुक्त को प्राप्त शिकायतों की जांच

**2--श्री राम आसरे वर्मा, श्री मित्रसेन, श्री परमाई लाल, श्री खैरुल बशर,

श्री मसरूर जाफरी--

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि अब तक लोकायुक्त द्वारा दोषी पाये गये आई० ए० एस० एवं आई० पी० एस० अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? उनके विरुद्ध दोष क्या रहे हैं ?

श्री अम्मार रिजवी--

लोकायुक्त संगठन द्वारा अब तक किसी आई० ए० एस० तथा आई० पी० एस० अधिकारी को दोषी नहीं पाया गया है । अतः किसी अधिकारी से विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राम आसरे वर्मा--

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि लोकायुक्त संगठन द्वारा अब तक किन-किन आई० ए० एस० और किन-किन आई० पी० एस० अधिकारियों के मामलों पर विचार किया गया ?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, माननीय राम आसरे वर्मा जी ने जो प्रश्न किया है, अगर वे लोकायुक्त ऐक्ट की धारा 10 (2) देखने की कृपा करें, जिसमें लिखा है, उसका अध्ययन करके ही प्रश्न करते तो अच्छा था--

एवरी सच इनवेस्टगेशन शैल बी कंडक्टेड इन प्राईवेट--यानी प्रत्येक इनवेस्टिगेशन गुप्त रूप से किया जायेगा, एण्ड इन पार्टीकुलर आइडिन्टिटी आफ कम्प्लेनेंट एण्ड पब्लिक सरवेन्ट एफक्टेड बाइ दि इनवेस्टिगेशन शैल नाट बी डिस्क्लोज्ड टु पब्लिक एण्ड प्रेस । और सारी कार्यवाही जो है वह किसी भी स्टेज पर पब्लिक या प्रेस को नहीं बताई जायेगी । अगर वर्मा जी यह प्रश्न करते कि कितने अधिकारियों के खिलाफ कम्प्लेंट रिसीव हुई उसकी सूची देंगे, तो एक बात थी । लेकिन नाम नहीं बताया जा सकता है ।

श्री राम आसरे वर्मा--

माननीय मन्त्री जी ने ऐक्ट की धाराओं को कोट कर दिया लेकिन मेरा प्रश्न जो है वह युक्ति संगत था और युक्ति संगत है । मैं यह जानना चाहता हूं कि किन-किन आई० ए० एस० और आई० पी० एस० अधिकारियों के मामले हैं ? इसमें गोपनीयता की कोई बात नहीं है ।

इसमें कोई गोपनीयता भंग नहीं होती है। जिस धारा का मन्त्री जी ने उल्लेख किया है उसके विपरीत भी बात नहीं होती है। तो मान्यवर, इसका जवाब दिलवा दें।

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, किसी की गोपनीयता क्या है ? यदि किसी की आइडेन्टिटी बता दी जाती है तो गोपनीयता समाप्त हो जाती है और इसमें साफ-साफ लिखा है कि—"आइडेन्टिटी आफ दि कम्प्लेनेन्टस एन्ड पब्लिक सर्वेन्ट्स एफेक्टेड बाई दि/इंवेस्टीगेशन" चाहे पब्लिक सर्वेन्ट हो या जिसने शिकायत किया है, उनकी आइडिन्टिटी डिस्क्लोज नहीं की जायेगी। तो माननीय सदस्य ने जो कहा है तो किन-किन का उत्तर नहीं दिया जा सकता है।

श्री मित्रसेन—

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और कितने का निस्तारण कर दिया गया है ?

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, इन्होंने मूल प्रश्न किया है। जो आई0 ए0 एस0 अधिकारी हैं उनकी 48 शिकायतें लोकायुक्त के पास गयीं, जिसमें 43 कम्प्लेन्ट्स थीं और 5 स्पेसिफिक एलीगेशन थे। निश्चित रूप से आरोप लगाये गये, जिसमें 23 शिकायतें देखने के बाद प्राइमाफिसी, प्राइमरी इंवेस्टीगेशन थे, जो देखने के बाद रेजेक्ट कर दिये गये हैं। उसके बाद दो के ऊपर प्राइमाफेसाई केस देख कर रिजेक्ट कर दिये गये। आठ को जो लोकायुक्त एक्ट है उसके अन्तर्गत रिजेक्ट कर दिये गये और 15 में कार्यवाही हो रही है, जांच जारी है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, एक तो जब शिकायत करते हैं तो वह पब्लिक डाकूमेन्ट हो जाता है और शिकायत गोपनीय नहीं होती है। इसलिये मन्त्री जी ने जिस धारा का उल्लेख किया है उसका औचित्य प्रतीत नहीं होता है। मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या गोरखपुर के किसी अधिकारी, आई0 ए0 एस0 या आई0 पी0 एस0 का मामला लोकायुक्त के सामने आया है ? यदि हां, तो उस अधिकारी की स्थिति क्या है ?

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, धारा 10 (2) के अनुसार यह बताना आवश्यक नहीं है।

श्री कुंवर सिंह नेगी—

मान्यवर, मन्त्री जी ने धारा 10 (2) का जिक्र किया है मैं उसके अलावा पूछना चाहता हूं कि लोकायुक्त में जो शिकायतें की गयी हैं वह अधिकारी किस-किस पद के हैं, उसका विवरण क्या है ?

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न व्यापक है, इसलिये मैं इसकी आज्ञा नहीं देता हूं।

श्री खैरुल बशर--

मैं मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो बहुत ही भ्रष्ट आई0 ए0 एस0 और आई0 पी0 एस0 के अधिकारी हैं। और समाज के लिये कलंक हों, उनकी जांच होती है, तो क्या यह सरकार भ्रष्ट अधिकारियों के नामों की घोषणा करने से कतराया करेगी और उनकी रक्षा करेगी ?

श्री अध्यक्ष--

इसकी मैं आज्ञा नहीं देता हूं।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, मेरा प्रश्न स्पष्ट था और जिस धारा का मन्त्री जी ने उद्धरण दिया है उससे हटकर प्रश्न किया था, इसलिये क्या गोरखपुर के किसी आई0 ए0 एस0 या आई0 पी0 एस0 का मामला लोकायुक्त के सामने विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसकी स्थिति क्या है ?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, मुझे खेद है कि मैंने पहले प्रश्न का जो उत्तर दिया है अभी, वही उत्तर इस प्रश्न का भी है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

मैं उनको बाध्य नहीं कर सकता।

(व्यवधान)

श्री मित्रसेन--

पहले सत्र में भी माननीय मोहन सिंह ने इसी तरह का प्रश्न किया था और उनका वही उत्तर दिया गया था। मैं जानना चाहता हूं कि जो अधिकारी दोषी पाये गये हैं उनको हटाने का निर्णय कब तक ले लिया जायेगा ?

श्री अम्मार रिजवी--

माननीय अध्यक्ष महोदय, सच हमेशा सच ही रहता है, इस लिए जो उत्तर उस समय था वही आज है। झूठ बदला करता है। दूसरा प्रश्न है कि जो दोषी पाये गये हैं उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी। प्रश्न के उत्तर में बताया गया है कि जांच अभी जारी है। जो 23 अधिकारी हैं, जिनकी जांच शेष है, वह जांच अभी पूरी नहीं हुई है। जब जांच पूरी होगी, लोक आयुक्त उसे हमको भेजेंगे, तब कार्यवाही होगी।

(व्यवधान)

एक सदस्य--

जब तक यह सरकार रहेगी, जांच रिपोर्ट ही नहीं आयेगी।

(व्यवधान)

श्री अम्मार रिजवी--

आप लोक आयुक्त को सरकार से क्यों जोड़ते हैं ?

(व्यवधान)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मैं मान्यवर, आपसे संरक्षण चाहूंगा। मेरा प्रश्न गोपनीयता से परे है। इससे गोपनीयता भंग नहीं होती है। मेरा सीधा प्रश्न यह था कि क्या गोरखपुर का कोई अधिकारी आई० ए० एस० या आई० पी० एस० ऐसा है जिसके खिलाफ जांच चल रही है ? इसमें गोपनीयता कहां भंग होती है ?

श्री अम्मार रिजवी--

उसी से तो आइडेन्टिटी डिस्क्लोज होती है। इसलिए यह बताना सम्भव नहीं है।

(व्यवधान)

श्री अकबाल हुसैन--

सन् 1980 में खरीदारी के घपले में जो आई० ए० एस० और आई० पी० एस० अधिकारी दोषी थे, क्या उनका मामला भी लोक आयुक्त के सामने विचाराधीन है ?

श्री अध्यक्ष--

मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूं।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, इस प्रश्न को जिस तरह से माननीय मन्त्री जी टाल रहे हैं मैं उस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं। प्रश्न सीधा सा यह था कि किन-किन आई० ए० एस० और आई० पी० एस० अधिकारियों के खिलाफ मामला विचाराधीन है ? माननीय मन्त्री जी ने धारा पढ़ कर सुना दी और कहा कि इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता। हम इससे सन्तुष्ट नहीं हैं। मेरे प्रश्न का उत्तर देने से गोपनीयता भंग नहीं होती। जो भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी है उनकी तस्वीर जनता से छिपी नहीं रहती। मेरे प्रश्न का आप कृपया उत्तर दिलवा दें ?

श्री अम्मार रिजवी--

माननीय वर्मा जी का, अध्यक्ष जी, प्रश्न पढ़ने की कृपा करें। उसमें पूछा गया है--"क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि अब तक लोकायुक्त द्वारा दोषी पाये गये आई० ए० एस० एवं आई० पी० एस० अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? उनके विरुद्ध दोष क्या रहे हैं ?" मान्यवर, दोषी पाये गये तो एक निश्चित जानकारी इन्होंने दिया है कि किन-किन के विरुद्ध दोष फरहाम हो गये हैं और वह दोषी पाये गये हैं। और अब इन्होंने कहा है कि कौन-कौन से मामले विचाराधीन हैं, तो इतनी जल्दी इनके द्वारा प्रश्न बदलने पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं। वह लिखित कोई प्रश्न करें और यहां पर कोई प्रश्न करें और फिर चाहें कि उसका उत्तर मिल जाय तो यह कैसे सम्भव हो सकता है ?

नोट--अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 2 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

अतारांकित प्रश्न

राष्ट्रीय ग्रामीण योजनान्तर्गत केदारनगर बाजार वाया खूखूतारा जन सम्पर्क मार्ग, फैजाबाद के शेष भाग के निर्माण को जिला ग्राम्य विकास भूमि अभिकरण की स्वीकृति

1—श्री गोपीनाथ वर्मा—

विधान सभा के प्रथम सत्र के 7वें सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 111 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या ग्राम्य विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा शेष 3 किलोमीटर जन–सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है ? यदि हां, तो क्या सम्पूर्ण 6 किलोमीटर सम्पर्क मार्ग का निर्माण करा दिया गया है ? 3 किलो मीटर निर्माण सम्पर्क मार्ग को वर्षा की कटान एवं सुरक्षा हेतु निर्माण मार्ग पर ईंट की सोलिंग करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां ।

जिला ग्राम्य विकास अभिकरण की बैठक दिनांक 18 जून, 1983 में शेष 3 कि0 मी0 सम्पर्क मार्ग की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है । पूर्ण स्वीकृत 6 कि0 मी0 सम्पर्क मार्ग में 3 कि0 मी0 सम्पर्क मार्ग पर मिट्टी का कार्य करा लिया गया है तथा उसमें से 1 कि0 मी0 पर ईंटों की सोलिंग भी करा ली गई है । अन्य कार्य के सम्बन्ध में जिला ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा धन की उपलब्धता के आधार पर निर्णय लिया जायेगा ।

टी0 एन0 डिग्री कालेज, टांडा फैजाबाद के शिक्षकों व कर्मचारियों को किराया भत्ता

2—श्री गोपीनाथ वर्मा—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के 7वें सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या–112 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि राज्य कर्मचारियों की भांति स्वीकृत दरों पर टी0 एन0 डिग्री कालेज, टांडा, फैजाबाद के शिक्षकों व कर्मचारियों को किराया भत्ता दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

स्वर्गीय श्री सन्तराम, पंचायत सेवक, ब्लाक टांडा के भविष्य निर्वाह निधि के बकाए का भुगतान

3—श्री गोपीनाथ वर्मा—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के 8वें सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या–74 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या ग्राम्य विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि श्रीमती मीना देवी, पत्नी स्व0 सन्त राम वर्मा, पंचायत सेवक, ब्लाक टांडा

निवासी ग्राम फतेहपुर की स्व0 पंचायत सेवक का बकाया भविष्य निधि के भुगतान के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा चुकी है ? यदि हां, तो भविष्य निधि का भुगतान करा दिया गया है ? यदि हां, तो किस तिथि को कितनी धनराशि भुगतान की गयी ?

श्री बलराम सिंह यादव—

स्वर्गीय श्री सन्तराम वर्मा, पंचायत सेवक के पत्नी का नाम श्रीमती मीना देवी नहीं है बल्कि झीना देवी है। स्व0 श्री संतराम पंचायत सेवक के बकाया भविष्य निधि के भुगतान की कार्यवाही की जा चुकी है। दिनांक 23-7-83 को रुपया 242 का भुगतान कर दिया गया है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत फैजाबाद जनपद में निर्मित सम्पर्क मार्ग तथा अवशेष मार्ग के निर्माण हेतु धन की स्वीकृति

4—श्री गोपीनाथ वर्मा—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के 8वें सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 87-88 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या ग्राम्य विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि 1981 से 1982 तक राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के तहत 84 कि0 मी0 जन सम्पर्क मार्ग जनपद फैजाबाद में निर्माण कराये जाने की योजना थी जिसमें 71 कि0 मी0 जन-सम्पर्क मार्ग निर्माण कराया जा चुका है ? क्या उक्त निर्माण मानक के आधार पर कराए गए ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां। सम्पूर्ण 71 कि0 मी0 निर्मित जन सम्पर्क मार्ग का निर्माण मानक के आधार पर कराया गया है।

5—श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या यह भी सही है कि उक्त प्रश्न से सम्बन्धित मामले की विस्तृत जानकारी फैजाबाद के जिलाधिकारी से की जा रही है तथा उक्त मामले में सम्पूर्ण जानकारी हासिल कर ली गयी है ? यदि हां, तो सम्पूर्ण विवरण क्या है ? क्या यह भी सही है कि 13 कि0 मी0 मार्ग धनाभाव के कारण अवशेष है ? यदि हां, तो क्या अवशेष मार्ग निर्माण हेतु धन उपलब्ध करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां। सम्पूर्ण किये गये कार्यों की जानकारी सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों द्वारा हासिल कर ली गई है जिसका पूर्ण विवरण संलग्नक में है। चालू वित्तीय वर्ष में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत जनपद को आवंटित 145 84 लाख के विरुद्ध लिए जाने वाले कार्य का प्रस्ताव प्राप्त हो जाने पर जिला ग्राम्य विकास अभिकरण की गवर्निंग बाडी के अनुमोदनोपरान्त धन अवमुक्त कर दिया जायेगा।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 234 पर।)

6—श्री गोपीनाथ वर्मा—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त।]

नरेन्द्र देव इन्टर कालेज, जलालपुर, फैजाबाद में सीनियर अध्यापक की प्रधानाचार्य के पद पर नियुक्ति

7—श्री गोपीनाथ वर्मा—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के प्रथम सोमवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या—66 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उक्त विद्यालय में नियमानुसार सीनियर अध्यापक को प्रधानाचार्य नियुक्त किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? जांच में पायी गयी अनियमितताओं के आधार पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

उप कृषि निदेशक (कृषि) मण्डल, फैजाबाद का स्थानान्तरण

8—श्री गोपीनाथ वर्मा—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के पहले सोमवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 91 तथा 92 के उत्तर के संदर्भ में क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नगत अधिकारी का स्थानान्तरण किए जाने हेतु शासन द्वारा आदेश निर्गत किए जा चुके हैं ? यदि हां, तो सम्बन्धित अधिकारी द्वारा स्थानान्तरण आदेश का पालन कराया जा चुका है ? यदि नहीं, तो पालन किए जाने का क्या कारण है ?

श्री यशपाल सिंह—

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्राथमिक पाठशाला, लक्ष्मनपुर एनका, फैजाबाद का भवन निर्माण

9—श्री गोपीनाथ वर्मा—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के प्रथम सोमवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 78 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नगत प्रा0 पा0 का निर्माण ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा फैजाबाद द्वारा पूर्ण करा दिया गया ? यदि हां, तो सम्पूर्ण व्यय क्या है ? क्या निर्माण पश्चात् बेसिक शिक्षा परिषद् को उक्त निर्माण में बने भवन को स्थानान्तरित कर दिया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

क्योंकि अभी भवन निर्मित नहीं हो सका है ।

अयोध्या, फैजाबाद में पर्यटक आवास गृह का निर्माण

10--श्री गोपीनाथ वर्मा--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के पहले सोमवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-95 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या पर्यटन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि अयोध्या, फैजाबाद में 100 शैय्या वाले पर्यटक आवास गृह निर्माण पर व्यय की धनराशि क्या है तथा आवास की रूपरेखा क्या है ? क्या प्रश्नगत आवास का निर्माण करा दिया गया है ? यदि हां, तो निर्माण तिथि क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पर्यटन राज्य मंत्री (श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी)--

प्राप्त सूचना के अनुसार अप्रैल, 1983 तक कुल 5.32 लाख रु0 व्यय हो चुके हैं। प्रस्तावित आवास गृह के भूतल पर 8-8 शैय्या के 2 डारमेन्टरी, 2-2 शैय्या के 7 कक्ष प्रसाधन सहित, किचेन स्टोर, पेन्ट्री, डाइनिंग हाल, रिसेप्शन लाउन्ज, कार पार्किंग एवं प्रथम व द्वितीय तल पर 8-8 शैय्या के 2-2 डारमेन्टरी, 2-2 शैय्या के 9 कक्षों का प्राविधान है।

राजकीय निर्माण निगम द्वारा प्रश्नगत पर्यटक आवास गृह का निर्माण कार्य सितम्बर, '1982 में प्रारम्भ किया गया है एवं निर्माण कार्य चल रहा है।

शेष का प्रश्न नहीं उठतः है।

11--श्री गोपी नाथ वर्मा--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।]

महारानी लक्ष्मीबाई बालिका इन्टर कालेज, एटा में क्रीड़ा फंड से किया गया व्यय

12--श्री गोपीनाथ वर्मा--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के तीसरे सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 92 के उत्तर (दिनांक 21-2-83) के सन्दर्भ में क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्रीड़ा (खेल) फंड से व्यय की गयी धनराशि 3,445 रु0. 14 पैसे के व्यय एवं क्रय सामान का तिथिवार विवरण क्या है तथा अन्य फंड के व्यय का तिथिवार विवरण क्या है ? क्या व्यय धन का औचित्य शिक्षा संहिता के नियमान्तर्गत है ? यदि नहीं, तो दोषी के विरुद्ध शासन क्या कार्यवाही कर रहा है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है।

13-14--श्री गोपीनाथ वर्मा--

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त।]

जिला कृषि अधिकारी, फर्रुखाबाद के विरुद्ध श्री राम आसरे वर्मा, विधायक के शिकायती-पत्र पर कार्यवाही

15--श्री गोपीनाथ वर्मा--

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला कृषि अधिकारी, फर्रुखाबाद के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं के सम्बन्ध में विधायक श्री राम आसरे वर्मा का दिनांक 30-12-82 का शिकायती-पत्र संलग्नक सहित प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो शिकायती-पत्र में अंकित विषयों की जांच करायी गयी ? जांच के दौरान माननीय विधायक से कोई जानकारी या लिखित बयान लिया गया ? अब तक जांच रिपोर्ट के आधार पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री यशपाल सिंह--

जी हां । शिकायतों की जांच की जा रही है जिसमें जांच के समय माननीय विधायक (शिकायतकर्ता) से सम्पर्क करने के आदेश दिए गए हैं। चूंकि मामले की जांच चल रही है, अतः जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

जिला कृषि अधिकारी, फर्रुखाबाद द्वारा भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में संयुक्त मंत्री, अधीनस्थ कृषि सेवा संघ, उत्तर प्रदेश द्वारा दिया गया ज्ञापन

16--श्री गोपीनाथ वर्मा--

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला कृषि अधिकारी, जनपद फर्रुखाबाद द्वारा किए गए भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शिवमूर्ति नाथ गुप्ता, संयुक्त मंत्री, अधीनस्थ कृषि सेवा संघ, उत्तर प्रदेश द्वारा दिनांक 5-1-83 को जिलाधिकारी, जनपद फर्रुखाबाद तथा कृषि सचिव, उत्तर प्रदेश, कृषि मंत्री, उत्तर प्रदेश को एक ज्ञापन दिया गया है ? यदि हां, तो ज्ञापन का पूर्ण विवरण क्या है ? क्या मामले की जांच किसी उच्च अधिकारी द्वारा कराई गयी ? यदि हां, तो क्या जांच के दौरान शिकायतकर्ता से भी कोई जानकारी या लिखित बयान लिया गया ? जांच रिपोर्ट एवं बयान के आधार पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री यशपाल सिंह--

जी हां ।

ज्ञापन में जिला कृषि अषि अधिकारी, फर्रुखाबाद के विरुद्ध भ्रष्टाचार अनियमितताओं एवं संघ के सदस्यों को प्रताड़ित किए जाने का उल्लेख किया गया है।

जांच क्रमित है ।

जांच आख्या प्राप्त होने पर स्थिति ज्ञात होगी ।

अभी जांच चल रही है अतएव कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

उच्चतर माध्यमिक कन्या विद्यालय, बिल्सी बदायूं की अध्यापिकाओं एवं कर्मचारियों को सी0 डी0 एस0 भुगतान की कार्यवाही

17—श्री गोपीनाथ वर्मा—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के पहले सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 22 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि फंड कमिश्नर, कानपुर से धनराशि प्राप्त हो चुकी है ? यदि हां, तो क्या प्राप्त धनराशि को प्रश्न से सम्बन्धित समस्त अध्यापिकाओं एवं कर्मचारियों को जुलाई, 1974 से 1977 तक सी0 डी0 एस0 का भुगतान करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो अब तक बकाया भुगतान न किए जाने का क्या कारण है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

18—श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या यह भी सही है कि उक्त मामले से सम्बन्धित अधिकारी द्वारा मामले को टाला जा रहा है ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच कराकर दोषी पाए जाने वाले अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जायगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

चील्ह–गोपीगंज मार्ग, मिर्जापुर की पटरी का सार्वजनिक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण

19—श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चील्ह–गोपीगंज मार्ग, जिला मिर्जापुर की सड़क की पटरी जो चील्ह से नरौर तक 8 मिलीमीटर है का हस्तान्तरण कब तक जिला परिषद्, मिर्जापुर द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग को कर दिया जायगा ? क्या यह सही है कि उक्त पटरी पर लोगों ने अनाधिकृत कब्जे कर रखे हैं ?

श्री बलराम सिंह यादव—

चील्ह–गोपीगंज मार्ग चील्ह से नरौर तक 9–9 कि0 मी0 है । इसे सा0 नि0 वि0 को हस्तान्तरित किए जाने का प्रस्ताव जिला परिषद्, मिर्जापुर द्वारा दिनांक 10–5–83 को पारित कर दिया गया है । हस्तान्तरण के प्रस्ताव पर सा0 नि0 वि0 की सहमति प्राप्त हो जाने पर मार्ग का हस्तान्तरण कर दिया जायेगा ।

यह सही है कि प्रश्नगत मार्ग की पटरी पर कुछ व्यक्तियों द्वारा अनाधिकृत कब्जे कर लिए गये हैं, जिन्हें हटाने की कार्यवाही की जा रही है ।

कृषि मंत्री की अध्यक्षता में अधीनस्थ कृषि सेवा संघ की बैठक

20--श्री गोपीनाथ वर्मा--

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि उनकी अध्यक्षता में 17-8-82 को अधीनस्थ कृषि सेवा संघ, उत्तर प्रदेश की मांगों पर अधिकारियों एवं संघ के पदाधिकारियों के बीच बैठक हुई थी ? यदि हां, तो बैठक में किन-किन मांगों पर निर्णय लिये गये ? सम्पूर्ण निर्णय का विवरण क्या है और उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल सिंह--

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

बाबू स्टेडियम, लखनऊ में सांस्कृतिक कार्यक्रम में नृत्य के दौरान नवयुग बेसिक कन्या पाठशाला, लखनऊ की तीन बालिकाओं की मृत्यु

21--श्री गोपीनाथ वर्मा--

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 25 नवम्बर, 1981 में जनपद लखनऊ शहर में नवयुग बेसिक कन्या पाठशाला, राजेन्द्रनगर द्वारा बाबू स्टेडियम, लखनऊ में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के तहत आदिवासी नृत्य पेश किया गया जिसमें तीन बालिकाएं क्रमशः दीप्ति, अंशु अग्रवाल तथा नीतू आग पर प्रस्तुत नृत्य के समय घायल हो गयी थीं और बाद में जिनकी मृत्यु हो गयी यदि हां, तो उक्त बालिकाओं की मृत्यु के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अब तक कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां, 25 नवम्बर, 1981 को लखनऊ जनपदीय बेसिक बालिका रैली में आयोजकों को पूर्व सूचना के बिना नवयुग बेसिक कन्या पाठशाला, राजेन्द्र नगर, लखनऊ द्वारा एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के तहत विशेष संथाली नृत्य प्रस्तुत किया गया था, जिसमें तीन बालिकायें दीप्ति, अंशु अग्रवाल तथा नीतू नृत्य करते समय एक पुतले के मुख से धुआं निकालने के उपक्रम में पुतला जल जाने से घायल हो गयी थीं और बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी । बालिकाओं की मृत्यु आकस्मिक घटना के कारण हुई थी, जिसके लिये कोई अधिकारी दोषी नहीं है । अतएव किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

मथुरा जनपद के इन्टरमीडिएट एवं हाई स्कूल विद्यालयों में प्रवक्ताओं व अध्यापकों के रिक्त पद

22--श्री सरदार सिंह--

क्या शिक्षा मन्त्री को जानकारी है कि मथुरा जनपद के इन्टरमीडिएट एवं हाई स्कूल विद्यालयों में विभिन्न विषयों के प्रवक्ताओं व अध्यापकों के पद रिक्त चल रहे हैं । जिससे छात्रों व अभिभावकों में असन्तोष व्याप्त है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है तथा रिक्त पदों पर शासन कब तक नियुक्ति कर देगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

कस्बा करहल, शिकोहाबाद, जनपद मैनपुरी में जिला परिषद् की भूमि पर दुकानों का निर्माण

23—श्री विष्णु दयाल वर्मा—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि कस्बा शिकोहाबाद करहल, सिरसागंज (जनपद मैनपुरी) में जिला परिषद् की भूमि पर (पशु चिकित्सालय, स्कूल आदि) जो दुकानें, विशेष समन्वित योजना के अन्तर्गत जिलाधिकारी, मैनपुरी द्वारा निर्माण करायी जा रही हैं, उनके स्थल के लिए विभाग द्वारा भूमि की स्वीकृति दे दी गयी है ? यदि हां, कब और किस नियम के अन्तर्गत ?

श्री बलराम सिंह यादव—

कस्बा करहल में स्थित जिला परिषद् की भूमि पर विशेष समन्वित योजना के अन्तर्गत दुकानें नहीं बनवायी जा रही हैं बल्कि वहां दुकानें जिला परिषद् स्वयं बनवा रही है । शिकोहाबाद स्थित जिला परिषदीय पशु-चिकित्सालय की भूमि में से 2,353 वर्ग फुट भूमि बाजार भाव पर उ0 प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0 को, दिहुली तथा साढ़पुर गांवों में दस्युओं से प्रभावित अनुसूचित जाति के परिवारों के लिये दुकानों के निर्माणार्थ, दिये जाने का निर्णय अगस्त, 1982 में लिया गया है । सिरसागंज स्थित प्राइमरी पाठशाला की भूमि में से 322.5 वर्ग मीटर भूमि विशेष समन्वित योजना के अन्तर्गत उ0 प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास लि0 को निर्बल वर्ग उत्थान हेतु व्यवसायिक केन्द्र के निर्माण कार्य दिये जाने के प्रस्ताव को उचित माध्यम से भेजने के लिए जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला परिषद्, मैनपुरी से कहा गया है । जिला परिषदीय सम्पत्ति का हस्तान्तरण उत्तर प्रदेश जिला परिषद् तथा क्षेत्र समिति (चल तथा अचल सम्पत्ति) नियमावली, 1965 के अनुसार किया जाता है ।

24—श्री जगदीश सिंह—

[दिनांक 5-9-83 को अतारांकित प्रश्न संख्या 178 द्वारा उत्तरित ।]

उ0 प्र0 सचिवालय की शिक्षा सचिव शाखा में कर्मचारियों को जी0 पी0 फंड से अग्रिम की स्वीकृति

25—श्रीमती प्रेमवती तिवारी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सचिवालय में कर्मचारियों के जी0 पी0 फंड से अग्रिम देने के लिए जो सामान्य नियम बने हैं उनकी अवहेलना करते हुए शिक्षा सचिव शाखा में अपने अलग नार्म बनाए गए हैं जिनके आधार पर कर्मचारियों को अनुमन्य अग्रिम में जबरन कटौती की जाती है ? यदि हां, तो क्या शिक्षा सचिव द्वारा बनाए गए इस नार्म को तत्काल समाप्त करके कर्मचारियों को राहत देने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राजकीय इन्टर कालेज, मथुरा के नाम का वृन्दावन दास प्रकाशवती राजकीय इन्टर कालेज में संशोधन

26--श्री सरदार सिंह--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय इन्टर कालेज, मथुरा के नाम में कोई संशोधन कर दिया है ? यदि हां, तो संशोधित नाम क्या है तथा इसका औचित्य क्या था ? क्या यह सत्य है कि इस विद्यालय के विशाल भूखण्ड व इमारत को महाराजा, भरतपुर ने शासन को दिया था ? यदि हां, तो शासन पुनः इस विद्यालय का नाम महाराजा भरतपुर राजकीय इन्टर कालेज रखने पर विचार करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां ।

संशोधित नाम वृन्दावनदास प्रकाशवती राजकीय इंटर कालेज, मथुरा है जो एक लाख रुपये दान स्वरूप प्राप्त धनराशि एवं शिक्षा के प्रति रुचि प्रदर्शित करने के उपलक्ष्य में रखा गया है ।

अभी इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है ।

फिलहाल यह बताना सम्भव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कमला माहेश्वरी आर्य कन्या महाविद्यालय, मिर्जापुर में व्याप्त अनियमितताओं के सम्बन्ध में कार्यवाही

27--श्री राधेश्याम पटेल--

प्रथम सत्र 1983 के चौथे सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 62 एवं 63 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कमला माहेश्वरी आर्य कन्या महाविद्यालय, मिर्जापुर में व्याप्त अनियमितताओं आदि के बारे में की गयी कौन-कौन शिकायतें सही पाई गयीं एवं दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? सरकार महाविद्यालय में कब तक राज्य विश्व-विद्यालय की अधिनियम की धारा 57, 58 के तहत मैनेजमेंट भंग कर साधिकार नियंत्रक नियुक्त करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

शासन द्वारा प्रदत्त अनुवर्तक अनु0 को शर्तों के अनुसार व्यय न करना ।

मामला शासन के विचाराधीन है ।

निदेशक उद्यान (मैदानी क्षेत्र) के कार्यालय अधीक्षक ग्रेड-2 के विरुद्ध शिकायतों पर पद सहित स्थानान्तरण

28--श्री कुंवर सिंह नेगी--

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि निदेशक, उद्यान (मैदानी क्षेत्र), उत्तर प्रदेश के कार्यालय अधीक्षक ग्रेड-2 का स्थानान्तरण पद सहित उप निदेशक,

लखनऊ क्षेत्र के कार्यालय में सन् 1982 में किन कारणों से किया गया है और क्या इनके विरुद्ध कोई शिकायत थी ? यदि हां, तो उनकी जांच का क्या परिणाम रहा और कब उन्हें निदेशालय वापस बुलाया गया ?

श्री यशपाल सिंह--

जी हां । घूस लेने की शिकायत पर किया गया था ।

जांचोपरान्त दोषी न पाए जाने पर आदेश दिनांक 27-7-83 द्वारा वापस बुला लिया गया ।

निदेशक उद्यान (मैदानी क्षेत्र) उत्तर प्रदेश में निर्देश याचिका तथा कृषि अनुभाग--4 के आदेश के अन्तर्गत प्रशासनिक अधिकारी के पद पर नियुक्ति

29--डा0 शिवानन्द नौटियाल--

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि निदेशक, उद्यान (मैदानी क्षेत्र), उत्तर प्रदेश के कार्यालय में निर्देश याचिका सं0 386/एफ/111/82 तथा कृषि अनुभाग-4 के आदेश संख्या 6278/12-4-405/82, दिनांक 29 नवम्बर, 1982 के अन्तर्गत जिस व्यक्ति की नियुक्ति प्रशासनिक अधिकारी के पद पर की जाती है वह नियुक्ति कब की गयी है और इसमें देरी के क्या कारण हैं तथा इस देरी के लिए किसकी जिम्मेदारी है ?

श्री यशपाल सिंह--

प्रशासनिक अधिकारी के नव सृजित पद पर नियुक्ति का मामला शासन के विचाराधीन है ।

डा0 राम नारायण मिश्र, अवकाश प्राप्त प्रवक्ता, बी0 एस0 एन0 बी0 डिग्री कालेज, लखनऊ को पेंशन का स्वीकृति

30--श्री विमल प्रसाद तिवारी--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अवकाशप्राप्त प्रवक्ता, इतिहास विभाग, बी0 एस0 एन0 बी0 डिग्री कालेज, लखनऊ जिन्होंने 30 जून, 1979 को अवकाश ग्रहण किया को अभी तक पेंशन नहीं स्वीकृत की गयी जिसके कारण उत्पन्न आर्थिक कठिनाइयों के फलस्वरूप वे मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गये ? यदि हां, तो यह पेंशन कब तक स्वीकृत हो जायगी तथा इस देरी के लिए दोषी व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

इस कालेज के अवकाशप्राप्त प्रवक्ता, डा0 राम नारायण मिश्र को, उनका विकल्प पत्र प्राप्त न होने के कारण पेंशन स्वीकृत नहीं की जा सकी है ।

डा0 मिश्र का विकल्प पत्र प्राप्त होने के पश्चात् शीघ्र ही स्वीकृति निर्गत कर दी जायगी । इस सम्बन्ध में शिक्षा निदेशालय द्वारा उन्हें लिखा जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम लीला खेड़ा, जनपद लखनऊ की सड़क को पक्का कराने विषयक वहां के निवासियों के पत्र के साथ श्री धनी राम सिंह नेगी, एम0 एल0 सी0 तथा श्री मान्धाता सिंह, एम0 एल0 सी0 के पत्र

31--श्री मित्रसेन--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें ग्राम लीलाखेड़ा, थाना काकोरी, जनपद लखनऊ के निवासियों का कोई प्रार्थना-पत्र सड़क को पक्का कराये जाने के विषय में श्री धनी राम सिंह नेगी, एम0 एल0 सी0 श्री मान्धाता, सिंह एम0 एल0 सी0 के पत्रों सहित दिनांक 5 अप्रैल, 1983 व 12-4-83 को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो क्या मूल प्रार्थना-पत्र तथा एम0 एल0 सी0 के पत्रों की प्रतिलिपियां सदन के पटल पर रखते हुए यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी हां । ग्राम लीलाखेड़ा, थाना काकोरी, जनपद लखनऊ के निवासियों का एक प्रार्थना पत्र काकोरी रेलवे स्टेशन से ग्राम जेहटा तक जाने वाली सड़क को पक्का कराये जाने के सम्बन्ध में श्री धनीराम सिंह नेगी, एम0 एल0 सी0 के तथा श्री मान्धाता सिंह, एम0 एल0 सी0 के पत्र क्रमशः दिनांक 5 अप्रैल, 1983 तथा दिनांक 12 अप्रैल, 1983 के साथ प्राप्त हुए थे । उक्त पत्रों की प्रतिलिपि संलग्न हैं । सार्वजनिक निर्माण विभाग को उल्लिखित सड़क को पक्का करने के लिए अनुमानित व्यय विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है और आगामी जिला ग्राम्य विकास अभिकरण की बैठक में अनुमोदन प्राप्त करके पक्का कराने का कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा ।

(देखिए नत्थी "ग" आगे पृष्ठ 235 पर ।)

कानपुर विश्वविद्यालय के कनिष्ठ लिपिक, श्री सज्जन पुत्र तुलसी, निवासी ग्राम सिंहपुर कछार द्वारा आगजनी पर उनके विरुद्ध कार्यवाही

32--श्री राम प्यारे पाण्डेय--

क्या सरकार को जानकारी है कि सज्जन पुत्र तुलसी, निवासी ग्राम सिंहपुर कछार, थाना बिठूर, जनपद कानपुर, जो कि कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर में लिपिक के पद पर कार्यरत हैं, ने विगत वर्ष 1 दिसम्बर, 1981 को उक्त ग्राम के श्री कैलाश नारायण दीक्षित पुत्र श्री मुन्शीलाल दीक्षित की दुकान में आग लगा दी थी तथा मारपीट की थी और जिसकी रिपोर्ट थाना बिठूर, जनपद कानपुर में धारा 147/148/149/324/436 भा0 दं0 वि0 में अंकित है, को नौकरी से निलम्बित कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

विश्वविद्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार श्री सज्जन पुत्र तुलसी, निवासी ग्राम सिंहपुर कछार, थाना बिठूर, जनपद कानपुर विश्वविद्यालय में कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत हैं किन्तु प्रश्नगत ग्राम में घटित घटना व थाना की रिपोर्ट की सूचना विश्वविद्यालय को प्राप्त नहीं हुई है । अतः उनके प्रतिकूल किसी प्रकार की कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है ।

परिषदों के गठन के लिए तीन से अधिक सदस्यों का नामांकन

33—श्री सरदार सिंह—

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार परिषदों के गठन के लिए 3 से अधिक सदस्यों को नामांकित करने जा रही है ? यदि हां, तो इसका औचित्य क्या है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी नहीं । औचित्य का प्रश्न नहीं उठता है ।

सुखदेव किसान जूनियर हाई स्कूल, फैजाबाद की मान्यता हेतु प्राभूत भूमि तथा मान्यता

34—श्री रामधनी तथा श्री गोपीनाथ वर्मा—

प्रथम सत्र 1983 के तीसरे सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 155 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा प्राभूत कोष हेतु विद्यालय के नाम किस नम्बर को तथा कितनी जमीन दी गयी है ? उक्त सन्दर्भ में क्या सरकार यह भी बतायेगी कि सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा किस दिनांक को किस प्रस्ताव संख्या द्वारा जमीन दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार इस मामले की जांच करवा करके गलत सूचना प्रस्तुत करके मान्यता प्राप्त करने के लिए सम्बन्धित विद्यालय के प्रबन्धक के विरुद्ध कार्यवाही करेगी तथा भविष्य में उक्त विद्यालय को कोई मान्यता न दिए जाने के भी आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सुखदेव किसान जूनियर हाई स्कूल, भुवापुर की मान्यता हेतु, प्राभूत के अन्तर्गत भूमि संख्या 855 छः बीघा साढ़े अठारह बिस्वा एवं भूमि संख्या 856 सात बीघा साढ़े ग्यारह बिस्वा विद्यालय के नाम दान हेतु, प्रस्तावित की गई ।

उक्त भूमि को भूमि प्रबन्धक समिति सेवापुर मु0 देवागांव परगना खण्डासा फैजाबाद के प्रस्ताव दिनांक 7 सितम्बर, 1980 के अन्तर्गत विद्यालय के नाम दान हेतु, प्रदत्त किये जाने की सूचना प्रबन्धक द्वारा दी गयी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उक्त तथ्य की जांच हेतु तहसीलदार बीकापुर को दिनांक 25 जुलाई, 1983 को पत्र लिखा गया है । उक्त सूचना गलत पाये जाने पर भविष्य में मान्यता हेतु निर्धारित शर्तों को बिना पूरा किये उक्त विद्यालय को मान्यता नहीं दी जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जूनियर हाई स्कूल, हलियापुर, सुल्तानपुर के प्रधानाध्यापक के नाम से जारी फर्जी टी0 सी0

35—श्री रामधनी तथा श्री गोपीनाथ वर्मा—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के सातवें सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 163 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सरकार बतायेगी कि जांच किस अधिकारी

द्वारा करायी गयी ? उक्त सन्दर्भ में क्या सरकार यह भी बतायेगी कि क्या सम्बन्धित विद्यालय के रिकार्ड के अतिरिक्त प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित स्थान पर जमा उक्त फर्जी टी0 सी0 की भी जांच की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो उस टी0 सी0 पर किस विद्यालय की मोहर लगी है तथा किसके हस्ताक्षर हैं ? क्या सरकार प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित स्थान पर जमा फर्जी टी0 सी0 की भी जांच करवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

फर्जी टी0 सी0 की जांच अपर उप विद्यालय निरीक्षक सुल्तानपुर द्वारा दिनांक 1-2-83 को की गई थी ।

प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित स्थान (कार्यालय डाक अधीक्षक, सुल्तानपुर) पर जमा उक्त टी0 सी0 की जांच दिनांक 20-8-83 को पुनः करायी गयी । जांच आख्या से यह ज्ञात हुआ कि प्रश्नगत टी0 सी0 पर विद्यालय में प्रयोग में लायी जाने वाली मोहर नहीं लगी है और न ही प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर हैं बल्कि हस्ताक्षर के स्थान पर 'सं0 ब0 सिंह' लिखा है, जो एक फर्जी हस्ताक्षर है । इस प्रकार जांचोपरान्त उक्त टी0 सी0 फर्जी पायी गयी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

रसूलपुर, बस्ती बेसिक प्राइमरी स्कूल, सुल्तानपुर में उर्दू शिक्षक की नियुक्ति

36--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम रसूलपुर, विकास खण्ड सुकुल बाजार, जिला सुल्तानपुर में रसूलपुर बस्ती नामक बेसिक प्राइमरी स्कूल है, जहां उर्दू की शिक्षा हेतु कोई शिक्षक नहीं है ? यदि हां, तो क्या उर्दू की शिक्षा हेतु कोई शिक्षक नियुक्त करने का आदेश देंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां ।

जी नहीं, क्योंकि उक्त विद्यालय में उर्दू पढ़ने वाले छात्रों की संख्या नगण्य होने के कारण अभी उर्दू अध्यापक की नियुक्ति की आवश्यकता नहीं है ।

जिला परिषद् में कर अधिकारी के पदों पर परिषदीय कर्मचारियों की पदोन्नति का प्राविधान तथा कोटा

37--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करगे कि जिला परिषद् सेवा नियमावली में कर अधिकारी के पदों पर परिषदीय कर्मचारियों से पदोन्नति द्वारा भरे जाने का प्राविधान है ? उक्त स्थानों की प्रतिपूर्ति करने के लिए कितना कोटा निर्धारित किया गया है तथा कर अधिकारी के कितने पद रिक्त हैं ?

श्री बलराम सिंह यादव--

कर अधिकारी का पद केन्द्रीय संक्राम्य संवर्ग का है जिसके लिये उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (केन्द्रीय संक्राम्य संवर्ग) नियमावली, 1966 बनी है जिसमें कार्यालय अधीक्षकों, लेखाकारों, राजस्व अधीक्षकों, राजस्व निरीक्षकों और कर निरीक्षकों में से कर अधिकारी के पद पर प्रोन्नति द्वारा भरे जाने का प्राविधान है। नियमों में प्रोन्नति और सीधी भर्ती का कोटा निर्धारित करने का अधिकार शासन को है। इस सम्बन्ध में शासन द्वारा 30 प्रतिशत पद प्रोन्नति तथा 70 प्रतिशत पद सीधी भर्ती से भरे जाने का निर्णय लिया गया है। पदोन्नति कोटे में कर अधिकारी के 11 पद नियमित नियुक्ति हेतु रिक्त हैं।

जिला परिषदों के लेखाकार तथा कार्यालय अधीक्षकों में से पात्र की कर अधिकारी के पद पर प्रोन्नति

38--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला परिषदों के लेखाकार तथा कार्यालय अधीक्षकों में से कर अधिकारी के पदों हेतु कितने पात्र कर्मचारी उपलब्ध हैं और इनको पदोन्नत करने में क्या कठिनाई है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

केन्द्रीय संक्राम्य संवर्ग नियमावली, 1966 के नियम 27 के अन्तर्गत कर अधिकारी के पद पर पदोन्नति की पात्रता में आने वाले सभी जिला परिषदों के कार्यालय अधीक्षकों, लेखाकारों, राजस्व अधीक्षकों, राजस्व निरीक्षकों और कर निरीक्षकों के बारे में पूर्ण सेवा विवरण प्राप्त किये बिना नियमित प्रोन्नति करना सम्भव नहीं है।

खंड विकास अधिकारी, अहिरोरी, हरदोई द्वारा श्री रूपन, कृषक, ग्राम मुबारकपुर की बोरिंग के सम्बन्ध में, बोरिंग मेकैनिक को दिए गये निर्देश

39--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई के खंड विकास अधिकारी, अहिरोरी द्वारा श्री राम लाल, बोरिंग मेकैनिक को अपने पत्र संख्या अ0 वि0-1/1080-81, दिनांक 9 मार्च, 1981 के माध्यम से श्री रूपन पुत्र श्री भिखारी, निवासी गोदहैया, नयागांव मुबारकपुर की बोरिंग के सम्बन्ध में उत्तरदायित्व थोपते हुए निर्देश दिया था कि कृषक के टूटे पाइप तुरन्त निकालने की कार्यवाही करें ? यदि हां, तो कार्यवाही क्या हुई ? यदि कार्यवाही नहीं हुई तो क्यों और कार्यवाही कब तक सम्पन्न हो जायेगी ?

श्री बलराम सिंह यादव--

सूचना एकत्र की जा रही है।

40-41--श्री राम आसरे वर्मा--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

नरपति सिंह इंटर कालेज, माधोगंज, हरदोई परीक्षा केन्द्र से सम्मिलित कतिपय परीक्षार्थियों का परीक्षाफल

42---श्री राम आसरे वर्मा--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1982 में नरपति सिंह इंटर कालेज, माधोगंज, जनपद हरदोई परीक्षा केन्द्र से शामिल हाई स्कूल परीक्षार्थियों, अनुक्रमांक 272631 एवं 272633 तथा इंटरमीडिएट परीक्षार्थियों, अनुक्रमांक 147971, 147974, 147977 एवं 147979 के परीक्षाफल अब तक घोषित न किए जाने के क्या कारण हैं तथा कब तक घोषित कर दिये जायेंगे ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बक्शी--

प्रश्नगत सभी परीक्षार्थियों के परीक्षाफल दिनांक 11-4-1983 को ही घोषित किए जा चुके हैं ।

हिन्दू कन्या इंटर कालेज, शामली, मुजफ्फरनगर के प्रबन्धक को विद्यालय में अनियमिताओं के सम्बन्ध में नोटिस तथा साधिकार नियंत्रक की नियुक्ति

43---श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हिन्दू कन्या इंटर कालेज, शामली, जनपद मुजफ्फरनगर के प्रबन्धक को शिक्षा संशोधन अधिनियम की धारा 16-डी (2) के अन्तर्गत जो नोटिस हाल में ही भेजा गया है उसमें समस्त अनियमितताओं का उल्लेख कर दिया गया है ? यदि नहीं किया, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बक्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

44--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या सरकार को ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि नोटिस में समस्त अनियमितताओं का उल्लेख नहीं है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बक्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

45---श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या विद्यालय में व्याप्त अनियमितताएं उक्त अधिनियम की धारा 16-डी (8) की परिधि में आती हैं ? यदि हां, तो साधिकार नियंत्रक की नियुक्ति क्यों नहीं की गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बक्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

हिन्दू कन्या इंटर कालेज, शामली, मुजफ्फरनगर में अनियमितताओं के सम्बन्ध में 'शोषित की आवाज' समाचार-पत्र के सम्पादक का पत्र

46--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि हिन्दू कन्या इंटर कालेज, शामली, जनपद मुजफ्फरनगर में व्याप्त अनियमितताओं के सम्बन्ध में उन्हें शामली से प्रकाशित समाचार-पत्र 'शोषित की आवाज' के सम्पादक श्री सीताराम के पत्र, दिनांक 25-1-83 व 1-3-83 प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो पत्रों में उल्लिखित अनियमितताओं की क्या कोई जांच कराई गयी है ? यदि जांच कराई गई है, तो उसके क्या परिणाम निकले ? यदि जांच नहीं कराई गई तो क्यों ? कब तक कार्यवाही पूर्ण की जायेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

खेम करन इंटर कालेज, लहरपुर, सीतापुर के शिक्षकों को वेतन वितरण में विलम्ब

47--श्री नन्दराम--

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि खेम करन इंटर कालेज, लहरपुर, सीतापुर में दिसम्बर, 1981 से जनवरी, 1983 की अवधि के मध्य आठ (8) बार वेतन वितरण अधिनियम का उल्लंघन कर शिक्षकों को वेतन दिया गया है ? यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

उक्त अवधि में वेतन भुगतान में छः बार बिलम्ब हुआ ।

कार्यवाही आवश्यक नहीं समझी गई ।

सीतापुर जनपद में कृषि निरीक्षक के पद पर कार्यरत श्री राम सेवक कन्नौजिया की मृत्यु तथा उनकी पत्नी को बीमा, ग्रेच्युटी आदि का भुगतान

48--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या कृषि मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद सीतापुर में कृषि निरीक्षक के पद पर कार्यरत श्री राम सेवक कन्नौजिया की मृत्यु 11 मार्च, 1982 को उनकी सेवा अवधि के दौरान दुर्घटना के फलस्वरूप हो गयी थी ? यदि हां, तो क्या उनके बीमा एवं ग्रेच्युटी आदि सभी देयों का भुगतान उनकी विधवा श्रीमती सदा प्यारी निवासिनी, गोसवां, मल्लावां, जनपद हरदोई को कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यह भुगतान कब तक कर दिया जायगा ? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त विधवा के तीन अवयस्क बच्चे हैं उनके भरण पोषण के लिए उक्त विधवा के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे ?

श्री यशपाल सिंह--

जी हां।

श्री राम सेवक कन्नौजिया के बीमा की धनराशि का भुगतान उनकी विधवा श्रीमती सदा प्यारी को चेक द्वारा दिनांक 28-3-83 को किया जा चुका है। श्री कन्नौजिया के विरुद्ध राजकीय क्षति 12,379.90 रु0 पैसे की वसूली के आदेश होने के कारण उनकी ग्रेच्युटी की धनराशि 6,264.00 रु0 मुक्त नहीं की गयी है। पारिवारिक पेन्शन स्वीकृति आदेश महालेखाकार, उत्तर प्रदेश द्वारा दिनांक 2-7-83 को जारी किए जा चुके हैं।

उक्त विधवा के तीन अवयस्क बच्चे हैं। शासन के वर्तमान नियमों के अन्तर्गत विधवा को उसकी प्रार्थना पर उसकी शैक्षिक योग्यता के आधार पर राजकीय सेवा में रखा जा सकता है एवं उसके द्वारा प्रार्थना-पत्र देने पर अनुकम्पा कोष से आर्थिक सहायता देने पर भी विचार किया जा सकता है।

श्री फिरंगी को बलिया-बैरिया मोटर अड्डे का ठेका, अड्डे से वसूली आदि बिन्दुओं पर विचार हेतु, जिला परिषद् की उपसमिति की जांच रिपोर्ट

49--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि श्री फिरंगी पुत्र श्री जूठन निवासी ग्राम आमघाट, पत्रालय धोराली, जिला बलिया को जिला परिषद्, बलिया द्वारा बलिया-बैरिया मार्ग पर बस अड्डे के झूठे व मनगढ़ंत नीलामी की धनराशि की वसूली कर अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है? क्या यह भी सच है कि जिला परिषद्, बलिया की परामर्शदात्री समिति द्वारा दिनांक 25-10-1979 को उक्त मामले के सभी बिन्दुओं के विचारार्थ व रिपोर्ट हेतु एक उप समिति का गठन किया गया था? यदि हां, तो जिला परिषद्, बलिया द्वारा उक्त उप समिति की रिपोर्ट के अनुकूल कार्यवाही न किए जाने का क्या कारण है?

श्री बलराम सिंह यादव--

यह सही नहीं है कि श्री फिरंगी पुत्र श्री जूठन निवासी ग्राम आमघाट, पत्रालय धोरौली जिला बलिया को झूठे व मनगढ़न्त रूप से बलिया-बैरिया मार्ग पर बस अड्डे की नीलामी की बकाया की वसूली के लिए परेशान किया जा रहा है। वास्तविकता यह है कि श्री फिरंगी ने वर्ष 1974-75 में बलिया-बैरिया मार्ग मोटर अड्डे का ठेका टेन्डर के माध्यम से लिया था और उसकी जमानत भी जमा की थी। इनके द्वारा अड्डे पर वसूली भी की गई है। यह सही है कि इस मामले के सभी बिन्दुओं पर विचार एवं रिपोर्ट हेतु जिला परिषद् की परामर्शदात्री समिति द्वारा तीन सदस्यों की एक उपसमिति का गठन किया गया था और एक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, लेकिन चूंकि जांच रिपोर्ट पर उप समिति के सभी सदस्यों के हस्ताक्षर नहीं थे इसलिए रिपोर्ट अपूर्ण हुई और उस पर विचार किया जाना उचित नहीं पाया गया।

अलीगढ़ जनपद के प्राइमरी स्कूलों के अवकाश प्राप्त अध्यापकों को पेंशन का भुगतान

50--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद अलीगढ़ में अवकाश प्राप्त अध्यापकों के पेंशन का भुगतान प्रत्येक मास नहीं होता? यदि हां, तो क्यों?

क्या सरकार यह व्यवस्था करेगी कि जनपद के प्राइमरी स्कूलों के अवकाशप्राप्त अध्यापकों के पेंशन की धनराशि अध्यापकों के निवास स्थान जहां वे रह रहे हैं, मनीआर्डर कमीशन काट कर भेजती रहे ? क्या इस सम्बन्ध में अवकाशप्राप्त अध्यापकों ने भी प्रार्थना-पत्र दिए हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

गोरखपुर जनपद के ब्लाक मिठौरा और सिसवा के प्राइमरी स्कूलों के निलम्बित शिक्षक एवं उनकी बहाली के संबंध में दिया गया पत्र

51--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के ब्लाक मिठौरा व सिसवा के कौन-कौन प्राइमरी पाठशालाओं के शिक्षक दिनांक 6-8-1982 से निलम्बित हैं और किस कारण ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

52--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

क्या शिक्षा मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि क्या उपर्युक्त सन्दर्भ में निलम्बन आदेश समाप्त करने हेतु कोई पत्र प्रश्नकर्ता का या अन्य किसी का 3 मार्च, 1983 तक प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां, माननीय विधायक का पत्र दिनांक 2-3-1983 व 4-3-1983 तथा उसके साथ संलग्न सर्वश्री रामधारी प्रसाद, प्रधान अध्यापक, प्राइमरी पाठशाला, पकड़िया, ब्लाक मिठौरा, गोरखपुर तथा प्रभू, सहायक अध्यापक, प्राइमरी पाठशाला, कर्महो, ब्लाक सिसवा बाजार, गोरखपुर का संयुक्त प्रत्यावेदन शासन को उनके निलम्बन समाप्त किये जाने के संबंध में प्राप्त हुआ है । इस सबंध में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर को निर्देश दे दिये गये हैं कि वे अध्यापकों के प्रत्यावेदन पर शीघ्र निर्णय ले लेवें ।

जनपद सीतापुर के कतिपय विकास खंडों में खोले गये भवन विहीन स्कूल

53--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि शिक्षा वर्ष 1977-78, 1978-79 तथा 1979-80 में, जो बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा प्राइमरी तथा जूनियर हाई स्कूल भवनहीन रूप में सीतापुर जिले के विकास खंड खैराबाद एरसेंडी तथा एलिया में खोले गये हैं वह कौन-कौन हैं तथा उनमें से किस-किस के भवन बन चुके हैं ? जिनके भवन बनना शेष हैं वह कब तक बन जायेंगे ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जनपद सीतापुर के विकास खंड खैराबाद, परसेंडी तथा ऐलिया में वर्ष 1977-78 व वर्ष 1978-79 में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा निम्नलिखित प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूल भवनहीन के रूप में स्वीकृत हुये :--

विद्यालय का नाम	विकास खंड
वर्ष 1977-78	
1--कन्या जूनियर हाई स्कूल, शरफापुर	खैराबाद
2--कन्या जूनियर हाई स्कूल, मेंहदीपुर	परसेंडी
3--जूनियर हाई स्कूल, मदारपुर	,,
4--जूनियर हाई स्कूल, हरिहरपुर, सोनारी	,,
5--जूनियर हाई स्कूल, तिहार	ऐलिया
6--जूनियर हाई स्कूल, केशवपुर	,,
वर्ष 1978-79	
1--प्राइमरी पाठशाला, पहाड़पुर	खैराबाद
2--प्राइमरी पाठशाला, जाजपुर	,,
3--प्राइमरी पाठशाला, सराय यूसुफ	,,
4--प्राइमरी पाठशाला, टेड़वा चिलौला	,,
5--प्राइमरी पाठशाला, उनेसिया	,,
6--जूनियर हाई स्कूल, नेरपुर	,,
7--प्राइमरी पाठशाला, मिर्जापुर	परसेंडी
8--प्राइमरी पाठशाला, गौराअर्जुनपुर	,,
9--प्राइमरी पाठशाला, केमहरा	,,
10--प्राइमरी पाठशाला, परसेंडीपुरवा	,,
11--प्राइमरी पाठशाला, जोनापुर	,,
12--प्राइमरी पाठशाला, मौनापुर	,,
13--प्राइमरी पाठशाला, खानपुर, शेरपुर	,,
14--जूनियर हाई स्कूल, रिखौना	,,
15--जूनियर हाई स्कूल, बड़ागांव	,,
16--जूनियर हाई स्कूल, कंगरासी	,,
17--प्राइमरी पाठशाला, सुवई	ऐलिया

विद्यालय का नाम	विकास खंड
18--प्राइमरी पाठशाला, कुरका	ऐलिया
19--प्राइमरी पाठशाला, देवई	,,
20--जूनियर हाई स्कूल, खगेसियामऊ	,,
21--जूनियर हाई स्कूल, मोहिउद्दीनपुर	,,

उक्त में से विकास खंड, खैराबाद की प्राइमरी पाठशाला, उनेसिया तथा विकासखंड, ऐलिया के अन्तर्गत जूनियर हाई स्कूल, खगेसियामऊ के भवन निर्माणाधीन हैं ।

वर्ष 1979-80 में जनपद सीतापुर के उक्त विकास खंडों में बेसिक परिषद् द्वारा कोई भवनहीन प्राइमरी अथवा जूनियर हाई स्कूल स्वीकृत नहीं हुआ है। उक्त विकास खंडों के जो 7 प्राइमरी व जूनियर हाई स्कूल खोले गये हैं उनके भवन निर्माण हेतु भी आवश्यक धनराशि साथ में स्वीकृत की गई है और उनके भवन निर्माणाधीन हैं ।

शासन के पास ज्यों-ज्यों साधन उपलब्ध होते रहते हैं बेसिक परिषदीय भवन रहित स्कूलों के भवन निर्माण हेतु जनपदवार अनुदान की धनराशि स्वीकृत की जाती है, जिससे जिला बेसिक शिक्षा समिति द्वारा चयनित विद्यालय भवनों का ही निर्माण होता है । अतः जनपद के उक्त भवन रहित विद्यालयों के भवनों का निर्माण कब तक हो सकेगा यह बताना संभव नहीं है।

उन्नाव जनपद के जूनियर हाई स्कूलों में 10 वर्ष से अधिक सेवारत शिक्षकों को बी० टी० सी० प्रशिक्षण से छूट

54--श्री भीखा लाल--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासकीय आदेश संख्या 2166/15 (13)/1499 (8)--77, दिनांक 20 जुलाई, 1979 के द्वारा शासन ने पारित किया था कि गैर सरकारी जूनियर हाई स्कूलों में 30 जून, 1978 को जिन अध्यापकों की सेवा दस वर्ष से ऊपर हो चुकी है उन्हें बी० टी० सी० प्रशिक्षण से छूट दे दी जाय ? यदि हां, तो क्या उक्त आदेश जिला उन्नाव में लागू किया गया है और कितने अध्यापक इस आदेश के अधीन प्रशिक्षण से मुक्त किये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां ।

प्रश्नगत शासनादेश के अन्तर्गत उन्नाव जनपद के 11 अध्यापक/अध्यापिकाओं के प्रकरण पाये गये । इनमें से 9 को जो सभी औपचारिकतायें पूरी करते थे, बी० टी० सी० प्रशिक्षण से मुक्त कर दिया गया । शेष 2 अध्यापकों के प्रकरण पर कार्यवाही के लिये सम्बन्धित प्रबन्धतंत्र को आदेश दिये गये थे । प्रबन्धतंत्र ने उक्त अध्यापकों के विषय में जो पत्र आदि प्रस्तुत किये थे उनमें अनेक कमियां पायी गयी थीं, जिन्हें दूर करने के लिये भी प्रबन्धतंत्र को आदेश दिये जा चुके

है, । जो पत्रादि उनसे मांगे गये हैं, उनके प्राप्त होने के पश्चात् ही दोनों अध्यापकों के प्रशिक्षण से मुक्ति प्रदान करने के सम्बन्ध में कार्यवाही सम्भव होगी ।

हरदोई जनपद में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा द्वितीय खण्ड के सहायक अभियन्ता एवं अवर अभियन्ता के विरुद्ध भ्रष्टाचार सम्बन्धी शिकायती-पत्र

55--श्री भीखा लाल--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को हरदोई जनपद में ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा द्वितीय खण्ड के सहायक अभियन्ता एवं वहीं के एक अवर अभियन्ता द्वारा भ्रष्टाचार व सरकारी धन के दुरुपयोग के सम्बन्ध में श्री लल्लू सिंह चौहान, विधायक द्वारा भेजा गया रजिस्टर्ड शिकायती-पत्र दिनांक 18-12-82 को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो अब तक उसमें कोई कार्यवाही न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री बलराम सिंह यादव -

जी हां ।

उपरोक्त शिकायती-पत्र पर जांच टेक्नीकल आडिट सेल, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, लखनऊ द्वारा की जा रही है ।

उन्नाव जनपद के विकास खण्ड औरास में हाई स्कूल अथवा इण्टर कालेज खोलने की मांग

56--श्री भीखा लाल--

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि उन्नाव जनपद में विकास खण्ड औरास में कोई मान्यताप्राप्त अथवा राजकीय हाई स्कूल अथवा इण्टर कालेज नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार विकास खण्ड के किसी केन्द्रीय स्थान पर इण्टर कालेज खोलने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां ।

जी नहीं ।

क्योंकि सीधे इण्टर कालेज खोलने की कोई योजना नहीं है ।

मथुरा जिले के विकास खण्ड राया व बल्देव की कतिपय न्याय पंचायतों में पेयजल योजनायें

57--श्री सरदार सिंह--

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जनपद के ब्लाक राया की न्याय पंचायत सोनई, भदैभ, अनौड़ा, नागल, भैंसारा की ग्राम सभाओं व ब्लाक बल्देव की ग्राम सभा बन्दी पचावर दधेटा, नगला, सन्जा, दौलतपुर,

मड़ौरा और छौली में पेयजल की समस्याओं को हल करने के लिए शीघ्र कोई योजना बनायेगी ? यदि हां, तो योजना का प्रारूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव--

ग्राम्य विकास विभाग द्वारा पेयजल की समस्या के निदान हेतु ग्रामीण क्षेत्र की हरिजन बस्तियों में जन संख्या, शासन से प्राप्त धन एवं शासन द्वारा निर्धारित प्राथमिकता के आधार पर हरिजन पेयजल कूपों का निर्माण, हरिजन पेयजल योजना के अन्तर्गत कराया जाता है । जनपद मथुरा में ग्राम्य विकास विभाग द्वारा संचालित हरिजन पेयजल योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड राया के न्याय पंचायत सोनाई, भदैभ, अनौड़ा, नागल भैसारा की ग्राम सभाओं में तथा विकास खण्ड बल्देव की ग्राम सभा बन्दो, पंचावर, दौलतपुर में कूपों का निर्माण कराया गया है ।

इसके अतिरिक्त जल निगम द्वारा भी विकास खण्ड राया एवं बल्देव में पेयजल समस्या के निदान हेतु योजना प्रस्तावित की गयी है । विकास खण्ड राया की न्याय पंचायत सोनई, भदैभ, अनौड़ा तथा नागल और विकास खण्ड बल्देव के ग्राम सभा बन्दो छौली दघेटा, पंचावर, दौलतपुर, नागला सजा में जल निगम द्वारा पाइप वाटर सप्लाई तथा हैन्ड पम्प द्वारा पेयजल की सुविधा उपलब्ध है ।

वर्ष 1982 में किये गये सर्वेक्षण के अनुसार ग्राम्य विकास विभाग द्वारा संचालित हरिजन पेयजल योजना के प्रारूप का विवरण इस प्रकार है :

(1) ऐसे गांवों/बस्तियों का पता लगाया जाए जहां अनुसूचित जाति/जनजाति के 30 परिवार या इससे अधिक परिवार रहते हों और उन्हें पेयजल की सुविधा उपलब्ध न हो ।

(2) ऐसी बस्तियों का पता लगाया जाए, जहां पर हरिजनों के 20 या 20 से अधिक परिवार रहते हों और उन्हें पेयजल की सुविधा न उपलब्ध हो ।

(3) हरिजनों की ऐसी बस्तियों का भी पता लगाया जाए जिन्हें एक कि0 मी0 की परिधि के अन्दर पेयजल की सुविधा उपलब्ध न हो ।

(4) यदि किसी अनुसूचित जाति/जनजाति बस्ती में 45 या उससे अधिक परिवार रहते हों और वहां पर एक ही कूप उपलब्ध हो तो उसके लिए भी एक अतिरिक्त कुआं की आवश्यकता मानी जा सकती है ।

जनपद उन्नाव के कतिपय विकास खण्डों के भवनहीन प्राइमरी व जूनियर हाई स्कूल

58--श्री भीखा लाल--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्नाव जनपद में विकास खण्ड औरास, हसनगंज, मियागंज तथा नवाबगंज में कितने ऐसे प्राइमरी तथा जूनियर हाई स्कूल हैं जो बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा चलाये जाते हैं लेकिन उनमें भवन

नहीं हैं ? यदि हां, तो भवनों के निर्माण की क्या योजना है और कब तक बन जायगे ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जनपद उन्नाव के विकास खंड औरास, हसनगंज, मियागंज तथा नवाबगंज में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित 74 प्राइमरी व 12 जूनियर हाई स्कूल भवनहीन हैं ।

शासन के पास ज्यों-ज्यों साधन उपलब्ध होते रहते हैं शासन द्वारा उसी के अनुसार बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित भवनहीन विद्यालयों के भवन निर्माण हेतु जनपदवार अनुदान की धनराशि स्वीकृत की जाती है । उक्त स्वीकृत धनराशि से उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 के प्राविधानों के अनुसार जिला बेसिक शिक्षा समिति द्वारा चयनित विद्यालयों के भवनों का ही निर्माण कराया जाता है । अतः, शासन द्वारा यह बताया जाना सभव नहीं है कि प्रश्नगत भवनहीन स्कूलों के भवन कब तक बन जायेंगे ।

उन्नाव जनपद के विकास खण्ड औरास तथा हसनगंज के स्कूलों में मानक से कम अध्यापक

59--श्री भीखा लाल--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्नाव जनपद में विकास खंड औरास तथा हसनगंज में कितने ऐसे प्राइमरी तथा जूनियर हाई स्कूल हैं जहां पर प्रति चालीस विद्यार्थियों पर एक अध्यापक के मानक से कम अध्यापक हैं और उनकी पूर्ति के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

विकास खंड औरास में 42 तथा हसनगंज मे 45 प्राइमरी विद्यालय ऐसे हैं जहां 1.40 के अनुपात से अध्यापक कम हैं । संसाधन उपलब्ध होने पर कमी की पूर्ति करने पर विचार किया जायेगा ।

उन्नाव जनपद के विकास खण्डों द्वारा आई० आर० डी० तथा स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान द्वारा वितरित ऋण व अनुदान

60--श्री भीखालाल--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्नाव जनपद के प्रत्येक विकास खंड में गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के लिए 31-12-82 तक कितने-कितने परिवारों को आई० आर० डी० स्कीम तथा स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के अन्तर्गत ऋण तथा अनुदान दिया गया और कुल कितना धन दिया गया ?

श्री बलराम सिंह यादव--

योजना के प्रारम्भ से 31-12-82 तक उन्नाव जनपद में आई० आर० डी० योजना के अन्तर्गत 16 विकास खण्डों में 49343 परिवारों को तथा स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत 11 विकास खण्डों में 371 परिवारों को विभिन्न बैंकों द्वारा क्रमशः रु० 520.695 लाख तथा रु० 10.456 लाख का ऋण वितरण

कराकर क्रमशः रु0 177.142 लाख तथा रु0 5.228 लाख के अनुदान का समायोजन किया गया। विकास खण्डवार विवरण संलग्न हैं।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 237 पर)

उन्नाव जनपद में ग्राम भानपुर से अमोइया मार्ग का निर्माण

61--श्री भीखालाल--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव के विकास खण्ड हसनगंज के अन्तर्गत ग्राम भानपुर से ग्राम अमोइया तक का मार्ग बनाये जाने की स्वीकृति खाद्य योजना के अन्तर्गत प्रदान की गयी थी ? यदि हां, तो उक्त मार्ग का कार्य क्या पूर्ण हो चुका है ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी हां, ग्राम अमोइया से भानपुर तक सम्पर्क मार्ग खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत वर्ष 1978-79 में स्वीकृत हुआ था। अमोइया के ग्रामीण कृषक श्री महाबीर व श्री गोविन्द प्रसाद पुत्रगण श्री गंगा सहाय तथा रजपाल सिंह पुत्र श्री छेदू सिंह निवासी अमोइया पोस्ट हसनगंज के हैं जिनके खेतों का कुछ भाग उक्त सम्पर्क मार्ग में पड़ रहा था। इन लोगों द्वारा विवाद उत्पन्न कर देने के कारण सम्पर्क मार्ग नहीं बन सका है।

विकास खण्ड चोपन, जनपद मिर्जापुर में आई0 आर0 डी0 व स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत ऋण वितरित न किये जाने सम्बन्धी शिकायती-पत्र

62--श्री भीखा लाल--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम करगरा, खरहरा, टापू खटहिया, जवारी, जमुगल, कनहरा, बड़गांव आदि विकास खंड चोपन, जिला मिर्जापुर के आदिवासियों तथा हरिजनों को स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान तथा आई0 आर0 डी0 स्कीम के अन्तर्गत कर्ज प्राप्त करने की कोई व्यवस्था विकास खंड द्वारा नहीं की जा रही है और इस सम्बन्ध में ग्रामवासियों ने जनवरी, 1983 में जिलाधिकारी, मिर्जापुर को प्रार्थना-पत्र दिया है ? यदि हां, तो उनको कर्ज दिलाने की क्या व्यवस्था की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव--

विकास खण्ड चोपन जनपद मिर्जापुर के सन्दर्भित गांवों के निवासियों में से आई0 आर0 डी0 योजना के अन्तर्गत ग्राम करगरा में दो अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को तथा स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत जमुगल में "एक" एवं नेवारी में "चार" अनुसूचित जाति के परिवारों को ऋण प्रदान किया गया है।

खरहरा, टापू, बड़गांव, घटहिया, और कनहरा ग्राम में बैंकों के न पहुंच पाने के कारण इन गांवों में किन्हीं व्यक्तियों को अभी तक लाभान्वित नहीं किया जा सका।

चोपन विकास खण्ड के कुछ व्यक्तियों द्वारा फरवरी, 1983 के प्रथम सप्ताह में आवेदन-पत्र दिया गया था, इस वर्ष पात्र व्यक्तियों का चयन करके विभिन्न व्यावसायिक बैंकों से ऋण दिलाये जाने की व्यवस्था की जा रही है।

बाल निलियम स्कूल, पन्त नगर से सम्बन्धित शिकायतों की जांच

63--श्री भीखालाल--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिनांक 8-5-79 को पन्तनगर कर्मचारी संगठन तथा स्कूल मैनेजमेन्ट कमेटी, पन्त नगर विश्वविद्यालय के अध्यक्ष एवं पन्तनगर विश्वविद्यालय के कुलसचिव के बीच कोई समझौता हुआ था कि बाल निलियम स्कूल पन्त नगर से सम्बन्धित शिकायतों की जांच बेसिक शिक्षा अधिकारी, नैनीताल द्वारा की जायगी ? यदि हां, तो क्या बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा जांच करके शिक्षा मन्त्रालय तथा कुल सचिव को जांच रिपोर्ट दे दी गयी ? यदि बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अभी तक जांच नहीं की गयी है, तो कब तक की जायेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

पन्तनगर कृषि एवं प्रोद्योगिक विश्वविद्यालय के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के वेतन में व्याप्त विषमताओं को दूर किये जाने के सम्बन्ध में समझौता

64--श्री भीखालाल--

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पन्त नगर कर्मचारी संगठन एवं पन्त नगर कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय प्रशासन के मध्य दिनांक 15-2-79 को कोई समझौता दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के वेतन में व्याप्त विषमताओं का शीघ्र निराकरण करने के सम्बन्ध में हुआ था ? यदि हां, तो इन विषमताओं को दूर करने के लिये विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक की जायेगी ?

श्री यशपाल सिंह--

पन्तनगर कर्मचारी संगठन एवं विश्वविद्यालय प्रशासन के मध्य दिनांक 15-2-79 को कोई समझौता नहीं हुआ था, बल्कि पन्तनगर कर्मचारी संगठन के प्रतिनिधियों एवं कुलपति के सचिव के मध्य एक बैठक हुयी थी तथा वार्ता का कार्यवृत्त तैयार किया गया था, जिसके अनुसार पशु अनुसंधान केन्द्र के दैनिक वेतन भोगी ग्वालों को पचास पैसा प्रतिदिन की वेतन वृद्धि तदर्थ रूप से दी जानी थी और वेतन सम्बन्धी अन्तिम निर्णय एनामली कमेटी द्वारा लिये जाते समय एनामली कमेटी में संगठन के प्रतिनिधियों को विसंगति बताने का अवसर दिया जाना था । दैनिक वेतन भोगी ग्वालों को उक्त सहमति के अनुसार 50 पैसा प्रतिदिन की वेतन वृद्धि दी जा चुकी है । अन्य तथा कथित विसंगतियों के सम्बन्ध में संगठन के प्रतिनिधियों द्वारा अभी तक कोई विवरण नहीं प्रस्तुत किया गया और न ही कोई विसंगतियां विश्वविद्यालय प्रशासन के सामने आई हैं । अतः इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है ।

पन्तनगर कर्मचारी संगठन द्वारा प्रस्तावित हड़ताल की वापसी एवं उनकी मांगों पर विचार

65--श्री भीखालाल--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पन्त नगर कर्मचारी संगठन, पन्त नगर, जिला नैनीताल ने अपने मांग पत्र दिनांक 26-3-81 में उल्लिखित मांगों को पूरा कराने हेतु दिनांक 21-4-81 से हड़ताल करने का नोटिस कुलपति, गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय को प्रेषित किया था जिसके फलस्वरूप कृषि मन्त्री एव राज्य गृह मन्त्री ने स्वयं पन्त नगर जाकर दिनांक 16-4-81 को कर्मचारी संगठन के प्रतिनिधियों से वार्ता करके मांगों पर शीघ्र कार्यवाही करने का आश्वासन दिया था और संगठन द्वारा प्रस्तावित हड़ताल वापस ले ली गई थी ?

श्री यशपाल सिंह--

पन्तनगर कर्मचारी संगठन द्वारा कुलपति को प्रस्तुत मांग-पत्र दिनांक 26-3-81 का नहीं था, बल्कि 29-3-81 का था, जिसमें 21-4-81 से हड़ताल करने की नोटिस दी गई थी। फलस्वरूप कृषि मंत्री एवं राज्य गृह मन्त्री ने स्वयं पन्तनगर जाकर दिनांक 16-4-81 को कर्मचारी संगठन के प्रतिनिधियों से वार्ता की एवं संगठन द्वारा प्रस्तावित हड़ताल वापस ले ली गई थी ।

66--श्री भीखालाल--

यदि हां, तो कृषि मन्त्री ने संगठन की किन-किन मांगों को पूरा कराने हेतु आश्वासन दिया था एवं इन आश्वासनों के अनुसार कर्मचारी संगठन की किन-किन मांगों पर अब तक कार्यवाही की गई ? यदि नहीं की गई तो क्यों और कब तक की जायगी ?

श्री यशपाल सिंह--

कृषि मन्त्री द्वारा कोई आश्वासन नहीं दिया गया था, बल्कि केवल दैनिक वेतन भोगी कृषक श्रमिकों के वेतन दर में राज्य के पश्चिमी क्षेत्र के लिए शासन द्वारा निर्धारित कृषक श्रमिकों के दैनिक न्यूनतम वेतनदर के बराबर करने हेतु विचार व्यक्त किया गया था। उन्होंने श्रम अशांति के वास्तविक हल के लिए उत्पादकता से सम्बद्ध उत्प्रेरक योजना बनाये जाने के सम्बन्ध में भी मत व्यक्त किया था ।

विश्वविद्यालय द्वारा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दैनिक न्यूनतम वेतन दर पर ही अब भुगतान किया जा रहा है और उत्पादकता से सम्बद्ध उत्प्रेरक योजनान्तर्गत 10 प्रतिशत अतिरिक्त वेतन का भुगतान किया जा रहा है ।

पन्त नगर कृषि एव प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के लिए सेवा शर्तें (स्टैंडिंग आर्डर) लागू किए जाने का प्रस्ताव

67--श्री भीखालाल--

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 30-4-80 को पन्त नगर कर्मचारी संगठन एवं पन्त नगर कृषि एव प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पन्त नगर के मध्य एक समझौता हुआ था जिसके आधार पर निर्धारित अवधि के अन्दर सभी

कर्मचारियों के लिये सेवा शर्तें (स्टैंडिंग आर्डर) ऐक्ट के प्रारूप में तैयार करके सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित कराकर लागू कर दी जानी थी ? यदि हां, तो क्या सेवा शर्तें तैयार करके विधिवत प्रमाणित करा ली गई हैं ? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक करा ली जायेगी ?

श्री यशपाल सिंह—

जी हां ।

इन्डस्ट्रियल इम्प्लायमेन्ट (स्टैंडिंग आर्डर) ऐक्ट के प्राविधान विश्वविद्यालय कर्मचारियों पर लागू नहीं होते हैं, इसलिए इनके सम्बन्ध में स्थायी आदेश नहीं बनाये गये और न उन्हें प्रमाणीकरण हेतु प्रस्तुत किया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

68—श्री भीखा लाल—

[2रे बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 42 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

राजकीय बालिका इन्टर कालेज, उन्नाव में लिपिक पद पर हरिजन कर्मचारी को प्रोन्नत न किये जाने की शिकायत

69—श्री भीखालाल—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय बालिका इन्टर कालेज, उन्नाव में लिपिक वर्ग में कोई हरिजन लिपिक नहीं है ? क्या मास जनवरी अथवा फरवरी, 1983 में चतुर्थ श्रेणी से कम योग्यता प्राप्त अभ्यर्थी की प्रोन्नति लिपिक पद पर की गई है जबकि चतुर्थ श्रेणी में उससे उच्च योग्यता प्राप्त हरिजन अभ्यर्थी उपलब्ध थे ? यदि हां, तो हरिजन अभ्यर्थी को प्रोन्नत न करने का क्या कारण है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनता इण्टर कालेज, परसौना (एटा) के अध्यापकों की सी0 डी0 एस0 की काटी गई धनराशि

70—श्री पंचानन राय—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनता इण्टर कालेज, परसौना (एटा) के अध्यापकों के वेतन में से काटी गई सी0 डी0 एस0 की लगभग बत्तीस हजार रुपये की राशि सम्बन्धित खातों में जमा नहीं की गई ? यदि हां, तो इस राशि को ब्याज सहित अध्यापकों को वापस दिलाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

महबूब अली हायर सेकेन्डरी स्कूल, इलाहाबाद में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र की जांच

71--श्री पंचानन राय--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे की महबूब अली हायर सेकेन्डरी स्कूल, इलाहाबाद में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में शिक्षकों का शिकायती-पत्र दिनांक 20-3-80 शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो प्रमख शिकायतें क्या हैं ? उनकी जांच किस अधिकारी से कराई गई है ? जांच के क्या परिणाम निकले हैं तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां ।

प्रमुख शिकायतें निम्नवत् हैं :--

(1) विद्यालय की धनराशि का दुरुपयोग ।

(2) अचल सम्पत्ति को अपने प्रयोग में लिया जाना ।

(3) विद्यालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से निजी कार्य (घरेलू) लिया जाना ।

(4) प्रबन्धक द्वारा अध्यापकों/कर्मचारियों को परेशान किया जाना ।

प्रकरण पर यथोचित कार्यवाही हेतु शिक्षा निदेशक को निर्देशित किया गया है ।

तुलसी संस्कृत महाविद्यालय, राजापुर बांदा को बिना पंजीकृत किए हुए दिया गया सरकारी अनुदान

72--श्री पंचानन राय--

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि तुलसी संस्कृत महाविद्यालय, राजापुर, बांदा 1915 से स्थापित है और इसकी व्यवस्था करने वाली समिति रजिस्ट्रार चिट फंड व सोसाइटीज द्वारा पंजीकृत नहीं थी फिर भी इसे सरकारी अनुदान मिलता था ? यदि हां, तो इसका पंजीकरण कब हुआ और पंजीकरण के बाद कौन से पदाधिकारी मान्य किये गये ? क्या यह सही है कि पंजीकरण के बाद जो पदाधिकारी मान्य किये गये वह इससे पहले उस संस्था के पदाधिकारी नहीं थे ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां ।

इस संस्था का संचालन पंजीकृत तुलसी स्मारक सभा, कर्वी बांदा के अन्तर्गत होता था और इसी सभा के माध्यम से संस्था को सरकारी अनुदान मिलता था । इसके लिये रजिस्ट्रार चिट्स फंड सोसाइटीज द्वारा पंजीकृत अलग से कोई समिति गठित नहीं थी । संस्कृत महाविद्यालय के नाम से एक नवीन पंजीकरण 20 जनवरी, 1983 को कराया गया किन्तु प्रबन्धकीय स्थिति स्पष्ट न होने के कारण किसी को मान्यता नहीं दी गयी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

स्व0 श्री ठाकुर प्रसाद राय, ग्राम्य विकास अधिकारी बेलघाट गोरखपुर के आश्रितों को परिवारिक पेंशन

73—श्री पंचानन राय—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृप करेंगे कि श्री ठाकुर प्रसाद राय, ग्राम्य विकास अधिकारी, बेलघाट, गोरखपुर जिनकी कार्यरत रहते हुए 10 जुलाई, 1982 को मृत्यु हो गयी, के आश्रितों को परिवारिक पेंशन का भुगतान किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो यह भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ? क्या इनके पुत्र को कोई नौकरी दी गयी है ? यदि नहीं, तो उसे कब तक नौकरी दे दी जायेगी ?

श्री बलराम सिंह यादव—

स्व0 ठाकुर प्रसाद राय के आश्रितों को पारिवारिक पेंशन का भुगतान अभी नहीं किया गया है क्योंकि पेंशन स्वीकृत करने हेतु पेंशन प्रपत्र, दिनांक 17 फरवरी, 1983 को महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को भेज दिये गये हैं अभी उनकी स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है । स्वीकृति प्राप्त होने पर पारिवारिक पेंशन का भुगतान कर दिया जायेगा स्व0 श्री ठाकुर प्रसाद राय के पुत्र को नौकरी दे दी गई है ।

ग्राम सभा समसापुर (औरंगाबाद) जनपद सीतापुर में गर्रा झील पर पुल निर्माण के सम्बन्ध में व्यय की गयी धनराशि

74—श्री पंचानन राय—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के दूसरे सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 179 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गर्रा झील के प्रश्नगत पुल के निर्माण में कुल कितनी धनराशि व्यय हुई तथा इसको पूरा किये जाने के लिए और कितनी धनराशि की आवश्यकता है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

प्राप्त सूचना के अनुसार उक्त पुल पर रु0 6,464 की धनराशि व्यय हो चुकी है । इसको पूरा करने हेतु रु0 12,000 की धनराशि की और आवश्यकता होगी ।

एस0 के0 पी0 इंटर कालेज, आजमगढ़ के कतिपय शिक्षकों के अनियमित भुगतान की शिकायत पर कृत कार्यवाही

75—श्री पंचानन राय—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के प्रथम सोमवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 16 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 5 नवम्बर, 1981 तक कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण हैं तथा 15 अप्रैल, 1983 तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

76--श्री पंचानन राय--

[माननीय सदस्य ने वापस ले लिया ।]

गांधी स्मारक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गाजीपुर के प्रबन्धाधिकरण द्वारा संस्था की भूमि की बिक्री की धनराशि

77--श्री पंचानन राय--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के प्रथम सोमवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 30 के उत्तर के संदर्भ में क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि भूमि की बिक्री किस तारीख को की गयी और इस विद्यालय के खाते में कब पैसा जमा किया गया ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

तीन बिस्वा भूमि दिनांक 21 अक्तूबर, 1980 को, 15 धूर भूमि दिनांक 17 जनवरी, 1981 को बिक्री की गयी है और प्राप्त धनराशि विद्यालय के खाते में क्रमशः दिनांक 22 अक्तूबर, 1980 एवं 20 जनवरी, 1981 को जमा की गई है ।

श्री विश्वनाथ प्रसाद रस्तोगी, प्रवक्ता, अर्थशास्त्र, श्री गांधी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कछवा, मिर्जापुर के अवशेष का भुगतान

78--श्री पंचानन राय--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के प्रथम सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 27 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 91956 रु0 50 पैसे के भुगतान पर न्यायालय द्वारा कोई रोक न होने तथा न्यायालय द्वारा उसके भुगतान के निर्णय के होते हुए भुगतान क्यों नहीं किया जा रहा है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय, बहराइच द्वारा रेडक्रास खाते की धनराशि की गबन में दोषी कर्मचारी के विरुद्ध की गयी कार्यवाही

79--श्री पंचानन राय--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के दूसरे सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 169 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि रेडक्रास खाते में गबन की गयी 82,378.28 रु0 की धनराशि के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? क्या स्काउटिंग एवं जनपदीय युवक समारोह के कोष का आडिट कराया गया ? यदि हां, तो उसमें कितना गबन पाया गया और उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जिला विद्यालय निरीक्षक के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई क्योंकि वे दोषी नहीं पाये गये । गबन के लिये श्री राम राज, कनिष्ठ लिपिक, कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक, बहराइच दोषी पाये गये हैं । उन्हें दिनांक 29 जनवरी, 1982 से निलम्बित कर दिया गया है और उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अशासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत पुस्तकालयाध्यक्षों एवं उप पुस्तकालयाध्यक्षों को प्रवक्ता वेतनमान देने पर विचार

80--श्री पंचानन राय--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार अशासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत पुस्तकालयाध्यक्षों एवं उप पुस्तकालयाध्यक्षों को शारीरिक शिक्षा अधीक्षकों की भांति प्रवक्ता वेतनमान देने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो इस पर कब तक निर्णय ले लिया जायेगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां ।

यथासमय निर्णय ले लिया जायगा ।

स्व0 श्रीमती शान्ती देवी, सहायक अध्यापिका प्राइमरी पाठशाला बिल्ला का पुरा, जौनपुर के आश्रितों को नौकरी

81--श्री पंचानन राय--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि श्रीमती शान्ती देवी जो प्रा0 पाठशाला बिल्ला का पुरा, विकास खण्ड केराकत, जनपद जौनपुर में सहायक अध्यापिका थी और जिनकी कार्यरत रहते हुए दिनांक 21-9-82 को मृत्यु हो गयी, के आश्रितों को शासन के आदेश के अनुसार सेवा में लिया गया है ? यदि नहीं, तो कब तक ले लिया जायगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां ।

पद रिक्त न होने के कारण मृतक के आश्रित की नियुक्ति नहीं हुई है । निश्चित रूप से यह बताना सम्भव नहीं है कि मृतक के आश्रित को कब तक सेवा में ले लिया जायेगा ।

श्री अमर नाथ सिंह अवकाश प्राप्त अध्यापक राजकीय इन्टर कालेज जखनी, वाराणसी के अवशेष का भुगतान

82--श्री पंचानन राय--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के दूसरे सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 120 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री अमर

नाथ सिंह द्वारा किन-किन औपचारिकताओं की पूर्ति नहीं की गयी है तथा इसे पूरा कराने के लिए क्या प्रयास किये गये ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

स्वर्गीय श्री ठाकुर प्रसाद राय, ग्राम्य विकास अधिकारी, बेलघाट, गोरखपुर के अवशेषों का भुगतान

83--श्री पंचानन राय--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि श्री ठाकुर प्रसाद राय, ग्राम विकास अधिकारी, बेलघाट, गोरखपुर की कार्यरत रहते हुए 10-7-82 को मृत्यु हो गयी ? यदि हां, तो क्या उनके आश्रितों को सामूहिक जीवन बीमा, जी0 पी0 एफ0, ग्रेच्युटी तथा छुट्टी के अवशेष वेतन का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो यह भुगतान कब तक कर दिया जाएगा ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी हां, उनके आश्रितों को जी0 पी0 एफ0 में जमा धन तथा सामूहिक बीमा योजना में जमा धन का भुगतान कर दिया गया है कुछ अवकाश सम्बन्धी वेतन का भी भुगतान कर दिया गया है । केवल कुछ अवधि का अवकाश जो सेवा पुस्तिका पेन्शन के सम्बन्ध में महालेखाकार उत्तर प्रदेश इलाहाबाद को भेज दिये जाने के कारण सेवा पुस्तिका के अभाव में नहीं किया जा सका है, जिसको सेवा पुस्तिका प्राप्त होने पर कर दिया जायेगा । ग्रेच्युटी का भुगतान भी महालेखाकार की स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण अभी तक नहीं किया जा सका है ।

डिग्री कालेज गाजीपुर के शुल्काय का वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी उच्च शिक्षा निदेशालय के खाते में जमा कम धनराशि

84--श्री पंचानन राय--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के पहले सोमवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 109 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ने अपने अ0 शा0 पत्र दिनांक 18 दिसम्बर, 1982 द्वारा विद्यालय के प्रबन्धक को यह सूचित किया था कि केवल शुल्काय का वेतन संकाय खाते में 243899 रु0 75 पैसा कम जमा है तथा इसके अतिरिक्त और भी गम्भीर आपत्तियां हैं ? यदि हां, तो इन अनियमितताओं के रहते हुए अधिनियम की धारा 57-58 के अन्तर्गत कार्यवाही न किये जाने का क्या औचित्य है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां ।

वेतन संकाय खाते में जो धन कम जमा किया गया था, वह स्थिति अब नहीं रह गई है । अतएव अधिनियम की धारा 57-58 के अन्तर्गत कार्यवाही के आधार नहीं बनते हैं ।

श्री रामनाथ इन्टर कालेज रुझई के विरुद्ध अनियमितताओं की शिकायत पर जांच एवं शिकायत

85—श्री पंचानन राय—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के प्रथम सोमवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 29 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शिकायतकर्ता कौन थे तथा जांच के समय क्या उन्हें साक्ष्य का अवसर दिया गया ? यदि नहीं, तो शिकायतों में कोई बल न पाये जाने का क्या आधार है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

शिकायतकर्ता श्री सांवले सिंह, सहायक अध्यापक, आर० एन० इन्टर कालेज, रुझई, उन्नाव थे ।

उपलब्ध अभिलेखों से ऐसा प्रतीत नहीं होता कि जांच के दौरान साक्ष्य के लिये शिकायतकर्ता को बुलाया गया हो । जांच के परिणामस्वरूप शिकायतों में बल नहीं पाया गया ।

जनता इण्टर कालेज अहिरौला आजमगढ़ में साधिकार नियन्त्रक की नियुक्ति

86—श्री पंचानन राय—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के प्रथम सोमवार के तारांकित प्रश्न संख्या 1 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उक्त विद्यालय में नियुक्त साधिकार नियन्त्रक को हटा दिया गया है ? यदि हां, तो नियुक्ति के समय की अनियमिततायें क्या समाप्त हो गई हैं ? यदि नहीं तो साधिकार नियन्त्रक को हटाने का क्या कारण है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां ।

प्रश्न के शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता ।

हिन्दू कन्या इण्टर कालेज शामली में अनियमितताओं सम्बन्धी शिकायती पत्र

87—श्री पंचानन राय—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर के हिन्दू कन्या इण्टर कालेज, शामली में हो रही अनियमितताओं व कुप्रबन्ध से सम्बन्धित सरकार को फरवरी, 1981 से 15-2-83 तक जो शिकायती-पत्र प्राप्त हुए हैं तथा सम्पादक 'शोषित की आवाज' शामली का शिकायती-पत्र दिनांक 25-1-83 पर, क्या कोई कार्यवाही की गई है ? माध्यमिक शिक्षा संशोधन अधिनियम की धारा 16-घ (8) के अन्तर्गत कार्यवाही करने में सरकार को क्या कठिनाई है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग में मुख्य अभियन्ता के पद पर कनिष्ठ अधिकारी की नियुक्ति

88—श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग के मुख्य अभियन्ता के पद पर किन कारणों से सिंचाई विभाग के कनिष्ठ अधिकारी की नियुक्ति की गई है ? इस पद पर सार्वजनिक निर्माण विभाग के वरिष्ठ अधिकारी की नियुक्ति कब तक कर दी जायगी ?

श्री बलराम सिंह यादव—

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग के मुख्य अभियन्ता के पद पर केवल तदर्थ व्यवस्था की गई है । नियमित नियुक्ति के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है ।

जनपद लखनऊ के ग्राम लीला खेड़ा में जूनियर हाई स्कूल खोले जाने की मांग

89—श्री मित्रसेन—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम लीलाखेड़ा थाना व डाकखाना काकोरी, जनपद लखनऊ के ग्रामवासियों का एक प्रार्थना-पत्र ग्राम में जूनियर हाई स्कूल स्तर का विद्यालय चालू करने तथा उसका भवन निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में श्री धनीराम सिंह नेगी एम0 एल0 सी0 व श्री मान्धाता सिंह एम0 एल0 सी0 के पत्रों सहित उन्हें दिनांक 5-4-83 व 12-4-83 को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो सरकार ने उस पर अब तक क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

ग्राम लीलाखेड़ा, जनपद लखनऊ के स्कूल के भवन के निर्माण के सम्बन्ध में माननीय श्री धनीराम सिंह नेगी, सदस्य विधान परिषद्, उ0 प्र0 को उनके प्रश्नगत पत्र के उत्तर में आवश्यक जानकारी दिनांक 8 जुलाई, 1983 के पत्र में दे दी गई है । इस सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी श्री मान्धाता सिंह, सदस्य विधान परिषद्, उ0 प्र0 को भी, दिनांक 5 सितम्बर, 1983 के पत्र में दी जा चुकी है ।

ग्राम में जूनियर हाई स्कूल स्तर का विद्यालय खोले जाने आदि के सम्बन्ध में माननीय विधायकों के पत्रों की प्रतिलिपियां जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, लखनऊ को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाई हेतु भेज दी गई हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

90—श्री पंचानन राय—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

श्री राम लाल मिश्र, अवकाश प्राप्त प्रधानाचार्य, ग्राम स्वावलम्बी इन्टर कालेज, रनिवा, फैजाबाद को पी0 एफ 0 एवं पेन्शन का भुगतान

91–श्री पंचानन राय––

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के चौथे सोमवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 164 के उत्तर के सदर्भ में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम लाल मिश्र कब सेवा निवृत्त हुए थे ? विद्यालय की क्या–क्या सामग्री उनके पास है जिसका चार्ज उन्होंने नहीं दिया है । प्रबन्धक द्वारा उन्हें किस दिनांक को पंजीकृत पत्र भेजा गया और उसका उन्होंने क्या उत्तर दिया ? सेवा निवृत्ति के सात वर्ष तक पी0 एफ0 एवं पेन्शन के भुगतान को न करने का क्या कारण है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी––

सूचना एकत्र की जा रही है ।

92–93–श्री पंचानन राय––

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

श्रीमती तारावती सक्सेना सेवा निवृत्त सहायक अध्यापिका, महात्मा गांधी बालिका विद्यालय इन्टर कालेज, फिरोजाबाद, आगरा को पेन्शन का भुगतान

94–श्री पंचानन राय––

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के चौथे सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 168 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वेतन निर्धारण मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका द्वारा किया जाता है या विद्यालय द्वारा सेवा निवृत्ति के पांच साल बाद भी पेन्शन का भुगतान न किए जाने का क्या औचित्य है और यह भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी––

सूचना एकत्र की जा रही है ।

झांसी नगर के गैर सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में प्रबन्ध समिति के अनियमित पदाधिकारी एवं उनकी जांच तथा जांच कर्ता के विरुद्ध की गई कार्यवाही

95–श्री पंचानन राय––

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के चौथे सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 154 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नियम विरुद्ध गठित प्रबन्ध समिति को फरवरी, 1980 में किस जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा मान्यता प्रदान की गई ? उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? सन्दर्भित तीनों विद्यालयों के विरुद्ध 15 अप्रैल, 1983 तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक, झांसी डा0 वेदपति मिश्र द्वारा ।

बाद में जिला विद्यालय निरीक्षक, झांसी ने दिनांक 19-5-1981 को इसे रद्द कर दिया ।

अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है ।

संदर्भित तीनों विद्यालयों में नियमों में नियमानुसार प्रबन्ध समिति का चुनाव, दिनांक 7-9-1982 तथा 8-5-1983 को सम्पन्न हो गया ।

क्षेत्राधिकारियों द्वारा प्रबन्ध समिति के गठन सम्बन्धी अनियमितता के आधार पर कोई कार्यवाही प्रस्तावित नहीं की गई । केवल सरस्वती पाठशाला इण्डस्ट्रियल इन्टर कालेज, झांसी के विरुद्ध अन्य अनियमितताओं के संदर्भ में 16-डी(2) की कार्यवाही विचाराधीन है ।

गांधी विद्या निकेतन इण्टर कालेज बूढ़पुर रमोला मेरठ के प्रबन्धक को दी गयी नोटिस एवं उनका उत्तर

96—श्री पंचानन राय—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के दूसरे सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 119 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि माध्यमिक शिक्षा अधिनियम की धारा 16-घ की उपधारा 2 के अन्तर्गत नोटिस किस दिनांक को दी गयी ? उत्तर कब प्राप्त हुआ तथा उसके उपरान्त क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

गांधी विद्या निकेतन इन्टर कालेज, बूढ़पुर रमोला, मेरठ के प्रबन्धक को शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के पत्र, दिनांक 3-12-82 द्वारा इन्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम की धारा 16 घ (2) के अन्तर्गत नोटिस दी गयी जिस पर प्रबन्धक का उत्तर तथा जिला विद्यालय निरीक्षक, मेरठ की आख्या, दिनांक 21-6-83 को मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, मेरठ को भेज दी गई ।

राजकीय केन्द्रीय अध्यापन विज्ञान संस्थान, इलाहाबाद में स्थापित उपचारात्मक शिक्षा इकाई के अन्तर्गत सृजित पदों का स्थायीकरण

97—श्री पंचानन राय—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के दूसरे सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 132 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मूल्यांकन में योजना को उपयोगी पाये जाने के बाद भी 1970 में सृजित पदों के अब तक स्थायी न किये जाने के क्या प्रमुख कारण हैं ? इन पदों को कब तक स्थायी कर दिया जायेगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

राजकीय केन्द्रीय अध्यापन विज्ञान संस्थान, इलाहाबाद में स्थापित उपचारात्मक शिक्षा इकाई के अन्तर्गत सृजित पदों को स्थायीकरण शासनादेश संख्या 1203/15-(13)-82-1411/69, दिनांक 18 मई, 1983 द्वारा किया जा चुका है ।

जनपद आजमगढ़ के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के भवनों की मरम्मत पर स्वीकृत अनुदान के सम्बन्ध में दी गयी गलत सूचना पर दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही

98— श्री पंचानन राय—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के दूसरे सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 168 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा के प्रथम सत्र 1981 के पहले मंगलवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 91 के उत्तर में असत्य सूचना देने के लिए कौन से अधिकारी और कर्मचारी दोषी पाये गये तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

भ्रमवश त्रुटि के लिये पहले ही खेद प्रकट कर दिया गया है ।

विकास खण्ड अजमतगढ़ में चक रजाक से मटौली मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में कथित पत्र

99—श्री पंचानन राय—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के दूसरे सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 178 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता के पत्र, दिनांक 18-1-82 के प्राप्त होने के सन्दर्भ में जानकारी प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बलराम सिंह यादव—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के दूसरे सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 178 में माननीय सदस्य के पत्र की तिथि 28 जनवरी, 1982 इंगित की गई है ।

जिला विकास अधिकारी आजमगढ़ से प्राप्त सूचना के अनुसार उक्त पत्र प्राप्त नहीं हुआ है फलस्वरूप कोई कार्यवाही नहीं हुई है ।

शिक्षा विभाग के राजपत्रित अधिकारियों की वरिष्ठता सूची

100—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या शिक्षा विभाग के राजपत्रित अधिकारियों की वरिष्ठता सूची बनाई गयी है ? यदि हां, तो क्या इस वरिष्ठता सूची को अधिकारियों के बीच प्रसारित एवं प्रचारित किया गया तथा उन्हें अवसर दिया गया है कि इस सम्बन्ध में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी नहीं ।

वर्ष 1972 में सर्वोच्च न्यायालय के एक स्थगन आदेश के कारण समूह 'क' के पदों पर अभी तक नियमित चयन नहीं कराया जा सका है और तद्कारण नीचे के पदों पर अधिकारियों का लियेन बने रहने के कारण उन पर भी नियमित चयन नहीं हो पाया है । फलस्वरूप विभागीय पदोन्नति कोटे के अधिकारियों की पारस्परिक ज्येष्ठता निर्धारित किया जाना सम्भव नहीं हो सका ।

ग्राम सभा सनसापुर जनपद सीतापुर के नागरिकों का गर्रा झील के अधूरे पुल के निर्माण के सम्बन्ध में पत्र

101—श्री पंचानन राय—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के दूसरे सोमवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 179 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या ग्राम विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नगत पत्र के प्राप्त होने तथा उस पर की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त हो गई है ? यदि हां, तो उसका पूरा विवरण क्या है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जिलाधिकारी सीतापुर से प्राप्त सूचना के अनुसार उक्त पत्र प्राप्त हुआ है और उसकी जांच कराई गई है । जांच परिणाम की सूचना जिलाधिकारी से अभी प्रतीक्षित है ।

आजमगढ़ के ब्लाक मार्टिनगंज के ग्राम सुहरन में नालियों का निर्माण न कराये जाने से मकानों को क्षति

102—श्री पंचानन राय—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के दूसरे सोमवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 170 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या ग्राम विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नाली के निर्माण के प्रश्न पर दो पक्षों में विवाद कब हुआ ? किस अधिकारी द्वारा नाली के निर्माण का प्रयास किया गया था ? क्या उसने विवाद के सम्बन्ध में पुलिस को कोई सूचना दी ?

श्री बलराम सिंह यादव—

ग्राम सुहरन विकास खण्ड मार्टिनगंज में नाली निर्माण के सम्बन्ध में जुलाई, 1978 के पहले से ही विवाद है । जनवरी, 1983 में खण्ड विकास अधिकारी मार्टिनगंज ने नाली निर्माण का प्रयास किया, परन्तु पुनः विवाद के कारण कोई कार्य नहीं हो सका । परगनाधिकारी फूलपुर ने निर्माण स्थल पर विवाद के निस्तारण तथा दोनों पक्षों में सुलहनामें का प्रयास किया गया । सुलहनामें के प्रयास के कारण पुलिस को कोई सूचना नहीं दी गई ।

ग्राम खालिसपुर जनपद आजमगढ़ के प्राइमरी पाठशाला की छत गिरने सम्बन्धी श्री एनुल हक प्रधान के पत्र पर शिक्षा निदेशक द्वारा जांच

103—श्री पंचानन राय—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के दूसरे सोमवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 148 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा निदेशक को जांच के आदेश किस तिथि को दिये गये थे ? जांच आख्या उन्हें कब देने को कहा गया है ? क्या जांच आख्या प्राप्त हो गई है ? यदि हां, तो वह क्या है और उसके आधार पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

शासन के पत्र दिनांक 27-12-80 द्वारा शिक्षा निदेशक को जांच के आदेश दिये गये थे। इसमें आख्या देने के लिए कोई तिथि निर्दिष्ट नहीं की गई थी। शिक्षा निदेशक से अभी आख्या नहीं प्राप्त हुई है।

रतन सेन महाविद्यालय, बांसी, बस्ती की आडिट रिपोर्ट में आपत्तियां

104--श्री पंचानन राय--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के दूसरे सोमवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 123 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आडिट रिपोर्ट में क्या-क्या आपत्तियां हैं और उनके आधार पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

प्रश्न संख्या 123 के उत्तर में उल्लिखित बिन्दुओं का आडिट कराया गया जिसमें पाई गई आपत्तियों का संक्षिप्त विवरण संलग्न है।

आडिट रिपोर्ट अनुपालन हेतु महाविद्यालय को 22-10-82 को भेजी गई है। किन्तु अनुपालन आख्या महाविद्यालय से स्मरण कराने के पश्चात् भी अभी प्राप्त नहीं हुई है।

(देखिए नत्थी "ङ" आगे पृष्ठ 239 पर)।

श्री हरिकेश राय परिचारक जूनियर हाई स्कूल कटिहारी, जनपद आजमगढ़ की नियुक्ति एवं उनका वेतन

105--श्री पंचानन राय--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के तीसरे सोमवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 160 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री हरिकेश राम के पिता पूर्णकालिक कर्मचारी थे या अंशकालिक ? अगस्त, 1974 में जो पूर्णकालिक कर्मचारी इन श्रेणी के विद्यालयों में काम करते थे इन्हें क्या वेतन दिया जाता था ? यदि नियुक्ति अवैध थी तो इन्हें 1974 से वेतन का भुगतान क्यों किया जा रहा था ? नियुक्ति अवैध होने का क्या आधार है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है।

फर्रुखाबाद के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को जी0 पी0 एफ0 की लेखा पर्ची

106--श्री पंचानन राय--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद में किन-किन सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को दिसम्बर, 1982 तक काटे गये

जी0 पी0 एफ0 की लेखा पर्ची उपलब्ध करा दी गयी है तथा किन-किन विद्यालयों में उपलब्ध नहीं करायी गयी है ? इसके क्या कारण हैं तथा नियमित रूप से उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

फर्रुखाबाद जनपद में कुल 99 सहायता प्राप्त विद्यालय हैं उनमें से 17 विद्यालयों के शिक्षकों को जी0 पी0 एफ0 की लेखा पर्ची उपलब्ध करा दी गयी है तथा 82 विद्यालयों की लेखापर्ची अभी उपलब्ध नहीं कराई जा सकी है। क्रमशः इनकी सूची† "क" तथा "ख"† संलग्न है। लेखा पर्ची उपलब्ध न कराये जाने का कारण प्रबन्धकों की उदासीनता है। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित विद्यालयों के प्रबन्धकों को वांछित निर्देश दे दिये गये हैं।

107—श्री पंचानन राय—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त।]

फर्रुखाबाद के कतिपय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के पी0 एफ0 की धनराशि का जी0 पी0 एफ0 में स्थानान्तरण

108—श्री पंचानन राय—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जनपद के किन-किन सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में पी0 एफ0 की पूरी धनराशि जी0 पी0 एफ0 में स्थानान्तरित नहीं की गयी है ? इसके क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

निम्न विद्यालयों में अभी तक पी0 एफ0 की पूरी धनराशि जी0 पी0 एफ0 में स्थानान्तरित नहीं की गई है :—

1—आर0 एस0 इण्टर कालेज, मेरापुर।

2—प्रेम विद्यालय उ0 मा0 वि0, रैसेपुर।

3—स्वामी राम प्रकाश आदर्श उ0 मा0 वि0, तिरहा मुरास।

4—स्वामी दीन बन्धु उ0 मा0 वि0, सिरौली।

5—आदर्श उ0 मा0 विद्यालय, बवना।

6—आर0 के0 चतुर्वेदी उ0 मा0 वि0, सिकन्दरपुर।

7—दयानन्द इन्टर कालेज, अमृतपुर।

8—सर्वोदय उ0 मा0 वि0, पिपरगांव।

9—पुरुषोत्तम सिंह इण्टर कालेज, राजेन्द्रनगर।

10—फिरोज गांधी इण्टर कालेज, कमालगंज।

† छापी नहीं गयी।

11--बाबूराम उ0 मा0 वि0, मोहम्मदाबाद ।

12--आदर्श जनता उ0 मा0 वि0, खिमशेपुर ।

13--भारतीय महात्मा गांधी उ0 मा0 वि0, नीमकरौरी ।

14--गंगापार महात्मा गांधी उ0 मा0 वि0, राजेपुर ।

15--सिटी मिशन गर्ल्स उ0 मा0 वि0, फर्रुखाबाद ।

16--जवाहर लाल नेहरू उ0 मा0 वि0, हुसेनपुर ।

17--जनता उ0 मा0 वि0, कुआखेड़ा खास ।

18--आदर्श जनता इन्टर कालेज, व्यासपुर ।

19--आदर्श जनता इण्टर कालेज, खडिनी ।

20--भारतीय उ0 मा0 वि0, कायमपुर सौरिख ।

21--एम0 एम0 उ0 मा0 वि0, कन्नौज ।

22--सुभाष उ0 मा0 वि0, नैरा ।

23--सुशीला शर्मा विज्ञान मन्दिर उ0 मा0 वि0, गदनापुर जसपुरापुर ।

24--भारतीय इण्टर कालेज, मतौली ।

इसका कारण प्रबन्धाधिकरणों की उदासीनता है ।

जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा इस सम्बन्ध में शीघ्र कार्यवाही हेतु निर्देश दिये गये हैं ।

श्री रमा शंकर पांडेय तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक, बस्ती के विरुद्ध आरोपों की जांच आख्या

109--श्री पंचानन राय--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के दूसरे सोमवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 42 के उत्तर के संदर्भ में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री रमाशंकर पान्डेय तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक, बस्ती के विरुद्ध आरोपों के सम्बन्ध में विस्तृत जांच आख्या प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो वह क्या है और उस पर कार्यवाही क्या की गयी है ? यदि नहीं, तो क्या कोई अन्तरिम जांच आख्या प्राप्त हुई है और वह क्या है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां, जांच आख्या के संतोषजनक न पाये जाने के कारण पुनः जांच कराई जा रही है जिसकी आख्या प्रतीक्षित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अपूर्ण जांच आख्या प्राप्त हुई थी और अपूर्ण होने के कारण उसके सम्बन्ध में जानकारी देना जनहित में नहीं है ।

110—श्री पंचानन राय—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।]

आजमगढ़ के शिक्षकों के जिला मंत्री श्री राम जन्म सिंह द्वारा शिक्षा निदेशक को दी गयी शिकायतों पर कार्यवाही

111—श्री पंचानन राय—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के आठवें सोमवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 197 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सन्लग्न 12 शिकायतों के सन्दर्भ में अलग-अलग क्या निर्णय लिये गये हैं तथा शेष आठ प्रकरणों का निस्तारण कब तक कर दिया जायेगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

112—श्री पंचानन राय—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।]

जनपद आजमगढ़ के विकास खन्ड तहबरपुर में नवादा-बीबीपुर मार्ग पर साइफन का निर्माण

113—श्री पंचानन राय—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के आठवें सोमवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 189 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यदि तकनीकी दृष्टि से पुलिया की आवश्यकता नहीं थी तो पहले इस स्थान पर पुलिया क्यों बनायी गयी थी ? पुलिया का निर्माण किस अधिकारी की संस्तुति पर किस अधिकारी द्वारा कराया गया था ? उसे साइफन में परिवर्तित करने का निर्णय किस अधिकारी द्वारा किया गया ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जनपद आजमगढ़, विकास खंड तहबरपुर में नेवादा-बीबीपुर मार्ग पर ग्राम नेवादा में तकनीकी दृष्टिकोण से साइफन की ही आवश्यकता थी और तद्नुसार स्वीकृत आगणन में साइफन बनाने का प्राविधान मूल रूप में किया गया था जिसे दो चरणों में पूर्ण कराया गया । प्रथम चरण में साइफन का निर्माण पुलिया स्तर तक कराया गया तथा द्वितीय चरण में टैंक बनाकर अपूर्ण निर्माण कार्य पूर्ण कराया गया न कि पुलिया को साइफन में परिवर्तित किया गया ।

साइफन का निर्माण जो मूल आगणन में ही प्रस्तावित था, श्री दीनानाथ अधिशासी अभियन्ता द्वारा स्वीकृत किया गया था जिसके अनुसार निर्माण कार्य श्री नन्द कुमार तथा श्री संतोष राय सहायक अभियन्ताओं द्वारा कराया गया । मूल प्रस्ताव में कोई परिवर्तन नहीं किया गया ।

अतर्रा डिग्री कालेज अतर्रा (बांदा) के बी0 एड0 विभाग में श्री डी0 एस0 श्रीवास्तव को विभागाध्यक्ष बनाये जाने की जांच पर की गयी कार्यवाही

114—प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सितम्बर, 1977 में शासन द्वारा गठित बुन्देलखंड विश्वविद्यालय जांच आयोग ने अतर्रा डिग्री कालेज, अतर्रा (बांदा)

बी0 एड0 विभाग में श्री डी0 एस0 श्रीवास्तव को अवैधानिक रूप से विभागाध्यक्ष बनाये जाने की रिपोर्ट की है ? यदि हां, तो अब तक अवैधानिक विभागाध्यक्ष के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां ।

1-1-73 से शासन द्वारा विभागाध्यक्ष के पद समाप्त कर दिये गये हैं । श्री डी0 एस0 श्रीवास्तव की ज्येष्ठता के प्रश्न पर चूंकि एक वाद न्यायालय में विचाराधीन था अतएव इस बारे में जांच रिपोर्ट की संस्तुति पर कार्यवाही नहीं की जा सकी । वर्तमान समय में श्री डी0 एस0 श्रीवास्तव, बी0 एड0 विभाग में ज्येष्ठतम प्रवक्ता हैं ।

जनपद बांदा के माध्यमिक विद्यालयों को वर्षा से क्षतिग्रस्त होने के कारण आवंटित किय गया धन

115--प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बांदा के माध्यमिक विद्यालयों को वर्षा से क्षतिग्रस्त होने के कारण वर्ष 1981-82 तथा 1982-83 में कितना धन किन-किन विद्यालयों को आवंटित किया है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

वर्ष 1981-82

शून्य ।

वर्ष 1982-83

1--किसान उ0 मा0 वि0, नोहाई 6,200 रु0

2--संगम उ0 मा0 वि0, चिल्ला 8,000 रु0

अतर्रा महाविद्यालय अतर्रा (बांदा) के प्रवक्ता श्री डी0 एस0 श्रीवास्तव द्वारा अवैध धन लिए जाने की जांच पर की गयी कार्यवाही

116--प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा--

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सितम्बर, 1977 को शासन द्वारा गठित बुन्देलखंड विश्वविद्यालय जांच आयोग ने अतर्रा महाविद्यालय (बांदा) के प्रवक्ता, श्री डी0 एस0 श्रीवास्तव द्वारा अवैध धन लिए जाने के लिए यू0 पी0 स्टेट यूनिवर्सिटीज ऐक्ट की धारा 61 के अन्तर्गत कार्यवाही करने की संस्तुति की थी ? यदि हां, तो 30 मार्च, 1983 तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां ।

इस बारे में कुलपति की आख्या पर विचारोपरान्त कुलपति बुन्देलखंड विश्वविद्यालय का श्री डी0 एस0 श्रीवास्तव के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के

निर्देश दिये गये । कुलपति ने सूचित किया है कि उक्त कालेज के प्रबन्ध तन्त्र को, श्री श्रीवास्तव को भविष्य में ऐसी अनियमितताएं न करने के लिए आगाह करने के निर्देश दे दिए गये हैं ।

अतर्रा महाविद्यालय अतर्रा (बांदा) की बी0 एड0 विभाग के वरिष्ठतम प्रवक्ता प्रो0 अशोक त्रिवेदी की न्यायालय द्वारा घोषणा

117--प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि अतर्रा महाविद्यालय, अतर्रा (बांदा) के बी0 एड0 विभाग के प्रवक्ता प्रो0 अशोक त्रिवेदी को न्यायालय बांदा के मुंसिफ मजिस्ट्रेट ने वर्ष 1982-83 में बी0 एड0 विभाग का वरिष्ठतम अध्यापक घोषित किया था ? यदि हां, तो 30 मार्च, 1983 तक उक्त निर्णय के कार्यान्वियन के लिए क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां ।

उक्त निर्णय के विरुद्ध अपील अतिरिक्त मुंसिफ मजिस्ट्रेट बांदा द्वारा निर्णय पर पुनर्विचार हेतु स्वीकृत की जा चुकी है अतएव मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण उक्त निर्णय का कार्यान्वियन नहीं किया जा सका है ।

कृषि परियोजना अधिकारी, बांदा के श्री डी0 पी0 सिंह का स्थानान्तरण

118--प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा--

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला कृषि परियोजना अधिकारी (श्री डी0 पी0 सिंह) के विरुद्ध कोई जांच चल रही है ? यदि हां, तो 31 मार्च, 1983 तक क्या कार्यवाही की गई ? क्या यह सही है कि श्री सिंह जनपद बांदा में विगत 5 वर्षों से कार्यरत हैं ? इनका स्थानान्तरण अब तक न किए जाने का कारण क्या है ?

श्री यशपाल सिंह--

जी हां ।

जांच चल रही है । जांच पूर्ण हो जाने के पश्चात् अग्रिम कार्यवाही की जाएगी । श्री सिंह को जनपद बांदा में कार्यभार ग्रहण किए हुए अभी 5 वर्ष नहीं हुए हैं । इनके स्थानान्तरण आदेश जारी किए गए थे, परन्तु उसे जनहित में निरस्त कर दिया गया है ।

महाविद्यालयों में शारीरिक शिक्षकों की भर्ती के लिए निर्धारित योग्यता

119--श्री छतर सिंह--

क्या शिक्षा मन्त्री को ज्ञात है कि प्रदेश के शिक्षा विभाग ने महाविद्यालयों में शारीरिक शिक्षकों की भर्ती के लिए निर्धारित शिक्षण स्तर एम0 पी0 एड0 रखी हुई है जबकि प्रदेश में कोई भी शारीरिक संस्थायें एम0 पी0 एड0 की डिग्री नहीं देती ? यदि हां, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

प्रदेश के शिक्षा विभाग में सम्प्रति लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ से सहयुक्त महाविद्यालयों में शारीरिक शिक्षा के प्राध्यापक के पद के लिए निम्नांकित न्यूनतम अर्हतायें निर्धारित की गई हैं :--

(क) मास्टर आफ फिलासिफी की उपाधि या स्नातकोत्तर उपाधि के स्तर से अधिक की कोई मान्यता प्राप्त उपाधि या प्रकाशित रचना, जिससे अभ्यर्थी की स्वतन्त्र रूप से अनुसंधान कार्य करने की क्षमता प्रदर्शित होती हो; और

(ख) शारीरिक शिक्षा में प्रथम या उच्च द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि या किसी विदेशी विश्वविद्यालय की समकक्ष उपाधि सहित अविच्छिन्न उत्तम शैक्षणिक अभिलेख।

प्रदेश के किसी विश्वविद्यालय/महा विद्यालय में एम0 पी0 एड0 के शिक्षण की व्यवस्था सम्प्रति नहीं है। लखनऊ विश्वविद्यालय के सहयुक्त कालेज--लखनऊ क्रिश्चियन कालेज, लखनऊ की एम0 पी0 एड0 कक्षाओं के संचालन हेतु क्लियरेन्स प्रदान की गई है। विश्वविद्यालय/कुलाधिपति से सम्बद्धता मिलने पर ही कक्षायें संचालित किया जाना सम्भव हो सकेगा।

महाविद्यालयों में शारीरिक शिक्षा के अध्यापक के पद के लिए उपरोक्त अर्हतायें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निदेशानुसार रखी गयी हैं।

जनपद बुलन्दशहर के इन्टरमीडिएट संस्थाओं एवं महाविद्यालयों में शारीरिक शिक्षकों के रिक्त स्थान

120--श्री छत्तर सिंह--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 1-1-83 तक जनपद बुलन्दशहर में इन्टरमीडिएट संस्थाओं एवं महाविद्यालयों में शारीरिक शिक्षकों के कितने स्थान रिक्त थे ? पद रिक्त रहने का क्या कारण है एवं कब तक भरे जायेंगे ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद बुलन्दशहर के प्राइमरी पाठशालाओं में शिक्षकों की संख्या तथा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति का कोटा

121--श्री छत्तर सिंह--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जदपद बुलन्दशहर में दिनांक 24 फरवरी, 83 तक कार्यरत प्रा0 शिक्षकों की संख्या के अनुसार अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जातियों के शिक्षकों का कोटा पूरा है ? यदि नहीं, तो कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जनपद बुलन्दशहर में दिनांक 24-2-83 तक बेसिक शिक्षा परिषद् के अन्तर्गत कार्यरत शिक्षकों/शिक्षिकाओं की कुल संख्या 4371 है, जिनमें पिछड़ी

जाति का कोटा पूर्ण है, किन्तु अनुसूचित जाति का कोटा पूर्ण नहीं है । भविष्य में नवीन नियुक्तियां करते समय नियमों के अनुसार कोटा पूर्ण करने की कार्यवाही की जायेगी । इस सम्बन्ध में कोई निश्चित समय बताना सम्भव नहीं है कि अनुसूचित जाति के कोटे को कब तक पूर्ण कर दिया जायगा ।

मदन मोहन मालवीय शिक्षा संस्थान के अधीन कार्यरत शिक्षण संस्थाएं एवं उनकी भूमि

122--श्री परमात्मा प्रसाद सिंह तथा श्री दीना नाथ--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मदन मोहन मालवीय शिक्षा संस्थान के अधीन कितनी शिक्षण संस्थाएं कार्यरत हैं और इन संस्थाओं के नाम कहां-कहां कितनी-कितनी भूमि उपलब्ध है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मदन मोहन मालवीय शिक्षा संस्थान के अधीन कुल 12 शिक्षण संस्थायें हैं । इनमें से निम्नलिखित के नाम उनके सम्मुख अंकित भूमि है--

संस्थान	भूमि की स्थिति	क्षेत्रफल एकड़ में
1--मदन मोहन मालवीय इंटर कालेज	भाटपाररानी,	5.84
	सोहनपार	.78
	छोटका गांव	1.87
2--मदन मोहन मालवीय डिग्री कालेज	लखना उर्फ	11.01
	डामडीह	4/5
3--मदन मोहन मालवीय शिक्षा समिति	लखना उर्फ डामडीह	.31
	बरईपार	.38
	कटघरा	3.33
	सिसबनियां	81.75
4--संस्कृत पाठशाला	सोहनपार	.94

मदन मोहन मालवीय डिग्री कालेज भाटपार रानी के भवन निर्माण हेतु अध्याप्त की गई भूमि

123--श्री परमात्मा प्रसाद सिंह तथा श्री दीनानाथ--

क्या यह सही है कि मदन मोहन मालवीय डिग्री कालेज, भाटपाररानी के भवन निर्माण हेतु 11-12 एकड़ भूमि का अधिग्रहण शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो धारा 4 (1) के प्रकाशन के पूर्व तत्कालीन जिलाधिकारी द्वारा

2 मई, 1980 को 7,88,107 रु0 मात्र भूमि का अनुमानित प्रतिकर लगाया गया था जिसे धारा 5 (1) के अन्तर्गत प्रधानाचार्य द्वारा जमा करने के लिखित आश्वासन के बावजूद दिनांक 27 नवम्बर, 1981 को किस नियम के अधीन 2,27,817·57 रु0 कर दिया गया ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

इस महाविद्यालय के लिए भूमि अधिग्रहण का प्रारम्भिक प्रस्ताव 11–92 एकड़ था परन्तु भूमि अध्याप्ति समिति की संस्तुति पर विचारोपरांत 6·88 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के बारे में शासन ने धारा 6(1) की विज्ञप्ति प्रकाशित कर दी है। दिनांक 2 मई, 1980 को उस भूमि अध्याप्ति अधिकारी ने अनुमानित प्रतिकर 7,87,109/मय प्रतिफल व अध्याप्ति व्यय के आंका था, जिसे जिलाधिकारी ने अनुमोदित नहीं किया क्योंकि व्यवसायिक महत्व के छोटे भूखण्डों के विक्रय मूल्य को आधार बनाकर बड़े भूखण्ड का मूल्यांकन किया गया था। प्रधानाचार्य ने उक्त धनराशि को जमा करने का आश्वासन नहीं दिया था वरन् उसके विरुद्ध लिखित आपत्ति की थी। दिनांक 27 नवम्बर, 1981 को जिला भूमि अध्याप्ति अधिकारी ने अध्याप्ति के लिए प्रस्तावित भूमि तथा आसपास के विक्रय पत्रों को, भूमि की स्थिति, उपयोगिता तथा अन्य परिस्थितियों को देखते हुए अनुमानित प्रतिकर 2,27,817 रु0 आंका।

मदन मोहन मालवीय डिग्री कालेज, भाटपार रानी की भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही का निरस्तीकरण एवं भूमि अधिग्रहण से प्रभावित अनुसूचित जाति व पिछड़े वर्ग के व्यक्ति

124—श्री परमात्मा प्रसाद सिंह तथा श्री दीनानाथ—

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि मदन मोहन मालवीय डिग्री कालेज, भाटपार रानी के 11–12 भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही कितनी बार धारा 4(1) के पूर्व और कितनी बार धारा 4 (1) के प्रकाशन के बाद किन कारणों से तथा किस तिथि को निरस्त हो चुकी है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

उक्त कालेज के लिए 11·92 एकड़ भूमि के अधिग्रहण की कार्यवाही धारा 4 (1) के प्रकाशन से पूर्व कभी निरस्त नहीं हुई है। धारा 4 (1) की विज्ञप्ति के प्रकाशन के पश्चात् यह कार्यवाही दो बार दिनांक 3 दिसम्बर, 1975 एवं 27 जुलाई, 1979 को तीन वर्ष की निर्धारित अवधि समाप्त हो जाने से स्वतः निरस्त हो गई।

125—श्री परमात्मा प्रसाद सिंह तथा श्री दीनानाथ—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि 11–12 भूमि के अधिग्रहण से, प्रभावित व्यक्तियों में कितने अनुसूचित कितने पिछड़े वर्ग के हैं, गृह हीन होंगे ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

भूमि अध्याप्ति समिति की संस्तुति के पश्चात् जिस 9·06 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है, उसके अधिग्रहण से एक भी अनुसूचित या पिछड़े वर्ग का व्यक्ति गृहविहीन नहीं होगा।

उच्च शिक्षा आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध पूर्व पद की अनियमितता की शिकायतें

126—श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सरकार द्वारा गठित उच्च शिक्षा आयोग के अध्यक्ष पद पर एक ऐसे व्यक्ति का चयन हुआ है जिसके कुमायूं विश्वविद्यालय में उप कुलपति कार्य काल में उनके विरुद्ध व्यापक अनियमितता के आरोप में पूरा कुमायूं बन्द रहा था ? यदि हां, तो सरकार ने इन अनियमितताओं की जांच अब तक क्यों नहीं कराई ? क्या इस पृष्ठभूमि में उन्हें इस वर्तमान पद पर बनाये रखना उचित है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी उक्शी—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

बी0 एस0 ए0 बी0 इन्टर कालेज गोरखपुर के प्रधानाचार्य एवं प्रबन्धक के विरुद्ध शिकायती-पत्र पर जांच एवं की गई कार्यवाही

127—श्री मारकण्डेय चन्द—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता ने जुलाई एवं अगस्त, 1981 में शिक्षा मन्त्री, शिक्षा सचिव एवं शिक्षा निदेशक को तथा 3 मार्च, 1982 को शिक्षा सचिव एवं संयुक्त शिक्षा सचिव को बी0 एस0 ए0 बी0, इन्टर कालेज गोला गोरखपुर के प्रधानाचार्य एवं प्रबन्धक के विरुद्ध 14 आरोपों के साथ शिकायती-पत्र देकर जांच की मांग किया था ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बक्शी—

जी नहीं ।

अनियमिततायें वेतन वितरण अधिनियम की परिधि में होने के कारण उनको निराकृत करने के निर्देश मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, गोरखपुर को दिये गये हैं ।

हरदोई में व्यक्तिगत परीक्षा में आलेखन कला का प्रथम प्रश्न-पत्र उपलब्ध न होने से, परीक्षार्थियों का परीक्षा से वंचित होने से रोका गया परीक्षाफल

128—श्री हरीशंकर—

क्या शिक्षा मन्त्री को जानकारी है कि जिला हरदोई में हाई स्कूल व्यक्तिगत परीक्षा 1982 में आलेखन कला का प्रथम प्रश्न-पत्र न आने से परीक्षार्थी जिनका अनुक्रमांक 799692, 799668 या 800611 है परीक्षा न दे सके ? क्या यह भी सत्य है कि अनुक्रमांक 799692 व 799668 उत्तीर्ण घोषित किये गये परन्तु अनुक्रमांक संख्या 800611 का परीक्षाफल नहीं घोषित किया गया ? यदि हां, तो इसका परीक्षाफल कब तक घोषित हो जायेगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

हाई स्कूल व्यक्तिगत परीक्षा 1982 में अनुक्रमांक 799692 तथा 799698 (न कि 799668, जैसा कि प्रश्न में अंकित है और जो शुद्ध नहीं जान पड़ता) एन0 एम0 बी0 हायर सेकेन्डरी स्कूल, शाहाबाद (हरदोई) केन्द्र से प्रविधिक कला विषय से परीक्षा में सम्मिलित हुए थे तथा बाद में उसी विषय में वे पूरक परीक्षा में सम्मिलित होने के उपरान्त उत्तीर्ण घोषित हुए।

वर्ष 1982 की हाई स्कूल व्यक्तिगत परीक्षा में बी0 एन0 इन्टर कालेज, भगवन्तनगर (हरदोई) केन्द्र से अनुक्रमांक 800611 को (घ वर्ग) से सम्मिलित होना था। इस केन्द्र पर आलेखन कला (घ वर्ग) का प्रश्न-पत्र उपलब्ध नहीं था और वह इस विषय की परीक्षा नहीं दे सका। उसे विशेष अनुमति देकर आलेखन कला विषय में पूरक परीक्षा के साथ बैठाया गया तथा उसका परीक्षाफल दिसम्बर, 1982 में ही पूर्णकर घोषित किया जा चुका है।

देव दरबार आश्रम इन्टर कालेज, संडीला के प्रबन्धकों को दी गयी 16 घ की नोटिस

129--श्री हरी शंकर--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के पहले सोमवार के उत्तरित अतारांकित प्रश्न संख्या 34 के सम्बन्ध में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 16 घ की नोटिस किस तारीख को दी गई, उत्तर किस तारीख को दिया गया ? इस सम्बन्ध में गत दो वर्षों से क्या कार्यवाही की गई ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

शिक्षा निदेशक के पत्र दिनांक 7 अप्रैल, 1982 द्वारा 16 घ(2) में निर्देश दिये गये। प्रबन्धक ने अपना उत्तर दिनांक 3 मई, 1983 द्वारा दिया। 16 घ(3) की नोटिस दिये जाने की कार्यवाही चल रही है।

भूमि संरक्षण विभाग के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के प्रोन्नति में पक्षपात के सम्बन्ध में आवेदन पर कृत कार्यवाही

130--श्री राम स्वरूप वर्मा--

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें जनवरी, 1983 में श्री जयनारायण वर्मा, कार्यालय भूमि संरक्षण अधिकारी (अभियनपुखराया कानपुर देहात) का आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि जिले में भूमि संरक्षण विभाग के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के लोगों को प्रोन्नति देने म पक्षपात बरता जा रहा है और उनके स्थान पर सवर्णों की प्रोन्नति चतुर्थ श्रेणी से कनिष्ठ लिपिक के पद पर दी गई है ? यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की ? क्या ऐसे नियमोल्लंघन के दोषी अधिकारी को दंड दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री यशपाल सिंह--

जी हां। आवेदन-पत्र में लगाये गये आरोपों की जांच कराई गयी तथा आरोप असत्य पाये गये। अतः किसी को दंड देने का प्रश्न नहीं उठता।

आचार्य नरेन्द्र देव जूनियर हाई स्कूल हापुड़ में अध्यापकों एवं विद्यार्थियों की संख्या

131--श्री राम स्वरूप वर्मा--

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि हापुड, जिला गाजियाबाद में आचार्य नरेन्द्र देव जूनियर हाई स्कूल नाम का विद्यालय इस समय चल रहा है ? यदि हां, तो उसमें कितने शिक्षक और कितने विद्यार्थी हैं तथा विद्यालय भवन कहां है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बक्शी--

जी हां । इस समय विद्यालय में चार अध्यापक तथा 57 विद्यार्थी हैं । विद्यालय नगर क्षेत्र हापुड़ में स्थित है तथा तत्कालीन प्रधान अध्यापक के निजी मकान में चल रहा है ।

श्री कृष्ण औद्योगिक इन्टर कालेज, मोहम्मदपुर, जिला कानपुर में प्रोन्नति में घपला किए जाने के सम्बन्ध में श्री रघुनन्दन लाल, सहायक अध्यापक का प्रार्थना-पत्र

132--श्री राम स्वरूप वर्मा--

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनवरी, 1983 के उत्तरार्ध में श्री रघुनन्दनलाल, सहायक अध्यापक, श्री कृष्ण औद्योगिक इन्टर कालेज, मोहम्मदपुर, जिला कानपुर का शिकायती-पत्र इस आशय का प्राप्त हुआ है कि उक्त कालेज में प्रोन्नति में नियमोल्लंघन किया गया है ? यदि हां, तो सरकार ने उसकी जांच किससे कराई और जांच में क्या तथ्य पाये गये ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बक्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

उत्तर प्रदेश बीज एवं तराई विकास निगम के प्रबन्ध निदेशक के विरुद्ध श्री लक्ष्मी नारायण अग्निहोत्री, निवासी ग्राम अंसुवापुर, जिला कानपुर देहात द्वारा दिया गया शिकायती-पत्र

133--श्री रामस्वरूप वर्मा--

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री लक्ष्मी नारायण अग्निहोत्री, ग्राम अंसुवापुर, जिला कानपुर देहात ने उत्तर प्रदेश बीज एवं तराई विकास निगम के प्रबन्ध निदेशक तथा महा प्रबन्धक के खिलाफ जातिवाद, भाई भतीजावाद तथा भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवेदन-पत्र उन्हें दिसम्बर, 1981 के उत्तरार्द्ध में भेजा था ? यदि हां, तो उसमें कौन-कौन से आरोप सरकार ने जांच हेतु किसे सुपुर्द किये और जांच आख्या क्या आई ?

श्री यशपाल सिंह--

श्री अग्निहोत्री का निगम के बीज विधायन संयन्त्र पुखरायां में अनियमितताओं के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र दिनांक 17 दिसम्बर, 1981 को प्राप्त हुआ था परन्तु उसमें प्रबन्ध निदेशक एवं महाप्रबन्धक के विरुद्ध कोई बिन्दु नहीं उठाये गये थे । इस पत्र में उल्लिखित आरोपों को निगम के प्रबन्ध निदेशक ने जांचोपरान्त निराधार बताये हैं ।

श्री अग्निहोत्री ने अपने शिकायती-पत्र दिनांक 23 दिसम्बर, 1982, 14 जनवरी, 1983, 20 अप्रैल, 1983, 23 अप्रैल, 1983, 2 मई, 1983 तथा दिनांक 5 मई, 1983 द्वारा तराई बीज विकास निगम के प्रबन्ध निदेशक के विरुद्ध भाई, भतीजावाद आदि की शिकायतें की हैं जिनकी जांच कृषि निदेशक को सौंपी गई है। अभी जांच आख्या प्राप्त नहीं हुई है।

जनपद हरदोई के बेसिक विद्यालयों में ट्रेनिंग प्राप्त अध्यापकों की नियुक्ति की मांग

134--श्रीमती प्रेमवती तिवारी--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के पहले सोमवार के तारांकित प्रश्न संख्या 1 के उत्तर के संदर्भ में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अनियमित नियुक्तियों का निरसन तथा 1972-73 के ट्रेनिंग प्राप्त अध्यापकों की नियुक्ति कब तक की जायगी ? यदि नहीं, तो क्यों।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद मिर्जापुर में एक ही स्थान पर चल रहे बालक बालिकाओं के स्कूलों को अलग-अलग गांवों में स्थापित किये जाने की मांग

135--श्री राम चरण सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर में वर्ष 1982-83 में 118 प्राइमरी पाठशाला बालक एवं बालिकाओं के ऐसे भी हैं जो एक ही गांव में चल रहे हैं ? यदि हां तो सरकार उन प्राइमरी पाठशालाओं को एक वहां छोड़कर दूसरे को अन्यत्र गांव में, जहां पाठशाला नहीं है स्थानान्तरण करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री हरीशंकर सिंह, प्रवक्ता, रसायन विज्ञान, चुनार, मिर्जापुर के अनुमोदन के सम्बन्ध में दिया गया पत्र

136--श्री राम चरण सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता ने दिनांक 16 नवम्बर, 1982 को कोई पत्र श्री हरिशंकर सिंह, प्रवक्ता, रसायन विज्ञान, जनपद मिर्जापुर, तहसील चुनार के दिनांक 1 जुलाई, 1966 से अनुमोदन के सम्बन्ध में लिखा था ? यदि हां तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? अगर नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां, प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 16 नवम्बर, 1982 का नहीं बल्कि दिनांक 6 नवम्बर, 1981 का है तथा इस सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही हेतु अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं।

जनपद मिर्जापुर के विकास क्षेत्र राजगढ़ में चलाये गये प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र

137—श्री राम चरण सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर के विकास क्षेत्र राजगढ़ में शिक्षा सत्र 1981-82 व 1982-83 में किन-किन ग्रामों में प्रौढ़ पाठशालायें चलाई गईं ? उसमें कितने प्रौढ़ शिक्षित किये गये ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जनपद मिर्जापुर के राजगढ़ विकास क्षेत्र में वर्ष 1981-82 में 77 ग्रामों में प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र चलाये गये जिनमें 4818 प्रौढ़ शिक्षित हुये । वर्ष 1982-83 में 84 ग्रामों में प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र चलाये गये जिनमें 4500 प्रौढ़ों को शिक्षित किया गया। ग्रामों की सूचियां संलग्न हैं ।

(देखिये नत्थी "च" आगे पृष्ठ 240 पर)

जनपद मिर्जापुर के माध्यमिक विद्यालय में हाई स्कूल स्तर तक विज्ञान के पठन-पाठन की व्यवस्था की मांग

138—श्री राम चरण सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर के कितने माध्यमिक विद्यालयों में हाई स्कूल स्तर तक विज्ञान के पठन-पाठन की सुविधा उपलब्ध नहीं है ? क्या सरकार इन विद्यालयों में भी विज्ञान की पढ़ाई की व्यवस्था शीघ्र करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मिर्जापुर जनपद के 24 माध्यमिक विद्यालयों में हाई स्कूल स्तर पर विज्ञान की शिक्षा की सुविधा सम्प्रति उपलब्ध नहीं है । शासन इन विद्यालयों में विज्ञान की शिक्षा की व्यवस्था उपलब्ध कराए जाने हेतु प्रयत्नशील है ।

जनपद मिर्जापुर के कतिपय विकास खंडों के प्राइमरी पाठशालाओं में मानक के अनुसार शिक्षकों की नियुक्ति

139—श्री राम चरण सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर में विकास खंड नरायनपुर, जमालपुर, सीखड़ व राजगढ़ के प्राइमरी पाठशालाओं में मानक के अनुसार ही अध्यापकों की नियुक्ति की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जिला कृषि रक्षा अधिकारी मिर्जापुर द्वारा फसलों के बचाव हेतु किए गए खर्चे का विवरण

140—श्री राम चरण सिंह—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1981-82 व 1982-83 में मिर्जापुर जिला कृषि रक्षा अधिकारी एवं उनके विभाग द्वारा खरीफ एवं रबी के फसलों को रोगों से बचाने हेतु कौन से उपाय किये गये तथा सम्बन्धित खर्च का क्या विवरण है ?

श्री यशपाल सिंह—

वर्ष 1981-82 में खरीफ फसलों को बीज शोधन, भूमिकीट, भूमिशोधन, झुलसा, खरपतवार, तनाबेधक गंधी, सैनिक कीट, चूहा एवं अन्य कीट/रोग के बचाव हेतु 31,950-00 हेक्टेयर में निवारण कार्य किया गया। जिसके अन्तर्गत रु0 159026-78 के रसायन खर्च हुए तथा वर्ष 1982-83 खरीफ में उपरोक्त कीट/रोग से बचाव हेतु 65240·23 हे0 क्षेत्र में निवारण कार्य किया गया, जिसमें रु0 128566·06 के रसायन खर्च हुए।

वर्ष 1981-82 में रबी की फसलों को बीज शोधन, भूमिकीट, खरपतवार, चूहा, माहूं कीट, फलीछेदक, खर्रा रोग झुलसा व अन्य कीट/रोग से बचाव हेतु 62260·45 हे0 क्षेत्र में निवारण कार्य किया गया जिसमें 283545·83 रु0 के रसायन खर्च हुए। इसी प्रकार रबी 1982-83 में उपरोक्त कीट/रोग से बचाव हेतु 83160·85 हे0 क्षेत्र में निवारण कार्य किया गया, जिसमें 316255·00 रु0 के रसायन खर्च हुए।

141—श्री राम चरण सिंह—

[3रे मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 179 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

वाराणसी मंडल विकास निगम लि0 द्वारा ट्रैक्टर गाड़ी की खरीद

142—श्री राम चरण सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वाराणसी मंडल विकास निगम लि0, वाराणसी ने 1980-81 या 1981-82 में कोई ट्रैक्टर गाड़ी जिसका रजिस्ट्रेशन नं0 यू0 आर0 एच0 8206, चेसिस नम्बर एच0 टी0 डी0 354745 व इंजन नम्बर ओ0 डी0 ई0 50232 का क्रय फार्म श्री मोहम्मद इकराम खां एन्ड सन्स, नदेशर/वाराणसी से किया था ? यदि हां, तो उक्त गाड़ी इस समय कहां है ? यदि गाड़ी फर्म को वापस कर दी गई, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां। एक टैक्टर गाड़ी, दिनांक 1 जुलाई, 1981 को क्रय की गयी। उक्त गाड़ी में मैकेनिकल खराबी पाये जाने के फलस्वरूप सम्बन्धित फर्म सर्वश्री मोहम्मद इकराम खां एन्ड सन्स को वापस कर दी गयी है।

जनपद मिर्जापुर की प्राइमरी पाठशालाओं के भवन निर्माण हेतु आवंटित धन

143—श्री राम चरण सिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वित्तीय वर्ष 1981-82 में जनपद मिर्जापुर की पाठशालाओं के निर्माण हेतु कितना धन आवंटित किया गया ? उक्त धन किन-किन प्राइमरी पाठशालाओं को दिया गया ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

आजमगढ़ में बलीदपुर से पनशब्दा तक सम्पर्क मार्ग की सोलिंग कराये जाने के सम्बन्ध में पत्र पर कृत कार्यवाही

144--श्री पंचानन राय--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद में मुहम्मदाबाद ब्लाक में बलीदपुर से पनशब्दा तक सम्पर्क मार्ग की सोलिंग कराए जाने से सम्बन्धित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 7-4-83 जिला विकास अधिकारी, आजमगढ़ को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी हां । उक्त मार्ग पर सोलिंग कराने के कार्य को जिला ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा अभी तक अनुमोदित नहीं किया गया है । अतः कार्य आरम्भ नहीं हुआ है ।

ग्राम इसरारपार, विकास खंड हरैया, जनपद आजमगढ़ में पेयजल व्यवस्था हेतु पत्र

144--श्री पंचानन राय--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम इसरारपार विकास खंड, हरैया, जनपद आजमगढ़ की दो हरिजन बस्तियों में पीने के पानी की व्यवस्था किये जाने से सम्बन्धित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 6-4-83 जिला विकास अधिकारी, आजमगढ़ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी हां । ग्राम इसरारपार, विकास खंड, हरैया, जनपद आजमगढ़ की दो हरिजन बस्तियों में पीने के पानी की व्यवस्था किए जाने से सम्बन्धित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 6-4-83 जिला विकास अधिकारी, आजमगढ़ को प्राप्त हुआ था ।

उक्त पत्र में किये गये अनुरोध के आधार पर उक्त ग्राम के हरिजन बाहुल्य पुरवे में पीने के पानी के लिए एक कूप के निर्माण की स्वीकृति दे दी गयी है तथा कूप का 90 प्रतिशत निर्माण हो चुका है । बाकी निर्माण कार्य भी शीघ्र ही पूरा हो जायेगा ।

146--श्री मुईद अहमद--

[2रे बुद्धवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 174 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

147--श्री खैरुल बशर--

[2रे शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 161 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

ग्राम पालपुर, विकास खण्ड अमानीगंज, जनपद फैजाबाद में दो कूपों का निर्माण

148--श्री प्रदीप कुमार यादव--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम पालपुर, विकास खंड अमानीगंज (खण्डासा), जनपद फैजाबाद के अन्तर्गत दो हरिजन बस्तियों में पेय जल संकट को दूर करने हेतु दो पक्के कूपों के निर्माण के सम्बन्ध में क्षेत्रीय विधायक एवं उक्त ग्राम के हरिजनों द्वारा कोई संलग्न प्रार्थना-पत्र मुख्य जिला विकास अधिकारी, फैजाबाद को दिसम्बर, 1982 में एवं मन्त्री जी को मार्च, 1983 में दिया गया तथा उक्त सम्बन्ध में अप्रैल, 1983 में शासन को कोई शिकायती-पत्र भी प्राप्त हुआ और उक्त शिकायती-पत्र के आधार पर दो कूपों का निर्माण करा दिया गया ? यदि हां, तो प्रत्येक कुयें का व्यय अलग-अलग क्या है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी हां ।

ग्राम पालपुर, विकास खंड अमानीगंज (खण्डासा), जनपद फैजाबाद के अन्तर्गत दो कूपों का निर्माण, शिकायती पत्रों के आधार पर नहीं कराया गया है, बल्कि इन कूपों के निर्माण की स्वीकृति एवं आवश्यक धन का आवंटन गत वर्ष (1982-83) में ही कर दिया गया था । दोनों कूप निर्माणाधीन हैं । ग्राम पालपुर पूर्वी में निर्माणाधीन कूप गरगज तक पूर्ण हो चुका है । उस पर अब तक 6000 रुपये व्यय हुए हैं । ग्राम पालपुर पश्चिम में निर्माणाधीन कूप खाखर तक खोदा जा चुका है । वर्षा के कारण कार्य अभी पूर्ण नहीं हो सका है । खाखर तक खोदे गये इस कूप की मजदूरी का भुगतान अभी नहीं किया गया है ।

जनपद बरेली में निर्बल वर्ग आवास बनाने हेतु आवंटित की गई धनराशि

149--श्री जयदीप सिंह बरार--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बरेली वर्ष 1982-83 के लिए निर्बल वर्ग आवास बनाने हेतु धनराशि सभी विकास खंडों में आवंटित न करके एक ही विकास खंड में आवंटित कर दी गई ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी नहीं । जनपद बरेली में वर्ष 1982-83 के लिए निर्बल वर्ग आवासीय योजना के अन्तर्गत निर्बल वर्ग आवास बनाने हेतु धनराशि जनपद के सभी विकास खंडों में आवंटित की गई है ।

पुस्तकालय विज्ञान को प्रारम्भिक कक्षाओं में पढ़ाने का कथित विचार

150--श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पुस्तकालय विज्ञान को प्रारम्भिक कक्षाओं से ही पढ़ाये जाने के विषय पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी नहीं । क्योंकि इसका कोई औचित्य नहीं प्रतीत होता है ।

सचिवालय की शिक्षा सचिव शाखा के नियन्त्रणाधीन अनुभाग अधिकारियों की सेवा निवृत्ति तथा पेंशन

151--श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सचिवालय की शिक्षा सचिव शाखा के नियन्त्रणाधीन कौन-कौन अनुभाग अधिकारी हैं जो 4 जून से 31 जुलाई, 1982 तक सेवा निवृत्त हुए ? उन्होंने कब पेंशन के लिए प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया और कब कार्यवाही की गई तथा क्या उन्हें पेंशन मय राहत के दी जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ 247 पर ।)

जिलाधिकारी, देवरिया द्वारा छंटनीशुदा कर्मचारियों को सामयिक तथा पूर्णकालिक पदों पर नियुक्ति

152--श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र--

क्या कृषि मन्त्री कृपया बतायेंगे कि विशेष सचिव, कृषि विभाग उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ने अपने पत्र दिनांक 17 मई, 1978 के अनुसार समस्त जिलाधिकारियों से पूछा था कि छंटनीशुदा कर्मचारियों में कितनों की नियुक्ति की गई तथा कितने शेष हैं और उनको रखने की कौन-सी व्यवस्था की जा रही है ? यदि हां, तो क्या इस पर जिलाधिकारी, देवरिया ने कोई कार्यवाही किया ?

श्री यशपाल सिंह--

जी हां । जिलाधिकारी, देवरिया द्वारा जिन छंटनीशुदा लोगों की नियुक्ति सामयिक तथा पूर्ण वर्ष कालिक पदों पर की गई है, उनका विवरण निम्नवत् है :--

1--कार्य पर लगाये गये सामयिक तथा पूर्णकालिक अमीनों की संख्या 65 है ।

2--कार्य पर लगाये गये सामयिक तथा पूर्ण वर्ष कालिक चपरासियों की संख्या 37 है ।

अब शेष अभीतों तथा चरा।सियों की संख्या क्रमशः 62 व 49 है। इन बाकी छंटनीशुदा व्यक्तियों को भविष्य में पद रिक्त होने पर नियमानुसार खपाने की आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

153--श्री हरीशंकर--

[5वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 149 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

तत्कालीन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, हरदोई के विरुद्ध आरोपों की जांच

154--श्री हरीशंकर--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के 6वें सोमवार को उत्तरित अतारांकित प्रश्न संख्या 58 के सन्दर्भ में क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जांच का क्या परिणाम रहा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जांच के फलस्वरूप तत्कालीन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, हरदोई के विरुद्ध प्रथम दृष्टया निम्न आरोप प्रमाणित पाया गया :--

"हरदोई जनपद से बाहर बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षित व्यक्तियों को सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त करना जबकि हरदोई जनपद के बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षित समस्त अभ्यर्थी अभी नियुक्ति नहीं पा सके हैं।"

जनपद गोरखपुर के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मिठौरा के कर्मचारी श्री त्रिभुवन के सेवा से निकाले जाने के सम्बन्ध में पत्र

155--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर के उ0 मा0 विद्यालय, मिठौरा के कर्मचारी श्री त्रिभुवन की सेवा से निकाले जाने आदि के सन्दर्भ में प्रश्नकर्त्ता का पत्र उन्हें दिनांक 10-2-82 में प्राप्त हुआ है जिसकी प्राप्ति स्वीकृति आपके पत्रांक 536/एम0/83, दिनांक 19-2-83 द्वारा किया है ? यदि हां, तो इस विषय में क्या कार्यवाही की गई ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां, इस सम्बन्ध से जिला विद्यालय निरीक्षक, गोरखपुर को जांच करके आख्या भेजने के निर्देश दिये गये हैं।

जनपद गोरखपुर के सहायक शिक्षक श्री राम सजन से सम्बन्धित पत्र पर कार्यवाही

156--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

क्या शिक्षा मंत्री को जनपद गोरखपुर के सहायक शिक्षक, श्री राम सजन से सम्बन्धित प्रश्नकर्त्ता का पत्र दिनांक 4-2-83 प्राप्त हुआ जिसकी प्राप्ति स्वीकृति आपने अपने पत्रांक 537/एम-83, दिनांक 19-2-83 द्वारा किया है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

यह पत्र उपलब्ध नहीं हो पा रहा है ।

प्रगति आश्रम हाई स्कूल, बालागंज, लखनऊ के प्रबन्धक द्वारा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, लखनऊ के आदेशों के विरुद्ध की गयी आपत्ति

157--श्री गोपीनाथ वर्मा--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के द्वितीय सोमवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 58 के उत्तर के सन्दर्भ में शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सचिव, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद्, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 30-12-81 के अनुपालनार्थ जारी किये गये जिला अधिकारी, लखनऊ के आदेश दिनांक 20-1-82 तथा 10-2-82 के विरुद्ध प्रबन्धक, प्रगति आश्रम हाई स्कूल, बालागंज, लखनऊ ने उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 तथा उसके अन्तर्गत निर्मित सम्बन्धित नियमावली के किस प्राविधान के अन्तर्गत आपत्ति प्रस्तुत की है तथा उन आपत्तियों पर किस प्राविधान के अन्तर्गत किस अधिकारी द्वारा विचार किया जा रहा है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

प्रबन्धक द्वारा सामान्य रूप की आपत्ति की गयी है । आपत्ति पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, लखनऊ द्वारा विचार किया जा रहा था, परन्तु मामला उच्च न्यायालय के विचाराधीन हो जाने के कारण अब उनके स्तर पर विचार स्थगित कर दिया गया है ।

श्री वेदपाल सिंह, अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ, आजमगढ़ के पत्र में अधिकारियों द्वारा उपेक्षापूर्ण कृत्यों के सम्बन्ध में जांच

158--श्री राजकुमार राय--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्त्ता का पत्र दिनांक 2-2-83 श्री वेदपाल सिंह, अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ, आजमगढ़ शाखा के पत्र के संस्तुति के साथ जो अधिकारियों द्वारा किये जा रहे उपेक्षापूर्ण कृत्यों के सम्बन्ध में था, प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उसमें कौन सी कार्यवाही हुई ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां ।

संदर्भित पत्र में उल्लिखित बातों की अविलम्ब जांच कर आवश्यक कार्यवाही करने के निदेश सचिव, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् को दे दिये गये हैं ।

159-160--श्री राजकुमार राय--

(आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।)

जनपद आजमगढ़ के हायर सेकेन्डरी स्कूलों में कतिपय विषयों को पढ़ाने हेतु अतिरिक्त अध्यापकों की नियुक्ति की मांग

161—श्री राजकुमार राय—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ जनपद में कितने हायर सेकेन्डरी स्कूलों में नवीन पाठ्यक्रम के विषयों तथा सामाजिक विषय, विज्ञान एवं नैतिक शिक्षा इत्यादि विषयों को अनिवार्य रूप से पढ़ाने के लिये शासन के कितने अतिरिक्त अध्यापकों की नियुक्ति या पद सृजन की व्यवस्था की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

माध्यमिक शिक्षा परिषद् तथा राजकीय विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों का वेतनमान तथा सेलेक्शन ग्रेड

162—श्री राज कुमार राय—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश में कार्यरत अध्यापकों तथा राजकीय विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों का वेतनमान समान है ? क्या यह भी सही है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद् के अध्यापकों को 16 साल में ही सेलेक्शन ग्रेड प्राप्त हो जाता है जबकि राजकीय विद्यालयों के अध्यापकों को सेलेक्शन ग्रेड नहीं दिया जाता है ? यदि हां, तो क्या शासन इस असमानता को दूर करने पर विचार करेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश में "अध्यापक" का कोई पद सृजित नहीं है । राजकीय विद्यालयों के अध्यापकों को 16 वर्ष की सेवा पर सेलेक्शन ग्रेड दिया जाता है । शेष प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम पटरांव से पक्की सड़क तक प्रस्तावित सम्पर्क मार्ग निर्माण कराने से सम्बन्धित पत्र पर कृत कार्यवाही

163—श्री राजकुमार राय—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्त्ता के पत्र दिनांक जनवरी, 1983 एवं उनके आदेश तथा सचिव, ग्राम्य विकास के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या 25 ए0 पी0/38-7-2512 (37)/81 दिनांक 7 फरवरी, 1983 जिला अधिकारी, आजमगढ़ को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जिलाधिकारी, आजमगढ़ को विशेष सचिव ग्राम्य विकास, का पत्र संख्या 25 ए0 पी0/38-7-2512(37)/81, दिनांक 7 फरवरी, 1983 प्रश्नकर्ता के पत्र के साथ दिनांक 15 फरवरी, 1983 को प्राप्त हुआ था । ग्राम पटरांव से पक्की सड़क तक प्रस्तावित सम्पर्क मार्ग निर्माण कराने के सम्बन्ध में प्लान इस्टीमेट तैयार

कर प्रस्तुत करने हेतु तत्काल खंड विकास अधिकारी मण्डाव को निर्देश जारी किये गये थे। परन्तु मार्ग की चौड़ाई हेतु पूर्ण भूमि उपलब्ध न होने तथा स्थानीय गांव वालों के विरोध के कारण मार्ग का निर्माण कार्य अवरुद्ध है।

164—श्री राजकुमार राय—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद आजमगढ़ में पटरांव से पक्की सड़क तक (फतेहपुर मर्यादपुर) सम्पर्क मार्ग बनवाने हेतु प्रश्नकर्त्ता के 1981 से 1983 तक कितने पत्र प्राप्त हुए ? उसमें क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जनपद आजमगढ़ में पटरांव से पक्की सड़क तक (फतेहपुर–मर्यादपुर) सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु माननीय विधायक (प्रश्नकर्ता) के वर्ष 1981 से 1983 के बीच कुल 4 पत्र क्रमशः जून, सितम्बर, 1982, अक्तूबर, 1982 तथा जनवरी, 1983 में प्राप्त हुए। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्राम्य विकास विभाग को आवंटित धनराशि में से अभिकरण के निर्णयानुसार उपरोक्त सम्पर्क मार्ग पर निर्माण कार्य स्वीकृत हुआ। परन्तु प्रस्तावित सम्पर्क मार्ग पर नियमानुकूल पर्याप्त चौड़ाई में भूमि उपलब्ध न होने तथा गांव वालों द्वारा खेत की मिट्टी न देने तथा स्थानीय लोगों के विरोध के कारण उक्त सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य नहीं कराया जा सका है।

प्रेमचन्द्र जे0 टी0 सी0 विद्यालय, गोरखपुर में प्रधानाचार्य श्री नरेन्द्र धर दुबे के विरुद्ध शिकायती–पत्र

165—श्री राजकुमार राय—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगी कि प्रेमचन्द्र, जे0 टी0 सी0 विद्यालय, गोरखपुर में प्रधानाचार्य श्री नरेन्द्र धर दुबे के विरुद्ध अंशदान में दुरुपयोग करने, दीवाल पर नये छत लगवाने, फीस का समय से राजकोष में जमा न किये जाने, फलघास की गलत नीलामी करने आदि आरोपों के सम्बन्ध में उन्हें विन्देश्वरमणि त्रिपाठी का जनवरी, 1982 तथा विजयपाल सिंह का शिकायती पत्र दिनांक जनवरी, 1982 प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो शासन ने अब तक कौन सी कार्यवाही की और कौन-कौन आरोप सही पाये गये ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री राम हर्ष पान्डेय, ग्राम विकास अधिकारी, सेवरही, देवरिया के बकाया वेतन का भुगतान

166—श्री राजकुमार राय—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्त्ता के पत्र दिनांक 5–10–82 जो श्री राम हर्ष पान्डेय, ग्राम्य विकास अधिकारी, सेवरही, देवरिया के 26–7–76 से 6–9–78 तक का बकाया वेतन दिलाने के सम्बन्ध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां ।

श्री राम हर्ष पान्डेय, ग्राम विकास अधिकारी के बकाया वेतन बिल महालेखाकार उत्तर प्रदेश इलाहाबाद को दिनांक 22-4-83 को प्रि-आडिट हेतु प्रेषित कर दिया गया है ।

स्व0 श्रीमती राम कली देवी, दायी, बेसिक शिक्षा परिषद्, आजमगढ़ के स्थान पर उनके आश्रितों को नियुक्त किये जाने की मांग

167—श्री राजकुमार राय—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि स्व0 श्रीमती राम कली देवी, दायी, बेसिक शिक्षा परिषद् आजमगढ़ के स्थान पर उनके एक मात्र वारिस श्री कमलेश कुमार, बोबोपुर, तहसील घोसी, जिला आजमगढ़ का पत्र दिनांक 25-9-82 को प्रश्नकर्ता एवं क्षेत्रीय एस0 डी0 आई0 की संस्तुति के साथ था, बेसिक शिक्षा अधिकारी, आजमगढ़ को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो मृतक की एक मात्र वारिस को उसके स्थान पर रखने में शासन को क्या कठिनाई है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां ।

स्व0 श्रीमती रामकली देवी, कन्या जूनियर बेसिक स्कूल बोबोपुर, जनपद आजमगढ़ में अंशकालिक दायी के पद पर कार्यरत थी । अंशकालिक कर्मचारियों के मृत्यु के पश्चात् उनके आश्रितों को नियुक्त करने का प्राविधान नहीं है ।

जिलाधिकारी, आजमगढ़ को प्राप्त ग्राम्य विकास सचिव के अर्धशासकीय पत्र पर कृत कार्यवाही

168—श्री राज कुमार राय—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश के ग्राम्य विकास सचिव का अर्धशासकीय पत्र संख्या 4264/82, दिनांक 10-7-82 जिलाधिकारी, आजमगढ़ को कब प्राप्त हुआ ? उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री बलराम सिंह यादव—

ग्राम्य विकास सचिव का अर्धशासकीय पत्र संख्या 4264/38-7-82, दिनांक 10 जुलाई, 1982 जिलाधिकारी, आजमगढ़ को दिनांक 28 जुलाई, 1982 को प्राप्त हुआ था । दिनांक 9 जुलाई 1982 को सम्पन्न जिला ग्राम्य विकास अभिकरण की बैठक में सेमरी जमालपुर सड़क, परशुरामपुर से करसपुरा हरिजन बस्ती, चकउथ से भुवालीपुर सड़क स्वीकृत की गई तथा उपलब्ध सूचना के अनुसार उक्त स्वीकृत मार्गों में से सेमरी जमालपुर मार्ग पर मिट्टी-सोलिंग का कार्य, परशुराम से हरिजन बस्ती मार्ग पर मिट्टी एवं पुलियों के निर्माण का कार्य तथा चकउथ से भुवालीपुर मार्ग पर मिटटी पुलिया एवं सोलिंग का कार्य हुआ । डुमारो से लघवाही मार्ग जो 1 किमी0 लम्बी है, पर 4 पुलियों का निर्माण हो चुका है । घोसी से पक्की सड़क जिसका निर्माण खाद्यान्न योजना में हुआ था, के निर्माण कार्य एवं खाद्यान्न वितरण में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं पायी गयी है ।

खंड विकास अधिकारी संवर्ग में उच्चतर वेतनमान स्वीकृत किये जाने के आदेश

169--श्री राजकुमार राय--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्होंने खंड विकास अधिकारी सेवा संघ, उत्तर प्रदेश के वार्षिक अधिवेशन के दिनांक 8-10-82 को घोषणा की थी कि वह एक माह के अन्दर खंड विकास अधिकारियों के वेतन स्तर के विषय में शासन की नीति की घोषणा करा देंगे ? यदि हां, तो क्या वह नीति घोषित हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव--

शासनादेश संख्या-4190 (2)/38-1-1983, दिनांक 16-6-83 द्वारा खंड विकास अधिकारी संवर्ग में 50 पदों को 1300--1900 के उच्चतर वेतनमान में स्वीकृति के आदेश जारी किये जा चुके हैं ।

170--श्री राजकुमार राय--

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

171--श्री राजकुमार राय--

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

घोसी तहसील, आजमगढ़ के मधुबन--बेल्थरा मार्ग से पटरांव तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण

172--श्री राज कुमार राय--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि अक्तूबर, 1982 में उन्होंने आजमगढ़ के घोसी तहसील के मधुबन--बेल्थरा मार्ग से पटरांव तक के सम्पर्क मार्ग के निर्माण का शुभारम्भ किया था ? यदि हां, तो क्या वह मार्ग बन गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी हां ।

उक्त मार्ग के निर्माण का शुभारम्भ किया गया था, परन्तु कृषकों द्वारा भूमि न दिए जाने के कारण इसे अभी तक बनवाया नहीं जा सका है ।

प्रा० पा० जूनियर हाई स्कूल, महोखर, जिला बांदा में श्रीमती रामरती देवी, मुन्नी देवी व कामता प्रसाद की समाप्त सेवायें तथा बहाली

173--श्री ऊदल--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रा० पा० जू० हाई स्कूल, महोखर, जिला बांदा में बेसिक शिक्षा अधिकारी, बांदा ने अपने पत्र संख्या 2226, दिनांक 15-12-81 के द्वारा रामरती देवी, श्रीमती मुन्नी देवी व कामता प्रसाद

की सेवायें समाप्त कर दी थीं ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि जिला विद्यालय निरीक्षक, बांदा ने दिनांक 20-3-82 को श्रीमती मुन्नी देवी को सेविका के पद पर पुनः नियुक्त कर दिया और कार्यालय आदेश संख्या 735--49 को दिनांक 23-9-81 को निरस्त कर दिया ? यदि हां, तो रामरती देवी को अब तक सेविका के पद पर बहाल न करने का कारण क्या है ? क्या सरकार पूरे प्रकरण की जांच उपनिदेशक शिक्षा, झांसी से कराकर कार्यवाही करेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

श्रीमती रामरती देवी की नियुक्ति अनियमित होने के कारण उप विद्यालय निरीक्षक, बांदा ने इनकी सेवायें अपने आदेश संख्या 2226, दिनांक 15-12-81 द्वारा समाप्त कर दी और श्रीमती मुन्नी देवी व श्री कामता प्रसाद की सेवायें शिक्षा अधीक्षक, बांदा के आदेश संख्या 735--48, दिनांक 23-9-81 द्वारा समाप्त की गई। श्रीमती मुन्नी देवी की नियुक्ति जिला विद्यालय निरीक्षक, बांदा के आदेशानुसार व कार्यवाहक शिक्षा अधीक्षक, बांदा के द्वारा दिनांक 22-3-82 को पुनः कर दी गई, किन्तु नियुक्ति अनियमित होने के कारण वेतन का भुगतान नहीं किया गया। वेतन न मिलने के कारण श्रीमती मुन्नी देवी द्वारा प्रकरण न्यायालय में ले जाया गया है। और अब प्रकरण न्यायालय के विचाराधीन है। श्री कामता प्रसाद ने भी अपनी सेवा-समाप्ति के विरुद्ध न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है। इनका भी प्रकरण न्यायालय के विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता क्योंकि प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

174--श्री राजकुमार राय--

[2रे बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 175 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

सी0 आर0 जूनियर हाई स्कूल पांतीमंशापुर, फैजाबाद के प्रबन्धक द्वारा प्रधान अध्यापक को सेवा से मुक्त किया जाना तथा पुनः सेवा में लिये जाने के आदेशों की अवहेलना के विरुद्ध कार्यवाही

175--श्री प्रदीप कुमार यादव--

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद के विकास खंड, कटेहरी के अन्तर्गत चल रहे सी0 आर0 जूनियर हाई स्कूल, पांतीमंशापुर के प्रधान अध्यापक को वहां के प्रबन्धक द्वारा दिनांक 1-7-79 को सेवा मुक्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि उसके आवेदन पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, फैजाबाद ने अपने आदेश संख्या . . . दिनांक 24 मई, 1980 में निर्देशित किया था कि उसे पूर्ववत् कार्यभार ग्रहण कराया जाय ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बक्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है।

176--श्री प्रदीप कुमार यादव--

क्या यह सही है कि उक्त प्रबन्धक द्वारा सक्षम अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत न करने के बावजूद भी उसे कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जा रहा है ?

यदि हां, तो सम्बन्धित प्रबन्धक के विरुद्ध शासन क्या कोई कार्यवाही करेगा और सम्बन्धित अध्यापक को कब तक कार्यभार ग्रहण करा दिया जायगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

गांव सभा कतुरीकलां, जनपद बाराबंकी में कार्यरत विकास अधिकारी के विरुद्ध राशन कार्ड न बनाये जाने की शिकायत

177--श्री प्रदीप कुमार यादव--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बतायेंगे कि जनपद बाराबंकी के अन्तर्गत विकास खण्ड निन्दूरा की गांव सभा कतुरीकलां के मौजूदा प्रधान द्वारा अपनी शिकायत के साथ उसी खंड के लगभग 3 दर्जन प्रधानों के हस्ताक्षरित एक शिकायती प्रार्थना-पत्र उक्त विकास खंड में कार्यरत विकास अधिकारी के विरुद्ध राशन कार्ड न बनाये जाने तथा अभद्र व्यवहार किये जाने से सम्बन्धित दिनांक 19-4-83 को प्रश्न-कर्त्ता की चिट्ठी के साथ प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध जांच कराने तथा उक्त ग्रामवासियों को यथाशीघ्र राशन कार्ड वितरण कराये जाने की कृपा करेंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी हां ।

प्राप्त शिकायतों पर जांचोपरान्त सम्बन्धित ग्रामवासियों को राशनकार्ड वितरित कराये जाने की व्यवस्था जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित कर दी गयी है तथा क्षेत्र विकास अधिकारी के विरुद्ध भी कार्यवाही की गई है ।

जनपद गोरखपुर के कतिपय गांवों में होने वाले कार्यों की जांच रिपोर्ट तथा कार्यवाही

178--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के पहले सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 151 के क्रम में क्या क्षेत्रीय विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बिन्दुवार जांच रिपोर्ट जो प्राप्त हुई है, वह क्या है, उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ? क्या क्षेत्रीय विकास मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के सम्बन्धित जिन गांवों में होने वाले कार्यों की जांच रिपोर्ट प्राप्त हो कर कार्यवाही की जा रही है, इन गांवों में कितनी मात्रा में कच्ची, पक्की नालियां बनी व चकरोड पर मिट्टी गत 4 वर्षों से डाल कर कितनी धनराशि खर्च की गयी है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

प्रश्न में संदर्भित उप निदेशक, भूमि संरक्षण, गोरखपुर की जांच आख्या दिनांक 31-8-82 कार्यालय में उपलब्ध है । माननीय सदस्य किसी भी कार्य दिवस में उसका अवलोकन कर सकते हैं । जांच आख्या के आधार पर निम्न-लिखित कार्यवाही की गयी है :

(1) ग्राम पतरेंगवां कुलाबा संख्या 3 पर नाली निर्माण में पायी गयी त्रुटियों को ठीक करा दिया गया है तथा सम्बन्धित कर्मचारियों को आरोपित किया गया ।

(2) ग्राम अमतहा में रोड क्रासिंग का कार्य करा दिया गया है ।

(3) ग्राम कृत पिपरा में टूटी हुई नाली को ठीक करा दिया गया है तथा एक्वाडक्ट का निर्माण कराया गया ।

(4) ग्राम सोनरा में टूटी एवं झुकी हुई नाली की मरम्मत करायी गयी ।

(5) खेम पिपरा में नाली की मरम्मत करायी गई ।

(6) ग्राम सेखुई कुलाबा संख्या 3 का कमाण्ड क्षेत्र विभाजित किया गया तथा विभाजन के अनुरूप समस्त क्षेत्रों में पानी पहुंचाने की व्यवस्था करायी जा रही है ।

जांच अवधि जिन गावों से सम्बन्धित है उनमें 182 किलोमीटर कच्ची नालें 12·8 किलोमीटर पक्की नाली व 68 किलोमीटर चक मार्ग का निर्माण किया गया जिन पर 7,43,807 रु0 व्यय हुआ ।

स्वावलम्बी इन्टर कालेज बिशुनपुरा के विरुद्ध शिकायती-पत्र की जांच

179--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर में स्थित स्वावलम्बी इन्टर कालेज, विशुनपुरा में प्रश्नकर्त्ता द्वारा की गई शिकायतों पर दिनांक 24-1-83 को उप शिक्षा निदेशक, सप्तम् मंडल, गोरखपुर जांच में गये थे ? यदि हां, तो शिकायती-पत्र में बिन्दुवार शिकायतें क्या-क्या हैं ? इनमें से किन-किन की जांच की गई ? जांच में क्या-क्या तथ्य प्रकाश में आये ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

अतर्रा महाविद्यालय, बांदा की प्रबन्ध समिति के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं की जांच

180--प्रोफेसर चन्द्र प्रकाश शर्मा--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के सातवें सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 19 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा के अतर्रा महाविद्यालय, अतर्रा की प्रबन्ध समिति के विरुद्ध अतर्रा थाने में भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं की जांच हेतु एक रिपोर्ट नं0 160, अक्तूबर, 1978 दर्ज है ? यदि हां, तो उक्त प्रबन्ध समिति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बक्शी--

जी हां ।

उक्त रिपोर्ट की विवेचना जिला स्तर पर हो रही थी। इसी बीच दिनांक 27-7-83 से इस केस की केस डायरी और समस्त पत्रजात सेक्टर आफिसर सी0 बी0 सी0 आई0 डी0 अपने कब्जे में लेकर विवेचना कर रहे हैं।

181--प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा--

[3रे गुरुवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 44 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद उन्नाव के विकास खण्डों में राजकीय अथवा मान्यता प्राप्त हाई स्कूल तथा इन्टर कालेज

182--श्री भोखालाल--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्नाव जनपद के प्रत्येक विकास-खण्ड में कितने-कितने हाई स्कूल तथा इन्टर कालेज राजकीय अथवा मान्यताप्राप्त हैं ? यदि किसी विकास खण्ड में कोई ऐसा विद्यालय नहीं है, तो वहां पर विद्यालय खोलने की क्या योजना बनाई जा रही है ? कब तक विद्यालय खोला जा सकेगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां। सूची संलग्न है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

(देखिए नत्थी "ज" आगे पृष्ठ 248 पर।)

183--श्रीमती प्रेमवती तिवारी--

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]।

जनपद पौड़ी-गढ़वाल के विकास क्षेत्र कोट के अन्तर्गत जामताखाल-चराकोट मोटर मार्ग का निर्माण

184--श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे जनपद पौड़ी-गढ़वाल के विकास क्षेत्र कोट के अन्तर्गत जामताखाल-चराकोट मोटर मार्ग का निर्माण किस वित्तीय वर्ष में किया गया है और इस पर कितना धन व्यय हुआ है ? इस मार्ग के निर्माण से किन-किन ग्रामों को मोटर यातायात की सुविधा मिली है तथा इस मोटर मार्ग को कब तक सार्वजनिक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित किये जाने की सम्भावना है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

इस मोटर मार्ग का निर्माण कार्य वर्ष 1977-78 से प्रारम्भ कर 1978-79 तक करवाया गया था, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग द्वारा इस मोटर मार्ग पर 9.604 लाख रुपये व्यय किये जा चुके हैं। प्रस्तावित कार्य के पूर्ण हो जाने पर जिन ग्रामों को मोटर यातायात की सुविधा प्राप्त होगी वे हैं, ग्राम--खडेत, भदला,

बलमगा, जामला, दालमी, चराकोट, उनरात, ढुंगीं, मोनथी, पोखरी, कंडी, मुच्छाली कुलासु, सैंज एवं भटगांव । इस मोटर मार्ग को सार्वजनिक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

(विधान सभा के प्रथम सत्र 1983 के पहले मंगलवार, दिनांक 8 फरवरी, 1983 को श्री गोपीनाथ वर्मा, सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 92 के मूल उत्तर में संशोधन)

अस्थायी खण्ड, हरदोई द्वारा गर्रा नदी से पुल के टोल की नीलामी

मूल प्रश्न

92--क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अस्थायी खण्ड हरदोई द्वारा कस्बा सांडी, जिला हरदोई के गर्रा नदी के पुल के टोल का नीलाम 26-5-80 को 2 लाख 6 हजार में किया गया जिसमें 17,510 रु0 की कोर्ट फीस लगनी थी, परन्तु उसमें केवल 2,200 रुपये के स्टाम्प लगाये गये जिसमें सरकार को लगभग 15,000 रु0 की हानि हुई "यदि हां, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?"

श्री अम्मार रिजवी--

मूल उत्तर

जनपद हरदोई में बिलग्राम-सांडी-अल्लागंज मार्ग के कि0 मी0 15 में गर्रा सेतु पर पथकर वसूली का ठेका अधिशासी अभियन्ता, अस्थायी खण्ड, सार्वजनिक निर्माण विभाग, हरदोई द्वारा दिनांक 26-5-80 को 2 वर्ष के लिए नीलाम किया गया था, इसमें प्राप्त उच्चतम बोली रु0 1,03,000 प्रति वर्ष पर ठेका 2 वर्ष के लिए दिया गया। पथकर वसूली के ठेके के पट्टे पर नियमानुसार देय रु0 8,755 के स्टाम्प लगाकर पट्टे की रजिस्ट्री दिनांक 19-8-82 को की गई । अतः क्षति का प्रश्न पैदा नहीं होता ।

संशोधित उत्तर

जनपद हरदोई में बिलग्राम सांडी अल्लागंज मार्ग के कि0 मी0 15 में गर्रा सेतु पर पथकर वसूली का ठेका अधिशासी अभियन्ता, अस्थायी खण्ड, सार्वजनिक निर्माण विभाग, हरदोई द्वारा दिनांक 25-10-80 को 2 वर्ष के लिए नीलाम किया गया था, इसमें प्राप्त उच्चतम बोली रु0 1,03,000 प्रति वर्ष पर ठेका 2 वर्ष के लिए दिया गया । पथकर वसूली के पट्टे पर नियमानुसार देय रु0 8,755 के स्टाम्प लगाकर पट्टे की रजिस्ट्री दिनांक 19-8-82 को की गई । अतः क्षति का प्रश्न पैदा नहीं होता ।

नियम 301 की सूचनायें

श्री अध्यक्ष--

नियम 301 के अन्तर्गत कुल 34 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं । जिसमें से माननीय जनार्दन प्रसाद ओझा और माननीय सन्तबख्श रावत जी की जो सूचना है, उसमें 200 से अधिक शब्द है इसलिए मैं उसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूं और अस्वीकार कर रहा हूं । सर्वश्री जगदीश सिंह, राजेन्द्र कुमार गुप्त, राम गोविन्द, लालसा राम,

श्रीमती गौरी देवी, कुंवर सिंह नेगी, नरेन्द्र सिंह भण्डारी, श्याम नरायन तिवारी, राम आसरे वर्मा, मित्रसेन, गोपीनाथ वर्मा, राम कुमार भार्गव, कुमारी अलमेलु अम्माल, प्रदीप कुमार यादव, नन्दराम, नन्द किशोर सिंह, विद्यासागर नौटियाल, चन्द्र प्रकाश शर्मा, सत्यपाल सिंह, अकबर हुसैन, भीखालाल, केदारनाथ सिंह, कन्हैया लाल, धर्मपाल, ईश्वर शरण विद्यार्थी, बाबूराम, डाक्टर विनोद तिवारी, खैरुल बशर, शंकर सिंह, जैराज गौतम तथा भागीरथी की सूचनाओं को मैंने स्वीकार कर लिया है और शासन, उस पर, जैसे नियम 301 के अन्तर्गत कार्यवाही होती है, कार्यवाही करे । शासन द्वारा उस पर कार्यवाही होगी । इन्हें पढ़ने की मैं कोई आवश्यकता नहीं समझता । यह सब पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

शाहजहांपुर में नहरों तथा रजबहों की सफाई न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जगदीश सिंह—

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस आदरणीय सदन का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना की ओर आकर्षित करते हुए कहना चाहूंगा कि जनपद शाहजहांपुर के नहर विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों ने प्रथम उप खन्ड नहर द्वारा विजसिन रजबहा, बुथौली रजबहा, अठाना रजबहा आदि जो शाहजहांपुर ब्रान्च से निकलते हैं, वर्ष 1982-83 में इन नहरों की सफाई केवल कागज पर दिखाकर तथा फर्जी वाऊचर लगाकर लगभग 2 लाख रुपये का भुगतान कर दिया है जबकि वास्तव में नहरों की सफाई नहीं की गयी है ।

अतः मेरी मांग है कि इन रजबाहों की सफाई की जांच तुरन्त करायी जाय तथा दोषी अधिकारियों को दन्डित किया जाय]

सीतापुर में बिजली आपूर्ति में अनियमितता से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

[मान्यवर, आप की अनुज्ञा से सदन के संज्ञान में यह तथ्य लाना चाहता हूं कि सीतापुर में बिजली की अघोषित कटौती एवं आपूर्ति की अस्त-व्यस्तता के कारण जन-जीवन त्रस्त है तथा उद्योग एवं व्यापार को गहरा धक्का लग रहा है । सायंकाल बाजार बन्दी से मात्र कुछ समय पूर्व बिजली का लोप होना नियम सा बन गया है । आतंक छा जाता है । इससे अपराधी तत्वों को बढ़ावा मिलता है । विकराल पेय जल संकट, विद्युत् कटौती के समय सबसे बड़ी मुसीबत है । नगर में बिजली के फ्यूज ठीक कराने की शिकायतें 12-12 घंटे बीतने पर भी ठीक नहीं होती । सब-स्टेशन नं0 1 पर मात्र एक गैंग है । व्यवस्था इतनी दोषपूर्ण है कि यहां के 66 के0 वी0 मुख्य विद्युत् गृह से निकटवर्ती जिला हरदोई तथा खीरी आदि को सप्लाई होती है परन्तु सीतापुर के लोग तड़पते रहते हैं ।]

मान्यवर, इस अविलम्बनीय लोक महत्व की समस्या की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट कर त्वरित निदान की मांग करता हूं ।]

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट—[ ] पढ़ा हुआ माना गया ।

गोरखपुर में गणेश शुगर मिल का शीरा बहकर खेतों मे जाने से फसल की क्षति तथा वातावरण पर प्रभाव के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राम गोविन्द--

महोदय,

[गोरखपुर जनपद में फरेन्दा (आनन्द नगर) के जयपुरिया प्रतिष्ठान की गणेश शुगर मिल लि0 है। उसके चीनी मिल का शीरा मिल के बाहर खुले हुए गड्ढा खोदकर रखा गया है जो नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। खुले में रखने के कारण शीरा बहकर खेतों में चला गया है जिससे उन क्षेत्र की फसल अधिकांश जल गई है। ग्राम मथुरा व सिधवारी नगर एवं आस-पास अधिकांश गांवों में पीने का पानी शीरा के सीपेज के कारण पीने योग्य नहीं रह गया है। जल प्रदूषण के मिल के चार किलोमीटर क्षेत्र में भयंकर बदबू हो रही है जो वायु प्रदूषण का कारण है इससे गम्भीर बीमारी फैलने का खतरा उत्पन्न हो गया है। इसके लिए जनता पार्टी के नेता हर्षवर्धन सिंह वहां आन्दोलन कर रहे हैं।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय एवं निश्चित विषय पर माननीय सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए शासन से मांग करता हूं कि मिल मालिक एवं व्यवस्थापक के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करें तथा सिद्धवारी मथुरा नगर की पांच हजार जनता के पीने का पानी का प्रबन्ध करें तथा वहां बीमारी फैलने से रोकने का प्रबन्ध करें।]

ग्राम बौड़रा, थाना अतरौलिया, आजमगढ़ में आवास हेतु आवंटित भूमि के पट्टेदारों का पुलिस द्वारा हटाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री लालसा राम--

[मान्यवर, जिला आजमगढ़, तहसील फूलपुर, थाना अतरौलिया के अन्तर्गत ग्राम बौड़रा में सन् 1973 में भूमि प्रबन्ध समिति द्वारा रामराज, लालसा बहाऊ इत्यादि हरिजनों को आवास हेतु भूमि आवंटित किया गया। पट्टेदारों का मौके पर मंड़ई कच्ची दीवार नाद हौदी से कब्जा भी है, परन्तु बड़े खेद का विषय है कि थाना इंचार्ज श्री महेन्द्र राय तथा बैजनाथ गुप्ता, नायब थानेदार द्वारा उसी गांव के कुछ लोगों के जबरियन अवैध रूप से उन्हें उजाड़ा जा रहा है और अनुचित धन लेकर कानून व्यवस्था के बहाने इन पट्टेदारों का उत्पीड़न किया जा रहा है।

मेरे आग्रह अनुरोध पर माननीय राजस्व मंत्री जी ने अपने पत्र सं0 2814, दिनांक 28-4-83 को जिलाधिकारी, आजमगढ़ को आदेश भी भेजा है कि पट्टेदारों का कब्जा सुनिश्चित कर सूचित किया जाय। परन्तु दुर्भाग्य से अभी तक कुछ नहीं हुआ। इस प्रकार जिला प्रशासन एवं पुलिस कर्मियों द्वारा खुलेआम 20 सूत्री कार्यक्रम का उल्लंघन किया जा रहा है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट--[ ] पढ़ा हुआ माना गया।

अतः मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाते हुए शासन द्वारा पट्टेदारों को तत्काल कब्जा दिलाने तथा नियम विरुद्ध अवैध कब्जा करने वालों और उदासीनता और पक्षपात करने वाले कर्मचारियों को दंडित करने की मांग करता हूं ।]

सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, वाराणसी में वन प्रसारकर्ता पद के लिये हुई परीक्षा में अनियमितता के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्रीमती गौरी देवी--

[मान्यवर, सामाजिक वानकी वन प्रभाग, वाराणसी के अन्तर्गत वन प्रसार-कर्ता के पद के लिए 24 जुलाई, 1983 को परीक्षा हुई, लगभग 2,000 अभ्यर्थियों ने भाग लिया । प्रभागीय निदेशक की देखरेख में यह परीक्षा हुई जिसमें भारी गोलमाल एवं अनियमितता बरती गयी । किसी भी परीक्षार्थी की अभ्यास पुस्तिका पर कक्ष निरीक्षक का हस्ताक्षर नहीं कराया गया, उन पर मात्र प्रभागीय निदेशक के हस्ताक्षर हैं ।

प्रभागीय निदेशक ने कुछ अभ्यर्थियों को परीक्षा के पूर्व ही उन्हें कापियां व प्रश्न पत्र प्रदान कर दिया था जिसे परीक्षा भवन में उन्होंने जमा कर दिया और परीक्षा भवन में मिली कापियों को लेकर घर चले आए। परीक्षा के बाद भी उत्तर पुस्तिकाओं को बदलने का कार्य व्यापक स्तर पर किया गया । प्रभागीय निदेशक ने उत्तर पुस्तिकाओं के लिए अपने गृह जनपद आजमगढ़ भेजा है । इस प्रकार परीक्षा निष्पक्ष एवं वास्तविक नहीं है ।

प्रदेश के वन प्रभागों में हुई इस प्रकार की परीक्षाओं में भी घपला एवं अनियमितता की गयी है जिससे बेरोजगार नवजवानों में काफी असंतोष है एवं स्थिति गम्भीर है ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर वन प्रसार कर्त्ता परीक्षा को निरस्त करके परीक्षा में घपले की जांच की मांग करती हूं ।]

पर्वतीय क्षेत्र के अस्पतालों में पर्वतीय क्षेत्रों के डाक्टरों की नियुक्ति न किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री कुंवर सिंह नेगी--

[महोदय, पर्वतीय क्षेत्र के आठों जनपदों में राजकीय चिकित्सालयों में चिकित्सकों के 85 प्रतिशत पद पर रिक्त पड़े हैं, मुख्य मंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री जी के बार-बार आश्वासनों के बावजूद भी रिक्तियां पूर्ण नहीं की जा रही हैं । मैदानी क्षेत्र के डाक्टर नियुक्ति पाने के बाद पर्वतीय क्षेत्र में जाते ही नहीं हैं और शासन की नीति एवं नियमों के विरुद्ध अपना स्थानान्तरण करवा लेते हैं । पर्वतीय

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट--[ ] पढ़ा हुआ माना गया ।

[श्री कुंवर सिंह नेगी--]

क्षेत्र के डाक्टरों को जो वर्षों से बेरोजगार हैं और जो पर्वतीय क्षेत्र में सभी परिस्थितियों में रूचिपूर्वक काम कर सकते हैं, नौकरियों से वंचित किया जा रहा है, सारे पर्वतीय क्षेत्र में दवाइयों एवं अन्य चिकित्सा सुविधाओं की भारी कमी है, ठीक उपचार एवं सुविधा न होने से सैकड़ों मौतें हो रही हैं जनजीवन को भयंकर खतरा उत्पन्न हो गया है, शासन की गलत नीति एवं निष्क्रियता के कारण आम जनता में भयंकर रोष एवं आक्रोश व्याप्त हो गया है ।

अतएव मैं लोक महत्व के इस अविलम्बनीय एवं सुनिश्चित प्रश्न को माननीय सदन के संज्ञान में लाकर माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि पर्वतीय क्षेत्र में अविलम्ब डाक्टरों के सभी पदों पर नियुक्तियां कर दी जायें तथा वहीं चिकित्सा सुविधाओं एवं दवाओं की उचित व्यवस्था की जाय ।]

पर्वतीय क्षेत्र के विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति न होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी--

[महोदय, पर्वतीय क्षेत्र के आठों जनपदों में बेसिक शिक्षा परिषद् के विद्यालयों एवं राजकीय हाई स्कूल व इन्टर कालेजों में वर्षों से शिक्षकों के पद काफी संख्या में रिक्त पड़े हुए हैं । मुख्य मंत्री एवं शिक्षा मंत्री के बार-बार आश्वासन दिलाने पर भी रिक्तियां पूरी नहीं होती हैं, अध्यापकों की कमी के कारण पढ़ाई सुचारु रूप से न होने के कारण छात्रों का परीक्षाफल अत्यन्त निराशाजनक है, राजकीय हाई स्कूल एवं इन्टर कालेजों में प्रधानाचार्यों के पद रिक्त पड़े हैं जिस कारण विद्यालयों की सारी व्यवस्था चौपट हो गयी है, विद्यालयों में इतने लम्बे समय से इतनी अधिक संख्या में अध्यापक न होने से अभिभावकों में अपने बच्चों के भविष्य के बारे में घोर चिन्ता एवं आक्रोश व्याप्त हो गया है ।

अतएव मैं लोक महत्व के इस अविलम्बनीय एवं सुनिश्चित प्रश्न की ओर माननीय शिक्षा मन्त्री का ध्यान आकर्षित करता हूं और मांग करता हूं कि अविलम्ब ही पर्वतीय क्षेत्र के बेसिक शिक्षा परिषद् के सभी विद्यालयों तथा राजकीय हाई स्कूल एवं इन्टरमीडिएट कालेजों में अध्यापकों एवं प्रधानाचार्यों के रिक्त पदों पर नियुक्तियां कर दी जायं ।]

गोरखपुर में आनन्दनगर गणेश शुगर मिल के शीरे के फैलाव से वातावरण प्रदूषित होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री श्याम नरायन तिवारी--

[मान्यवर, गोरखपुर के आनन्दनगर गणेश शुगर मिल्स के शीरा जमा करने के गड्ढे को निहायत छोटे व कच्चे होने के कारण पूरा शीरा आस-पास के गांव, सनिचरहिया, मथुरानगर, आनन्दनगर के चारों तरफ फैल गया है । नाले का पानी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट--[ ] पढ़ा हुआ माना गया ।

फैलकर बदबूदार एवं खराब हो गया है, भयानक बदबू से लोगों का रहना कठिन हो रहा है, पूरा वातावरण प्रदूषित हो चला है ।

चारों तरफ हाहाकार मचा है, लोग गड्ढे तोड़ने या कुछ भी करने को तैयार हो रहे हैं । भयंकर असंतोष एवं रोष व्याप्त हो गया है ।

अतः अविलम्बनीय लोक महत्व के इस विषय की तरफ श्रीमान् के माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं तथा मांग करता हूं कि तुरन्त शीरा के गड्ढे को बड़ा करके एवं पक्का कराया जाय । निकासी की नाली बड़ी बनवाकर बढ़ायी जाय और शीरा तुरन्त हटाया जाय ।]

जनपद हरदोई के तहसील बिलग्राम के कतिपय ग्रामों में बनगायों के आतंक के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राम आसरे वर्मा--

[जनपद हरदोई की तहसील बिलग्राम के अनेक गांव बनगायों के प्रकोप से पीड़ित हैं । लगभग 300 बनगायों ने खरीफ की फसल बरबाद कर डाली है । रहुला, बधियारी, सदरपुर, पड़रालखनपुर, गौरा, मुड़ियाखेड़ा, सेलापुर जेहदोपुर, हसनापुर, शाहपुर बसुदेव आदि लगभग 150 गावों के किसान रात-रात जागकर भी बनगायों के प्रकोप से अपनी फसल न बचा सके हैं । विगत कई वर्षों से इन्हें बनगायों के कारण तबाही झेलनी पड़ी है । शासन ने इन गायों के पकड़वाने के लिए कई बार आश्वासन दिये किन्तु पकड़ाये जाने के प्रयास तक नहीं किये गये । लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए बनगायों को तत्काल पकड़ाये जाने तथा किसानों को राहत दिये जाने की व्यवस्था की मांग करता हूं ।]

फैजाबाद में मड़हा (तमसा) नदी की बाढ़ से क्षति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मित्रसेन--

[जनपद फैजाबाद के अन्तर्गत तहसील बीकापुर के उत्तरी सीमा पर प्रारम्भ से अन्तिम छोर तक बहने वाली मड़हा नदी (तमसा) उक्त तहसील में स्थित प्रति वर्ष बाढ़ से 70 (सत्तर) गांव को प्रभावित करती है । जिसका प्रभावित क्षेत्रफल 12000 (बारह हजार) हेक्टेयर है और जनसंख्या लगभग 1,00,000 (एक लाख) है । जानवरों की जनसंख्या 50,000 (पचास हजार), फसलों की हुई क्षति का अनुमानित आकलन 98,00000 (अट्ठानबे लाख) टन है । और प्रति वर्ष राहत सामग्री एवं नकद के रूप में दी गयी सरकारी सहायता औसतन 2,00000 (दो लाख) रुपये तथा बाढ़ सहायता में लगायी गयी नावों की संख्या 50 (पचास)

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट--[ ] पढ़ा हुआ माना गया ।

[श्री मित्रसेन]--

है । प्रतिवर्ष पूर्णरूप एवं आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानों की संख्या 2500 (दो हजार पांच सौ) है । अनुमानित क्षति 12,00,000 (बारह लाख) रुपये प्रति वर्ष है । राजस्व विभाग के उपरोक्त अनुमानित आकलन के आधार पर गत वर्ष बाढ़नियंत्रण अनुसंधान खंड, फैजाबाद में अपनी सर्वेक्षण रिपोर्ट शासन के स्वीकृति हेतु प्रेषित की है । शासन से स्वीकृति न मिलने के कारण मड़हा नदी को गहरा कराने की योजना खटाई में पड़ी है । इसलिए प्रभावित जनता में गहरा असंतोष व्याप्त है । आपके माध्यम से शासन से जनहित में उक्त मड़हा नदी को गहरा कराने की योजना की स्वीकृति की मांग करता हूं ।]

प्रदेश के वैक्सीनेटर एसोसियेशन एवं मलेरिया कर्मचारी संघ द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में अनशन किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री गोपी नाथ वर्मा--

[महोदय, वैक्सीनेट एसोसियेशन एवं मलेरिया कर्मचारी संघ आदि द्वारा स्वास्थ्य सचिवालय के समक्ष दिनांक 9-9-83 से आमरण अनशन किया जा रहा है । उक्त तिथि को स्वास्थ्य सचिवालय के उपद्रवी कर्मचारी भवन के ऊपरी हिस्से से ग्लास फेंके जो कि एक आमरण अनशनकारी के सर में लगा जिसके कारण उक्त अनशनकारी की हालत बेहद खराब हो गयी है और घायल अनशनकारी का उपचार भी नहीं हो सका है । जिसके कारण अनशनकारियों एवं कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त हो गया है । अनशनकारियों की निम्नलिखित मांगे हैं--

1--बेसिक हेल्थ वरकर्स हाउस विजिटर्स, महिला कार्यवाही व वैक्सीनेटर ग्राम स्तरीय कर्मचारियों को परिवार कल्याण स्वास्थ्य सहायक के समान रु0 400-615 का वेतनमान दिया जाय । वेतन आयोग के प्रतिवेदन खण्ड-2, भाग-1 के पृष्ठ संख्या-134 के अन्तर्गत प्रस्तर 10, 12, 10, 14, 15, 16 के आधार पर तथा दिनांक 16 दिसम्बर 1982 के स्वास्थ्य मंत्री के समझौते के आधार पर समस्त स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के 400-615 के वेतनमान तथा सुपरवाइजर्स को 515-860 के वेतनमान दिये जाने की बात कही गयी थी ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार से मांग करता हूं कि उक्त संगठन की मांगों को अविलम्ब पूरा किये जाने हेतु आदेश प्रदान करें ।]

विधान सभा क्षेत्र बिसवा, सीतापुर में नाले का निर्माण न होने से कतिपय ग्रामों के डूब जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राम कुमार भार्गव--

[मान्यवर, आपके माध्यम से इस आदरणीय सदन का ध्यान निम्न अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर कराना चाहता हूं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट--[ ] पढ़ा हुआ माना गया ।

मेरा विधान सभा क्षेत्र बिसवां (सीतापुर) का नगब व इलाका चन्द दिनों में फिर डूबने वाला है। विगत तीन वर्षों से लगातार डूब रहा है जिससे जन जीवन की भी हानि होती है। यह सिर्फ एक नाला जो प्रस्तावित भी है, न बन पाने के कारण। इस सम्बन्ध में इस आदरणीय सदन में कई बार सवाल उठाया जा चुका है मगर यह नाला डेढ़ कि0 मी0 बनने के बाद केवल 500 मीटर और बनना है मगर सरकारी फाईल और तौर-तरीके के कारण न बन पाया। कभी कहा जाता है कि रेलवे से नो-आबजेक्शन नहीं मिला कभी और कुछ।

मान्यवर, आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि जनजीवन के महान हानि को बचायें फाइलों से जनता को जीवन ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस प्रस्तावित नाले को अविलम्ब बनवाकर इस वर्ष तो हमारा बिसवा नगर बचा लें।]

बस्ती सदर में बिजली आपूर्ति की नियमित मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

कु0 अलमेलु अम्माल—

[मैं निम्नलिखित अविलम्बनीय, लोक महत्व का विषय सदन के संज्ञान में लाना चाहती हूं :—

बस्ती सदर में बिजली की अव्यवस्था से गम्भीर संकट पैदा होने की सम्भावना हो गयी है बिजली की अनियमितता तथा निर्धारित समय से न आने से शहर के रोजगार धंधों पर काफी दुष्प्रभाव पड़ा है। कई रोजगार, धंधे बन्द हो गये हैं। यही नहीं बिजली की पूर्ति में अनियमिमता से अराजक तत्वों का संचार कार्य बढ़ गया है। सारे शहर की जनता में क्षुब्ध और त्रस्त होने की भावना व्याप्त है।

अतः मैं इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय के बारे में माननीय मुख्य मंत्री जी से मांग करती हूं कि बस्ती शहर में बिजली की आपूर्ति नियमित और निर्धारित समय पर अवश्य की जाय।]

श्रीमती राज कुंवरि, निवासिनी बाधा जोत, थाना हुजूरपुर, जनपद बहराइच के पुत्र की हत्या पुलिस साजिश से असामाजिक तत्वों द्वारा किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री प्रदीप कुमार यादव—

[मान्यवर, आपकी आज्ञा से एक अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं। श्रीमती राज कुंवरि बेवा स्व0 श्री महादेव सिंह, साकिन बाधाजोत, थाना हुजूरपुर जनपद बहराइच की अचल सम्पत्ति हड़पने की नियत से उसके पुत्र श्री कप्तान सिंह की दिनांक 16-8-83 को देवी सिंह, इन्द्र बहादुर सिंह तथा राधे सिंह आदि ने पुलिस से मिलकर हत्या कर दी। पुलिस ने अभी तक अभियुक्तों को पकड़ा नहीं है। वे खुले आम घूम रहे हैं और मुझे भी मारने की धमकी दे रहे हैं।

अतः मान्यवर, श्रीमती राजकुंवरि की सुरक्षा एवं उसके पुत्र के हत्यारों को गिरफ्तार कर उचित न्याय दिलाने की मांग करता हूं।]

नोट—[ ] पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनपद बरेली के अन्तर्गत ब्लाक भूता के कतिपय ग्रामों में मलेरिया का प्रकोप के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री नन्दराम--

[महोदय, आपकी अनुज्ञा से आदरणीय सदन एवं शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाना चाहता हूं कि बरेली जिला की तहसील फरीदपुर के अन्तर्गत ब्लाक भूता में तथा आस-पास के इलाके में बड़ी जोरों से मलेरिया का प्रकोप बीमारी फैल रही है जिससे हजारों की संख्या में लोग बीमार हैं और समस्त क्षेत्र मलेरिया के प्रकोप से ग्रसित हैं। जिला अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया गया लेकिन कोई समुचित ध्यान न दिया गया जिससे हजारों लोग मलेरिया की चपेट में ग्रसित हैं। अधिकांश हरिजन क्षेत्रों में अधिक प्रकोप है।

शासन की ओर से अभी तक कोई व्यवस्था न किये जाने से बरेली जिले तथा उत्तर प्रदेश के समस्त मलेरिया से पीड़ित क्षेत्र की जनता में शासन के प्रति घोर असंतोष एवं आक्रोश तथा उत्तेजना व्याप्त है।

अतएव उक्त विषय को शासन के संज्ञान में लाते हुए माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से तुरन्त मलेरिया ग्रसित क्षेत्रों में समुचित इलाज का प्रबन्ध किये जाने की मांग करता हूं। इसके लिए दोषी एवं लापरवाह अधिकारियों को निलम्बित किये जाने की भी मांग करता हूं।]

देवरिया तथा गोरखपुर जनपदों में गण्डक नहर की सीपेज से उत्पन्न स्थिति तथा ट्यूबवेलों की मरम्मत की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री नन्द किशोर सिंह--

[महोदय, मैं आपका ध्यान अति अविलम्बनीय लोक महत्व के गम्भीर विषय की ओर बिलाते हुए निवेदन करता हूं कि देवरिया, गोरखपुर जिले में जो गण्डक नहर बहती है उसके कारण पूरे इलाके में सीपेज के कारण खेतों में दो फुट पानी लग गया है। सारे पेड़-पौधे सूख रहे हैं। पानी का धरातल ऊपर आ गया है इससे पानी पीने में बीमारियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। पानी का लेवुल नीचे करने के लिये एक हजार ट्यूबवेल बनाये गये हैं जिसमें एक भी ट्यूबवेल नहीं चल रहा है न किसी को बिजली लाइनों से जोड़ा गया है। पूरे गण्डक नहर इलाके में हाहाकार मच गया है।

अस्तु इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर माननीय सदन एवं सिंचाई मंत्री का ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करता हूं कि गण्डक नहर इलाके में लगे ट्यूबवेलों को तत्काल चलाने का कष्ट करें।]

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट--[ ] पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद टिहरी गढ़वाल के देव प्रयाग तहसील के ग्राम डिन्दान ही के हरिजनों को आवंटित आवास हेतु भूमि पर कब्जा दिलाये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

जनपद टिहरी गढ़वाल के देव प्रयाग तहसील के ग्राम डिन्दान पट्टी के हरिजनों को आवंटित आवास हेतु भूमि पर कब्जा दिलाये जाने का मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विद्यासागर नौटियाल--

[मान्यवर, टिहरीगढ़वाल जनपद की देव प्रयाग तहसील के डिन्दान पट्टी के गोबरू शाह तथा सोलह अन्य हरिजनों को अप्रैल, 1980 में शासन ने टिहरी वन प्रभाग के मरगांव कम्पार्टमेन्ट में कुल 30 नाली (1 1/2 एकड़) भूमि पर पुनर्वासित करने का आदेश दिया था। इन हरिजनों को अभी तक यह भूमि नहीं मिली और वे आवासहीन स्थिति में हैं। एक प्रभावशाली व्यक्ति ने अधिकारियों की सांठ-गांठ से इस भूमि पर बलात् कब्जा कर लिया है और प्रशासन जानबूझ कर उसे बेदखल नहीं कर रहा है।

श्रीमान् के माध्यम से मांग करता हूं कि इन बेसहारा हरिजनों को तत्काल प्रश्नगत भूमि का कब्जा देने की कार्यवाही की जाय।]

बुन्देलखंड के जिलों में बाढ़ से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*प्रो० चन्द्र प्रकाश शर्मा--

[मान्यवर, आपके माध्यम से इस आदरणीय सदन का ध्यान निम्न अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं।

विगत कई दिनों की भारी वर्षा से बुन्देलखंड के बांदा, झांसी, हमीरपुर व ललितपुर जनपद की नदियों में भयंकर बाढ़ आ जाने से जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। बांदा नगर से केन नदी का पानी प्रवेश कर गया है। पेय जल व्यवस्था भी ठीक से नहीं चल रही है। नगर के रहुनिया, खुप्ला व निम्नीपार मुहाल बाढ़ से घिर गये हैं। हमीरपुर नगर चारों ओर से बाढ़ के पानी से घिर कर टापू बन गया है। पूरा शहर खाली कराया जा रहा है। झांसी का माता टीला डैम क्षतिग्रस्त हो गया तथा ललितपुर शहर भी पानी से घिर गया है।

बुन्देलखंड में बाढ़ की स्थिति से उत्पन्न संकट को दूर करने के लिए सभी आवश्यक सहायता शीघ्र दिलाने की मांग करता हूं। बांदा नगर को बाढ़ से रोकने की योजना इस वर्ष लागू की जाये।]

तहसील मुख्यालय में बने आवासों में अधिकारियों द्वारा उनका प्रयोग न कर जनपद मुख्यालय में बने रहने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सत्यपाल सिंह--

[माननीय अध्यक्ष जी, लोक महत्व के प्रश्न पर आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकृष्ट कर सरकार के कार्यवाही की मांग करता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट--[ ] पढ़ा हुआ माना गया।

[श्री सत्य पाल सिंह—]

प्रदेश के अनेकों जिलों में जुडीशियल अधिकारियों, एस0 डी0 एम0 व उप-अधीक्षक पुलिस के आवास व न्यायालय तहसील मुख्यालयों पर बन चुके हैं। परन्तु उपरोक्त अधिकारी जनपदों के मुख्यालयों पर ही डेरा डाले पड़े हैं। इससे इमारतों में लगे धन का सदुपयोग नहीं हो रहा है। जनता के अलावा सरकार का भी काफी धन गवाहों पर खर्च हो जाता है। जनता को भी कठिनाई रहती है तथा सरकार की योजना की विफलता व शिथिलता भी दिग्दर्शित होती है। हमारे जनपद शाहजहांपुर में भी उपरोक्त सभी अधिकारियों के आवास व न्यायालय तहसील मुख्यालयों पर बन गये हैं। परन्तु अधिकारी मुख्यालय पर ही रहते हैं। इससे जनता को कठिनाई व असन्तोष है।

अतः लोक महत्व के प्रश्न पर तत्काल कार्यवाही कराने का कष्ट करें।]

तहसील बलरामपुर (गोंडा) में भामर नाले के कटान से कतिपय ग्रामों को क्षति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री अकबाल हुसैन—

[माननीय अध्यक्ष, मैं आपके माध्यम से इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि भामर नाला के कटान से ग्राम जहदरिया के करीमडीह तथा मनकी के मुस्लिम डीह को गम्भीर खतरा पैदा हो गया है। यदि दोनों ओर का कटान न रोका गया तो पूरी आबादी कट कर नदी के पेटे में आ जायेगी और लगभग 500 घर बेघर हो जायेंगे। इसी गैसंडी विकास खण्ड में त्रिलोकपुर का सुरवाडीह व पचपेड़वा विकास खण्ड में माधवनगर खादर व ललमरिया खादर को बगहा बूढ़ी राप्ती नदी काट रही है, उसके कटान को रोका जाय तथा फरोहवा से ललमरिया खादर तक जमींदारी बांध को मरम्मत करके बाढ़ नियंत्रित किया जाय।

अतः मैं मांग करता हूं कि नदी के कटान को रोक कर व बांध बंधवा कर जनता की रक्षा शासन करें।]

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बिलारी के प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा रोगियों से पैसा लेने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री अकबर हुसैन—

[महोदय, बिलारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी चिकित्साधिकारी ज्ञानेन्द्र सिंह अनैतिक रूप से धन कमाने में लगे हैं और रोगियों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं बिना पैसा लिए किसी रोगी को दवाई नहीं मिलती ऐसी ही एक दर्दनाक घटना को आपके सामने रखना चाहता हूं। श्री हरफूल सिंह यादव अपनी बीमार पत्नी कमला देवी को माह अगस्त में लेकर स्वास्थ्य केन्द्र पर गये तो डाक्टर ने उनसे 50 रु0 मांगे। रुपये न देने पर स्त्री रोगी को धक्का देकर बाहर निकाल दिया।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट—[ ] पढ़ा हुआ माना गया।

धक्का देने से रोगी गिर पड़ी और उसको गम्भीर चोट आयी, जिसके कारण कुछ समय पश्चात् उसकी मृत्यु हो गयी। इस घटना की थाना बिलारी पर रिपोर्ट लिखायी गयी परन्तु पैसे के बल पर उक्त अधिकारी ने कार्यवाही को रुकवा रखा है और मृतक के पति पर फैसला करने हेतु दबाव डलवा रहा है।

इस प्रकार की घटनाओं से क्षेत्र की गरीब जनता में उक्त अधिकारी के विरुद्ध अत्यन्त रोष व्याप्त है।

अतः मैं लोक महत्व के इस अविलम्बनीय एवं निश्चित विषय की ओर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए शीघ्र उचित कार्यवाही की मांग करता हूं।]

इटावा में मृत पशुओं को उठाने तथा हड्डी व चमड़ा का ठेका हरिजनों, मेहतरों को न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री भीखालाल—

[माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से एक महत्वपूर्ण विषय सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं।

जनपद इटावा में परम्परागत तरीके से मेहतर (हरिजन) समुदाय के लोग किसानों व आम जनता के यहां गन्दगी की सफाई व शादी ब्याह में जूठे पत्तल आदि उठाने का कार्य करते चले आ रहे हैं और किसान व अन्य लोग अपना गुजर बसर करते रहे हैं। इसके अलावा हजारों की संख्या मेहतरों के पास और कोई जीविका का साधन नहीं है।

इस वर्ष जिला परिषद् इटावा ने मृत पशुओं के उठाने व हड्डी चमड़ा लेने का ठेका उठा दिया है जो आम तौर पर हरिजनों ने ले लिया है और मेहतर समुदाय के लोग इन ठेकेदारों की मजदूरी करते हैं। इस प्रकार जिले के पूरे मेहतर समुदाय की रोजी रोटी का एक मात्र सहारा छिन गया है।

अतएव इस अत्यन्त अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न को सरकार के संज्ञान में लाकर मांग करता हूं कि ठेकेदारी की प्रथा को समाप्त करके मृत पशुओं के उठाने का काम पूर्ववत मेहतर समुदाय को करने दिया जाय।]

कन्धी मोहाल व हीरामन का पुरवा (कानपुर) में सीवर व्यवस्था न होने और नागरिकों से सीवर टैक्स की वसूली किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री केदार नाथ सिंह—

[मान्यवर, कानपुर महानगर में हर तरफ गन्दगी का राज्य व्याप्त है तथा कन्धी मोहाल व हीरामन का पुरवा में सीवर लाइन की व्यवस्था अभी तक नहीं की गयी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट—[ ] पढ़ा हुआ माना गया।

[श्री केदार नाथ सिंह—]

हैं। सीवर न होने के कारण दो व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी है लेकिन फिर भी जल संस्थान के अधिकारी इन क्षेत्रों में सीवर टैक्स का नोटिस देकर नागरिकों का उत्पीड़न कर रहे हैं। इन कठिनाइयों को देखते हुए कांग्रेस (ज) के कार्यकर्ता मोहम्मद शमीम कुरेशी, श्री अहमद जावेद सिद्दीकी, श्री साहिद हुसैन खां, श्री कमर अहमद खां आदि दिनांक 2-9-83 को रमन टाकीज, कानपुर के चौराहे पर आमरण अनशन के लिए बैठे थे परन्तु अधिकारियों ने अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर आपके माध्यम से शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए मांग करता हूं कि तत्काल सीवर लाइन व्यवस्था को ठीक कराने की व्यवस्था की जाय।]

मथुरा जनपद के कोसीनगर की राम लीला कमेटी का सोने का सिंहासन चोरी हो जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री कन्हैया लाल—

[माननीय अध्यक्ष, विधान सभा, उत्तर प्रदेश, महोदय, आज से लगभग दो वर्ष पूर्व मथुरा जनपद के कोसी नगर में श्री रामलीला कमेटी का सोने चांदी का बना हुआ लगभग ढाई लाख रुपए मूल्य का सिंहासन उसी नगर के कुछ जाने-माने प्रतिष्ठित कहे जाने वाले व्यक्तियों की साजिश से चोरी हो गया जिसकी बाक़ायदा पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है। बड़े दुख का विषय है कि इतनी बड़ी सार्वजनिक सम्पत्ति को खुलेआम की गयी चोरी की जांच स्थानीय पुलिस ने लालच वश व राजनैतिक दबाव में आकर दबा दिया और कोई कार्यवाही अब तक नहीं की गयी है। स्थानीय लोगों के सब्र का बांध टूट चुका है और जन आन्दोलन का रूप उस नगर में खड़ा हो गया है। लोगों में बहुत असन्तोष एवं तनाव है। पुलिस की इस अकर्मण्यता एवं कर्त्तव्यहीनता के विरुद्ध लोग अनशन कर रहे हैं एवं एक श्री भगवान दास ने 18 सितम्बर, 1983 को यदि कार्यवाही न हुई तो आत्मदाह करने की घोषणा कर दी है। नगर एवं क्षेत्र में रोष एवं तनाव का वातावरण व्याप्त है। जो किसी भी समय स्थिति को विस्फोटक बना सकता है। शासन की तरफ से अभी तक घोर लापरवाही एवं कर्त्तव्यहीनता बरती जा रही है।

अतः मैं आपके माध्यम से इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय को सदन एवं सरकार के संज्ञान में लाकर अविलम्ब उचित कार्यवाही की मांग करता हूं।]

मेडिकल कालेजज में डाक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस पर लगी रोक से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री धरमपाल—

[माननीय अध्यक्ष, मैं आपके माध्यम से लोकमहत्व के निम्नलिखित तथ्यों को सदन के संज्ञान में लाने की अनुमति चाहता हूं।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट—[ ] पढ़ा हुआ माना गया।

मेडिकल कालेज के प्राइवेट प्रैक्टिस 1 सितम्बर, 1983 से बन्द कर दिए जाने के कारण सुदूर जनपदों से आने वाले ग्रामीणों और शहरी मरीजों के सामने एक गम्भीर समस्या उत्पन्न हो गयी है। क्योंकि किंग जार्ज मेडिकल कालेज अथवा अन्य चिकित्सालयों में विशेषज्ञों द्वारा मरीजों को न देखने एवं मात्र ओ0 पी0 डी0 में ही आकर दिखाने के अनुरोध के कारण उन मरीजों के लिए विशेष रूप समस्या है जिन्हें अपने जनपद के डाक्टरों ने किसी विशेषज्ञ विशेष को दिखाने की राय दी है। क्योंकि ओ0 पी0 डी0 में विशेषज्ञ मात्र सप्ताह में एक दिन बैठते हैं। अतः ग्रामीणों एवं नगर क्षेत्र के आने वाले मरीजों को 10–15 दिन तक के पूर्व दिखा पाना सम्भव नहीं है ऐसे में जहां ग्रामीणों मरीजों के ऊपर आर्थिक भार पड़ेगा वहीं उनकी आवश्यक चिकित्सा भी समय से नहीं हो पा रही है। अतः आपसे अनुरोध है कि इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर शासन से तुरन्त वक्तव्य दिलाने का निदेश दें।

कर्जन ब्रिज के पास रेलवे लाइन पर मिली श्री संजय झा की लाश से छात्रों में व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी--

[माननीय अध्यक्ष जी, दिनांक 6 सितम्बर, 1983 को प्रातःकाल कर्जन ब्रिज के पास श्री संजय झा नामक इंजीनियरिंग कालेज के एक छात्र की लाश रेलवे लाइन पर टुकड़ों में मिली जिसके कारण कुछ छात्रों द्वारा लखनऊ, इलाहाबाद 358 डाउन ट्रेन रोक ली गयी। पता चला कि इसके पूर्व तीन ट्रेन उक्त लाश पर से गुजर चुकी थी।

मान्यवर, ऐसा केवल हत्या के तथ्य को छिपाने के लिए किया गया था। अगर रेल विभाग व पुलिस सूचना पाते ही लाश को अपने कब्जे में कर लिया होता तो न तो लाश के टुकड़े होते न छात्रों में आग भड़कती, न 22 घंटे तक ट्रेनों का आवागमन रुकता। इस स्थिति में प्रशासन की सूझ-बूझ से एक भीषण दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटने से बच गयी।

अतः सरकार से मांग करता हूं कि सम्बन्धित अकर्मण्य रेल विभाग व उसके जिम्मेदार अधिकारी के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही किया जाए साथ ही हत्या करने वाले अपराधियों को पकड़ कर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए तथा इसके आड़ में बेगुनाह व निर्दोष लोगों को न सताया जाए।]

जनपद पीलीभीत के कतिपय विकास खंडों में अतिवर्षा से मकानों की क्षति तथा राहत की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री बाबू राम—

[मान्यवर, मेरा जनपद पीलीभीत में 58 विधान सभा क्षेत्र है जिसके अन्तर्गत बरखेड़ा, ललौरी खेड़ा व अमरिया और मरौरी ब्लाक आते हैं अति वर्षा के कारण सभी ब्लाकों के मकानों की क्षति हुई व मकान गिरे हैं तथा फसल को

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट—[ ] पढ़ा हुआ माना गया।

[श्री बादु राम --]

भी हानि हुई है तथा पशुओं की भी मोतें हुई हैं । इस सम्बन्ध में सभी सुविधायें दिलवाई जावे । इस मद हेतु प्रत्येक ब्लाक में दो, दो लाख रुपए अनुदान के रूप में दिलवाने की कृपा करें । जिलाधीश को निदेश दें कि वे क्षेत्र में मेरे साथ दौरा करें तथा राहत कार्य करायें ।]

विधान सभा क्षेत्र पूरनपुर, जनपद शाहजहांपुर में बाढ़ से हुई क्षति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*डा० विनोद कुमार तिवारी--

[मान्यवर, मैं आपके संज्ञान में नियम 301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक-महत्व की सूचना लाना चाहता हूं । विगत दो दिनों की भारी बरसात से जनपद पीलीभीत तथा शाहजहांपुर में गम्भीर स्थिति पैदा हो गयी है । बाजार की मुख्य सड़कों पर तीन-तीन फिट तक पानी भरा हुआ है ।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र "60" विधान सभा पूरनपुर क्षेत्र में जनपद शाहजहांपुर का बुटार तथा बण्डा वि० क्षे० भी आता है, गम्भीर रूप से बाढ़ की चपेट में हैं । काफी संख्या में मकान गिर चुके हैं । सूचना मिली है कि कोई व्यक्ति भी इस बाढ़ विभीषिका में मौत की गोद में जा चुके हैं तथा काफी संख्या में पशुधन भी मर चुका है तथा सम्पूर्ण खरीफ की फसल को बाढ़ के कारण नुकसान होने का खतरा हुआ है । ऐसी स्थिति में आपसे अनुरोध है कि समस्त सरकारी वसूली रोकने हेतु जिलाधीश, पीलीभीत तथा शाहजहांपुर को निर्देश देने का कष्ट करें तथा दोनों जनपदों के जिलाधीशों को यह निर्देश दिलवाने का कष्ट करें कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में युद्ध स्तर पर राहत कार्य कराया जाये । साथ ही बाढ़ के साथ उत्पन्न बीमारियों की रोक-थाम हेतु आवश्यक कदम उठाये जायें ।

आपसे निवेदन है कि गृह अनुदान तथा जीविका हेतु राज्य सरकार को तत्काल तीस लाख रुपया मेरे निर्वाचन क्षेत्र हेतु भिजवाने का निर्देश देने का कष्ट करें ।]

औद्योगिक केन्द्र, मऊनाथ भंजन की सड़कों पर जलजमाव के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री खैरुल बशर--

[मान्यवर, मऊनाथ भंजन पूर्वांचल का बनारस और गोरखपुर के बाद सबसे बड़ा औद्योगिक केन्द्र है । वहां नगरपालिका के अधिकारी पैसों का भारी घोटाला करने, घूस लेकर अवैधानिक इनक्रोचमेन्ट की छूट दे रखी है दसियों लाख रुपये का गबन है । निर्माण कार्य रुका पड़ा है । सरकार सम्पत्ति पर लोग कब्जा कर रहे हैं । मेरे निवास-स्थान को जाने वाले मुख्य मार्ग खीरी बाग रोड पर गन्दे पानी की नालियां बह रही हैं । जिससे रास्ता अवरुद्ध हो गया है । बार-बार लिखित मांग करने पर भी सड़क ठीक नहीं की जा रही है । इसी रोड पर चार बड़े स्कूल हैं, जिस पर रोजाना दो हजार छात्र और छात्रायें और कितने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट--[ ] पढ़ा हुआ माना गया ।

ही नागरिक सीमेन्टेड रोड पर गन्दे पानी में चलकर आते-जाते हैं। वर्षा होने पर चार घंटे मेरे नि ास के आस-पास 1 वर्ग किलो मीटर पर घंटों पानी लगा रहता है।

भ्रष्ट पालिका अधिकारियों की बेईमानी के कारण हजारों लोग परेशान और दुखी हैं।

लोकमहत्व की इस अविलम्बिनीय समस्या की ओर शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और मांग करता हूं कि भ्रष्ट पालिका अधिकारियों के विरुद्ध उच्च स्तरीय जांच करायी जाय। अवरुद्ध मार्ग को ठीक कराता जाय बाटर लगिंग की समस्या से जनता को मुक्ति दिलाया जाय।]

परिवहन विभाग में कार्यरत सहायक अभियन्ता श्री अजय सिंह को बार-बार स्थानान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री शंकर सिंह—

[मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एक अविलम्बनीय लोकमहत्व की घटना को सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं। परिवहन विभाग में कार्यरत सहायक अभियन्ता श्री अजय सिंह, जो एक कर्मठ एवं कुशल अधिकारी हैं, को बार-बार स्थानान्तरित करके उत्पीड़ित किया जा रहा है। दो वर्ष पूर्व सिन्हा को वाराणसी से कानपुर स्थानान्तरित कर दिया गया जब श्री सिन्हा ने लखनऊ में अपना कार्यभार सम्भाल लिया तो ज्ञात हुआ है कि उन्हें पुनः लखनऊ से आगरा स्थानान्तरित किया जा रहा है जब कि माननीय मन्त्री जी ने 20 अगस्त, 1983 को यह आदेश दिये थे कि श्री सिन्हा को कानपुर में ही कार्य करने दिया जाय। अतः आपके माध्यम से शासन से यह मांग करता हूं कि दिनांक 20 अगस्त, 1893 के पूर्व की जो स्थिति थी उसी को बने रहने दिया जाय तथा श्री सिन्हा को कानपुर में ही तैनात किया जाय।]

पुलिस द्वारा ग्राम कोइरीपुर (सुल्तानपुर) निवासी दो व्यक्तियों की हत्या के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री जैराज गौतम—

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में निम्न विषय लाना चाहता हूं। मान्यवर, विगत दिनांक 6 सितम्बर, 1983 को कोइरीपुर-सुल्तानपुर के श्री गिरिजा शंकर वर्णवाल सन आफ श्री कपिल देव एवं शैलेन्द्र कुमार मिश्र को दो पुलिस कर्मियों श्री कर्मवीर एवं श्री राम आसरे ने रंजिश वश थाना कन्हई हनुमानगंज, प्रतापगढ़ में हत्या करके एक कुएं में लाश को डाल दिया।

श्री कर्मवीर पी0 जी0 आफिस, सुल्तानपुर एवं श्री राम आसरे लाल श्रीवास्तव, चौरे बाजार, फैजाबाद में कार्यरत हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट—[ ] पढ़ा हुआ माना गया।

श्री जंराम गौतम--]

दिनांक 7 सितम्बर, 1983 को प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अज्ञात लाश प्राप्त होने पर उपरोक्त तथ्य प्रकाश में आए। जिसमें छानबीन करने पर कुएं से लाश के साथ चारा काटने का गड़ासा बरामद हुआ। पूछतांछ के बाद एक महिला ने गड़ास को अपना बताकर छोटे लाल लोहार के यहां पीटने को देने की बात कही। छोटे लाल की गिरफ्तारी से उपरोक्त तथ्य प्रकाश में आए। इस बात की पुष्टि हुई कि उपरोक्त हत्या उक्त पुलिस कर्मियों द्वारा गड़ास लेकर की गई। पुलिस द्वारा छानबीन के बाद दोनों पुलिसकर्मी फरार पाये गये। अभी तक उनका कोई पता नहीं है। स्थानीय बाजार में आतंक छाया हुआ है।

अतः मैं आपके माध्यम से शासन से अविलम्ब प्रभावी कार्यवाही करने की मांग करता हूं।]

जनपद झांसी के मऊरानी क्षेत्र में बाढ़ की विभीषिका के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री भागीरथ--

[माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के संज्ञान में निम्नलिखित तथ्य की ओर ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। जनपद झांसी (बुन्देलखंड) मऊरानीपुर क्षेत्र के बाढ़ की विभीषिका में कई ग्राम फंसे पड़े हैं। जनता बाढ़ की चपेट में हजारों लोगों के बेघर व धन सम्पत्ति नष्ट हो जाने का खतरा हो गया है और कई गांव पानी में अभी भी डूबे हुये हैं। इस वर्ष इस विनाशकारी बाढ़ से इस क्षेत्र के छोटे-छोटे बांध व तीन नदियां पूर्ण रूप से प्रभावित हैं जैसे धतान नदी, सुखनई नदी व सपरार नदी, कमला सागर बांध, देवरी बांध, लेहचुरा बांध इत्यादि हैं। इसके टूट जाने से मेरे क्षेत्र के ब्लाक बंगरा, मऊरानीपुर वगुरूसराय 3 ब्लाक प्रभावित हुए हैं। इनके ब्लाक मऊरानीपुर के ग्रामों की संख्या बनाम इस प्रकार है जो बाढ़ में बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं। 23 ग्राम इत्यादि का आवागमम का मार्ग टूट गया है सुखनई नदी के पुल के टूट जाने से खुजराहो, झांसी, छतरपुर तथा अन्य शहरों से आवागमन का मार्ग बन्द हो गया है।

अतः आपसे अनुरोध है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर शासन से वक्तव्य दिलाया जाय तथा इस क्षेत्र को ज्यादा से ज्यादा सहायता देकर पीड़ित लोगों को राहत दिलाई जाय।]

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 2 के अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर गोपनीयता के आधार पर दिए जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। संसदीय कार्य मंत्री ने लोकायुक्त ऐक्ट की धारा 10 (2) का तिरस्कार किया, उस पर मुझे आपत्ति है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि यहां पर जो कोई स्टेटमेन्ट या सूचना सार्वजनिक

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट—[ ] पढ़ा हुआ माना गया।

रूप से प्रस्तुत की जाती है किसी आयोग के सामने तो वह गोपनीय कैसे हो जाती है ? जब मैंने एक प्रार्थना-पत्र, शिकायती-पत्र का प्रतिवेदन आयोग के सामने दिया तो वह गोपनीय कैसे रह गया । तो जब उसमें कोई गोपनीयता है ही नहीं तो उसके भंग होने का सवाल कहां है ? इसी सम्बन्ध में मैंने कहा था कि गोरखपुर के किसी अधिकारी या कई अधिकारियों आई० ए० एस० और आई० पी० एस० के प्रकरण आयोग के पास विचाराधीन हैं ? तो उसका भी, यही उत्तर यहां दिया गया, तो इसमें भी गोपनीयता कहां और कैसे भंग होती है । इस पर आप अपनी व्यवस्था दें ।

श्री अध्यक्ष---

मंत्री द्वारा प्रश्नों के सम्बन्ध में उत्तर दिए जाने के सन्दर्भ में आज कार्य संचालन नियमावली के नियम 38 (3) को पढ़ें, उसमें है कि यदि मंत्री की यह राय हो कि सदस्य द्वारा अपेक्षित सूचना लोक-हित में नहीं दी जा सकती तो वे ऐसा कहेंगे । इस आधार पर मंत्री को सूचना देने से इन्कार करना विशेषाधिकार का विषय नहीं बनाया जा सकता और न इस आधार पर सदन के स्थगन का प्रस्ताव ही लाया जा सकता है ।

(व्यवधान)

यह उनका अधिकार है, मैंने निर्णय दे दिया, अब आप बैठें ।

(व्यवधान)

यह क्या जरूरी है कि जो आप लोग कहें, वह मैं मान ही लूं ।

श्री जर्नादन प्रसाद ओझा---

यह तो आपने केवल उद्धरण दिया है, अपना निर्णय या व्यवस्था नहीं दी है ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

आप सब लोग पुराने लोग हैं, सब जानते हैं, अब आप बैठें ।

श्री राम आसरे वर्मा---

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । अभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने अल्पसूचित प्रश्न के उत्तर में जो जवाब दिया तो उसमें उन्होंने लोकायुक्त संगठन से सम्बन्धित अधिनियम की धारा को पढ़कर सुनाया था । मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं....।

श्री अध्यक्ष---

मैं इसकी आज्ञा आपको नहीं दे रहा हूं । यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । आप बैठें ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि यह सदन लोकायुक्त अधिनियम के तहत चलेगा या प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के तहत चलेगा ।

श्री अध्यक्ष ---

मैंने इस पर निर्णय दे दिया है । आप कृपया बैठिए ।

श्री राम आसरे वर्मा---

अगर माननीय मन्त्री जी यह कहते कि यह जनहित में नहीं है तो दूसरी बात थी लेकिन माननीय मंत्री जी ने इस बात का उल्लेख नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष ---

यदि आप प्रश्नों के उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं तो नियम 49 के अन्दर चर्चा की बात उठा सकते हैं । मैं इसकी आज्ञा नहीं देता ।

श्री राम आसरे वर्मा--

चर्चा कब आयेगी ।

श्री सन्त बक्श रावत व श्री जनार्दन प्रसाद ओझा द्वारा दी गई अपनी नियम 301 की सूचना को स्वीकृत किये जाने की मांग

श्री संत बक्श रावत---

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । आपने जो व्यवस्था दी है वह मुझे शिरोधार्य है लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो सूचना मैंने दी है उसमें 200 शब्द नहीं हैं । पता नहीं आपको कैसे बता दिया गया कि उसमें 200 शब्द से अधिक है । मान्यवर, इस पर आप पुनर्विचार करें ।

श्री अध्यक्ष --

मैं इसको देख लूंगा । अगर 200 शब्द से अधिक नहीं हैं तो मुझे स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---

मान्यवर, मेरा यह कहना है कि मैंने जो सूचना दी है उसमें 200 शब्द से कम हैं ।

श्री अध्यक्ष ---

मैंने देखा है । सूची के आधार पर मैंने निर्णय दिया है ।

फैजाबाद में हुई घटनाओं में श्री मित्रसेन, सदस्य, विधान सभा को अभियुक्त बनाये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, मैंने दो सूचनायें दी थीं । एक औचित्य का प्रश्न माननीय मित्रसेन यादव से सम्बन्धित है । माननीय मित्रसेन यादव इस सदन के सम्मानित विधायक हैं । 2 सितम्बर, 1982 को फैजाबाद में 2 घटनायें हुई थीं । उन दोनों घटनाओं की अलग-अलग रिपोर्ट हुई थी । 26 सितम्बर को मुंगेलपुर, फैजाबाद में जो घटनाएं हुईं तो 6 बजे प्रातः एक रिपोर्ट झगरू द्वारा कराई गई थी । दूसरी रिपोर्ट 6, 15 पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा कराई गई जिसमें माननीय मित्रसेन को मुलजिम बनाया गया और एक सम्मानित विधायक के विरुद्ध 395, 397 डकैती जैसे जुर्म आयद कराए गए थे ।

इसकी सी0 आई0 डी0 की जांच अलग हो रही है और मैजिस्टीरियल कार्यवाई अलग हो रही है । दो, दो कार्रवाईयां एक साथ चल रही हैं । अगर सत्ता पक्ष के विधायक होते तो शायद सत्तापक्ष द्वारा मुकदमा वापस ले लिया गया होता । जब मुरादाबाद के एक सम्मानित सांसद, जिनके विरुद्ध संगीन इल्जाम थे, उनका मुकदमा वापस ले लिया गया तो माननीय मित्रसेन यादव के विरुद्ध फर्जी मुकदमें कायम कराए गए और उनको वापस लेने की कोई कार्यवाही न करके दो, दो एजेंसियों द्वारा एक साथ कार्रवाई की जा रही है यह दो-दो तरह की कारवाई एक साथ कराए जाने का औचित्य क्या है ?

श्री मोखालाल--

मान्यवर, यह मामला सदन में मैंने उठाया था । गृह मंत्री, माननीय सेहरा जी ने आश्वासन दिया था कि यह मामला सी0 आई0 डी0 को सुपुर्द कर दिया गया है । तो जैसा वर्मा जी ने कहा कि मैजिस्टीरियल यन्क्वायरी और सी0 आई0 डी0 की जांच चल रही है । मेरा निवेदन है कि इसमें अदालती कार्यवाही भी चल रही है । मुकदमा सेशन में कमिट है । इस स्थिति में अदालत की कार्यवाही रोक देनी चाहिए थी । सी0 आई0 डी0 की जांच के बाद अदालत की कार्यवाही होनी चाहिए थी ।

हरिजन एवं समाज कल्याण राज्य मंत्री (श्री गुलाब सेहरा)--

श्रीमन्, मैं इसको दिखवा लूंगा । इसमें अदालत को मूव कर दिया गया है, रोकने के लिए ।

श्री अध्यक्ष --

जहां तक औचित्य का प्रश्न है, मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूं । इस मामले को आप देख लें । इसमें किसी नियम का उल्लंघन नहीं हुआ है ।

शासन के आदेश के बावजूद गोंडा जिले में विभिन्न प्रकार की वसूली जारी रखने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री मसरूर जाफरी—

मान्यवर सदन में राजस्व मंत्री जी ने घोषणा किया था कि गोण्डा को सूखे में ले लिया गया है । इस घोषणा के बाद कोआपरेटिव के कर्जे, सरकारी कर्जे और एल0 डी0 बी0 के कर्जे बल पूर्वक वसूल किए जा रहे हैं । गोण्डा की

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री मसरूर जाफरी--]

चारों तहसीलें सूखे में हैं इसके पहले साल शैलाब में थीं। इस प्रकार की घोषणा करने के बाद किन कारणों से कर्जे बलपूर्वक वसूल किए जा रहे हैं? इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

*श्री अम्मार रिजवी--

राजस्व मंत्री जी ने सदन में घोषणा की थी जो घोषणा की गई थी उसका क्रियान्वयन किया जायेगा। जैसा मसरूर जाफरी साहब ने कहा है मैं आज ही अधिकारियों को निर्देश दे रहा हूं कि वे उसके अनुसार कार्यवाही करें।

श्री अध्यक्ष --

जहां तक औचित्य के प्रश्न का सम्बन्ध है इसमें कोई नियमों का उल्लंघन नहीं हो रहा है इसलिए मैं इसको उठाने की अनुमति नहीं दे रहा हूं।

(श्री गोपीनाथ वर्मा का नाम पुकारे जाने पर)

मेरे औचित्य के प्रश्न पर राम आसरे वर्मा जी ने कह दिया और वह समाप्त हो गया।

मुख्य मंत्री के विरुद्ध हस्ताक्षर अभियान चलाने तथा सदन का उपवेशन समाप्त किए जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष--

भीखालाल जी ने जो औचित्य का प्रश्न दिया है। पिछले दिनों सदन में उस पर चर्चा हो चुकी है और शासन की तरफ से उत्तर दे दिया गया है मैं इसको उठाने की अनुमति नहीं दे रहा हूं और इसे अग्राह्य करता हूं।

श्री भीखालाल--

किस औचित्य के प्रश्न पर आपने रूलिंग दे दिया।

श्री अध्यक्ष --

मैंने रूलिंग दे दिया है। इस पर चर्चा हो चुकी है और उत्तर आ चुका है अब मैं इसे उठाने की अनुमति नहीं दे रहा हूं।

श्री भीखा लाल--

श्रीमन् मैंने पहले जो प्रस्तुत किया था उसका सन्दर्भ दूसरा है और इसका सन्दर्भ दूसरा है। आप मुझे सुनलें आप सन्तुष्ट हो जायेंगे कि किस आधार पर यह औचित्य का प्रश्न बनता है।

श्री अध्यक्ष --

आधी बात तो आपने पुराने प्रकरण की लिखी है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री भीखालाल--

मैंने जो औचित्य का प्रश्न दिया है उसका सन्दर्भ बदला हुआ है। आज शासकीय पार्टी ने प्रदेश में ऐसे अनिश्चितता का वातावरण पैदा कर दिया है कि हमारे प्रदेश की जनता अटकलें लगा रही हैं कि कल क्या होने वाला है, निकट भविष्य में क्या होने वाला है। यह अभियान चलाया जा रहा है कि इस सदन के नेता श्री श्रीपति मिश्र को मुख्य मन्त्री पद से हटाया जाय। श्री काशीनाथ मिश्र, जो भूतपूर्व राज्य मन्त्री हैं यह अभियान चला रहे हैं। मुझे मालूम हुआ है कि एक हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है जिसमें 50 विधायकों के हस्ताक्षर हो चुके हैं। आप कहेंगे कि यह कांग्रेस पार्टी का अन्दरूनी मामला है। मैं भी मानता हूं कि यह अन्दरूनी मामला है। लेकिन जब तक काशीनाथ मिश्र जी अखबारों में वक्तव्य देते रहे कि अभियान चल रहा है, हमने महत्व नहीं दिया प्रदेश की जनता ने इसको महत्व नहीं दिया। लेकिन जब मुख्य मन्त्री अखबारों में जवाब देने पर उत्तर आये हैं और उसी तरह का वक्तव्य दे रहे हैं जैसा श्री काशीनाथ मिश्र दे रहे हैं तो इसका महत्व बढ़ जाता है और अब यह कांग्रेस पार्टी का मामला नहीं रहा।

यह प्रदेश की जनता का मामला बन गया है। हमारे प्रदेश का प्रशासन इससे प्रभावित हो रहा है। प्रदेश का प्रशासन दो हिस्सों में बट गया है। कुछ काशीनाथ मिश्र के हमदर्द लग रहे हैं और कुछ मुख्य मन्त्री जी के हमदर्द लग रहे हैं। तरह-तरह की प्रतिक्रियायें हो रही हैं। इसका असर हमारी विधान सभा पर भी पड़ रहा है क्योंकि जब तक यह विधान सभा चलती रहेगी, माननीय सदस्य रहेंगे, सत्ता पक्ष के सदस्य रहेंगे, माननीय मिश्रा जी को यह अभियान चलाने में सहायता मिलेगी। विधायक मौजूद रहेंगे। अतः आज के बाद बैठक समाप्त कर दी जाय।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

हमारे यहां एक लीडर हैं, भीखालाल जी।

(व्यवधान)

श्री भीखालाल--

इस सरकार ने 24 अध्यादेश जारी किये हैं जिसमें से लगभग आधे अधिनियम आये हैं और बाकी अधिनियम नहीं आये।

इस प्रकार सरकारी कार्यवाही लम्बित है और अगर गैर सरकारी कार्य, जो अध्यक्ष जी ने स्वीकार किया है, वह भी लम्बित है। उस पर शासन पार्टी के लोग मुख्य मन्त्री और संसदीय कार्य मन्त्री इस तरह पीछे टाल रहे हैं कि इस पर चर्चा न हो। मान्यवर, हमारा हक है कि जो गैर सरकारी दिवस होते हैं उसमें गैर सरकारी कार्य लिया जाय, मान्यवर, पिछले बजट सेशन के दो दिन

[श्री भीखा लाल--]

बकाया हैं, जो इस सत्र में मिलने चाहिए थे, वह नहीं मिल रहे हैं, जिससे सदन के कार्यों में व्यवधान पड़ रहा है। मान्यवर, आपके नियमों का अनादर हो रहा है इसलिए यह औचित्य का प्रश्न है इसे उठाना चाहता हूं।

(शोर गुल)

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, भीखालाल जी ने इससे पूर्व भी यह प्रश्न उठाया था और मैंने हीं उसका उत्तर दिया था। मान्यवर, औचित्य का प्रश्न जो है वह किसी नियमावली के किसी नियम, किसी धारा के अन्तर्गत ही उठाया जा सकता है, मान्यवर, धारा 300 (1) में कौन सा हिस्सा प्रभावित है यह पता नहीं चल रहा है। मान्यवर, एक बात कही गई अखबारों की बात, पार्टी के अन्दर की बात, तो इसमें बीसों बार निर्णय हो चुका है कि किसी समाचार पत्र में प्रकाशित किसी बात के आधार पर कोई चर्चा नहीं की जा सकती है। इसमें 133 नाम हैं आपके पीठ से निर्णय हुए हैं। आप स्वयं जानते हैं। मैं उन सबको दोहराना नहीं चाहता। लेकिन मान्यवर भीखालाल जी ने प्रश्न उठाया है तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि कांग्रेस सरकार या कांग्रेस (आई) पार्टी या उसके लीडर शिप या नेतृत्व का सम्बन्ध है वह पूरी तरह से एक है।

(मेजें थपथपाई गईं)

व्यवधान

मान्यवर, इस तरह यह अखबार में पढ़ लेते हैं तो उस पर चर्चा होने की बात नहीं है। जो दूसरी बात इन्होंने कही है कि असरकारी दिवस नहीं दिया जा रहा है तो मान्यवर, आपके यहां आपके कक्ष में बैठकर कार्यमन्त्रणा की मीटिंग में साफ तय हो गया था, और माननीय भीखालाल जी भी वहां पर स्वयं मौजूद थे, इनके परामर्श से तय हुआ था कि जो असरकारी दिवस हैं जब सदन दुबारा बैठेगा तो दिये जायेंगे और माननीय भीखालाल जी ने अपनी सहमति भी व्यक्त की थी, उस पर माननीय भीखालाल जी ने कहा था कि जो सदन में सर्वसम्मति से प्रस्ताव हो गया है उसको उठाना कहां का औचित्य है। आर्डिनेन्स लाने की जो बात है, आर्डिनेन्स प्रशासनिक आवश्यकता है। कोई भी सरकार होगी आर्डिनेन्स लाएगी और सदन में रखेगी। इसमें औचित्य का प्रश्न जो माननीय सदस्य ने उठाया है वह नहीं बनाता है।

श्री अध्यक्ष--

मैंने निर्णय दे दिया है कि जो औचित्य का प्रश्न है इसमें किसी प्रकार के नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ है। मैं इसे अस्वीकार करता हूं।

मुख्य मन्त्री के विवेकानुदान कोष की धनराशि वितरण में सत्ता पक्ष तथा विपक्ष की संस्तुतियों में भेदभाव किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री मित्रसेन--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि श्री श्रीपति मिश्र जी जो उनके अपने विवेकानुदान कोष की धनराशि हैं वह अपने

इर्द गिर्द रहने वाले विधायकों को, और सदस्यों को अधिक और विरोध पक्ष के विधायकों की संस्तुति पर दूसरा मापदण्ड अपनाया जाता है। हम लोगों की संस्तुति पर 200 रुपया दिया जाता है और उधर के सत्ता पक्ष के विधायकों की संस्तुति पर पांच हजार, दो हजार रुपया दिया जाता है। श्रीमन्, इसका मापदण्ड क्या है ? धन जनता का है, इनके खजाने का नहीं है, इनको उसका मापदण्ड बना करके अनुमति देनी चाहिये। मान्यवर, यह माननीय सदस्यों का अपमान है, माननीय सदन का अपमान है। जब कोई सत्ता पक्ष की सहायता करता है, और विरोध पक्ष की सहायता करता है तो श्री श्रीपति मिश्र जी दोहरा मापदण्ड अपनाते हैं। मान्यवर, इसी सौतेले व्यवहार के आधार पर, जो ये विरोध पक्ष के सदस्यों के साथ कर रहे हैं, औचित्य का प्रश्न उठता है। मान्यवर, मैं इस पर स्पष्टीकरण चाहता हूं तथा मांग करता हूं कि माननीय नेता सदन श्री श्रीपति मिश्र को यह दोहरा मापदण्ड नहीं अपनाना चाहिये।

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, माननीय मित्रसेन जी ने जो बात कही कि उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है शासन द्वारा, यह बात सत्यता से परे है। जो भी प्रमाण-पत्र हैं उनके गुणावगुण के औचित्य पर विचार करके निर्णय लिया जाता है। यदि किसी निश्चित ऐसे मामले की जानकारी इन्हें है, जहां अधिक सहायता मिलनी चाहिये हो और कम मिली हो तो दोबारा लिख कर दें। उस पर विचार कर लिया जायगा, लेकिन इसमें औचित्य का प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष--

मैं इसकी आज्ञा नहीं देता हूं। इसमें नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ है। मैं यह प्रश्न अस्वीकार करता हूं।

श्री मित्रसेन--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष--

मित्रसेन जी, जहां तक व्यवस्था के प्रश्न की बात है, मैंने किसी विषय को लेकर के निर्णय दिया है। इसमें व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता है। मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री मित्रसेन--

मान्यवर...।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूं ।

श्री मित्रसेन--

[× × ×]

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूं । एक भी शब्द नहीं लिखा जायगा । आप बैठें ।

बलरामपुर गोंडा में अधिवक्ताओं द्वारा हड़ताल से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री मसरूर जाफरी--

मान्यवर, जनपद गोण्डा के बलरामपुर तहसील में तमाम अधिवक्ताओं ने अपनी मांगों के सम्बन्ध में हड़ताल कर रखी है । उनकी मांगे हैं भ्रष्ट तहसीलदार को हटाओ, भ्रष्ट चकबन्दी अधिकारी को हटाओ और न्यायालय भवन बनवाया जाय ।

(व्यवधान)

मान्यवर, पूरी बलरामपुर तहसील और पूरा गोंडा उन अधिवक्ताओं के साथ हैं । सारे न्यायालय में कार्य बन्द है । आज सारे बलरामपुर में बन्द का आह्वान है । न कोई कार्य चल रहा है, न सरकारी कार्यालयों में कार्य हो रहा है । ऐसी दशा में मैं चाहता हूं कि माननीय मन्त्री जी से यह व्यवस्था दिला दें कि क्या वहां के न्यायालय भवन की जो फाइल चल रही है उसके लिये धनराशि देकर भवन बनवाएंगे ।

मान्यवर, आपकी इस पर मैं व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय मन्त्री जी इस मामले को देख लें । जहां तक औचित्य के प्रश्न का सम्बन्ध है, मैं इसकी आज्ञा नहीं देता हूं ।

श्री अकबाल हुसैन--

[× × ×]

(व्यवधान)

नोट :--[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अध्यक्ष---

मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूं । कोई शब्द नहीं लिखा जायगा । मैंने आज्ञा नहीं दी है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

मैं आपको आज्ञा नहीं दे रहा हूं कृपया आप बैठें । आगे की कार्यवाही नहीं लिखी जायेगी ।

श्री अकबाल हुसैन---

मान्यवर, यही बलरामपुर पर मेरी भी सूचना है वहां के अधिवक्ताओं की मांगों को नहीं माना जा रहा है । अतः मैं इस सदन से वाक-आउट करता हूं ।

(श्री अकबाल हुसैन सदन त्याग कर चले गये)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

मैं आप लोगों को बोलने की इजाजत नहीं दे रहा हूं कृपया आप सभी लोग बैठें ।

शाहजहांपुर में 20 सूत्रीय कार्यक्रम की मीटिंगों में श्री सत्यपाल सिंह विधायक को न बुलाये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री सत्यपाल सिंह---

मान्यवर, मैंने जो औचित्य का प्रश्न उठाया है उस विषय पर आपकी पीठ से कई बार निर्देश भी दिये जा चुके हैं । 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत जितने कार्यक्रम जनपदों में आयोजित किये जाते हैं, उनमें जनता का धन इनवाल्व होता है, उसमें कांग्रेस पार्टी का धन इनवाल्व नहीं होता है, उनमें विरोधी पार्टी के माननीय सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता है । मुझे बहुत खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि प्रदेश में आप द्वारा दिये गये निर्देशों का पूरी तरह से पालन नहीं किया जा रहा है । मान्यवर, मेरे जनपद शाहजहांपुर में 9 तारीख को 20 सूत्रीय कार्यक्रम की मीटिंग हुई, जिसमें कांग्रेस पार्टी के सभी माननीय विधायक थे तथा उसमें कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष भी थे, किन्तु मुझे उस मीटिंग में नहीं बुलाया गया और न ही इसकी मुझे सूचना दी गई, फलस्वरूप मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं को रखने से वंचित रह गया । इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस औचित्य के प्रश्न को उठाने की इजाजत दी जाय ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, माननीय विधायक जी ने जो औचित्य का प्रश्न उठाया है, शायद उनको ख्याल होगा कि शासन की ओर से उनको इसका उत्तर दे भी दिया गया है। शासन ने यह निर्णय लिया है कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम में समस्त विधायकों को, चाहे वे इधर के हों या चाहे वे उधर के हों, शामिल किया जायेगा। इसके लिए उनकी कन्सेन्ट हेतु एक फार्म भी जारी किया गया है, शायद माननीय सदस्य को वह मिला कि नहीं। लेकिन जहां तक माननीय सदस्य ने एक स्पेसिफिक प्रश्न की ओर ध्यान आकर्षित किया है, इस पर आज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, शाहजहांपुर से पूछताछ की जायेगी तथा इस पर कार्यवाही की जायेगी।

श्री अध्यक्ष--

मैं इसे शासन को भेज रहा हूं। जहां तक औचित्य के प्रश्न का सवाल है, इसको उठाने की आज्ञा मैं नहीं दे रहा हूं।

पूर्व सरकार के निर्णय के अनुसार कतिपय अंग्रेजी समाचार-पत्रों द्वारा सूचना विभाग का समाचार देवनागरी लिपि में न छापे जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री काशी नाथ मिश्र--

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं एक संवैधानिक औचित्य का प्रश्न उठाना चाहता हूं। क्या उत्तर प्रदेश शासन का कोई उच्च अधिकारी, मुख्य मंत्री या मंत्रिपरिषद् अपने पूर्ववर्ती सरकार द्वारा लिये गये संवैधानिक निर्णयों को बदलने की क्षमता रखती है। मान्यवर, माननीय श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार के समय यह निर्णय लिया गया था कि सूचना विभाग द्वारा....

श्री अध्यक्ष--

आप अपने औचित्य के प्रश्न को संक्षेप में कहिए। इसकी कापी तो मेरे पास भी है।

श्री काशीनाथ मिश्र--

मान्यवर, मैं कह रहा था कि सूचना विभाग, अंग्रेजी समाचार-पत्रों को जो भी विज्ञापन देगा, उन विज्ञापन को वह देवनागरी लिपि में प्रकाशित करेंगे, मैं भी उस समय सूचना मंत्री था, कैबनेट से इसका एप्रूवल मिला था किन्तु टाइम्स आफ इण्डिया तथा हिन्दुस्तान टाइम्स ने, 15 अगस्त को "साइलेन्स आफ डेडिकेटेड सर्विस" नाम से विज्ञापित किया था, जबकि संविधान में कहा गया है कि इसका देवनागरी लिपि में अनुवाद होना चाहिए। उस संविधान के निर्देशन के अनुसार, श्रीमन् माननीय मुख्य मंत्री का और उच्चतम् अधिकारियों का यह पुनीत पावन कर्त्तव्य है कि वे हिन्दी भाषा के बढ़ावे के लिये हर कदम उठायें। लेकिन, मान्यवर, यह जो कदम सूचना निदेशक ने उठाया है, उससे हिन्दी भाषा और संविधान का अपमान हुआ है। मान्यवर, इसमें मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

क्या जो निर्णय मंत्रिपरिषद् ने लिये, पूर्ववर्ती सरकार के संविधान सम्मत निर्णय लिये, उन संविधान सम्मत निर्णयों को बदलने का अधिकार किसी भी अधिकारी को, मंत्री को या मुख्य मंत्री को है । मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, इसी संदर्भ में मैं अपनी बात कहना चाहता हूं, मुझे एक मिनट सुन लें ।

श्री अध्यक्ष--

क्या सुन लें । इस तरह की पद्धति न अपनायें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, माननीय काशी नाथ मिश्र जी ने जो बात कही है, वह अब अकेली बात नहीं रह गयी है । जो तथ्य रखे गये हैं, वह सदन की सम्पत्ति हैं । मान्यवर, मैं दूसरा बिन्दु उठाना चाहता हूं । माननीय काशी नाथ मिश्र जी ने जो बात उठायी है, वह बहुत महत्वपूर्ण है । यह केवल हिन्दी भाषा का सवाल नहीं है, उसका अपमान तो हो ही रहा है शासन के कार्य करने की जो शैली है, वह भी उजागर हुई है । मंत्रिमंडल के निर्णय को अधिकारीगण बदल दें, मान्यवर, इससे शोचनीय बात कोई दूसरी नहीं हो सकती । मैं दूसरी बात के तहत कहना चाहता हूं कि यह सरकार जो एक मंत्रि-मंडल ने फैसला किया था, जिसकी सूचना माननीय सदस्यों को भी दी थी कि हिन्दी के उन्नयन के लिये यह किया जायेगा, संविधान की धारा 355 या 365 जिसके अन्दर यह लिखा हुआ है कि जो हिन्दी के राष्ट्र भाषा के कार्य हैं, उस कार्य को आगे विस्तारित करने का, आगे बढ़ाने का राज्य सरकार का दायित्व होगा, यह संविधान में निर्देश हैं, राज्य सरकार के लिये, यह बात करके राज्य सरकार उस निर्देश को खत्म कर रही है, उससे पीछे हट रही है ।

इस तरह से यह सरकार संविधान के द्वारा जो निर्देश दिये गये हैं, उससे पीछे हट रही है, इस तरह से यह संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया है । इस बिन्दु पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं, क्या इस तरह से यह जो संवैधानिक संकट आया है, इस संविधान की धारा के तहत जो निर्देश दिये गये हैं, उस धारा की अवहेलना, उसका उल्लंघन राज्य सरकार और उसके अधिकारी जानबूझ कर रहे हैं । यदि किसी अधिकारी ने गलत काम किया है, तो उसकी जिम्मेदारी शासन और मंत्रि-मंडल की है । तो, मैं वर्तमान मुख्यमंत्री पर आरोप लगाता हूं, जिसके पास सूचना विभाग है, जानबूझकर, यदि किसी सरकार ने अच्छा काम किया, तो उस काम को बदलने के लिये, मुख्य मंत्री की साजिश इसमें शामिल है, मंत्रि मंडल की साजिश है, मैं आरोप राज्य सरकार पर लगाता हूं । इस सम्बन्ध में भी आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, माननीय काशी नाथ मिश्र जी ने यह कहा कि मंत्रि-परिषद् का कोई निर्णय हुआ था, तो वह एक एडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर था । जहां तक हिन्दी भाषा के प्रोत्साहन की बात है ।

श्री काशी नाथ मिश्र--

जी0 ओ0 था, एडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर नहीं था ।

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, माननीय काशी नाथ मिश्र जी तजुर्बेकार सदस्य हैं, मंत्री भी रह चुके हैं । आप श्रीमन् जानते हैं कि जो भी निर्णय होता है, कोई भी निर्णय ले, जब शासन की तरफ से वह जायेगा, तो शासनादेश कहा जायेगा हिन्दी में और अंग्रेजी में उसे जी0 ओ0 कहा जायेगा । गवर्नमेंट से जो भी आर्डर इश्यू होगा, जी0 ओ0 होगा । कोई आदेश जारी हुआ । हिन्दी के सम्बन्ध में जहां तक बात कही गयी है माननीय काशी नाथ मिश्र जी ने या माननीय राजेन्द्र गुप्त जी ने कही, मैं उसी प्रकार से उससे अपने को सम्बद्ध करता हूं कि जहां तक राष्ट्र भाषा के प्रोत्साहन का सम्बन्ध है, उसमें कोई दो राय नहीं है, उसको प्रोत्साहन मिलना चाहिए । मान्यवर, यह प्रश्न जो है, माननीय काशी नाथ मिश्र जी ने बताया, इसको औचित्य के रूप में उठाया है, इसको मान्यवर वे लिखकर भी भेज सकते थे । मान्यवर, सूचना विभाग से पहले जो आदेश थे, उससे वह अलग हुआ, इसके बाबत औचित्य के प्रश्न की सूचना दी है इसमें मान्यवर, औचित्य है क्या ? यह तो विद्वान और पार्लियामेंट सम्बन्धी मामलों के बेल एक्सपीरियंस्ड भी हैं ।

धारा 300 इस नियमावली की है, उसके बाद वह संविधान की धारा 174, से, जहां तक ख्याल है उसे मिलाकर, दोनों जोड़ने पर, औचित्य बनता है । मान्यवर, कौन सी चीज ऐसी है, जिससे जहां तक सदन का जो कार्य संचालन है, वह उससे प्रभावित हो रहा है ? एक एडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर हुआ है, शासनादेश हुआ है, उस शासनादेश के विपरीत में यह मान लेता है कि गलत कार्य हुआ है । अगर कोई कार्यवाही उस आदेश के विपरीत कार्य करता है, तो यह औचित्य के रूप में यह प्रश्न उठाना कहां तक उचित है ? इस वजह से मान्यवर, आपसे निवेदन है कि यह प्रश्न जो है, जिससे ध्यान आकृष्ट कराया है, उसके लिये तो माननीय काशीनाथ मिश्र जी को धन्यवाद, लेकिन इसको किसी प्रकार से स्वीकार करना, वह उचित नहीं है । यह मामला सारा दिखवा लेंगे कि पहले क्या आदेश हुए थे इस तरफ से क्या किया गया है, और यदि कोई त्रुटि हुई है, तो उसको खत्म कर दिया जायेगा ।

श्री अध्यक्ष--

मैं इस औचित्य के प्रश्न की आज्ञा नहीं देता हूं लेकिन माननीय मन्त्री जी विशेष रूप से इसको देखकर कार्यवाही करें ।

जनपद शाहजहांपुर में एक हरिजन चौकीदार की पुलिस द्वारा हत्या किए जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न उठाये जाने का प्रयास

श्री सत्यपाल सिंह--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । आज इस सदन का इस सत्र का अन्तिम दिन है । आज जो हम लोगों ने अपने जनपदों की महत्वपूर्ण सूचना नियम 56 और 51 में भेजी हैं, वे आपने स्वीकार नहीं की । अभी दो दिन के अन्दर ऐसी गम्भीर घटनायें हो गयी हैं जो सदन में आनी आवश्यक हैं ।

हमारे जनपद शाहजहांपुर के अन्दर कल एक हरिजन चौकीदार मोहरपाल सिंह की एक थानाध्यक्ष ने हत्या करवा दी। ये थाना कटरा का इन्चार्ज था। कोई भी थानेदार अपने जनपद में तैनात नहीं होता है। लेकिन थानेदार हमेशा यह कोशिश करता है कि जिस जनपद में उसके जिले का एस० पी० होता है, ये वहां पहुंच जाते हैं। हमारे यहां एस० पी० रण बहादुर सिंह जिला सुल्तानपुर के रहने वाले हैं और ये थानेदार भी वहीं का रहने वाला है।

श्री अध्यक्ष--

यह कोई व्यवस्था का सवाल नहीं है, मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूं। आप बैठें।

कार्यमन्त्रणा समिति ने निर्णय लिया था कि नियम 51 और 56 की सूचनाएं नहीं ली जायेंगी। उसी के अनुसार कार्यवाही की जा रही है।

श्री मुख्तार अनीस--

मान्यवर, हम लोग एक लोकतान्त्रिक व्यवस्था से चुनकर आये हैं। उसके अन्तर्गत जो सदन के बाहर नगरपालिका और म्युनिसिपैलिटी हैं, उसी प्रकार यूनिवर्सिटी के भी चुनाव होते हैं। विगत 5 वर्षों से...

श्री अध्यक्ष--

मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हू। आप बैठें।

(व्यवधान)

श्री मुख्तार अनीस--

फीस वसूल हो रही है, चुनाव नहीं हो रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--

मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूं। आप बैठें।

श्री राम गोविन्द--

50 लड़के जेल में पड़े हुए हैं।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें।

विधायकों के प्रवेश-पत्र से सचिवालय एनेक्सी में प्रवेश के सम्बन्ध में जानकारी की मांग

श्री राम स्वरूप वर्मा--

मान्यवर, एनेक्सी सचिवालय में विधायकों के पासों को अस्वीकृत कर दिया जाता है। आपने आदेशित किया था माननीय संसदीय कार्य मन्त्री को कि उत्तर देंगे। उत्तर दिलवा दें कि क्या व्यवस्था है?

श्री अध्यक्ष—

(माननीय संसदीय कार्य मन्त्री को सम्बोधित करते हुए)

एनेक्सी सचिवालय में माननीय सदस्यों के पास को अस्वीकृत किया जाता है, नहीं दिया जाता है। पिछली बार माननीय राम स्वरूप वर्मा ने प्रश्न उठाया था। मैंने आदेश दिया था कि आप इस मामले को देखेंगे। क्या आपने कोई कार्यवाही की है!

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, आज शाम तक अवगत करा दूंगा।

श्री अध्यक्ष—

माननीय राम आसरे वर्मा जी का प्रश्न नियम 110 के अन्तर्गत आया है। नियम 110 के अन्तर्गत प्रस्ताव दिया जाता है। यह प्रस्ताव की शक्ल में नहीं आया है। इसलिए इसको अग्राह्य करता हूं।

(श्री अध्यक्ष द्वारा मद संख्या—3 पुकारे जाने पर)

श्री राम आसरे वर्मा—

[× × ×]

श्री अध्यक्ष—

कोई शब्द नहीं लिखा जायगा। कृपया बैठें।

उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (नवां संशोधन) नियमावली, 1983†

श्रम राज्य मन्त्री (श्री सुनील शास्त्री)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से श्रम अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या 4261 (एच0 आई0)/36-2-1005(एस0 एम0)-83, दिनांक 6 अगस्त, 1983 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश औद्योगिक (नवां संशोधन) नियमावली, 1983 को संयुक्त प्रान्तीय औद्योगिक झगड़ा का ऐक्ट, 1947 की धारा 23 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

वित्त बिक्रीकर अनुभाग-2 की विज्ञप्ति†

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से वित्त (बिक्री-कर) अनुभाग-2 की दिनांक 31 मार्च, 1983 के असाधारण गजट में प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या बिक्री-कर/2-2243/दस-6(14)-80-उत्तर प्रदेश अधिनियम-15-48-अ देश-83, दिनांक 31 मार्च, 1983 को उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, 1948 की धारा 3 घ की उपधारा (8) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

नोट [× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

†छापी नहीं गयी।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (पन्द्रहवां संशोधन) नियमावली, 1983

राजस्व राज्य मंत्री (श्री राम नरेश शुक्ल)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से राजस्व अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-1-(57)/82 (173)-रा0-1 उत्तर प्रदेश अधिसूचना-1-1951-नियम 1952 संशोधन (15)-1983, दिनांक 18 जुलाई, 1983 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (पन्द्रहवां संशोधन) नियमावली, 1983 को जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 344 की उप-धारा (2) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग नियमावली, 1983†

शिक्षा मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से शिक्षा अनुभाग-7 की अधिसूचना संख्या मा0 शि0 वि0 1/15-7-2 (15)/81-यू0 पी0 ए0-5/82 रूल्स-1983, दिनांक 10 जनवरी, 1983 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग नियमावली, 1983 को विलम्ब के कारणों सहित उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (1) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

लखनऊ जांच आयोग की रिपोर्ट

हरिजन एवं समाज कल्याण राज्य मंत्री (श्री गुलाब सेहरा)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से लखनऊ जांच आयोग की रिपोर्ट को ज्ञापन संकल्प एवं विलम्ब के कारणों सहित कमीशन्स इंक्वायरी एक्ट, 1952 की धारा 3 की उपधारा (4) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

फर्रुखाबाद में हुई घटनाओं का एकल सदस्यीय जांच आयोग का प्रतिवेदन†

हरिजन एवं समाज कल्याण राज्य मन्त्री (श्री गुलाब सेहरा)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से फर्रुखाबाद में दिनांक 21 अक्तूबर, 1979 की संध्या से 24 अक्तूबर, 1979 तक हुई घटनाओं तथा दिनांक 25 अक्तूबर, 1979 को हुये गोलीकांड की घटनाओं के सम्बन्ध में एकल सदस्यीय जांच आयोग का प्रतिवेदन ज्ञापन संकल्प और विलम्ब के कारणों सहित कमीशन्स आफ इंक्वायरी एक्ट, 1952 की धारा 3 की उपधारा (1) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

---

† छापी नहीं गयी ।

उत्तर प्रदेश मंत्री (यात्रा भत्ता) नियमावली, 1983††

हरिजन एवं समाज कल्याण राज्य मन्त्री (श्री गुलाब सेहरा)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से गोपन अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या 2-1-1981/सी0 एक्स0 (1), दिनांक 1 अगस्त, 1983 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश मन्त्री (यात्रा भत्ता) नियमावली, 1983 को उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क उपधारा (1) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश भूमि, सुधार निगम लि0 की द्वितीय वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा विवरण, 1979-80†

कृषि मंत्री (श्री यशपाल सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम लि0 की द्वितीय वार्षिक रिपोर्ट तथा लेखा विवरण 1979-80 को कम्पनीज ऐक्ट, 1956 की धारा 619-ए की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम, लखनऊ की वर्ष 1980-81 की 23वीं वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा विवरण†

सहकारिता राज्य मन्त्री (श्री बच्चा पाठक)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारागार निगम, लखनऊ की वर्ष 1980-81 की 23वीं वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा विवरण, को दि वेयर हाउसिंग कारपोरेशंस ऐक्ट, 1962 की धारा 3 की उपधारा (11) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश उपादान के भुगतान की (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1983††

श्रम राज्य मन्त्री (श्री सुनील शास्त्री)--

मान्यवर, आपकी अनुमति से श्रम अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या 1740 (एस0 टी0)/36-1--179 (एम0 टी0)-71, दिनांक 19 जुलाई, 1983 द्वारा प्रख्यापित, उत्तर प्रदेश उपादान के भुगतान की (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1983 को उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (1) के साथ पठित, उपधारा (2) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश उपमन्त्री (यात्रा भत्ता) नियमावली, 1982 ††

हरिजन एवं समाज कल्याण राज्य मन्त्री (श्री गुलाब सेहरा)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से गोपन अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या 2/1-1-2-81/सी0 एक्स0-1-यू0 पी0 ए0-14/1981-एल-1982, दिनांक 17 अगस्त, 1982 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश उपमन्त्री (यात्रा भत्ता) नियमावली,

---

†छापा नहीं गया।

†† छापी नहीं गयी।

1982 की विलम्ब के कारणों के विवरण सहित, उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (1) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

श्री प्रभूनारायण सिंह--

मान्यवर, मैंने एक विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न विद्युत् परिषद् के चेयरमैन के विरुद्ध दिया था ।

श्री अध्यक्ष--

मेरे पास वह आ गया है, मैं उसका परीक्षण करा रहा हूं, उसके बाद मैं आपको सुनूंगा, तब निर्णय दूंगा ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, मेरी व्यवस्था सुन लें ।

श्री अध्यक्ष--

व्यवस्था मैं दे रहा हूं, आप नहीं । आप कृपया बैठें ।

विधान मण्डल के दोनों सदनों को श्री राज्यपाल द्वारा दिये गये अभिभाषण में लिखित अंश के अतिरिक्त अन्य बातें कही जाने के सम्बन्ध में उठाये गये औचित्य के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष--

दिनांक 18 जनवरी, 1982 को माननीय मोहन सिंह तथा कतिपय अन्य सदस्यों ने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण दिनांक 15 जनवरी, 1982 के विषय में औचित्य का प्रश्न उठाया था । महामहिम राज्यपाल ने राज्य विधान मंडल के एक साथ समवेत दोनों सदनों को दिनांक 15 जनवरी, 1982 को 11 बजे सम्बोधित किया था और अपने सम्बोधन के दौरान श्री राज्यपाल ने लिखित अभिभाषण के अतिरिक्त कतिपय अन्य बातें भी कही थी । इन्हीं अतिरिक्त बातों को लेकर औचित्य का मौजूदा प्रश्न उठाया गया है और निम्नलिखित वैधानिक शंकायें प्रस्तुत की गयी हैं :--

(क) संविधान के अनुच्छेद 176 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते समय, क्या श्री राज्यपाल लिखित भाषण को पढ़ने के अतिरिक्त अपनी ओर से कुछ बातें उसमें जोड़ सकते हैं ?

(ख) क्या यह सदन श्री राज्यपाल के लिखित अभिभाषण के अतिरिक्त अन्य कही गई बातों का संज्ञान लेकर उन पर चर्चा कर सकता है ?

उपरोक्त प्रश्नों पर मैंने माननीय मोहन सिंह, माननीय राम गोविन्द, माननीय हुकुम सिंह, माननीय रियासत हुसैन तथा संसदीय कार्य मन्त्री द्वारा व्यक्त

[श्री अध्यक्ष--]

विचारों का अवलोकन किया तथा तत्सम्बन्धी साहित्य का अध्ययन भी किया। इसके पूर्व कि मैं अपने विचारों को आपके समक्ष प्रस्तुत करूं, यह उचित होगा कि राज्यपाल के अभिभाषण की संवैधानिक पृष्ठभूमि की ओर आपका ध्यान आकृष्ट किया जाय।

भारतीय संविधान की संरचना में ब्रिटिश प्रणाली को आधार बनाया गया है, इस विषय में विवाद नहीं है। पर किस सीमा तक ब्रिटिश परम्परायें हमारे देश में लागू मानी जायेंगी, इस सम्बन्ध में विद्वानों में मतैक्य का अभाव रहा है। जहां तक ब्रिटिश प्रणाली का प्रश्न है। सर आइवर जेनिंग्स के अनुसार वर्ष 1841 से ही यह सर्वमान्य सिद्धान्त बन चुका है कि साम्राज्ञी का अभिभाषण मन्त्रिपरिषद् की नीतियों का अभिकथन है जिसके लिए सावरेन उत्तरदायी नहीं होता। ऐसा भाषण मन्त्रिपरिषद् के परामर्श का ही परिणाम है और मन्त्रि-परिषद् ही उसके लिए उत्तरदायी होता है। सर हरबर्ट नारिसन ने अपनी पुस्तक "गवर्नमेन्ट एंड पार्लियामेन्ट" में कहा है कि महारानी के अभिभाषण शासन द्वारा ही तैयार किया जाता है क्योंकि आगामी सत्र के लिए वह शासन की नीतियों और इरादों का सार्वजनिक उद्घोष होता है। भाषण के प्रारूप पर कैबिनेट विचार करती है और उसे महारानी के विचारार्थ राजमहल को भेजा जाता है। विद्वान लेखक के अनुसार महारानी अभिभाषण की आधारभूत नीतियों में परिवर्तन नहीं कर सकतीं क्योंकि वह असंवैधानिक होगा, किन्तु वह उसकी शब्दावली में परिवर्तन या परिमार्जन हेतु सुझाव दे सकती हैं। राजमहल के ऐसे सुझावों पर अपेक्षित आदर तथा सहानुभूति से विचार किया जाता है परन्तु अंतिम कथन कैबिनेट का ही होता है। "दि ब्रिटिश कैबिनेट सिस्टम" के लेखक श्री ए0 बी0 कीथ ने भी उपरोक्त सिद्धान्तों को प्रतिपादित करते हुए कहा है कि सम्राट या साम्राज्ञी को मंत्रिपरिषद् द्वारा रचित अभिभाषणों में परिवर्तन या सुझाव देने का पूर्ण अधिकार है, पर यदि कैबिनेट किसी संशोधन विशेष से सहमत नहीं होती, तो मंत्रिपरिषद् का निर्णय ही निश्चायक एवं मान्य होना चाहिए। इस प्रकार जहां तक ब्रिटिश पार्लियामेन्ट या ब्रिटिश परम्पराओं का प्रश्न है, यह निर्विवाद है कि मंत्रिपरिषद् द्वारा तैयार किए गये अभिभाषण में परिवर्तन करने का अधिकार सम्राट या साम्राज्ञी को प्राप्त नहीं है।

जहां तक भारतीय संविधान का प्रश्न है, उसके अनुच्छेद 176 (1) के अनुसार श्री राज्यपाल प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारम्भ में विधान मन्डल के एक साथ समवेत दोनों सदनों को सम्बोधित करते और न्यायालओं के अनुसार यह एक अनिवार्य संवैधानिक आवश्यकता है। पर इस संवैधानिक अनिवार्यता के होते हुए भी ऐसे अवसर आये हैं जब श्री राज्यपाल को अपना पूरा अभिभाषण पढ़ने का मौका नहीं मिला। सैयद अब्दुल मन्सूर हबीबुल्ला के मामले में, वर्ष 1966 में, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया था कि यदि विधान मन्डल को नियमानुसार आहूत करने के उपरान्त श्री राज्यपाल अपना अभिभाषण पढ़ने हेतु सदन में आते हैं और किसी व्यवधान के कारण उसे पूरा नहीं पढ़ पाते और अपने भाषण की प्रति सदन के पटल पर रखकर वापस चले जाते हैं तो संविधान की मन्शा पूरी समझी जायगी और यह नहीं कहा जा सकता कि अनुच्छेद 176 की अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं किया गया।

इसी प्रकार राजस्थान विधान सभा में, 3 मार्च, 1966 को श्री राज्यपाल अपना अभिभाषण पूरा नहीं कर पाये थे। जब उपरोक्त विधान सभा में इस मामले को लेकर औचित्य का प्रश्न उठाया गया तो उस सदन के तत्कालीन अध्यक्ष ने, पूर्ववर्ती नजीरों के आधार पर, यह व्यवस्था दी थी श्री राज्यपाल की सदन में उपस्थिति मात्र से अनुच्छेद 176 की मंशा पूरी हो गयी। कुछ दिनों के पश्चात् राजस्थान उच्च न्यायालय में भी यह मामला ले जाया गया और 1967 में राजस्थान 123 में प्रतिवेदित अपने निर्णय में उच्च न्यायालय ने भी उसी मत की पुष्टि किया।

वर्ष 1969 में जब पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल ने अभिभाषण के दो पैराग्राफ, जिसमें उनकी स्वयं की आलोचना थी, नहीं पढ़ा तो पुनः एक संवैधानिक विवाद खड़ा हो गया। दिनांक 11 मार्च, 1969 को लोक सभा में इस प्रश्न पर बहस हुई और राज्यपाल को सेन्सर करने का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया। विधि वेत्ताओं ने इस प्रश्न पर पक्ष और विपक्ष दोनों में ही अपना अभिमत प्रकट किया है। विद्वानों के एक गुट का कहना था कि ब्रिटिश पार्लियामेन्ट की वह प्रणाली जिसका मैं ऊपर उल्लेख कर चुका हूं भारत में पूरी तरह लागू है और चूंकि ऐसा अभिभाषण गवर्नर्स एड्रेस न हो कर गवर्नमेन्टस एड्रेस होता है, अतः श्री राज्यपाल मंत्रिपरिषद् द्वारा रचित अभिभाषण में कोई रद्दोबदल नहीं कर सकते। किन्तु विद्वानों के दूसरे गुट द्वारा जो तर्क प्रस्तुत किए जाते हैं, वे निम्नवत् हैं :—

(क) ब्रिटिश कन्वेन्शन्स इस देश में पूरी तरह लागू नहीं हैं क्योंकि मन्त्रिपरिषद् द्वारा श्री राज्यपाल को दी गयी सलाह किसी न्यायालय अथवा अन्य प्राधिकारी द्वारा संवीक्षा का विषय नहीं बनाया जा सकता।

(ख) इंगलैंड में महारानी अपना भाषण स्वयं भी पढ़ सकती है और वे उसे लार्ड चान्सलर द्वारा भी पढ़वा सकती हैं। पर हमारे यहां श्री राज्यपाल अपना अभिभाषण किसी अन्य के माध्यम से नहीं पढ़वा सकते हैं।

(ग) संविधान के चौवालिसवें संशोधन के उपरान्त अनुच्छेद 74 के अन्तर्गत, राष्ट्रपति महोदय मन्त्रिपरिषद् के परामर्श के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य हैं, पर अनुच्छेद 163 में इस प्रकार की बाध्यता श्री राज्यपाल पर आरोपित नहीं की गयी है।

(घ) मन्त्रिपरिषद् की सलाह पर यदि श्री राज्यपाल कोई ऐसा कृत्य करें जो विधान के उपबन्धों के प्रतिकूल हो अथवा जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उनके द्वारा लिए गये शपथ के अनुकूल न हो, तो मन्त्रिपरिषद् के परामर्श के बावजूद उनका इम्पीचमेन्ट किया जा सकता है।

(ङ) दिनांक 17 मार्च, 1967 को राज्य सभा में केन्द्रीय कानून मंत्री श्री पी० गोविन्द मेनन ने कहा था कि यह कहना बड़ा आसान

[श्री अध्यक्ष--]

है कि राज्यपाल यह सब कुछ करने को बाध्य हैं जिसे मंत्रिपरिषद् द्वारा कहा जाय, पर मैं अदब से कहना चाहूंगा कि हर मामले में स्थिति ऐसी नहीं है, उदाहरणार्थ अनुच्छेद 200 देखें मंत्रिपरिषद् द्वारा तैयार किये गये भाषण की अपेक्षा विधेयक का कहीं अधिक महत्व है क्यों कि वह पूरे सदन द्वारा विचारोपरान्त पारित किया जाता है पर राज्यपाल उस पर सहमति देने के लिए मजबूर नहीं किए जा सकते ।

(च) वर्ष 1969 में पश्चिमी बंगाल के तत्कालीन राज्यपाल ने अपने लिखित अभिभाषण के दो पैराग्राफ नहीं पढ़े । यदि दो प्रस्तरों को छोड़कर पढ़ने का कृत्य विधि सम्मत माना जा सकता है तो उसी तर्क के आधार पर यह भी कहा जा सकता कि श्री राज्यपाल अपने अभि-भाषण में अतिरिक्त शब्दावली जोड़ भी सकते हैं बशर्ते वह नीति सम्बन्धी बात न हो ।

(छ) संविधान के अनुच्छेद 163 में राज्यपाल को स्वविवेक से भी कुछ कार्य करने की छूट दी गई है और यह विवाद उठने पर कि कोई कृत्य विशेष श्री राज्यपाल के विवेकानुसार किया जाना चाहिए अथवा नहीं, अन्तिम विनिश्चय श्री राज्यपाल का ही होता है ।

(ज) संविधान के अनुच्छेद 176 के अधीन विधान मण्डल के एक साथ समवेत दोनों सदनों को सम्बोधित करने की कार्यवाही, इस सदन की कार्यवाही नहीं मानी जाती तथा ऐसे सम्बोधन के समय श्री राज्यपाल स्वयं ही पीठासीन अधिकारी होते हैं और उस बैठक के संचालन का दायित्व भी उन्हीं के ऊपर होता है ।

(झ) सैयद अब्दुल मन्सूर हबीबुल्ला के मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय के उपरोक्त फैसले का हवाला देते हुए श्री जे0 आर0 सिवाच ने अपनी पुस्तक "आफिस आफ दि गवर्नर" के पृष्ठ 208 पर कहा कि अनुच्छेद 176 के अन्तर्गत श्री राज्यपाल का अभिभाषण लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी, यदि मौखिक अभिभाषण का तर्क स्वीकार किया जाता है तो यह जाहिर है कि ऐसा अभि-भाषण मन्त्रिपरिषद् द्वारा तैयार किए भाषण की शब्दशः आवृत्ति नहीं होगी ।

पक्ष और विपक्ष के उपरोक्त तर्कों को आपके समक्ष प्रस्तुत करने से मेरा मन्तव्य यह कदापि नहीं है कि अतिरिक्त शब्दावली जोड़ने के श्री राज्यपाल के अधिकार को मैं स्वीकार करता हूं या उसे अमान्य घोषित करता हूं । मैंने तो दोनों पक्षों की बातों को आपके सामने संवैधानिक पृष्ठभूमि में रखने का प्रयास किया है ताकि आप उस पर अग्रेतर चिन्तन और मनन कर सकें । श्री राज्यपाल के सामान्य अधिकारों का विश्लेषण करना मेरे लिए न तो आवश्यक है और न समीचीन । अतः मैं अपनी बात केवल उन शब्दों तक ही सीमित रखना चाहूंगा जिसका प्रयोग इस सदन में दिनांक 15-1-82 को किया गया था । उक्त तिथि

को श्री राज्यपाल ने लिखित अभिभाषण के अतिरिक्त जो कुछ भी कहा वह या तो सरकार की नीतियों के विरुद्ध नहीं था अथवा स्वविवेक से उन्होंने इस कारण कहा क्योंकि वे उस दिन बैठक को स्वयं संचालित कर रहे थे। श्री राज्यपाल द्वारा कही गयी उपरोक्त बातें प्रासंगिक नहीं मानी जायेंगी। इतना ही नहीं दिनांक 15-1-82 को श्री राजपाल ने विधान मन्डल के दोनों सदनों को विधिवत् आहूत करने के उपरान्त अपने लिखित अभिभाषण को आद्योपान्त पढ़ा और उसका एक भी अंश छोड़ा नहीं। परम्परानुसार उनके अभिभाषण की प्रति सदन को उपलब्ध करायी गयी और उसके प्रतिवेदित किए जाने के उपरान्त उस पर धन्यवाद का प्रस्ताव भी पारित कर दिया गया। अतः इस प्रक्रम पर यह कहना अनुयुक्त न होगा कि संविधान के अनुच्छेद 176 का पूरा अनुपालन किया जा चुका है।

इस सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान राजस्थान विधान मन्डल के समक्ष वहां के राजयपाल के भाषण दिनांक 20 फरवरी, 1982 की ओर भी आकर्षित करना चाहूंगा। संविधान के अनुच्छेद 176 (1) के अन्तर्गत अपना अभिभाषण पढ़ते हुए राजस्थान के राज्यपाल महोदय ने कहा कि "ग्यारह हजार गांवों से विद्युतीकरण का लक्ष्य बढ़ाकर पन्द्रह हजार कर दिया गया है।" किन्तु उनके लिखित अभिभाषण की जो अधिप्रमाणित प्रति सदन के पटल पर रखी गई उसमें लिखा था कि ग्यारह सौ गांवों के विद्युतीकरण का लक्ष्य बढ़ाकर पन्द्रह सौ कर दिया गया है, प्रतिपक्ष दल के नेता द्वारा व्यवस्था का प्रश्न उठाये जाने पर, राजस्थान विधान सभा के माननीय अध्यक्ष ने 23 फरवरी, 1982 को निम्नांकित निर्णय दिया था—

"अभिभाषण में उल्लिखित विन्दुओं, तथ्यों तथा आंकड़ों के अतिरिक्त माननीय राज्यपाल जो कुछ कहते हैं वह प्रासंगिक नहीं होता क्योंकि अभिभाषण की प्रमाणित प्रति वही होती है जिसे राज्यपाल द्वारा अभिप्रमाणित किया जाय।"

वर्णित परिस्थितियों में औचित्य के इस प्रश्न का अब कोई औचित्य शेष नहीं रह जाता।

दिनांक 17 फरवरी, 1983 को श्री गोपाल राम दास राज्य मंत्री द्वारा दिये गये वैयक्तिक स्पष्टीकरण पर उठायी गयी आपत्ति पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष—

सदन के वर्ष 1983 के प्रथम सत्र में दिनांक 17 फरवरी, 1983 को श्री गोपाल राम दास, राज्य मन्त्री ने सदन में वैयक्तिक स्पष्टीकरण दिया था। उक्त वैयक्तिक स्पष्टीकरण भूतपूर्व मन्त्री स्वर्गीय रफी अहमद किदवई की वर्षी के अवसर पर उनके विषय में एक सार्वजनिक समारोह में माननीय राज्य मन्त्री द्वारा किए गए सन्दर्भ से सम्बन्धित था, जिसका उल्लेख श्री रियासत हुसैन, सदस्य, विधान सभा ने दिनांक 9 फरवरी, 1983 को सदन में किया था

[श्री अध्यक्ष--]

और यह कहा था कि "इन्डिया टुडे" नामक अन्तर्राष्ट्रीय मैगजीन के माह जनवरी के संस्करण में "आउट आफ ट्यून" शीर्षक के अन्तर्गत यह प्रकाशित किया गया है कि माननीय राज्य मन्त्री ने स्वर्गीय रफी अहमद किदवई के बारे में जो बातें कही थीं वे उनसे सम्बन्धित न होकर भारत के सुप्रसिद्ध गायक श्री मोहम्मद रफी के सम्बन्ध में थी। जब दिनांक 17 फरवरी, 1983 को माननीय राज्य मन्त्री ने मेरी पूर्व अनुमति से वैयक्तिक स्पष्टीकरण सदन में दिया तो कतिपय माननीय सदस्यों ने उस पर आपत्ति की। श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, सदस्य विधान सभा ने आपत्ति करते हुये यह भी कहा कि उक्त स्पष्टीकरण नियमानुसार नहीं है, अतः उसके सम्बन्धित समस्त अंश कार्यवाही से निकाल दिये जायं। उस पर मैंने अपना निर्णय सुरक्षित रखते हुये कहा था कि मैं प्रक्रिया नियमावली तथा प्रश्नगत विषय से सम्बन्धित सब बातों को देखकर अपना निर्णय बाद में दूंगा।

मैंने पूरी कार्यवाही तथा संगत नियमों का अवलोकन किया तथा माननीय श्री गुप्त से विचार-विमर्श भी किया। माननीय राज्य मन्त्री जी को स्पष्टीकरण देने का अवसर नियम 291-क की पृष्ठभूमि में दिया गया था और चूंकि वह कार्यवाही का अंग बन चुका है। अतः इस प्रक्रम पर उसे निकालने की अनुमति मैं नहीं देता हूं। पर यदि भविष्य में ऐसा प्रकरण उठता है तो गुणावगुण के आधार पर उस पर विचार किया जायेगा और यह मामला दृष्टान्त नहीं माना जायगा।

गढ़वाल विश्वविद्यालय तथा अन्य पाँच निकायों के चुनाव कार्यक्रम को निरस्त करके पुनः निर्धारित किए जाने का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष--

माननीय संसदीय कार्य मन्त्री जी आपने पत्र लिखा है गढ़वाल विश्वविद्यालय तथा अन्य पांच निकायों के निर्वाचन सम्बन्धी कार्यक्रम को निरस्त करते हुए इसे पुनः निर्धारित करने का कष्ट करें। क्योंकि सदन न होने से चुनाव किया जाना उचित नहीं होगा। इस पर प्रस्ताव यहां पर रखिये।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि गढ़वाल विश्वविद्यालय तथा अन्य पांच निकायों के निर्वाचन सम्बन्धी कार्यक्रम को निरस्त करते हुये इसे पुनः निर्धारित करने का कष्ट करें। क्योंकि सदन न होने से चुनाव किया जाना उचित नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि गढ़वाल विश्वविद्यालय तथा अन्य पांच निकायों के निर्वाचन सम्बन्धी कार्यक्रम को निरस्त करते हुये इसे पुनः निर्धारित करने का कष्ट करें। क्योंकि सदन न होने से चुनाव किया जाना उचित नहीं होगा।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

गोरखपुर श्री गांधी आश्रम के कार्यकर्त्ताओं पर असामाजिक तत्वों द्वारा की गयी ज्यादती के सम्बन्ध में वक्तव्य

*हरिजन एवं समाज कल्याण राज्य मंत्री (श्री गुलाब सेहरा)—

मान्यवर, उक्त विषय पर विधायक श्री माता प्रसाद पांडेय को नियम 301 के अन्तर्गत एक सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर जनपद गोरखपुर से रिपोर्ट प्राप्त की गई थी, प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर विधायक जी को 10-3-83 को पत्र भेजकर अवगत कराया गया था कि व्यवस्थापक गांधी आश्रम को श्री अनुग्रह नारायण सिंह के द्वारा सूचित किए जाने पर कि आश्रम के अध्यक्ष श्री शिवकुमार पाण्डेय के गैर कानूनी क्रियाकलापों के विरुद्ध 1-2-83 को शान्तिपूर्वक धरना देंगे, दिया। इसके विपरीत अध्यक्ष श्री शिव कुमार पांडेय ने आश्रम के कार्यकर्त्ताओं को एकत्र किया और साथ ही भवन की दूसरी मंजिल पर बन्दूकें, बांस के डन्डे, पत्थर के टुकड़े तथा अन्य जगहों के 100-150 कार्यकर्त्ताओं को भी एकत्र कर लिया। श्री सिंह द्वारा सभा को सम्बोधित करने के समय आश्रम के कार्यकर्त्ता भड़क उठे और ईंट-पत्थर चलाने लगे, जिससे धरना देने वालों को काफी चोटें आईं। जनता ने भी इस कार्यवाही की भर्त्सना की। बलवाई आश्रम से भाग गये। आश्रम की तलाशी लेने पर ईंटें, पत्थर, बन्दूक, रिवाल्वर आदि बरामद हुये तथा श्री पाण्डेय सहित 100 व्यक्ति गिरफ्तार हुये। सहायक व्यवस्थापक, गांधी आश्रम की लिखित सूचना पर अपराध दर्ज किया गया। सिटी मजिस्ट्रेट के आदेश से बन्द गांधी आश्रम खुलवा दिया गया। विधायक जी को उत्तर देने के पश्चात् उक्त विषय पर 6-4-83 को विधान सभा में चर्चा भी हुई थी। चर्चा के मध्य माननीय राज्य मंत्री जी ने सदन में आश्वासन दिया था कि इस मामले की जांच आयुक्त, गोरखपुर मण्डल से कराने के आदेश देता हूं। दूसरे सी0 ओ0 के कार्यकलापों पर भी सन्देह है, उसे भी वहां से हटा दिया गया है तथा सिटी मैजिस्ट्रेट को वहां से हटा दिया है। प्रथम दृष्ट्या में जो केस बनता है और जो एफ0 आई0 आर0 खादी भण्डार के अधिकारी ने लिखायी है, उसी पर कार्यवाही करने के आश्वासन देता हूं। आश्रम के कार्यकर्त्ताओं पर यदि ज्यादती होती है तो इस पर शासन पूरी तरह गौर करेगा और मामले को गम्भीरता से लेगा और आयुक्त की रिपोर्ट प्राप्त होने पर जो भी दोषी लोग होंगे उन पर सख्त से सख्त कार्यवाही की जायेगी। अन्त में यह पुनः आश्वासन दिया था कि वहां के सी0 ओ0/सिटी मैजिस्ट्रेट और थानाध्यक्ष तीनों को हटा रहा हूं।

इस आश्वासन के सम्बन्ध में अनुसचिव, विधान सभा सचिवालय संसदीय अनुभाग को 04-8-83 को अवगत कराया जा चुका है कि सी0 ओ0/सिटी मैजिस्ट्रेट, एस0 ओ0 का स्थानान्तरण अन्यत्र किया जा चुका है। आयुक्त गोरखपुर मंडल की रिपोर्ट अभी प्रतीक्षित है।

आश्वासन से यह स्पष्ट नहीं हो पाया था कि अन्य पक्ष द्वारा जो एफ0 आई0 आर0 लिखायी गयी है उस पर क्या कार्यवाही होगी। इस सम्बन्ध में चूंकि आयुक्त, गोरखपुर मण्डल द्वारा जांच की जा रही है जिसमें यह अपेक्षित है कि पूर्ण तथ्य प्राप्त हो, अतः यह विचार हुआ कि रिपोर्ट प्राप्त होने पर पुनः

---

* वक्ता न भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गुलाब सेहरा--]

इस पर विचार किया जायगा । अब सदन की गरिमा और महत्ता को ध्यान में रखते हुये गांधी आश्रम द्वारा लिखायी गयी एफ0 आई0 आर0 पर ही कार्यवाही करने के आदेश जारी किये जा रहे हैं । विपक्षियों द्वारा लिखायी गयी एफ0 आई0 आर0 पर कार्यवाही न करने के आदेश दिये जा रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष--

गांधी आश्रम के सम्बन्ध में आपने क्या आदेश दिये हैं ?

श्री गुलाब सेहरा--

जो आश्वासन यहां दिया था उसमें जो एफ0 आई0 आर0 गांधी आश्रम ने दिया है, उन पर कार्यवाही की जा रही है और दूसरे लोगों ने धारा 150/108 में जो एफ0 आई0 आर0 लिखाई उसको वापस लेने की बात की जा रही है ।

श्री अध्यक्ष--

मेरी जानकारी है कि आपने यह भी कहा था कि गांधी आश्रम के खिलाफ जो लोगों पर मुकदमा चल रहा है उसको वापस ले लिया जायेगा तो उसमें क्या कार्यवाही किया है ?

श्री गुलाब सेहरा--

मान्यवर, कार्यवाही में वापस लेने की बात स्पष्ट नहीं थी लेकिन उसमें भावना को देखते हुए, अब वह केस वापस लेने की कार्यवाही की जा रही है ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, गांधी आश्रम से एफ0 आई0 आर0 लिखाई गयी थी और दूसरे का जिक्र किया, उन पर कार्यवाही करने के आदेश दिये जा रहे हैं । मैं जानना चाहता हूं कि आदेश दिये गये हैं कि नहीं ? यदि आदेश दिये हैं तो उसको पढ़ द ।

मान्यवर, संसदीय पद्धति के खिलाफ कि जब आपने सूचना मांगी थी तो यह अनुसचिव, संसदीय अनुभाग, विधान सभा को सूचित करते हैं, यह सदन का और आपका अपमान है, इसलिये इनको अध्यक्ष को संशोधित करके सूचना भेजनी चाहिये थी ।

श्री गुलाब सेहरा--

मान्यवर, कृत कार्यवाही से अवगत करा दिया गया था लेकिन यह भावना देखी गयी कि जो एफ0 आई0 आर0 खादी भंडार के कर्मचारियों पर दूसरे पक्ष ने लिखाई थी उसको वापस लेने की कार्यवाही की जा रही है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1983 के पुरः स्थापन पर उठायी गयी आपत्ति का निराकरण

(मद संख्या 17--संसदीय कार्य मंत्री को पुकारे जाने पर)

*श्री राम स्वरूप वर्मा--

मान्यवर, उस दिन उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन), विधेयक, 1983 पिजन होल में नहीं मिला था तो वित्तीय ज्ञापन पर मैंने आपत्ति किया था ।

श्री अध्यक्ष--

वही यह है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, श्री राम स्वरूप वर्मा ने आपत्ति किया था कि नियमानुसार वित्तीय ज्ञापन नहीं है, इसलिये आज विधेयक मंत्री जी सदन के पटल पर नहीं रख सकते हैं । इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि जो वर्मा जी ने आपत्ति किया था उसमें आपकी व्यवस्था क्या है कि जब आपत्ति ग्राह्य कर लिया था तो क्या उसको सरकार द्वारा रिमूव कर दिया गया ?

श्री अध्यक्ष--

श्री वर्मा जी ने उस दिन प्रश्न किया था और उस दिन फिर इस विषय को नहीं लिया गया था, 9 तारीख को उसकी प्रतिलिपि मेरे पास है, इसको देख लिया है और बंट गयी है ।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

मैं उसको जानना चाहता हूं कि वह वित्तीय ज्ञापन क्या है ?

श्री अध्यक्ष--

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1983 के सम्बन्ध में पुनरीक्षित वित्तीय ज्ञापन को मैं पढ़े देता हूं :--

इस समय राज्य विधान मंडल के ऐसे भूतपूर्व सदस्यों को, जिन्होंने 1 जनवरी, 1946 से सभा या परिषद् के सदस्य के रूप में निर्धारित अवधि तक कार्य किया है, तीन सौ रुपया प्रतिमाह की दर से पेन्शन दिनांक 1 जनवरी, 1977 से अनुमन्य है । प्रस्तावित विधेयक के द्वारा गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐक्ट, 1935 के अन्तर्गत गठित लेजिस्लेटिव

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री अध्यक्ष—]

असेम्बली तथा लेजिस्लेटिव कौंसिल के सदस्यों को भी उसी तिथि से पेंशन अनुमन्य किये जाने की व्यवस्था की जा रही है जिस तिथि से विधान मंडल के सदस्यों को पेंशन दिये जाने का प्राविधान किया गया था। इसमें व्यय अन्तर्ग्रस्त है। इस समय इस बात की पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं है कि इस प्रकार कितने भूतपूर्व विधायकों को और कितनी धनराशि की पेंशन दी जानी होगी। इसका प्रयास किया जा रहा है कि निश्चित जानकारी मिल सके। इसलिये इस विषय पर होने वाले व्यय का सही आंकलन करना सम्भव नहीं है। तथापि यह अनुमान है कि वित्तीय वर्ष 1983–84 में लगभग 86,000 रुपये अतिरिक्त व्यय होगा और आगामी वित्तीय वर्षों में लगभग 12,000 रुपये का प्रतिवर्ष का व्यय होगा।

2—उपरोक्त के अतिरिक्त अधिनियम की धारा 14(घ) की वर्तमान विसंगति को दूर करके संवैधानिक अध्ययन, सेमिनार या पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में किसी प्रकार आयोजित बैठक में भाग लेने के लिये अधिकृत सदस्य को आनुषंगिक व्यय दिये जाने की व्यवस्था की जा रही है। इस सम्बन्ध में भी होने वाले व्यय का सही आकलन करना सम्भव नहीं है। तथापि यह अनुमान है कि इस सम्बन्ध में लगभग 25,000 रुपये प्रतिवर्ष व्यय अतिरिक्त होगा।

(संसदीय कार्य मंत्री को पुनः पुकारे जाने पर)

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, एक शोधन वक्तव्य भी था पढ़ने के लिये, नत्थी "ग" वाला....

श्री अध्यक्ष—

पहले आइटम 17 तो पढ़िये।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1983*

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1983 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*दिनांक 14 सितम्बर, 1983 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा हुआ है।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1983 को पुरःस्थापित करने हेतु अनुज्ञा प्रदान करता है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1983 को पुरःस्थापित करता हूं ।

विशेषाधिकार समिति में लम्बित कतिपय मामलों को निपटाने हेतु उसके कार्यकाल में वृद्धि का प्रस्ताव

*संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं :

"चूंकि श्रीमती गौरी देवी, सदस्य विधान सभा द्वारा डाक्टर सूर्य प्रसाद, तत्कालीन जिलाधिकारी, गोरखपुर के विरुद्ध अभिसूचित विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न दिनांक 2 अप्रैल, 1981 को विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट किया गया था,

और चूंकि श्रीमती प्रेमवती यादव, सदस्य विधान सभा द्वारा अभिसूचित श्री खजान सिंह केन, तत्कालीन तहसीलदार, बदायूं के विरुद्ध विशेषाधिकर की अवहेलना का प्रश्न दिनांक 27 अगस्त, 1982 को विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट हुआ था,

और चूंकि श्री माता प्रसाद पांडेय, सदस्य विधान सभा द्वारा अभिसूचित श्री जयपति नाथ, तत्कालीन थानाध्यक्ष, बस्ती तथा इनके सहयोगी श्री पुद्दन मिश्र, बस्ती के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न दिनांक 21 फरवरी, 1983 को समिति को निर्दिष्ट हुआ था,

और चूंकि उक्त तीनों प्रश्नों पर विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 268 के द्वितीय परन्तुक के अन्तर्गत समय-समय पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय बढ़ाये जाने के फलस्वरूप समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने का बढ़ाया गया समय अब वर्तमान सत्र के अन्तिम दिन तक है,

और चूंकि उक्त सभी प्रश्नों पर निर्धारित अवधि के भीतर समिति अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की स्थिति में नहीं है,

अतः सदन यह निश्चय करता है कि विशेषाधिकार समिति द्वारा उपर्युक्त सभी मामलों पर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय विधान सभा के आगामी सत्र के अन्तिम दिन तक के लिये बढ़ा दिया जाय ।"

---

*वक्ता ने भाषण का पुनःवीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि विशेषाधिकार समिति द्वारा उपर्युक्त सभी मामलों पर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय विधान सभा के आगामी सत्र के अन्तिम दिन तक के लिये बढ़ा दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

मंडल आयोग की रिपोर्ट को शीघ्रातिशीघ्र सरकार द्वारा लागू किये जाने के सम्बन्ध में नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष--

इसके लिये 2 घंटे का समय निर्धारित है ।

*श्री प्रदीप कुमार यादव--

मैं आपकी आज्ञा से मान्यवर, यह प्रस्ताव करता हूं कि :

"यह सदन मंडल आयोग की सिफारिशों का स्वागत करता है और शासन को निर्देश देता है कि मंडल आयोग की रिपोर्ट को शीघ्रातिशीघ्र लागू किया जाय ।"

मान्यवर, इस तथ्य को हम आज स्वीकार करते हैं कि हमारे अधःपतन का कारण जाति प्रथा है । इस जाति प्रथा के चलते हुए देश की खास तौर के छोटे लोगों का विकास नहीं हो सकता है । अपने देश की लगभग तीन चौथाई या उससे भी अधिक आबादी निर्जीव है, जिसका परिणाम यह है कि एक हजार सालों में जो आक्रमण हमारे मुल्क पर हुये हैं, उनमें हमारा देश बराबर मुंह की खाता रहा है । सन् 62 में जब चीन ने हमारे देश पर आक्रमण किया तो हमारे देश की जो सुरक्षा व्यवस्था थी, पुलिस थी, फौज थी, वह 30-40 किलोमीटर की रफ्तार से पीछे हटी है । इससे साफ जाहिर होता है कि जाति-प्रथा जो है, वह सर्वथा बाधक है । कुल मिलाकर नतीजा यह निकलता है कि हम दुनिया में सबसे गरीब और दरिद्र हैं । गरीबी और अभाव के कारण कुपोषण सबसे ज्यादा है ।

इस सम्बन्ध में डा0 गोपालन ने कहा है कि इस वर्ष हमारे देश में 2 करोड़ 30 लाख बच्चे पैदा होंगे । इसमें से 30 लाख बच्चे स्वस्थ रहेंगे और 40 लाख बच्चे मर जायेंगे । इसके अलावा जो 1 करोड़ 60 लाख बच्चे बचेंगे, वह अपंग होकर रह जायेंगे । यही हालत साल दर साल चलती रहेगी । डा0 गोपाल ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि आखिरी सदी के आते-आते यह देश अपंगों से भर जायेगा । इसका मुख्य कारण जाति प्रथा है । जब तक जाति प्रथा का नाश नहीं किया जायगा तब तक देश का चौतरफा विकास नहीं कर सकेंगे । मान्यवर, अतएव मंडल आयोग की रिपोर्ट पर विचार करते समय उपरोक्त तथ्य नजरअंदाज नहीं करना चाहिये । दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि अपने देश को प्राणवान बनाने में और जाति प्रथा को नष्ट करने के लिये आवश्यकता इस बात की है कि मंडल आयोग की जो सिफारिशें हैं,

(इस समय 1 बजकर 38 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री खान गुफरान जाहिदी पीठासीन हुए ।)

उनको लागू करना निहायत जरूरी है और इस देश के लिए, हिन्दुस्तान को आगे बढ़ाने के लिये यह एक महान रास्ता है ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, जहां तक जाति प्रथा का सवाल है, यह हमारे देश की सबसे बड़ी बुराई है। इसके चक्कर में पड़कर देश निरन्तर टूटता चला जा रहा है। इसी सिलसिले में जाति प्रथा को लेकर कार्ल मार्क्स ने कहा है कि मेन्टल और फिजिकल लेबर में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। गांधी जी ने भी कहा है कि एक नाई और एक वकील की मजदूरी समान होनी चाहिए, क्योंकि जीविका का सबका हक है। इसी सम्बन्ध में डा0 लोहिया और श्री जय प्रकाश नारायण ने कहा था। डा0 लोहिया की सप्त क्रांति और श्री जय प्रकाश नारायण की समग्र क्रांति की सारी बातें इस आयोग की रिपोर्ट में मिलती हैं। हमारे मनीषियों ने भी जाति प्रथा का घोर विरोध किया है। गौतम सूत्र के 22वें श्लोक में कहा गया है कि समान प्रस्वार्प का जाते। यानी जिनकी जनन क्रिया समान है, उनकी जाति एक है। इसमें कहा गया है कि मानव-मानव समान है, वह चाहे जिस वर्ग में पदा हुआ हो या वर्ण या धर्म में पैदा हुआ हो।

महात्मा कबीर ने भी हिन्दू और मुसलमान को फटकारा है, वह हिन्दुओं को फटकाते हुए कहते हैं कि जो तू बाम्हन बम्हनी जाया, आन बाट तू कहे न आया। इसी तरह से मुसलमानों को फटकारते हुए कहते हैं कि जो तुरक तुरकिनी जाया, पेटे खतना क्यों न कराया।' तो इन चीजों को देखते हुए कि जो महान विद्वान हैं जन नायक हैं और नेता हैं, डा0 अम्बेदकर हैं, जो हमारे मनीषी हैं, उन्होंने स्वीकार किया है कि जाति प्रथा इस देश के उत्थान में बाधक है। देश के 52 फीसदी गरीब और पिछड़े लोगों के उत्थान में बाधक है। इसको नष्ट होना चाहिए। इस सिलसिले में पं0 स्व0 डा0 राम मनोहर लोहिया जो समाजवादी विचारक और सोशलिस्ट पार्टी के नेता थे, ने कहा था कि यह जो हजारों साल से पिछड़े हुए हैं, उनकी दशा सुधारने के लिए विशेष अवसर देने की आवश्यकता है कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें विशेष अवसर नहीं समान अवसर देने चाहिये। इसी सिलसिले में स्व0 डा0 लोहिया ने कहा था कि जो लोग हजारों साल से पिछड़े हुये हैं, उनको जब तक विशेष अवसर नहीं दिया जायेगा। तब तक वह अगली कतार में नहीं आ सकते हैं, समान अवसर दिया जायेगा तो समाज में जो आगे रहे हैं, वह बराबर आगे बने रहेंगे और जो पिछड़े रहे हैं, वह बराबर पिछड़े रहेंगे और पिछड़ते जायेंगे। सोशलिस्टों ने बांधी गांठ पिछड़े पावें सौ में आठ। साथ ही साथ डा0 लोहिया ने इसी सम्बन्ध में यह भी कहा था--'क्या फर्क है दाढ़ी, चोटी का, सब का सवाल है रोटी का।' उन्होंने कहा कि सब के सामने आज समस्या रोटी रोजी की है, तो अन्तर छोटे-बड़े और गरीब अमीर में नहीं होना चाहिये। साथ ही उन्होंने यह भी कहा--'बिना मिटाये बिरादरी कभी नहीं होगी बराबरी।'

इन्होंने सारी की सारी चीजों की, जो महात्मा गांधी के सिद्धान्त हैं, डा0 लोहिया के सिद्धान्त हैं तथा दूसरे अन्य मनीषी विद्वानों के मत हैं, उन सबको मन्डल आयोग की रिपोर्ट में समायोजित किया गया है। और मान्यवर, जाति प्रथा जैसे टूटेगी, इसके लिए राजनैतिक क्षेत्र में भी हमला होना चाहिये, सामाजिक क्षेत्र से भी हमला होना चाहिये और साथ ही सांस्कृतिक और शैक्षिक क्षेत्र से भी हमला होना चाहिये। यदि यह हमला सभी दिशाओं से नहीं किया जाता है तो यह जाति प्रथा टूटेगी नहीं, घटने के बजाये बराबर बढ़ती जायेगी।

मान्यवर, आज अपने देश की जो जनसंख्या है, उसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों की आबादी 22.5 फीसदी है और इसी प्रकार हिन्दू और गैर-हिन्दुओं में पिछड़ी हुई जातियों की जनसंख्या 52 प्रतिशत है। साथ ही साथ 10 प्रतिशत जनसंख्या मुस्लिम, सिक्ख, इसाइयों की है तथा 15 प्रतिशत

[श्री प्रदीप कुमार यादव—]

जन-संख्या संवर्गों की और अन्य अगाड़ी जातियों की है। लेकिन आज हालत यह है कि देश में जो 15 प्रतिशत अगुवा जातियों के लोग हैं, उच्च वर्ग के लोग हैं, आज वे देश के 52 प्रतिशत और उससे भी अधिक लोगों, जो पिछड़ी जातियों के हैं, पर चढ़े बैठे हैं और तब भी उनके विकास की बात कही जाती है, तब उनको यह चीज पसन्द नहीं आती है।

मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आजादी के 35-36 साल बीत रहे हैं, पिछड़े लोगों की जो स्थिति है, उनको ऊपर उठाने के लिए कोई काम यह सरकार नहीं कर रही है, जबकि हमारे संविधान के आर्टिकिल 15 (4) तथा 16(4) में इस प्रकार का प्राविधान है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से आर्टिकिल 15(4) को बताना चाहता हूं, उसमें यह लिखा है—15(4) इस अनुच्छेद किया 29 के खंड (2) की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुये नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिये या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये कोई विशेष उपबन्ध करने से निवारित नहीं करेगी। तो इसमें अनुसूचित और अनुसूचित जनजातियों के लोग भी शामिल हैं, उनके लिए भी प्राविधान है और उनके अलावा जो भी पिछड़े हों। जो भी पिछड़े हों, आवश्यकतानुसार सरकार उनके लिये कानून बना सकती है, उनके सामाजिक विकास के लिए और शैक्षिक विकास के लिये वगैरह वगैरह।

दूसरे आर्टिकिल 16 (4) में यह कहा गया है कि—'16 (4) इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को पिछड़े हुये नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में, जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियां या पदों के आरक्षण के लिये उपबन्ध करने से निवारित नहीं करेगी।'

यह साफ जाहिर है। 16(4) में साफ कहा गया है कि किसी प्रकार इनका सामाजिक और शैक्षिक योग्यता बढ़ाने के लिये संविधान में जो व्यवस्था की गई है, सरकार चाहे तो किसी प्रकार की रोक नहीं है। मान्यवर, आये दिन सत्तारूढ़ दल घड़ियाली आंसू बहाता रहता है और यह प्रचार करता रहता है कि पिछड़े वर्ग के विकास के लिए शासन प्रयास कर रहा है। लेकिन मैं आपके माध्यम से इस सरकार और यहां के मुख्य मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि रूलिंग पार्टी पिछड़े वर्ग के साथ मौखिक सहानुभूति बराबर बरतती रहती है। कांग्रेस पार्टी ने 29-1-53 को काका कालेलकर आयोग नियुक्त किया था 30-3-55 को रिपोर्ट प्रकाशित कर दिया। यह सरकार बराबर रही, लेकिन 28 वर्षों में आज तक उस रिपोर्ट पर कोई बहस नहीं हुई, कोई तजकिरा नहीं हुआ और न कोई विचार हुआ। जो काका कालेलकर की रिपोर्ट थी, उसको रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया। इससे साफ जाहिर है कि यह सरकार पिछड़े वर्ग के विकास के लिये बिल्कुल चिन्तित नहीं है, बल्कि सरकार उदासीन है। जैसा मैंने कहा मौखिक सहानुभूति की कारगुजारी से विकास होना सम्भव नहीं है।

मान्यवर, मैं आपका ध्यान मन्डल आयोग की संस्तुति की ओर ले जाना चाहता हूं। लेकिन मैं इधर आपका ध्यान आकृष्ट करूं, इससे पहले मैं आपका ध्यान दक्षिण भारत के जो राज्य हैं उधर ले जाना चाहता हूं। मान्यवर, मैं उनको मुबारकबाद देता हूं और वे बधाई के पात्र हैं कि वहां मद्रास में 50 फीसदी, कर्नाटक में 58 फीसदी, केरल में 42 फीसदी और आंध्र में 25 फीसदी पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया है। मैं तो यह चाहता हूं और डा0 लोहिया की भी यह नीति

रही है कि आरक्षण में सभी सम्प्रदाय के जातियों की महिलाओं को शामिल किया जाना चाहिये । मैंने देखा इसमें यह चीज नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इस आयोग की रिपोर्ट में इसको भी शामिल किया जाय और इसकी संस्तुति चारों तरफ से होनी चाहिये । आज सबके घरों की औरतें पिछड़ी हुई हैं चाहे वह कोई माने या न माने । लेकिन इस आयोग की रिपोर्ट में यह चीज बाकी है इसको शामिल करना चाहिये ।

मान्यवर, जब 1977 में केन्द्र में जनता सरकार बनी तो उसने यह महसूस किया कि 52 प्रतिशत अपने देश में पिछड़े लोग हैं उनके विकास के लिये सरकार कुछ नहीं कर रही है और वह 52 प्रतिशत लोग अपने देश की आधारशिला हैं । जब तक इनको विकास के रास्ते पर नहीं ले जायेंगे तब तक देश गरीबी की दलदल में जाता रहेगा । इसलिये उन्होंने संविधान की आर्टिकिल 15 (4) और 16 (4) के मुताबिक मंडल आयोग की स्थापना किया । मंडल कमीशन 1 जनवरी, 1979 को नियुक्त किया गया और कमीशन ने 31-12-1980 को रिपोर्ट दे दिया । तमाम जद्दोजहद के बीच सरकार ने कुछ नहीं सुना । सभी दलों से निरन्तर आन्दोलन और सत्याग्रह होते रहे । बाद में सरकार ने मजबूर होकर वह मडल आयोग की रिपोर्ट को 30-4-1982 को सदन के पटल पर रखा और इसमें रिपोर्ट पर 10 महीने बाद दो बार बहस हुई और अन्तिम बहस 19-8-1983 को हुई और इस बहस में भी, इस रिपोर्ट को, जो मंडल आयोग की रिपोर्ट है, इसकी सार्थकता को जिन माननीय सदस्यों ने इसमें हिस्सा लिया था, जिन्होंने इसको सुना, इसको समझा, कि वास्तव में देश के विकास के लिए इस मंडल आयोग की संस्तुतियों को लागू होना निहायत जरूरी है । मान्यवर, इस संबंध में मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार में..

श्री अधिष्ठाता--

माननीय प्रदीप जी आपने प्रस्ताव दिया इसमें आपको 20 मिनट मिलेंगे अब चार मिनट रह गये हैं । आप संक्षेप में कहें ।

श्री प्रदीप कुमार यादव--

मान्यवर, इस संबंध में केन्द्रीय सरकार ने खास तौर से माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों की राय जानने के लिए एक बैठक दिल्ली में बुलाई थी । उस बैठक में बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र वगैरह प्रदेशों के मंत्री इसमें शामिल रहे । मान्यवर, मंडल आयोग की संस्तुति है, उसकी रिपोर्ट की संस्तुतियों का सवाल है, इस पर बिहार के मुख्य मंत्री जगन्नाथ मिश्र ने जाते-जाते अपनी राय पक्ष में व्यक्त की । मान्यवर, और तभी वह हटा दिये गये ।

दूसरी बात कहना चाहूंगा कि जिस उत्तर प्रदेश के माननीय मंत्री मिश्रा जी ने इस रिपोर्ट पर संस्तुति देने से इन्कार कर दिया । इसमें महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री ने संस्तुति दे दी । दरअसल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री दादा पटेल साहब उसके पक्ष में संस्तुति देना चाहते थे । दरअसल उनके यहां विधान सभा की बैठक हुई तो विरोध पक्ष के सदस्यों ने घेराव किया और कहा कि विधान सभा को नहीं चलने देंगे, विधान सभा को बन्द करवा देंगे वह घबराए कि सदन कैसे चलेगा और उन्होंने विरोध पक्ष के 57 सदस्यों को सस्पेंड कर दिया । सस्पेंड करने के बावजूद भी विधान सभा की कार्यवाही सुचारु रूप से नहीं

[श्री प्रदीप कुमार यादव--]

चल सकी । मान्यवर, कांग्रेस पार्टी के 115 सदस्यों न यह लिखकर दे दिया कि यदि आप आरक्षण का विरोध करते हैं तो हम इस मुद्दे पर आपके साथ नहीं हैं । चूंकि उन्हें सदन चलाना था, विधान सभा चलानी थी मुख्य मंत्री के पद पर बने रहना था इसलिए उन्होंने मंडल आयोग की सिफारिश की । तो मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी के बारे में, अभी दिल्ली से आए. . .

श्री प्रमोद कुमार--

इसका मंडल आयोग से क्या मतलब है ।

श्री प्रदीप कुमार यादव--

आप सुनते जाइये ।

श्री अधिष्ठाता--

आप विषय पर रहिये ।

श्री प्रदीप कुमार यादव--

माननीय सदस्य क्या मिश्रा जी के बारे में सुनना पसन्द नहीं करते हैं ।

श्री अधिष्ठाता--

आप अपना भाषण दें ।

श्री प्रदीप कुमार यादव--

मिश्रा जी के संबध में यह खबर है कि वह बहुत जल्दी हटने वाले हैं इनके रहते हुए ही पार्लियामेन्ट का चुनाव होने वाला है वह जीत सकते हैं यह निश्चिय ही तय है । जैसा कि खबर में पता लगा है कि माननीय मुख्य मंत्री के पर निकल आए हैं और वह पर लगाकर उड़ रहे हैं और निरन्तर दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं इसमें दो राय नहीं है ।

अपने मुख्य मंत्री जी से कहूंगा कि कम से कम जाते समय तो एक अच्छा काम कर दीजिये, खून लगा कर के शहीद हो जाइये । इस मन्डल आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार करें । बावन फीसदी पिछड़ी जाति के लोग हैं उनका उत्थान हो और राष्ट्र की इस समस्या का समाधान हो ।

श्री रामेश्वर प्रसाद--

श्री रियासत हुसैन तथा श्री प्रदीप कुमार यादव जी ने जो .

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैं सुझाव देना चाहता हूं कि नियम 102 में चर्चा हो रही है, तो मान्यवर मन्डल आयोग की रिपोर्ट स्वीकार करने के बारे में सुझाव देने के पहले शासन का क्या क्या है, इसके सम्बन्ध में जान लेने पर भाषण देने में आसानी होगी । मान्यवर, मेरी प्रार्थना है कि इस पर विचार कर लें और इस पर शासन के दृष्टिकोण के बारे में जानकारी दिलवा दें ।

श्री अधिष्ठाता--

मेरा कहना यह है कि माननीय रामेश्वर प्रसाद जी को पहले जैसा हमारा नियम बना हुआ है, सुन लें उसके बाद शासन का पक्ष उससे जान लगे।

श्री रामेश्वर प्रसाद--

मान्यवर, श्री रियासत हुसैन और श्री प्रदीप कुमार यादव जी ने जो शब्दों का संशोधन रखा है, वह यह है कि मन्डल आयोग में स्त्रियों को चाहे वह ब्राह्मण क्षत्रिय कोई भी हो उसको साठ सकड़ा के सिद्धांत में विश्वास रखना है। मैं विपक्ष से यह जानना चाहता हूं कि उसमें उनका क्या रुख है और क्या वह मन्डल आयोग की रिपोर्ट के प्रस्ताव में अपना संशोधन इस विषय में रखना चाहते हैं। औरत चाहे पिछड़ी जाति की हो उनको भी साठ सैकड़ा देने का जो प्राविधान है, आप उसको मानते हैं।

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री बासुदेव सिंह)--

मान्यवर, यह चर्चा जो दो घन्टे की है। वह स्वयं में इस बात की है कि किस तरह से इस दल के लोग और दूसरे दल के लोग मन्डल आयोग की रिपोर्ट के बारे में अपनी राय रखते हैं।

श्री रामेश्वर प्रसाद--

मान्यवर, श्री रियासत हुसैन और श्री प्रदीप कुमार यादव जी का जो प्रस्ताव है उसमें शब्द हैं "शासन को निर्देश देता हूं कि मन्डल आयोग की रिपोर्ट को शीघ्रातिशीघ्र लागू किया जाय। के स्थान पर शासन से अनुरोध करता है कि मन्डल आयोग की रिपोर्ट का गुणावगुण के आधार पर परीक्षण करके शीघ्र आवश्यक करें" रख दिये जायं। मान्यवर, प्रदीप कुमार यादव जी ने जो संशोधन का प्रस्ताव मन्डल आयोग के सम्बन्ध में रखा है उसका हम लोग भी स्वागत करते हैं। यह प्रस्ताव स्वागत योग्य है, लेकिन मान्यवर, उन्होंने कुछ ऐसे मुद्दे उठाये हैं जिनमें हमारी तरफ से कुछ कहना आवश्यक हो गया है। उन्होंने यह कह करके कि सत्ता पक्ष ने इस सम्बन्ध में कुछ नहीं किया है अपनी ही बात से स्वीकार किया है। सत्ता पक्ष ने कुछ नहीं कहा।

मान्यवर, देश की नेता प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी शुरू से ही जब वह प्रधान मंत्री बनी थीं, उन्होंने इस देश के करोड़ों गरीबों की रेखा से नीचे जो लोग रह रहे हैं, उनका स्तर उठाने की बात कही थी।

[समय 1 बजकर 59 मिनट अपराह्न]

उसके तहत उन्होंने सबसे पहले यह कदम उठाया था कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। वे बैंक जो केवल 72 परिवारों के हाथों में थे, उसे उन्होंने जनता के हाथों में सौंप दिया, ताकि जनता को उससे लाभ मिल सके। इसलिए यह कहना कि सत्ता पक्ष ने कुछ नहीं किया, यह कोई औचित्य नहीं रखता।

दूसरी बात, जैसा कि हमारे मित्र ने कहा तथा साथ ही साथ प्रोफेसर साहब ने कहा कि गुणा-व-गुण के आधार पर संशोधन किया जाय। माननीय श्री प्रदीप कुमार जी ने भी सिद्ध किया और महिलाओं के बारे में कहा।

[श्री रामेश्वर प्रसाद--]

जहां तक सिफारिशों का ताल्लुक है उसमें तमाम खामियों को दृष्टि में रखते हुए यह रिपोर्ट सामने है। जैसा कि काका कालेलकर साहब ने अपनी रिपोर्ट इस सम्बन्ध में पेश की थी उसमें उन्होंने इस पूरे हिन्दुस्तान में केवल 2,399 जातियों को रखा था। यह जो मण्डल आयोग की रिपोर्ट है, जिसका गठन 1978 में किया गया था, इसके अनुसार पूरे हिन्दुस्तान में लगभग 4 हजार जातियां हैं। आप देखें कि इन दोनों रिपोर्टों में इतना डिफरेन्स क्यों है। यदि ये सारी जातियां इन में शामिल की जाती हैं तो एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो जाता है कि किसको कौन सी सुविधा दी जाय और किसको कौन सी सुविधा न दी जाय। यही नहीं मान्यवर, इन मण्डल आयोग के एक सदस्य श्री नायक साहब थे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि मण्डल आयोग की जो सिफारिशें हैं तथा उसमें जो सुविधायें दी गई हैं, वह उन्हीं लोगों को मिलनी चाहिए जो नीडी व्यक्ति हैं, अन्य लोगों को नहीं दी जानी चाहिए। इस तरह नायक साहब की संस्तुतियों को देखते हुए यह आवश्यक है कि इस रिपोर्ट में कुछ संशोधन करना आवश्यक है।

मान्यवर, जैसा कि अभी हमारे भाई श्री प्रदीप कुमार जी कह रहे थे कि आज लोगों के सामने रोटी की समस्या पैदा हो गई है। मैं इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि हमारी कांग्रेस पार्टी ने, जैसे ही देश में आजादी हासिल की, वैसे ही कुछ मूलभूत सिद्धान्त तय किया। वे हैं रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा आदि सुविधाएं। आप केवल रोटी की बात करते हैं हमने तो पांच मूलभूत सिद्धांत बनाये। लोगों को रोटी, कपड़ा, मकान तथा शिक्षा की सुविधा किस तरह से उपलब्ध हो सके, इसे हमारी सरकार ने सर्वप्रथम किया जिसे विरोध पक्ष में बैठने वाले भाई भी महसूस करते हैं। आज न तो कोई भूख से मर रहा है, न किसी के सामने कपड़े की समस्या है और न ही मकान की समस्या है साथ ही साथ, शिक्षा की समस्या भी नहीं है। आज के शिक्षा जगत में काफी स्कूल खोले जा रहे हैं, हरिजनों को भी इसकी सुविधा दी जा रही है। इसलिए यह कहना कि इस सरकार ने कुछ नहीं किया, गलत है।

मान्यवर, हमारी सरकार ने प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी की नौकरियों में 15 प्रतिशत का आरक्षण किया और फोर्थ क्लास में 10 परसेन्ट का आरक्षण किया है। जिला परिषद् नगर महापालिकाओं में जो हमारे स्थानीय निकाय हैं वहां भी क्रमशः 15 प्रतिशत तथा 10 प्रतिशत का आरक्षण किया है।

मान्यवर, इसका जो मूलभूत आधार है वह सामाजिक, शैक्षिक तथा आर्थिक है। लेकिन हमारे समाज का जो आधार रखा गया है उसके गुणा व गुण को आप देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि 3 प्वाइन्ट हैं। 2 प्वाइन्ट शैक्षिक हैं तथा 1 प्वाइन्ट आर्थिक है आर्थिक वजह से पिछड़ेपन के कारण ही हम विकास नहीं कर पा रहे हैं। जिसका मण्डल आयोग ने अपने रिपोर्ट बहुत ही कम मूल्यांकन किया है। जब तक हम आर्थिक ढांचे को नहीं सुधारेंगे तब तक हम विकास नहीं कर सकते हैं। हमारे मित्र श्री प्रदीप कुमार जी ने जो मण्डल आयोग की सिफारिशें यहां रखी हैं, उनमें अभी काफी संशोधन करने की आवश्यकता है। मुझे आशा है कि हमारे सभी माननीय सदस्य इस पर पुनः विचार करेंगे। जो संशोधन पेश किया गया है उसे स्वीकार करेंगे।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, श्री प्रदीप कुमार यादव जी ने जो प्रस्ताव रखा है, म उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, यह एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय है, मैं समझता हूं कि सदन के सभी सदस्यों को, राजनीतिक भावनाओं से ऊपर उठकर इस पर विचार करना चाहिए। क्योंकि समाज की रचना का सवाल इसमें छिपा हुआ है। भारतीय संविधान एक समाजवादी समाज की रचना की बात करता है, हमारी पार्टी ने भी गांधी दर्शन पर आधारित समाजवादी को अपने सामने आदर्श माना है। उस ऐसे समाज की रचना के लिए कुछ बातें बहुत आवश्यक हैं। इस सम्बन्ध में मैं एक महाभारत के प्रसंग को सदन के सम्मुख रखना चाहता हूं। लाक्षागृह में माता कुन्ती अपने बेटों के साथ बैठी हुई हैं, कुछ चर्चायें आपस में हो रही थीं, माता कुन्ती अपने बेटों को कहती हैं कि हमें अपनी गरीबी, अपनी दरिद्रता उतनी नहीं खलती, जितना कौरवों का वैभव हमें अखर रहा है। यह माता कुन्ती कहती हैं।

हमारा समाज ऐसा है कि समाज, जो विषमता है, वह हर आदमी को खलती है लेकिन दूसरे का वैभव उससे देखा नहीं जाता है। ऐसे एक समाज की रचना को लेकर न चलना असमानता है समाज को एक समान ढर्रे पर यह ला देंगे, यह दिवास्वप्न होगा। हम अपने समाज की रचना की बात करते हैं, हिन्दू समाज और हिन्दू लोग हैं। राष्ट्र के नागरिक सबकी बात को देख लें कि हमारे यहां जातिप्रथा किसी अच्छी बात को लेकर बनी होगी, लेकिन कालांतर में किसी के मतभेद की जरूरत नहीं है, कालान्तर में कुछ ऐसी परिस्थिति बनी कि जाति व्यवस्था जो थी, यह समाज के लिए अभिशाप बनकर हमारे सामने आ गई। आज की जो स्थिति है, यह एक संकट की स्थिति है, यह भेदभाव की स्थिति है। इस व्यवस्था ने ऊंच-नीच को जन्म दिया है। सब का ध्यान इसमें गया है। जिसमें जनता पार्टी ने उस समय खुद कहा है कि यह विषमता कैसे दूर होनी चाहिए और इसी एक बात को सोचकर मण्डल आयोग का गठन किया। मण्डल आयोग ने सब परिस्थितियों को सोचा। संविधान की धाराओं का माननीय प्रदीप यादव जी ने जिक्र कर ही दिया है, उसको मैं दोहराऊंगा नहीं।

हमारे संविधान में अनुसूचित वर्ग के लिए आरक्षण की बात कही गई है, सामाजिक शैक्षिक पिछड़ेपन की बात कही गई और सामाजिक दृष्टि से यह जातियां विभाजित हो चुकी हैं। इन जातियों को ऊपर उठा करके समाज की मूल धारा के साथ समाहित करके बराबर रास्ते पर लाये, इस निमित्त मण्डल आयोग का गठन हुआ था। मण्डल आयोग ने हमारे सामने कुछ सुझाव दिये हैं। लेकिन लोग भ्रांतिपूर्वक शायद एक ही बात समझते हैं कि मण्डल आयोग ने सेवाओं में रिजर्वेशन की बात कही है। लेकिन नहीं, मण्डल आयोग ने यह बात कही है, भूमि सुधार की बात कही है, उसने शिक्षा में आरक्षण की बात कही है, समाज के उत्थान की बहुत सी बातें कही हैं, उन सब बातों पर अच्छी तरह देखें। आरक्षण की बात पर मैं थोड़ा बाद में आऊंगा। तीन मुद्दे ऐसे हैं, जिन पर बहस है कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनको बराबर लाने के लिए विशेष अवसर देने चाहिए। उनके शैक्षित स्तर को ऊंचा उठाने की बात जो है, उसमें कोई बहस की बात नहीं है। वित्तीय आर्थिक दृष्टि से उनका उत्थान किया जाय, इसमें उनको विशेष सुविधाएं दी जायं, लोन दिये

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--]

जायं, भूमि सुधार किया जाय, इसमें किसी बहस की बात नहीं है। लेकिन जब आरक्षण की बात आती है, तो दो प्रश्न हमारे विरोध में किये जाते हैं। एक बात कही जाती है कि आरक्षण देने से स्टैन्डर्ड गिरेगा। स्तर गिरेगा।

मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जिस समय भारतीय संविधान बना जिस समय यह प्रश्न आया कि अनुसूचित जातियों को आरक्षण दिया जाय आप उस समय की डिबेट उठाकर देख लें। डाक्टर अम्बेदकर ने अपने विचार का सम्पादन करते हुए इस बात को कहा कि हम आरक्षण देंगे, विशेष अवसर देंगे तो स्तर गिरेगा। इसमें कहीं कोई बहस नहीं, यह चीज उसी दिन स्वीकार कर ली गई थी। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं कि आज साउथ में हमारे बहुत से ऐसे कालेज हैं, जिसमें नीचे स्तर के लोग हैं। मेरिट कम है लेकिन केपिटेशन फीस देकर के एडमिशन ले लेते हैं, आप इसका विरोध क्यों नहीं करते। जहां तक स्तर गिरने की बात है। अगर पिछड़े वर्ग को कोई लिया जायेगा, अगर मेरिट कम है और शिक्षा में भर्ती कर लिया गया, तो हम उसको बुरा मानते हैं लेकिन पैसे के बल पर सम्पत्ति के बल पर, चाहे वह नम्बर 2 की कमाई हो चाहे उसने शोषण किया हो, क्यों भर्ती कर लिया गया? एक लाख, दो लाख या चार लाख देकर के मेडिकल कालेज में या इंजीनियरिंग कालेज में कम मेरिट होने पर उसने एडमिशन ले लिया, तो उसको स्वीकार कर लेते हैं।

यह कैसी बात है कि पिछड़े वर्ग को, जिसको समाज ने आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया, उसको अगर आगे बढ़ने का मौका दिया जाता है तो इसका विरोध नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी है कि जहां तक प्रोमोशन्स का मामला है, उसमें विचार करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। एक दूसरी बात भी होती है कि इस आरक्षण के साथ पिछड़ापन भी है। जो व्यक्ति आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हैं, उन्हें भी शामिल कर लिया जाय। मण्डल आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार करना आवश्यक है। मैं इस बारे में शासन का दृष्टिकोण जानना चाहता हूं। लोकसभा में जो बहसें हुई हैं उसमें प्रधान मन्त्री की ओर से कहा जाता है कि हम क्या करें बताइए।

माननीय मन्त्री जी ने सवाल कर दिया कि महिलाओं के बारे में क्या करें। हम तो आपकी नीति जानना चाहते हैं--महिलाओं के बारे में, शिक्षा के बारे में, आरक्षण के बारे में कि आपकी क्या नीति है और मण्डल आयोग के बारे में क्या नीति है। जब पार्लियामेंट में मण्डल आयोग की रिपोर्ट पेश कर दी गई तो उस समय यह हुआ कि इसे कैसे टाला जाय। जनता पार्टी ने एक ठीक काम कर दिया क्योंकि उसके मन में पीड़ा हुई। अब उसके कार्यान्वियन की जिम्मेदारी इस सरकार पर है। जिस समय उत्तर प्रदेश सरकार से श्री श्रीपति मिश्र मन्त्रि मण्डल से रिपोर्ट मांगी गई, इन्होंने यहां से लिखकर भेज दिया है कि हम मण्डल आयोग की सिफारिशों पर विचार करने को तैयार नहीं हैं। हम उसको किसी भी रूप में अपने राज्य में लागू करने के लिए तैयार नहीं हैं। मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा निन्दनीय कोई बात नहीं हो सकती, वह ये कहते कि हम इसको लागू करने पर विचार कर रहे हैं तो बात दूसरी थी। उसकी जो और दूसरी बातें हैं, उन पर बहस करते, लेकिन आउटराइट रिजेक्ट कर देना इस बात का द्योतक है कि चाहे सरकार ऊपर से कैसी भी बातें करती रहे लेकिन हृदय में कालापन है।

हमारे पिछड़े भाइयों को, जिनको समाज ने पद दलित किया है, हालांकि मैं स्वयं पिछड़े वर्ग का नहीं हूं, मैं पूछना चाहता हूं कि जो 80 प्रतिशत, 90 प्रतिशत आरक्षण बता रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं अगर आज बगावत होती है, विद्रोह होता है, उन लोगों द्वारा जो सदियों तक रौंदे गए हैं, तो जिम्मेदारी किस पर आयेगी। अगर कभी कोई कटु बात उनके मुंह से निकल जाती है तो बुरा नहीं मानना चाहिए। ऐसा कदम उठाने के विषय में सोचना चाहिए जिससे उनके मन की पीड़ा पर मरहम लगाया जा सकता है। एक स्वर से हम यह प्रस्ताव पारित करें कि हम तय करते हैं कि सरकार मण्डल आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार करे, उसके बाद गुण-दोष का सवाल होगा, मैरिट्स की बात होगी, उस पर विचार कर लिया जायेगा। आज सरकार चालाकी से इस बात को टालना चाहती है कि हम उसकी मैरिट्स पर विचार कर रहे हैं। यदि आपका ऐसा विचार होता तो आपके मन्त्रिमण्डल ने उसको आउटराइट रिजेक्ट करके दिल्ली वापस न कर दिया होता। अगर विचार करने की परिस्थिति है, तो उस पर विचार किया जा सकता था। इसमें साथ ही मैं श्री प्रदीप कुमार यादव के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

मैं सबसे अपील करना चाहता हूं कि हम खुद ऊंचा उठें और उन्हें भी ऊंचा उठायें जो आरक्षण कोटे के अन्तर्गत आते हैं वरना अगर स्थिति इसी प्रकार रही तो एक दिन यह प्रदेश विषमता की आग में जलेगा और उसमें वह सब ध्वस्त होंगे जिन्होंने आज तक अपनी इस गलत नीति के अनुसार खूब आनन्द उठाया है। इसलिए मैं फिर कहूंगा कि यह आनन्द उठाने वाले लोग अपनी अट्टालिकाओं से नीचे उतरें और जो गरीब नीचे फुटपाथ पर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, उनको उठायें।

श्री जंग बहादुर--

मान्यवर, जो माननीय प्रदीप कुमार यादव द्वारा मण्डल आयोग की सस्तुति को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव रखा है और माननीय रामेश्वर सिंह ने संशोधन प्रस्तुत किया है तथा कई माननीय सदस्यों ने इसका समर्थन किया है। माननीय प्रदीप कुमार जी ने कहा है कि यह सरकार गरीबों को, शोषित लोगों को बढ़ावा नहीं देना चाहती और न ही इस दिशा में कोई काम करना चाहती है। इस सिलसिले में मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि यह भारत का समाज 1950 के पूर्व एक कुतुबमिनार की तरह था जिसके अन्दर न कोई जीना था न दरवाजे सिर्फ मंजिलें थीं। जो जिस मंजिल में पैदा होता था वहीं उसे मरना होता था। इस समाज के अन्दर हमारे हरिजनों की स्थिति को देख लें, न समाज में उनको अपने साथ कोई बैठालने के लिए तैयार था, न कोई कुओं से उन्हें पानी भरने देता था और न तालाबों में उन्हें कोई स्नान करने देता था और न ही उनके बच्चे स्कूलों में पढ़ पाते थे, लेकिन आजादी के बाद उन हरिजनों के लिए हमारी कांग्रेस सरकार ने इनको हर तरह के स्थान दिए। आरक्षण संसद और विधान सभाओं में दिया, नौकरियों में जगह दी, उनके बच्चों के लिए पठन-पाठन की व्यवस्था की, कानूनी तौर पर छुआ-छूत के भेदभाव को मिटाया और जो यह लोग कर्जे में ही पैदा होते थे और कर्जे में ही मरते थे उस स्थिति को उनके कर्जे अदा करके, समाप्त किया। साथ ही विपक्ष के लोग शायद यह भूल जाते हैं कि इस कमीशन से पहले बैकवर्ड क्लास के लिए 15 परसेंट का आरक्षण किया और

[श्री जंग बहादुर—]

15 परसेंट विभिन्न नौकरियों के अन्दर उन्हें प्रवेश दिलाये गये। इस प्रकार समाज के अन्दर, जो इनके प्रति मतभेद था, छुआ-छूत की भावना थी, उसे समाप्त किया।

आज यह इस कमीशन के रिपोर्ट की बात करते हैं। जबकि हम भी चाहते हैं कि इसे लागू किया जाये, जिससे समाज में जो लोग शैक्षिक, आर्थिक स्थिति से, सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं उन्हें विषमता की स्थिति से निकाल कर उन्हें ऊपर उठाया जाए, इसके लिए यह सरकार दृढ़-संकल्प है। अभी काका कालेलकर रिपोर्ट की बात की गई, उनके द्वारा भी उनकी अपनी रिपोर्ट जो जाति के आधार पर नहीं थी और बाकी इन्हीं बातों को प्रकाश में लाया गया है जो आज इस समाज के प्रति जांचें हो रही हैं, उनके अन्दर यही पाया जा रहा है कि लोग गरीब हैं, निर्धन हैं, उनके पास भूमि नहीं है, उनके बच्चों को पढ़ाने की आवश्यकता है और इन्हीं बातों को इस कमीशन में भी दिया गया है, हम इस पर अवश्य विचार करेंगे। आज इस रिपोर्ट में आप देखें बैकवर्ड क्लास की संख्या 52 प्रतिशत बताई गई है और 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण नहीं दिया जा सकता है।

हरिजनों की संख्या के अनुसार साढ़े 22 प्रतिशत और बैकवर्ड के लिए $26\frac{1}{2}$ प्रतिशत की मांग की गई है। आज उनके लिए जो भी किया जा सकता है, सरकार करने के लिए कटिबद्ध है। इस सम्बन्ध में सरकार की यही मंशा है कि जो शोषित और पूंजीवादी शक्तियां हैं, जो गरीबों का शोषण करती हैं और दान-पुण्य के नाम से जो पैसा उन्हें देती हैं, वह सिर्फ इसलिए ऐसा करते हैं कि वह इस देश के अन्दर अपनी स्थिति क बनाए रखें। लेकिन दूसरी तरफ हमारी केन्द्रीय सरकार और प्रदेशीय सरकार इस प्रकार समाज के शोषित लोगों के लिए, गरीबों के लिए हर प्रकार की सहायता देने के लिए और उन्हें ऊपर उठाने के लिए पूरी तरह दृढ़-संकल्प है। मुझे विश्वास है कि इस रिपोर्ट में जो कुछ आया है, उसकी अच्छाइयों को, बुराइयों को और खामियों को देखते हुए यह सरकार सम्पूर्ण रूप में विचार करेगी और निर्णय लेगी और जो लोग इसके मुस्तहिक हैं उनको उसका लाभ होगा। इन्हीं शब्दों के साथ में इस संशोधन का समर्थन करता हूं।

*श्री मुख्तार अनीस—

मान्यवर, मण्डल आयोग की रिपोर्ट पर, जो माननीय यादव जी ने प्रस्ताव रखा है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, सदियों से जो दबे हुये लोग हैं, सदियों से जो पिछड़े हुए लोग हैं, जो सदियों से समाज में उपेक्षित हैं, सदियों से जो तिरस्कृत लोग थे उनको सबसे पहले हमारे देश में महात्मा गांधी ने उन्हें उठाने का प्रयास किया और इसी सन्दर्भ में डाक्टर अम्बेडकर और माननीय लोहिया जी ने बार-बार आजादी की लड़ाई के दौरान और बाद में भी इस बात की मांग की कि केवल आरक्षण देने से उन जातियों की तरक्की नहीं हो सकती है और न वे इस तरह से तरक्की कर सकते हैं। उनकी तरक्की करने के लिये विशेष अवसर देना पड़ेगा। इसलिए समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणा-पत्र में यह लिखा कि हमारे देश के जो दबे और पिछड़े लोग हैं उनके लिए 60 प्रतिशत जगहें आरक्षित की जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जहां तक औरतों का सवाल है, हर बिरादरी की औरतें उपेक्षित हैं। उनको तरक्की करने के विशेष अवसर मिलने चाहिये। पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने इस बात को ध्यान में रखकर कि समाज में इतनी दबी और पिछड़ी जातियां उपेक्षित हैं और औरतें उपेक्षित हैं तो इसलिये उन्होंने काका कालेलकर कमीशन बैठाया और उस कमीशन की रिपोर्ट हमारे सामने आई थी। उसमें यह कहा गया था कि जो दबी हुई और पिछड़ी जातियां हैं और इन जातियों के जो लोग हैं उनके आरक्षण की जो बात की जाती है, इसके लिए शासन को कोई ठोस कार्यवाही करनी चाहिए। आप लोग जो आरक्षण की बात करते हैं तो इसमें कितने प्रतिशत लोग आते हैं? आरक्षण के जरिये से कोई पिछड़ा वर्ग उन्नति नहीं कर सकता, आरक्षण के जरिये से दबे और पिछड़े वर्ग की तरक्की नहीं हो सकती है। इसका कारण है कि जितने स्कूल्स हैं, कालेजेज हैं और यूनिवर्सिटीज हैं उसमें उनके कितने बच्चों को तालीम मिलती है? कितने ऐसे हैं जो कि आर्थिक रूप से सम्पन्न हैं? सरकारी कर्मचारी के पास इतना पैसा कहां है कि वे इनमें अपने बच्चों को तालीम दिला सकें। आई0 ए0 एस0 आफिसर का बेटा आई0 ए0 एस0 हो जाता है। इंजीनियर का बेटा इंजीनियर हो जाता है। लेकिन जो समाज में नीचे वर्ग के लोग हैं उन लोगों के बच्चे कैसे आगे बढ़ें, कैसे उनको आगे आने का मौका मिले, इसीलिये इसमें विशेष अवसर देने के सिद्धान्त को रखा गया है।

जनता पार्टी के शासन काल में जब वह शासन में आयी तो जैसे एक तूफान सा आ गया था। जो लगभग तीन हजार के करीब दबी और पिछड़ी जाति के लोग हैं उनकी तरक्की के लिये श्री मोरार जी देसाई ने एक कमीशन बनाया, एक परिवर्तन हुआ कि जहां पर आज मिश्रा जी बैठते हैं वहां कभी गुप्ता जी, त्रिपाठी जी और पहली बार श्री राम नरेश यादव जी बैठे। बिहार में पहली बार श्री कर्पूरी ठाकुर बैठे और हरियाणा में श्री देवी लाल जी कि उपेक्षित लोगों में से आये थे, उनके हाथ में शासन की बागडोर दी गयी। जो गरीब लोग थे, हल चलाने वाला व्यक्ति था, किसान था सबको खुशी हुई कि हमारा भाई या बेटा बड़ी कुर्सी पर बैठा है। जब मंडल आयोग का गठन हुआ तो सारे देश में एक उत्साह पैदा हुआ। आज सदन में आप कितने भी संशोधन लायें लेकिन जो कमीशन बैठा था उसने 12 सितम्बर, 1980 को अपना प्रतिवेदन देश की प्रधान मंत्री को दे दिया और उसको उन्होंने मान भी लिया। यहां पर आप इसका विरोध करके स्वयं अपनी प्रधान मंत्री का विरोध कर रहे हैं।

मुझे बड़ी शर्म आती है कि हमारे प्रदेश के शासन ने, कांग्रेस आई0 के शासन ने और उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री ने राज्य सरकार की तरफ से यह लिख कर भेज दिया कि हम इसको लागू नहीं कर सकते हैं। इस रिपोर्ट में, सिर्फ दो बातें लिखी हुई हैं कि यह हमारी रिपोर्ट राज्य के मार्ग में कभी बाधा नहीं उत्पन्न करेगी। इसमें कमजोर वर्ग और पिछड़े वर्ग के निदान के विषय में जो कि हमारे हित के अन्तर्गत नहीं आते हैं, कुछ उत्थान करना चाहते हैं, यह रिपोर्ट बाधक नहीं होगी। ऊंची जाति में भी जो कमजोर हैं, उनके लिए भी इस रिपोर्ट में संस्तुति की गयी है। इसका मुद्दा यह था कि सामाजिक स्तर से जो लोग पिछड़े हैं, सामाजिक तौर पर जिनका उत्पीड़न होता है, उनके लिए इस रिपोर्ट में व्यवस्था की गयी है। आप गिलास को ताक पर रखते हैं, तो लाठी से उठाकर नीचे गिराकर कहते हैं कि धो लो और पानी लो। यह सामाजिक तिरस्कार करते हैं, अपमान करते हैं, इससे जो हीन भावना पैदा होती है, उसी के लिए यह रिपोर्ट

[श्री मुख्तार अनीस---]

तैयार की गयी है जिसमें इस प्रकार के लोगों के उत्थान के लिए व्यवस्था की गयी है। उसीके तहत सामाजिक स्तर की बराबरी के लिए कहा गया है। हमारे यहां कहावत है---

जो तू बाभन बभनी जाया।
आस पेट ते काहे न आया।

इसी प्रकार से---

जो तू तुर्क तुरकनी जाया।
पेटहि खतना क्यों न कराया।

तो मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि आप देख लीजिए कि अनुसूचित जाति और जनजाति के 22.50 प्रतिशत लोग हैं, 23 प्रतिशत लोग हैं। हिन्दुओं के अन्दर ब्राह्मण 5.32 प्रतिशत, राजपूत 3 प्रतिशत, जाट 1 प्रतिशत, वैश्य 1 प्रतिशत कायस्थ, 1 प्रतिशत अन्य जातियां 17.52 प्रतिशत हैं, लेकिन सारे देश में इन्हीं लोगों का राज्य है। यदि इसी के साथ अनुसूचित जाति के लोगों को भी जोड़ लिया जाये तो 56 प्रतिशत पिछड़े और हरिजन हैं। मुसलमानों के बारे में भी कुछ कहा गया है। मुसलमानों में भी कमजोर लोग हैं उनमें बताया गया है कि 26 प्रतिशत लोग हैं जो लगभग पिछड़े और हरिजन हैं। आप क्या देखते हैं इस आयोग में मंडल साहब ने बता दिया है कि कानून 50 प्रतिशत से ज्यादा का आरक्षण नहीं किया जा सकता है। यह किसी भी कीमत पर 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता है। संविधान की धारा 15 की उप धारा 5 के अन्तर्गत 50 प्रतिशत से ज्यादा का आरक्षण नहीं हो सकता है। 48 प्रतिशत आरक्षण जो गरीब लोग हैं जो 70 प्रतिशत हैं उनके लिए कर दिया जाये उनके उत्थान की व्यवस्था कर दी जाये तो, देश आगे बढ़ेगा। अगर मंडल जी ने जो रिपोर्ट दिया है अगर उसको मान लिया जाये तो जो लोग गिरे हुए हैं और सामाजिक स्तर से नीचे हैं उनको आगे का मौका मिलेगा और देश आगे बढ़ेगा और वे सामाजिक स्तर से, आर्थिक स्तर से और राजनैतिक स्तर से आगे बढ़ेंगे। आप मंडल रिपोर्ट को मानें और उसके अनुसार आरक्षण दें। अगर हम उनको बराबरी नहीं देंगे तो खूनी क्रान्ति पैदा हो जायेगा। मान्यवर, आदमी झोपड़ी में रह सकता है, नंगा रह सकता है लेकिन जो अपमान है उसको बरदाश्त नहीं कर सकता है। मंडल आयोग उसी अपमान की चुनौती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया जाये।

श्री जयदीप सिंह बरार---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं मंडल आयोग की रिपोर्ट का स्वागत करता हूं। यह रिपोर्ट भारतवर्ष की सभी जातियों की छानबीन करके बनायी गयी है और कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को सामने रखा है। श्रीमन्, मेरा कहना यह है कि जो रिपोर्ट है और उसमें जो संस्तुतियां की गई हैं उन्हें भारतवर्ष के प्रत्येक भाग पर समान रूप से लागू नहीं किया जा सकता। जैसे बैकवर्ड क्लास हैं ऐसे लोगों की संख्या यहां 50 प्रतिशत है पंजाब में 18 प्रतिशत है, किसी सूबे में 60 प्रतिशत है और बहुत से सूबे ऐसे हैं जहां उनकी संख्या इससे भी अधिक है। इसलिये इन संस्तुतियों को पूरे भारत में समान रूप में लागू नहीं कया जा सकता और न ही उनको लागू किया जाना उचित है।

मुख्य रूप से इसमें आरक्षण की बात कही गई है और विशेष रूप से पिछड़े वर्ग को सुविधायें देने की बात कही गयी, जिससे यह वर्ग आगे बढ़ सके। मान्यवर, भारतवर्ष का जो समाज था, जो इसकी रचना थी उसके अनुसार उस समय एक व्यवस्था यह थी कि जिसमें कुछ लोगों को जीने का अधिकार नहीं था, भगवान की उपासना करने का अधिकार नहीं था, एक स्थान पर पानी पीने का अधिकार नहीं था, किसी सवारी पर बैठने का अधिकार नहीं था उस प्रथा को समाप्त किया गया। जब इससे आर्थिक विषमता दूर हुई तो उनके ऊपर प्रहार किये गये।

श्रीमन्, आप जानते हैं कि हरिजनों के लिये जो आरक्षण की व्यवस्था संविधान में रखी गयी है वह क्यों की गयी। यह देखा गया कि अगर कोई हरिजन आर्थिक रूप से सम्पन्न है और अगर वह शैक्षिक दृष्टि से भी पूरी तरह शिक्षित है, मेरिट में दूसरों से ऊपर है तब भी उसे नौकरी नहीं मिलती थी। जो आरक्षण का मूल सिद्धान्त था, जो समाज के ऐसे पिछड़े वर्ग के लिये बना था और जो सभी योग्यताओं को देखते हुये भी सेवा में नहीं लिया जाता है उसके लिये यह आरक्षण की व्यवस्था की गई। दूसरी बात यह है कि समय के साथ-साथ परिस्थितियां भी बदलती गई। इस माननीय सदन के सभी सदस्य जानते हैं कि सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर जब आरक्षण हुआ उस पर हमें भी जब हम अकेले में बैठते हैं तो त्रुटियां नजर आती हैं कि जो आर्थिक रूप से सम्पन्न था उसे आरक्षण देकर अधिक लाभ मिल गया और जो वर्ग शैक्षिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ था वह पिछड़ा ही रह गया। इसका अर्थ यह हुआ कि आर्थिक क्षेत्र में प्रगति और शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति बहुत आवश्यक है। यह भी मान्यवर, देखें कि इस आयोग द्वारा जो संस्तुतियां की गयी हैं उसमें आरक्षण की बात कही गयी। पिछड़ी जातियों के लिये प्रत्येक वर्ग में 15 प्रतिशत आरक्षण रखा गया है 22 प्रतिशत हरिजनों और जनजाति के लिये कुछ प्रतिशत किसी वर्ग में वर्ग बना दिया। किसी वर्ग में 27 प्रतिशत और किसी में 32 प्रतिशत। इस तरह से जो आरक्षण का प्रतिशत रखा गया है उसे बढ़ाने की बात कही गयी है। मान्यवर, यदि किसी वर्ग के आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाया जाता है तो किसी वर्ग में यह आरक्षण कम करना पड़ेगा। क्या आप अनुसूचित जाति के आरक्षण को कम करने के लिये तैयार हैं, क्या भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों को, जो कि मुल्क की सरहदों पर देश की रक्षा कर रहे हैं और जिन्होंने स्वतन्त्रता संग्राम में देश की रक्षा के लिये अपने प्राणों की आहुति दे दी, उनके लिये जो आरक्षण है उसको कम करने के लिये तैयार हैं, जो विकलांग हैं जिसको कि प्रकृति ने दुर्घटनाग्रस्त कर दिया और वे योग्य हैं, उनके लिये आरक्षण समाप्त करना चाहते हैं? मैं नहीं चाहता कि आप किसी वर्ग के आरक्षण को काटकर दूसरे वर्ग का आरक्षण बढ़ाये किन्तु यह कहना चाहता हूं कि इस विषय पर अत्यन्त सोच समझकर विचार कर निर्णय लेने की आवश्यकता है।

दूसरी बात यह कहना चाहूंगा कि इसमें जो आधार रखा गया है, आर्थिक स्थिति का जो मानक रखा गया है ...(व्यवधान) इस रिपोर्ट के बनाने का जो मानक रखा गया था उसमें बहुत से मुद्दे ऐसे थे उनका अगर गुणावगुण के आधार पर परीक्षण किया जाय तो वे पूरे नहीं उतरते। कच्चे मकानों में कितने लोग रहते हैं 80 प्रतिशत हैं...

श्री अधिष्ठाता--

आयोग की शैक्षिक और सामाजिक आधार पर रिपोर्ट है।

श्री जयदीप सिंह बरार—

मैं वही आंकड़े दे रहा हूं। जो मानक था उसमें यह भी था कि कितने प्रतिशत लोग इस जाति के कच्चे मकानों में रहते हैं।

श्रीमन्, हमारे प्रदेश के सारे गांव पिछड़े हुये हैं। इसी प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में तथा आर्थिक क्षेत्र में जो लोग पिछड़े रह गए हैं उनकी सूचना वास्तव में उपलब्ध नहीं है कि कितने प्रतिशत इस जाति के लोग शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और कितने नहीं कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब यही है कि आर्थिक पिछड़ेपन पर प्रहार होना चाहिये और जो अनुसूचित और जनजाति के लोग हैं जो पिछड़ी जाति के लोग हैं जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं उनके लिए सरकार योजना बनाये। जैसे आई0 आर0 डी0 की योजना है, उसमें जो गरीबी की रेखा से नीचे के लोग हैं उनको सहायता देने का प्राविधान है। वह लोग कौन हैं वह या तो हरिजन हैं या बैकवर्ड क्लास के लोग हैं। यदि आवश्यक हो उसमें उन लोगों का कोटा सुनिश्चित कर दिया जाय। इसी प्रकार टेकनिकल एजुकेशन में भी उनका कोटा ज्यादा होने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

श्री अधिष्ठाता—

आप समाप्त करें।

श्री जयदीप सिंह बरार—

मैं समझता हूं कि आर्थिक रूप से पिछड़ेपन का सिद्धांत होना चाहिए। इसके साथ ही जो माननीय रामेश्वर प्रसाद ने संशोधन प्रस्तुत किया है उसका समर्थन करता हूं।

*श्री सत्यपाल सिंह—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस विषय पर बोलने का मौका दिया और माननीय प्रदीप कुमार यादव जी ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसका मैं समर्थन करता हूं। मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू कराने के लिये, जो 31 दिसम्बर, 1980 को प्रेषित कर दी गई, पार्लियामेंट में जोर दिया गया और हमारी विधान सभाओं में भी जोर दिया गया लेकिन इस पर कोई कार्यवाही नहीं हो पाई है। हमारे कुछ साथी, जो उधर बैठे हुए हैं कहते हैं कि आरक्षण जाति के आधार पर न हो बल्कि आर्थिक आधार पर होना चाहिए। मुझे आपसे कहना है कि काका कालेलकर आयोग कायम हुआ था तो उन्होंने कहा था कि—आवर सोसायटी वाज नाट बिल्ट एसेंशियली आन इकोनामिक स्ट्रक्चर बट आन इकोनामिक मीडियेवल आइडियाज आफ सवर्ण कास्ट ऐण्ड सोशियल हाइराकी।

उन्होंने कहा कि हमारे समाज की जो स्थिति है वह आर्थिक आधार नहीं बल्कि सामाजिक आधार है।

जिस समय आर्टिकिल 15(4) इंट्रोड्यूस किया गया 1951 में उस समय प0 जवाहर लाल नेहरू ने उसका समर्थन किया था और कहा था कि—दैट फार एचीविंग इक्वेलिटी फार बैकवर्ड क्लासेज दि प्रिंसिपल आफ एब्सोल्यूट इक्वेलिटी हेव टु बी सेक्रिफाइस्ड" उन्होंने कहा था कि पिछड़े वर्ग को उठाने के लिए सम्पन्न लोगों के त्याग के बिना यह नहीं हो सकता है। इसमें आर्थिक आधार नहीं लागू

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हो सकता है। आर्टिकिल 340 के अन्तर्गत यह दिया गया है कि वह जातियां जो सोसियली एजुकेशनली बैकवर्ड हैं उनकी तरक्की के लिये कमीशन कायम होगा। अगर आर्टिकिल 15(4) में तथा 16(4) में नौकरी दी जाती है तो इससे संविधान का उल्लंघन नहीं होता है। आज हो सकता है कि हम महाभारत और रामायण को न मानें लेकिन संविधान को हम सब को समर्थन करना चाहिये। इसलिये उन लोगों को खुल कर सामने आना चाहिये जिस तरह से बुद्ध और स्वामी विवेकानन्द आये। स्वामी विवेकानन्द ने स्पष्ट कहा है कि "आप सवर्ण जातियों ने बहुत दिनों से इस उपेक्षित और पीड़ित जनता को दबाकर रखा है अब उनको इससे मुक्ति पाने का समय आ गया है और आप देखेंगे कि आपका सारा जीवन जीविका को खोजते ही बीतेगा और आपका सारा प्रयास निष्फल होगा।"

मान्यवर, आज आर्थिक पहलू की बात की जाती है। तो मैं उधर के माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि क्या एकलव्य का अंगूठा आर्थिक आधार पर काटा गया था, क्या शम्बूक का बध भगवान ने आर्थिक आधार पर किया था क्या सम्पूर्णानन्द की मूर्ति को गंगा जल से आर्थिक आधार पर धोया गया था, क्या दूसरा विश्वनाथ मंदिर का निर्माण आर्थिक आधार पर हो रहा है। क्या शंकराचार्यों की नियुक्ति आर्थिक आधार पर होती है। इसलिये हरिजनों के साथ जो निम्न कोटि का व्यवहार किया जाता है कि यदि कोई हरिजन वेद मन्त्र सुन ले तो उसके कान में शीशा गर्म करके डाल दें। इसलिये आज उनकी स्थिति आपने भेड़, बकरी और बिल्ली के समान कर रखी है, क्या यह आर्थिक आधार पर है। अगर नहीं, तो आरक्षण का आधार आर्थिक कैसे हो सकता है।

मान्यवर, आज हरिजन और पिछड़े वर्ग को दबाया गया है, इसलिये उनकी मांग है उसको लेने के लिये यह वर्ग किसी भी हालत में आज चुपचाप नहीं बैठ सकता है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि एक बार भगवान कृष्ण ने कहा था कौरवों से कि पांडवों को उनका अधिकार देने के लिये--

"दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी कोई बाधा हो,
दे दो केवल पांच ग्राम और रख लो अपनी धरती तमाम।"

इस पर भी जब कौरवों ने कुछ नहीं कहा तो कृष्ण ने अन्तिम संदेश सुनाया--

"लो मैं भी अब जाता हूं, अन्तिम संदेश सुनाता हूं,
याचना नहीं अब रण होगा, जीवन रहे या मरण होगा।"

इसलिये पिछड़ा 52 प्रतिशत समुदाय अब चुपचाप नहीं बैठ सकता है और अपने अधिकारों को लेकर रहेगा।

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त हुआ। श्री दूधनाथ राजभर।

श्री सत्यपाल सिंह--

मान्यवर, यह अग्रणी कौमों के लोग चुनाव के समय हाथ जोड़कर हरिजनों से मिन्नतें करते हैं कि हमें सहयोग दें और यहां पर उन वर्गों का यह विरोध करते हैं। इसलिये अब यह लड़ाई सदन में ही नहीं बल्कि बाहर भी चलेगी और वह अपने अधिकार लेकर रहेगा।

*श्री दूधनाथ राजभर--

मान्यवर, आपने इस गम्भीर चर्चा में बोलने का मुझे समय दिया उसके लिये मैं आपका आभारी हूं ।

श्री अधिष्ठाता--

मैं माननीय सदस्यों से एक अनुरोध करना चाहता हूं कि कम समय में ज्यादा बात कहें चूंकि अधिक सदस्य इसमें बोल सकें ।

डाक्टर बृज किशोर मिश्र--

व्यवस्था का सवाल है कि क्या इसमें भी मण्डल आयोग लागू कर दिया है ?

श्री अधिष्ठाता--

2 घंटे की चर्चा स्वीकार हुई है और इसमें दोनों तरफ से राय आना है चूंकि मण्डल आयोग सभा के लिये है ।

श्री दूध नाथ राजभर--

मान्यवर, जो चर्चा चल रही है उसमें मैं कहना चाहूंगा कि सवाल यह नहीं है कि उधर या इधर के माननीय सदस्य क्या कहते हैं बल्कि सवाल यह है कि समाज का जो कमजोर वर्ग है उसकी तरक्की कैसे हो, इसी को मण्डल आयोग के माध्यम से चर्चा करना चाहता हूं । मान्यवर, जिस समय देश आजाद हुआ और 26 जनवरी, 1950 को जब संविधान लागू हुआ तो उस समय संविधान निर्माताओं ने जिनको देश की व्यवस्था चलाने की जिम्मेदारी दी गई थी उन्होंने देखा कि इस भारत की भूमि पर तीन तरह के लोग हैं । एक ऐसा वर्ग रहा जिसके लिये किसी प्रकार की सुविधा शासन से न दी जाये सो उसका काम चल सकता है । दूसरा वर्ग ऐसा है जिसको शासन द्वारा सुविधा देना लाजमी हो गया है, और तीसरा वर्ग वह है जिसके लिये आरक्षण तथा अन्य सुविधायें यदि नहीं दी जायेंगी तो वह तरक्की नहीं कर पायेगा । आज जो हम चर्चा कर रहे हैं, वह बीच वाले वर्ग के लिये कर रहे हैं ।

1953 में काका कालेलकर की अध्यक्षता में भी एक कमेटी बनी थी जिसने अपनी रिपोर्ट दी थी जिसमें पिछड़े वर्ग के लोगों की व्याख्या भी की थी और यह संस्तुति दी थी कि उनके लिये क्या-क्या व्यवस्था शासन को करनी चाहिये । उसके आगे और एक कदम चल कर, 1955 में एक सूची और शासन को पेश की गई जिसमें सर्वाधिक पिछड़े लोग आते थे । इस विषय पर समय-समय पर विचार हुआ है कि आरक्षण का आधार आर्थिक हो या सामाजिक हो । यही एक मूल विषय है ।

स्वर्गीय पण्डित नेहरू जब जिन्दा थे तो 1951 में पार्लियामेन्ट के अन्दर भी 29 मई से 25 जून तक इसी विषय पर चर्चा हुई थी कि पिछड़े वर्ग का आधार आर्थिक माना जाये या सामाजिक माना जाये । डाक्टर अम्बेदकर जो संविधान के निर्माता माने जाते हैं, पण्डित नेहरू जो सदैव पिछड़े वर्ग को ऊपर उठाने की ही सोचा करते थे, उन्होंने तथा पार्लियामेन्ट में विचारोपरान्त जो निर्णय

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हुआ उसमें पिछड़े वर्ग का आधार सामाजिक तथा शैक्षिक ही माना। 1969 में जब हमारे देश की प्रधान मन्त्री श्रीमती इंदिरा गांधी हुई तो उन्होंने भी एक क्रान्तिकारी परिवर्तन का नारा दिया। आज भी हमारी प्रधान मन्त्री श्रीमती इंदिरा गांधी समाज के कमजोर वर्ग को उठाने के लिये प्रयत्नशील हैं। पिछड़े वर्ग और सर्वाधिक पिछड़े वर्ग को ऊपर उठाने के लिये हमको एक विशेष व्यवस्था करनी पड़ेगी और जब तक हम यह नहीं करेंगे उनका उत्थान सम्भव नहीं है।

मान्यवर, समय-समय पर जो आयोग गठित हुये उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट शासन को दी हैं। 1975 में एक माननीय छेदीलाल साथी की अध्यक्षता में भी आयोग गठित हुआ था और 1977 में उसने भी अपनी एक रिपोर्ट शासन को पेश की। उस समय जनता पार्टी का शासन था। उस आयोग के साथ मैंने भी लगभग 30-35 जिलों का दौरा किया था, वहां जाने का मुझे अवसर मिला था। आयोग को यह जिम्मेदारी सौंपी गयी थी कि वह जाकर यह पता लगाये कि समाज में जो सर्वाधिक पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके खाने-पीने, रहने आदि का स्तर कैसा है, किस प्रकार उनका समाज में तिरस्कार होता है, आदि। इसकी जांच करके शासन को रिपोर्ट देनी थी। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मुझे मौका मिला था 30/34 जिलों में जाने का और आयोग ने जो रिपोर्ट दी है, उसमें उसको बहुत अच्छा जिक्र है।

श्री अधिष्ठाता---

अब आप अपनी बात 2-4 जुमलों में पूरी करें।

श्री दूधनाथ राजभर---

मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आज हमारी चर्चा का मुख्य आधार यही है कि हमारे आरक्षण के लिए आधार आर्थिक हो या सामाजिक व शैक्षिक हो। मेरे विचार से आरक्षण का आधार, जैसा हमारे नेताओं ने राष्ट्रनायकों ने, राष्ट्रपिता बापू जी ने भी कहा है कि मेरा पुनर्जन्म न हो यदि हो तो किसी भंगी के घर में हो, जिससे उसका जो अपमान होता है, उसको मैं स्वयं सहन कर सकूं। इसलिए आरक्षण का सामाजिक, शैक्षिक, व्यवसायिक और राजनैतिक आधारों को देखकर होना चाहिए, यही मेरा कहना है।

श्री कुंवर सिंह नेगी---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने आज मुझे इस प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं। अभी यहां पर बताया गया कि काका कालेलकर आयोग ने 1953 में जो रिपोर्ट दी हैं, उसमें जातियों की संख्या 2399 थी। उसके बाद मंडल आयोग ने जो रिपोर्ट दी उसमें जातियों की संख्या बढ़कर और ज्यादा हो गई। तो हमारे यहां गरीबों की संख्या निरन्तर बढ़ती जा रही है और जैसा सरकार के आंकड़ों से साबित होता है, सरकार खुद कहती है कि प्रदेश में गरीबी की रेखा से नीचे जो लोग जीवन यापन कर रहे हैं, उनकी संख्या 50 प्रतिशत से अधिक है। मान्यवर, आजादी के इतने साल बाद भी देश में गरीबी की रेखा के नीचे इतने लोग रह रहे हैं, यह हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। प्रत्येक राष्ट्र में गरीबी और अमीरी का जो मापदण्ड माना जाता है, उसमें आर्थिक आधार बहुत महत्वपूर्ण होता है। आर्थिक आधार

[श्री कुंवर सिंह नेगी--]

पर हो गयी चीजों का निर्धारण होता है, उसी से सभी चीजें प्रभावित होती हैं, उससे सामाजिक और शैक्षिक आधार प्रभावित होते हैं ।

आज जिस प्रकार का आरक्षण दिया गया है हरिजनों को आप ले लीजिए या जनजातियों में ले लीजिए, उनमें जिन लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई, हैं, जो लोग आई0 ए0 एस0 और पी0 सी0 एस0 में निकले गये हैं, उन लोगों के जब सामाजिक और आर्थिक स्तर ऊंचे हो गये हैं तो उनके लिए आरक्षण की सुविधा क्यों बरकरार रखी जानी चाहिए। उनके बजाए यह सुविधा उन्हें जो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उन्हें मिलनी चाहिए। कोई भी जाति पूर्ण रूप से पिछड़ी नहीं होती है और कोई भी जाति पूर्ण रूप से आगे बढ़ी नहीं होती है । प्रत्येक जाति में कुछ न कुछ पिछड़े होते हैं ।

जिस जातीय आधार को आप बुरा मानते हैं, जिस जाति प्रथा को आप अभिशाप मानते हैं और यह भी मानते हैं कि जाति प्रथा देश की एकता और अखंडता के लिए खराब चीज है, तो फिर आज उसी जाति के नाम पर आरक्षण की बात क्यों करते हैं । जाति को जहां आप खराब चीज मानते हैं, तो उसी जाति के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए। बल्कि आर्थिक आधार आरक्षण का होना चाहिये । हमारे सदस्यों की ओर से अभी कहा गया कि हमारी सरकार गरीबों की भलाई चाहती है । जब आपने जमींदारी उन्मूलन किया था, उसका आधार यह था कि जो खेत जोतेगा वह खेत का मालिक होगा । लेकिन उससे आपने यह नहीं कहा कि खेत जोतने वाला कौन होगा । मान्यवर, यदि खेत जोतने वाला खेत का मालिक होता तो जो हरिजन और गरीब लोग हैं वह खेत के मालिक हो जाते । परन्तु आप जो कानून बनाते हैं, सिद्धान्त बनाते हैं वह सब अपने-अपने स्वार्थ में अपने-अपने अनुसार मोड़ देते हैं । तो मेरा सुझाव है कि यहां आलोचना जिस प्रकार से की जाती है तो उसमें जाति शब्द आना ही नहीं चाहिये । इस जाति शब्द ने हमारे देश को बरबाद कर दिया है । मेरी राय है कि सबसे पहले आर्थिक पहलू इसमें आना चाहिये और उसके आधार पर आलोचना होनी चाहिये ।

*श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मैं आपका अनुगृहीत हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार प्रकट करने का मुझे अवसर दिया है ।

श्री सीता राम निषाद--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । जो आज मंडल आयोग की रिपोर्ट पर बहस शुरू हुई है, पूरे प्रदेश की जनता इसको देख रही है कि आज इस पर कौन-लोग विचार दे रहे हैं और क्या विचार दे रहे हैं । जो पिछड़े वर्ग के माननीय सदस्य हैं, मैं चाहूंगा कि उन सभी सदस्यों को इस चर्चा में अपने विचार प्रकट करने का मौका दिया जाय । मैं यह भी अनुरोध करूंगा कि समय भी बढ़ा दिया जाय ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अधिष्ठाता--

मैंने तो यह नहीं कहा कि आप नहीं बोलेंगे ।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मान्यवर, मैं आपका अनुग्रहीत हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया है ।

श्री खैरुल बशर--

[* *]

श्री अधिष्ठाता--

यह लिखा नहीं जायगा और न आप यह कह सकते हैं ।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मान्यवर, अभी एक माननीय सदस्य खड़े हुए और उन्होंने एक ऐसी बात कह दी कि जो इस आदरणीय सदन के लिये गौरवपूर्ण किसी भी प्रकार से नहीं कहीं जा सकती है । उन्होंने कहा कि कुछ लोग जातीय आधार पर शासन कर रहे हैं तो मैं यह कहना चाहता हूं कि आज वह इस मुद्दे का प्रयोग राजनीतिक लाभ उठाने के लिये कर रहे हैं जो शर्मनाक है और इस प्रदेश के लिये कलंक बन सकता है । इस पर गौर करें कि मंडल आयोग की रिपोर्ट जिन माननीय सदस्यों ने पढ़ी है, जिन्होंने उनको गौर से देखा है तो उसमें प्रथम मुद्दा यह है कि बैकवर्ड की परिभाषा क्या की जाय ।

परिभाषा करने के लिये कुछ रिलेटिव टर्मिनोलोजी का प्रयोग किया है । तो श्रीमन्, आज स्थिति यह है कि हर जाति एक दूसरी जाति के मुकाबले में अपने को बैकवर्ड कहने लगती है । अहीर जाति को उदाहरण के लिये ले लें । तो अहीर जाति के सामने जो काछी खड़ा होता है वह कहता है कि हम अहीर जाति के सामने बहुत बैकवर्ड हैं । इसी प्रकार से दूसरी जातियां हैं, मुसलमान को ले लीजिये या और किसी जाति को, एक जाति दूसरी जाति से अपने को बैकवर्ड बताती है । तो ऐसी स्थिति में किसी जाति विशेष को बैकवर्ड में रखना तो भ्रम पैदा करने का विषय हो सकता है । मैं निवेदन करूंगा कि इसका आधार निश्चित हो जाय । पहला यह कि आप इस देश को क्या बनाना चाहते हैं और देश तथा प्रदेश में कैसे वातावरण का सृजन करना चाहते हैं । क्या जाति के आधार पर टुकड़े-टुकड़े में इस समाज को बांटना चाहते हैं या इसको दो वर्गों के आधार पर करना चाहते हैं, क्योंकि मेरी मान्यता है कि केवल दो वर्ग हैं । एक वर्ग है जो गरीब है और दूसरा वर्ग अमीर है ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य आप सब को जवाब देने का अख्तियार है आप लोग बैठें ।

नोट--[**] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मुझे अफसोस है....

(व्यवधान)

डा० बृज किशोर मिश्र--

आप लोग बोलने क्यों नहीं दे रहे हैं ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

कुछ माननीय सदस्यों को नाराजगी हो गयी जो मैंने अहीर जाति का उल्लेख किया कि पिछड़े वर्ग में कुछ जातियां अपने को उनसे पिछड़ा मानती हैं। हमने उनकी बराबरी कर दिया जो स्थिति वहां है वह इस समय यहां भी देखी जा सकती है। मेरा निवेदन है कि पूरे का पूरा वातावरण इस प्रकार का बन गया है। अभी एक माननीय सदस्य ने कहा हमने तीर मार दिया है एक मुख्य मंत्री कर्पूरी ठाकुर को बनाकर। उनको मालूम होना चाहिये इसके पहले मंडल साहब भी मुख्य मंत्री रह चुके हैं चाहे वह कुछ दिन ही रहे हों। इसके साथ ही साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी निरन्तर पिछड़े वर्ग को उठाने के लिये प्रतिबद्ध रही है और 1975 में छेदी लाल साथी आयोग का गठन करके कांग्रेस ने अपनी इसी मंशा को उजागर किया है। मंडल आयोग की संस्तुतियों में कुछ विसंगतियां हैं और जैसा माननीय सदस्य ने संशोधन का प्रस्ताव किया है। मेरी राय में उस पर गुणावगुण के आधार पर विचार हो तो उचित होगा।

मंडल आयोग ने पहला आधार पिछड़ेपन का यह कहा कि जहां शादी जल्दी हो जाती है, 17 वर्ष से कम आयु में शादी हो जाती है वहां पर 25 प्रतिशत औरतों और 10 प्रतिशत मरदों को ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में 10 प्रतिशत औरतें और 3 प्रतिशत मेल की शादी हो जाती है, स्टेट एवरेज से उनको बैकवर्ड मान लिया जाय। मैं कहना चाहता हूं कि देहातों में जहां कम पढ़े-लिखे लोग हैं सभी जातियों में शादियां कम उम्र में हो जाती हैं। सम्पूर्ण जातियों में जो एक-एक में 10-10 जातियां बनाई गई हैं जिस जाति में ज्यादा पढ़े-लिखे लोग होंगे वह दूसरे का हिस्सा ले लेंगे। इसलिये मेरी मान्यता है कि आर्थिक आधार पर पिछड़ेपन को निश्चित करना ज्यादा उचित होगा।

श्री अधिष्ठाता--

आप एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

एक जिले में 2 गांव का सर्वे किया गया है। मेरा सुझाव है कि 2 गांव को पूरे स्वरूप का उदाहरण नहीं माना जा सकता है, इससे पूरे स्वरूप को परिभाषित नहीं किया जा सकता है।

दूसरा निवेदन यह कहना चाहता हूं कि 50-82 प्रतिशत गरीबी की रेखा से नीचे जी रही है। इस गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाली जातियों में सभी जातियों में सभी जातियां आती हैं। इसलिये आर्थिक आधार मानना ज्यादा उपयुक्त होगा। पिछड़े लोगों को स्पेशल कोचिंग की सुविधा दी जाय, शिक्षा में प्रशिक्षण दिया जाय लेकिन मान्यवर, इसमें डोकास्ट भी किया जाय जो लोग

आरक्षण का लाभ उठाकर आज बड़ी-2 जगहों पर बैठे हैं, आई0 ए0 एस0 और बड़े-बड़े अधिकारी बन गये हैं उनको इससे हटाया जाय ताकि इसका लाभ दूसरे कमजोर लोगों को मिल सके । मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे माननीय सदस्य ने जो संशोधन पेश किया है इस पर सम्पूर्ण रुप से परीक्षण करके शासन यथोचित कार्यवाही करे ।

[समय 3 बजकर 4 मिनट अपराह्न]

*श्री राम गोविन्द--

श्रीमन्, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे भी बोलने की अनुमति दी है । श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह मांग करता हूं कि मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करें । अगर लागू नहीं करते हैं तो उसको सरकार में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है । अभी पक्ष और विपक्ष के लोग अपनी-अपनी बात कह रहे थे । कुछ सदस्यों ने कहा कि आरक्षण को जातिगत आधार पर रहने देना चाहिए । श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूं कि आज प्रदेशों में किसी भी पार्टी की गवर्नमेन्ट बनती है उसमें जातिगत आधार लिया जाता है । मंत्री मंडल में कितने बैकवर्ड लोग रहेंगे, कितने हरिजन रहेंगे कितने अनुसूचित जाति के लोग रहेंगे यह जातिगत आधार पर ही मंत्री मंडलों का गठन होता रहा है ।

मान्यवर, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जब इस देश में चुनाव हुए हैं उस समय भी हर पार्टी के लोग अपने-अपने चुनाव क्षेत्रों में जातिगत आधार की गिनती गिनते हैं । चाहे कोई कहे या न कहे । लेकिन गिनती सब गिनते हैं कि मेरे क्षेत्र में या फलां क्षेत्र में कितने मेरी जाति के लोग हैं । कितने पिछड़ी जाति के लोग हैं कितने अनुसूचित जाति के लोग हैं जब नित्य प्रतिदिन के कार्यों में आरक्षण की बात आती है तो निश्चित रूप से मंडल आयोग की सिफारिश जातिगत आधार पर लागू करने की बात कही गई है । यह हम सबको ही मानना चाहिए क्योंकि यह शत-प्रतिशत सही है । हम सभी लोग जनता की सेवा के भाव से राजनीति में आए हैं । और सब लोगों ने वायदा किया है कि हम जनता की सेवा के लिए समर्पित हैं ऐसी जनता जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़ी हुई है, सामाजिक दृष्टि से पिछड़ी हुई है जो हर तरह से पिछड़ी हुई है ऐसे लोगों का सुख-सुविधा हम राजनीति में आकर करेंगे । अब यह सवाल आता है कि गरीबों का सामाजिक पिछड़े हुए लोगों को ऐसे लोग जो हजारों वर्ष से दबे हुए हैं और जिनकी समाज में उपेक्षा की गई है जो आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न नहीं हैं ऐसे लोगों के हक की बात जब आती है तो हमें अपने स्वार्थों को नहीं देखना चाहिए ।

मंडल आयोग की सिफारिशों को सुझाने वाले वही सदियों से दबे हुए लोग हैं क्या वह बात मानने से इनकार किया जा सकता है । उसमें ऐसे लोग हैं जिनके रहने की व्यवस्था आज तक नहीं हो पायी है क्या वह ऐसे लोग नहीं जिनके मकान की व्यवस्था आज तक नहीं हो पाया है क्या ऐसे लोग नहीं हैं जिनके लड़के दवा के अभाव में तड़प-तड़प कर मर जाते हैं । हम सभी सामाजिक रुप से पिछड़े हुए लोगों की सेवा करने के लिए आए हैं । यह सही है कि विषय पर चर्चा हो रही है । जिस भावना और उद्देश्यों को लेकर हम आए हैं उनके

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया है ।

[श्री राम गोविन्द--]

प्रति अगर यह नहीं करते हैं तो हमारा और आपका राजनीति में रहने का कोई अधिकार नहीं है। चाहे वह सत्ता पक्ष का हो चाहे विरोध पक्ष का हो उसे राजनीति में रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं इस बात पर नहीं जाता हूं कि अनुसूचित जाति के लोग भी बैकवर्ड लोग हैं उनके प्रति सहानुभूति रखता हूं सवर्ण जाति के लोग भी उनके प्रति दुखी रहते हैं मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस देश को अनुसूचित जाति बनाम पिछड़ा वर्ग करने की जरूरत नहीं है। हमारा कर्तव्य है कि सरकार पर दबाव दें कि हम मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करेंगे।

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री राम गोविन्द--

इन्हीं शब्दों के साथ में आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

श्री सीताराम निषाद--

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे मण्डल आयोग की सिफारिशों को लागू करने की इस डिबेट में भाग लेने का अवसर दिया। मान्यवर, भारत में सरकारी सेवाओं को प्रतिष्ठा और शक्ति का प्रतीक माना गया है। इसलिए अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों का भी प्रतिनिधित्व दे करके देश के शासन में उन्हें भी शामिल होने का अवसर दिया जाना चाहिये। मान्यवर, किसी भी देश की लोकतांत्रिक प्रणाली में हर व्यक्ति और हर समुदाय को वहां की शासन व्यवस्था में साझीदार होने और उसमें हिस्सेदार होने का अधिकार है। इसलिये पिछड़े वर्ग के लोगों को भी उसमें साझीदार होना चाहिये। इस देश में 52 प्रतिशत लोग, जो पिछड़े वर्ग के लोग कहे जाते हैं, उनको भी इस देश की लोकतांत्रिक प्रणाली, यहां की शासन व्यवस्था में हिस्सेदार बनने का अवसर मिलना चाहिये। इसलिये पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण की सुविधा मिलनी चाहिये।

मान्यवर, आरक्षण का आधार क्या हो, इसका कोई विवाद, मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछड़े वर्ग के लोगों को जो समाज की पिछड़ी हुई सैंतीस जातियां हैं, उन 37 जातियों की तालिका बनाई है। उनको 15 प्रतिशत सरकारी सेवाओं में आरक्षण देने की जो व्यवस्था की गयी है, उससे इस बात का सबूत मिलता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने सिद्धांत रूप से सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण दिया जाय, इस बात को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया है। इसलिये वर्तमान परिस्थितियों में उसका आधार क्या होगा, आरक्षण का, जातिगत होगा या आर्थिक होगा। इसका कोई विवाद अब नहीं रह जाता है। मान्यवर, इस प्रदेश में सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग आयोग भी बना था। श्री छेदी लाल साथी की अध्यक्षता में। मैं भी उस आयोग का सदस्य था। मैंने उसके सदस्य की हैसियत से हिन्दुस्तान के सभी प्रान्तों के पिछड़ा वर्ग आयोगों को पढ़ा। इस देश के हाईकोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय की रूलिंग को भी पढ़ा। उसमें देश के हाईकोर्टों और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी बात को माना है। आर्थिक पिछड़ापन भी कारण होता

है लेकिन गरीबी का मूल कारण सामाजिक एवं जातीय व्यवस्था व अशिक्षा है। पिछड़े वर्ग के लोगों की आर्थिक स्थिति खराब है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी आरक्षण का आधार समाज का सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ापन आधार माना है। सर्वोच्च न्यायालय की इसी प्रकार की रूलिंग थी; तभी इस देश के तमाम प्रान्तों में वहां के राज्य सरकारों द्वारा आरक्षण की व्यवस्था हुई है। आज भी देश भर के तमाम राज्यों में आरक्षण की व्यवस्था चली आ रही है। मान्यवर, इसलिये ऐसी स्थिति में यह कोई प्रश्न नहीं रह जाता है कि आरक्षण का आधार क्या हो।

मान्यवर, अब प्रश्न यह उठता है कि कितना आरक्षण होना चाहिये। जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है। यहां पर पिछड़े वर्ग का प्रतिशत 53·2 है। सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग आयोग ने 29·5 प्रतिशत आरक्षण की संस्तुति इस शासन को प्रस्तुत की थी, उसका आधार यह था कि उत्तर प्रदेश में 18 प्रतिशत अनुसूचित जातियों के लिये आरक्षण है और 2 प्रतिशत आरक्षण अनुसूचित जन जातियों के लिये है। इसलिये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार 50 प्रतिशत में से 20 प्रतिशत को घटाकर शेष जो 30 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिये। अतएव साढ़े 29 प्रतिशत पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिया जाय, यह संस्तुति सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग आयोग ने मई, 1977 में प्रस्तुत की थी। मान्यवर, मण्डल आयोग ने सुझाव दिया है कि शिक्षा में सुविधा दी जाय, विज्ञान, तकनीकी और व्यापार में आरक्षण दिया जाय। वित्तीय सहायता उद्योग धंधों के लिये दी जाय और भूमि सुधार कानून बनाए जायं और पिछड़ा वर्ग विकास निगम बनाया जाय। पिछड़े वर्ग के लोगों के कल्याण के लिये अलग से मंत्रालय एवं निदेशालय की स्थापना की जाय।

मान्यवर, मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं कि मण्डल आयोग ने कुछ जातियों के बारे में अपनी विशेष संस्तुति दी है। इस प्रदेश और देश में रहने वाले मछुवारा जाति के लोग, बंजारा जाति के लोग भी पाये जाते हैं जिनकी सामाजिक शैक्षिक एवं आर्थिक स्थिति अत्यन्त दयनीय है। केवट, मल्लाह, बिन्द धीवर, धीमर आदि उप जाति के नाम से निषाद समुदाय के लोग पुश्तैनी पेशेवर मछुवारा जाति के लोग हैं, जिनकी आबादी उत्तर प्रदेश में लगभग 72 लाख है।

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त हुआ, कृपया आप बैठें।

श्री सीताराम निषाद--

मान्यवर, मैं कह रहा था कि इन जातियों को, मण्डल आयोग ने अपनी संस्तुति में कहा है कि अनुसूचित जाति में शामिल कर दिया जाय। मैं अनुरोध करूंगा कि उत्तर प्रदेश सरकार मण्डल आयोग की इस सिफारिश को मानें और अनुसूचित जाति की अनुसूची में शामिल करने हेतु केन्द्र सरकार को अपनी संस्तुति अवश्य भेजें।

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त हुआ, कृपया आप बैठें।

श्री सीता राम निषाद---

मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं कि 1977 से 1979 तक जब जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश में रही थी तो उसने आयोग की सिफारिशों को क्यों लागू नहीं किया। हमारी सरकार इस आयोग की रिपोर्ट को गुणावगुण के आधार पर लागू करना चाहती है। आज हमारी नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी के साथ इस देश और प्रदेश का पिछड़ा वर्ग है, आज इस कांग्रेस पार्टी के साथ इस प्रदेश का पिछड़ा वर्ग है। वह विपक्षियों के साथ नहीं है। मुझे विश्वास है कि हमारी सरकार मण्डल आयोग की सिफारिशों को अमल में गुणावगुण के आधार पर अवश्य लागू करेगी।

श्री मसरूर जाफरी--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। पिछड़े वर्ग के लिये कोई मन्त्रिमण्डल में जगह है....

श्री अधिष्ठाता--

मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

*श्री मित्रसेन--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह दुर्भाग्य की बात है कि जब मण्डल आयोग की रिपोर्ट किसी सरकार के सामने आती है तो वह सरकार चली जाती है। जब यह भारत सरकार के सामने आयी थी तो वह चली गई थी। अब यह प्रदेश सरकार के सामने आयी है शायद 4 दिन के बाद यह भी चली जाय। लेकिन फिर भी हमारा कर्तव्य है कि इसमें हम अपने सुझाव दें। आज हमारे देश और प्रदेश की जो सामाजिक संरचना है तथा आर्थिक और सामाजिक विसंगतियां हैं, उन सबको दूर करने के लिये इस मण्डल आयोग का गठन हुआ था और उसकी संस्तुतियों को लागू करने का निवेदन किया गया था। मण्डल आयोग की संस्तुतियों पर केन्द्र सरकार ने प्रदेश सरकारों से राय मांगी। पिछले सत्र में यह प्रश्न उठाया गया था कि क्या केन्द्र सरकार से प्रदेश सरकार को मण्डल आयोग की रिपोर्ट मिला है। तो उस समय मुख्य मंत्री जी की जगह पर हमारे संसदीय कार्य मंत्री ने सदन को यह अवगत कराया था कि उसके लिये हमारे यहां 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है और वह उस पर विचार कर रही है, किन्तु अभी तक उस पर क्या विचार किया गया था उस पर क्या निर्णय लिया गया, इसकी जानकारी हमको नहीं है।

मान्यवर, मण्डल आयोग ने अपनी संस्तुति में कहा है कि इस प्रदेश की आबादी को देखते हुए 52 प्रतिशत पिछड़े लोग हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार भी जो रिजरवेशन दिया जाना चाहिए था वह भी नहीं दिया जा रहा है। 22·5 प्रतिशत आरक्षण अनुसूचित जाति को दिया जा चुका है और 27 परसेन्ट बैकवर्ड कास्ट को दिया जाना था, किन्तु यह सरकार 27 परसेन्ट आरक्षण देने को तैयार नहीं है।

मान्यवर, मुझे दुख इस बात का है कि उधर के बैठने वाले लोग स्वयं जिस डाल पर बैठे हैं, उस डाल को काट रहे हैं। वे अपनी असलियत को भूल

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चुके हैं। हालांकि सामाजिक आधार के कई फैक्टर्स हैं चाहे वह आर्थिक हो या चाहे वह सामाजिक हो। लेकिन जिस समय जैसा कि श्री राम गोविन्द चौधरी जी ने कहा कि चुनाव के दौरान जातियों के आधार पर अपनी-अपनी कान्स्टीटुएन्सी में चुनाव होते हैं, उस समय जाति को ही आधार माना जाता है। उनसे वोट मांगे जाते हैं, बराबर की सुविधायें देने की बात कही जाती है, लेकिन यहां बैठने वाले जो सत्ता में हैं, जब इस बाबत कोई कानून बनाने की बात आती है, तब उनकी आंखें बदल जाती हैं। मैं खुले शब्दों में कहना चाहता हूं कि भले ही वह उनकी उपेक्षा करके शासन करते रहें, लेकिन यह धोखा देकर के समाज को गुमराह नहीं कर सकते। आज स्थिति यह है कि इस बात पर उतारू हैं कि आबादियों, जातियों पर आरक्षण हो। 27 प्रतिशत के आरक्षण की जो बात है, उसको मान्यवर, सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया है। मण्डल आयोग की मांग है कि उसको स्वीकार कर लें। नहीं स्वीकार करेंगे तो कोई आपसे भीख मांगकर नहीं लेगा, आपकी दया पर नहीं लेंगे, आपके आशीर्वाद पर निर्भर होकर नहीं लेंगे, लड़कर लेंगे और यह दुनिया का इतिहास रहा है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। सामाजिक संरचना के आधार पर किन-किन परिस्थितियों में बैठे, इसका आपको ख्याल नहीं है। जो लोग उपेक्षित रहे हैं, यदि आप उनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, मण्डल आयोग की संस्तुतियों को लागू नहीं करते हैं, तो लड़कर के अपने अधिकारों को ले लेंगे।

इसलिए मान्यवर, मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि इस रिपोर्ट पर गहराई से विचार करके निर्णय लिया जाय ताकि लोगों को सड़कों पर आने की, संघर्ष करने की नौबत न आने पाये। मैं यही कहूंगा कि आप इसे स्वीकार कर लें, जो संशोधन हैं, उन संशोधनों सहित स्वीकार कर लें। इसे आप पहले स्वीकार कर लें और बाद में कौन सी जातियां इसमें आयेंगी, उस प्रश्न पर बाद में विचार कर लें। अतः मेरा निवेदन है कि आप इस मण्डल आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार कर लें और यदि नहीं करते हैं तो मैं साफ शब्दों में कहूंगा कि यह श्रीपति मिश्र की सरकार पिछड़ा वर्ग विरोधी है। सिर्फ वोट लेने के लिये यह नारा देती है।

इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करते हुए पुनः मांग करता हूं कि इस मण्डल आयोग की रिपोर्ट को लागू किया जाय।

श्री माधव प्रसाद—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मुझे मण्डल आयोग की रिपोर्ट पर बोलने के लिए जो आपने मौका दिया है, उसके लिये मैं आपका आभारी हूं।

मान्यवर, मण्डल आयोग जनवरी, 1979 में 5 सदस्यों के साथ बना। वर्ष 1980 में, दिसम्बर, 1980 में इसने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रेषित की। 1982 में मान्यवर, इस रिपोर्ट को सरकार के समक्ष रखा गया। इसमें श्रीमन्, यह कहा गया है कि 52 प्रतिशत आरक्षण होना चाहिए। इसके अतिरिक्त 50 संस्तुतियां इस रिपोर्ट में की गयी हैं।

(श्री निर्भय नारायण सिंह के किसी माननीय सदस्य से खड़े होकर बात करने पर।)

श्री अधिष्ठाता--

माननीय निर्भय नारायण जी, आप अपनी सीट पर विराजें ।

श्री माधव प्रसाद--

उसमें यह भी कहा गया है कि यदि उस वर्ग से, उसमें आरक्षित पद के लिये व्यक्ति नहीं मिलता है, तो उसे तीन वर्ष तक खाली रखना चाहिए । आयु सीमा में छूट की भी बात कही गयी है । इसके अलावा निगमों, शैक्षिक संस्थाओं, टेक्निकल एजूकेशन में और ऐसे शैक्षिक संस्थाओं में जहां हास्टल की व्यवस्था है, वहां इन लोगों को अनुसूचित जाति के लोगों की सुविधाओं की भांति ही सुविधाएं देने की बात कही गयी है । इसके अतिरिक्त अलग वित्तीय निगम बनाये जायं, जितने भी निगम और सहकारी समितियां हैं, उसके लिये भी उसमें भी आरक्षण दिया जाय जिस तरह से हरिजनों को दिया जाता है । इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जो खाली जमीनें हैं, उनको भी हरिजनों की तरह, इसमें आबंटन किया जाय । मैं इस रिपोर्ट का स्वागत करते हुए, इसमें कुछ डिफेक्ट्स हैं, जिन्हें बताना चाहता हूं ।

पहला डिफेक्ट तो यह है कि कास्ट और क्लास डिफिनेशन भारतीय संविधान के अनुसार नहीं की गयी है--जाति और वर्ग की नहीं । क्योंकि भारतीय संविधान में अभी हमारे मुख्तार अनीस साहब बोल रहे थे कि आरक्षण कोई जरूरी नहीं है । लेकिन भारतीय संविधान की धारा 14 (4), 15, 16 में यह जाति के आधार पर आरक्षण दिया गया है कि वह अमुक जाति है यह अनुसूचित जाति की, जिनका क्लास के आधार पर कोई भी आरक्षण नहीं दिया गया है, जबकि इस मंडल आयोग की रिपोर्ट में क्लास के आधार पर आरक्षण की बात कही गयी है क्लास के आधार पर इस मण्डल रिपोर्ट में 3745 जातियों का विवरण दिया गया है । इस प्रकार से एक जो वीकर सेक्शन हैं, जैसा सरकार चाहती है कि जो गरीबी रेखा से नीचे हैं उनको आर्थिक दृष्टि से ऊपर उठाय, इस बात को इस मण्डल आयोग की रिपोर्ट में नहीं कहा गया है और केवल जातिगत आधार पर यह रिपोर्ट पेश की गयी है। इसका प्राविधान भारतीय संविधान में अमुक जाति के लिए किया गया है जिसे अनुसूचित जाति और जनजाति कहते हैं । इसमें 15 प्रतिशत तृतीय श्रेणी में और 10 प्रतिशत प्रथम श्रेणी में आरक्षण की बात कही गयी है । यही नहीं जिला परिषदों में हमारी सरकार ने पिछड़ी जातियों के लिए किया है । हमारी सरकार की मंशा है कि जो यह जातियां हैं जिन्हे, वीकर सेकशन्स कहते हैं, पिछड़ी जातियां कही जाती हैं ।

श्री अधिष्ठाता--

बस अब समाप्त करें ।

श्री माधव प्रसाद--

हमारी सरकार जो वीकर सेकशन्स की, जो गरीबी की रेखा से नीचे हैं, उनके लिए सोच रही है । इस मण्डल आयोग की रिपोर्ट को गुण-अवगुण के आधार पर देखा जायगा । इनकी मंशा सही है, लेकिन इसमें जो रिपोर्ट प्रेषित की गयी है वह एक जिले में दो गांव लिए गए हैं उसका न तो आर्थिक आधार लिया गया है और न सामाजिक आधार लिया गया है बल्कि इस रिपोर्ट में आर्थिक आधार को नेगलेक्ट किया गया है । सबसे पहला डिफेक्ट यह है कि इसके

आधार को नेगलेक्ट किया गया है। मैं चाहूंगा कि इसको पुनरीक्षित किया जाय और इसको गुण और अवगुण के आधार पर पुनरीक्षित करके इस पर विचार किया जाय और वीकर सेक्शन्स की मदद की जाय। इसके साथ ही जो संशोधन प्रस्तुत किया गया है, मैं उसका स्वागत करता हूं।

श्री गोपी नाथ वर्मा--

मान्यवर, मण्डल आयोग की रिपोर्ट पर आपने मुझे चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

अभी लोग बोल रहे थे कि श्रीमती इन्दिरा गांधी और मौजूदा सरकार, जिसके श्री श्रीपति मिश्र मुख्य मन्त्री हैं, यह पिछड़े वर्ग के बहुत ही समर्थक हैं और पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए कार्य करते हैं। अगर श्रीमती इन्दिरा गांधी और मौजूदा सरकार पिछड़े वर्ग की समर्थक होती तो जो बैकवर्ड का आरक्षण था उम्र में आरक्षण दिया गया था, सी0 पी0 एम0 टी0 में आरक्षण दिया गया था, उसको क्यों खत्म करती। आप कहते हैं कि मौजूदा सरकार पिछड़े वर्ग की समर्थक है, ऐसा नहीं है बल्कि यह वोट बटोरने का काम करते हैं। जब चुनाव का दौर होता है तो पिछड़े वर्ग की खून पसीने की कमाई जब बटोर कर यहां आते हैं और उनके घोर विरोधी हो जाते हैं। उनके लिए कानून बनाने का काम नहीं करना चाहते हैं। यह सिर्फ यह करना चाहते हैं कि कैसे पिछड़े वर्ग के हितों को कुचल दें। यह श्रीमती इन्दिरा गांधी पिछड़े वर्ग की हितैषी नहीं हैं, बल्कि पिछड़े वर्ग की विरोधी हैं।

आज जो सत्ता में बैठे लोग हैं, इनसे पूछिये क्या इनके दिल में पिछड़े वर्ग का दर्द है? वह कुर्सी पाने के लिए बताते हैं कि सरकार स्वीकृति देना चाहती है। पिछड़े वर्ग को आरक्षण के नाम पर जो आपने कहा कि आर्थिक आधार पर दिया जाय। मान लेते हैं जहां क्लास एक, दो, तीन और चार में जो अपर क्लास के लोग हैं, कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, आप पिछड़े वर्ग को भी कुर्सी पर बैठा दीजिये।

आयोग रिपोर्ट की कोई जरुरत नहीं है हम स्वयं सबके बराबर हो लेंगे और अपने हक को स्वयं ले लेंगे और अपनी सामाजिक और आर्थिक स्थिति को स्वयं सुधार लेंगे अगर आप हमें बराबरी का दर्जा दे दें, लेकिन आज समाज में हो यह रहा है कि जब कोई पिछड़े वर्ग का आदमी आपके सामने खड़ा होता है तो उसे बड़ी घृणित और घिनौनी दृष्टि से देखा जाता है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि छोटी से लेकर बड़ी-बड़ी कुर्सियों पर आपके आदमी बैठे हैं और जब इन आदमियों के पास कोई बैकवर्ड प्रमाण-पत्र लेने जाता है तो उनको ऐसे आंकड़े दिखा दिये जाते हैं, जिससे वह सही तरीके से आरक्षण नहीं ले पाते हैं।

अगर आप आर्थिक आधार लेना चाहते हैं तो पिछड़ा वर्ग जिस तरह से पहले से पिसता आ रहा है और पिसेगा और इन कुर्सियों पर बैठने वाले लोग और बढ़ेंगे। इस कारण आर्थिक आधार पर न निर्णय कर जाति के आधार पर किया जाय, और इस रिपोर्ट में भी इसी बात को कहा गया है और यह आधार ऐसे ही निर्धारित नहीं किया गया है, बल्कि हिन्दुस्तान भर में इसका जायजा लिया गया उसके आधार पर रिपोर्ट दी गयी है, इसलिए हम यह चाहते हैं इस मन्डल आयोग की रिपोर्ट पर विचार किया जाए और इसे ही लागू किया जाए।

*श्री जिया राम शुक्ल "विकल" साकेती--

मान्यवर, मण्डल आयोग के सम्बन्ध में होने वाली चर्चा में जो आपने भाग लेने का अवसर दिया मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, माननीय प्रदीप कुमार यादव जी से लेकर गोपीनाथ वर्मा जी तक हुई चर्चा को सुना और इसमें चारों तरफ से एक ही बात आयी कि जातिगत होना चाहिए, क्योंकि कुछ जातियां मण्डल आयोग के अनुसार पिछड़ी मान ली गयी हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि माननीय प्रदीप कुमार यादव जी समाज की वह सारी सुविधाएं उनसे छीन ले जाना चाहते हैं जो एक रिक्शा चालक, उसमें चाहे वह सैय्यद हों, पाण्डे हो, पाठक हो, खान साहब हो, उनसे, मैं इसको नहीं मानता, इसलिए यह जातिगत न होकर आर्थिक आधार पर होना चाहिए क्योंकि आज समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऊंची श्रेणी के लोगों से ज्यादा अच्छे हैं और इस रिपोर्ट द्वारा फिर उस पर कब्जा करना चाहते हैं। यह नहीं होना चाहिए।

इस आयोग की रिपोर्ट की तफसील पर पूरी तरह से विचार किया गया और उस हर बात को गौर से देखा गया है। इसमें एक फार्मूला तैयार किया गया है तीन भागों में एक तो सामाजिक, दूसरा आर्थिक और तीसरा शैक्षिक और इसमें अलग-अलग प्वाइंट और हर प्वाइंट पर अलग-अलग इंडीकेटर दिये गये हैं। जैसे सामाजिक में तीन प्वाइंट दिये गये हैं और हर प्वाइंट से चार इंडीकेटर हैं, इस तरह से इसका योग 12 हुआ और आर्थिक का एक प्वाइंट और इस प्वाइंट के 4 इंडीकेटर हैं, कुल योग 4, इसी तरह से शैक्षिक के तीन प्वाइंट हैं और इसके हर प्वाइंट के 2 इंडीकेटर हैं, कुल योग 6 हुए और इस प्रकार से कुल तीनों का योग जोड़ कर 22 होता है, यदि इस फार्मूले के आधार पर विचार किया जाए तो ऊंची जाति का बहुत ही गरीब आदमी ज्यादा नम्बर पा जाता है और वह अगली श्रेणी में आ जाता है, तो इस तरह से यह फार्मूला न्यायसंगत नहीं हुआ लेकिन उनका इस तरह से 22 या 20 नम्बर आ जाता है और वे पिछड़े हो जाते हैं। इसका जो बिन्दु बनाया गया है जो लोग ऊंची कास्ट के कहे जाते हैं जो कायस्थ हैं, राजपूत हैं, ब्राह्मण हैं, सैय्यद हैं, पठान हैं वह फौरन इस फारमूले से ऊंचे हो जाते हैं और एक बड़े से बड़ा आदमी जो कि पिछड़ी जाति का है, ऊंचा हो जाता है। इस फारमूले को हम स्वीकार नहीं करना चाहते हैं।

जो पिछड़ा वर्ग है इसमें भी एक आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग है जिसमें श्री दूध नाथ राजभर और श्री सीताराम निषाद आते हैं। तो राजभर और निषाद यह दोनों किस्म की जातियां हैं जो कि हरिजनों से भी नीचे आती हैं। उनको जो सुविधायें दी जाती हैं वह उनके पिछड़े वर्ग के ऊंचे लोग ले जाते हैं। मैं चाहता हूं कि जो दलित पिछड़ा वर्ग है, आक्रान्त है जिसमें राजभर और निषाद जाति के पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनका ध्यान रखा जाय वरना वह इस दौड़ में पीछे रह जायेंगे, वह इस लड़ाई में पीछे रह जायेंगे और श्री गोपी नाथ तथा श्री प्रदीप कुमार जी जैसे लोग आगे आ जायेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय राम स्वरूप वर्मा जी, आप केवल दो ही मिनट में अपनी बात समाप्त कर दें, समय कम है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री राम स्वरूप वर्मा—

मैं दो मिनट के अन्दर ही अपनी बात समाप्त कर दूंगा। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि जो माननीय सदस्य इस बात को कह रहे हैं कि यह बात आर्थिक आधार पर होनी चाहिये तो जो हिन्दुस्तान का सनातन धर्म है उसकी व्याख्या शास्त्रों में हुई है कि ब्राह्मण के अलावा धार्मिक मन्दिर का पुजारी कोई नहीं हो सकता है। तो उन्होंने व्यवस्था बनाई थी तो आपने क्यों नहीं विरोध किया कि नहीं कोई दूसरी जाति का भी पुजारी होना चाहिये वह जाति चाहे हिन्दू होती, मुसलमान होती, ईसाई होती। लेकिन आपने उसको तो चुपचाप मान लिया, कोई विरोध नहीं किया, चुप बैठे रहे और फैसला हो गया। तो यह आरक्षण शैक्षिक और सामाजिक आधार पर हो सकता है, आर्थिक आधार पर नहीं, काका कालेलकर आयोग जातियों के आधार पर नहीं है, इसलिये जातियों के आधार पर आरक्षण आपको देना पड़ेगा।

एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि आपके संज्ञान में कोई बात है नहीं, शास्त्र आपने पढ़ा नहीं है तो आपको मालूम कैसे हो कि संविधान में लिखा हुआ है कि जो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, शैक्षिक आधार पर पिछड़े हुए हैं और उन्हीं की एक सूची पेश कर दी है। मेरा मतभेद है, मैं जानना चाहूंगा कि जो आधार आरक्षण का हम बनाते हैं उसमें सभी सिद्धान्त नहीं हैं।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय वर्मा जी, आप अपनी बात को जल्दी समाप्त करें।

श्री राम स्वरूप वर्मा—

बस समाप्त ही कर रहा हूं। यदि किसी जाति की संख्या सूबे के आधार पर है तो उस सूबे में आप उसको आरक्षण दे दें, केन्द्र के हिस्से में यदि वह आती है तो केन्द्र में उसका आरक्षण दे दें, कोई झगड़ेगा नहीं। औरतें और विकलांग सभी इसमें जा जायेंगे। तो बहस तो आप अपने पक्ष में करते हो कि चित्त भी मेरी और पट्ट भी मेरी है। जब आरक्षण की बात आयी है तो मैं चाहता हूं कि 50 परसेन्ट आबादी है तो उनको 50 परसेन्ट आरक्षण मिलना चाहिये और यदि आप उन्हें यह नहीं देंगे तो फिर 52 परसेन्ट का रेजर्वेशन बाद में करना पड़ेगा, वह किसी न किसी तरह से इसे ले जरूर लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

डा० ब्रज किशोर मिश्र—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस अवसर पर बोलने का अवसर प्रदान किया, मान्यवर, काफी समय से मंडल आयोग की रिपोर्ट पर विचार हो रहा है। डा० प्रदीप कुमार यादव जी ने उससे इतना फोर्स पैदा कर दिया है जिससे कि वह अपने को दुविधा की स्थिति में डाल रहे हैं। उसको एक सुन्दर रूप देने के लिए, एक सुन्दर दिशा देने के लिए हमारी ओर से सदस्यों ने संशोधन पेश किया है। दोनों चीजें एक ही हैं, लेकिन रास्ता दो अलग-अलग हैं। इन्होंने जातीय स्तर को माना है। सम्मानित सदस्य बैठे हैं, मैं नहीं समझता था कि सम्मानित सदस्य यहां सदन में बैठकर, जहां पर चाहे उस पक्ष के लोग हों चाहे इस पक्ष के लोग हों निश्चित रूप से किसी भी क्षेत्र में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[डा0 बृज किशोर मिश्र]—

एक जाति का बहुमत नहीं होता है । हर क्षेत्र में मुसलमान हैं, ब्राह्मण हैं, ठाकुर ह तथा अन्य जाति के लोग हैं । सारी जातियों का समावेश कर के चुन कर आते हैं और सारी जातियों की भलाई के लिए आश्वासन दे कर आते हैं और जब वे सदन में बैठते हैं तो ठाकुर– बाभन की बात करते हैं, यह घृणा की बात है ।

मान्यवर, मंडल आयोग की बात चल रही है मैं प्रदीप कुमार यादव जी से पूछना चाहता हूं कि जब चौधरी साहब इस हाउस में बैठते थे तब क्यों नहीं प्रस्ताव को पारित कराया, जब बिहार में कार्पूरी ठाकुर मुख्य मंत्री थे तो उस समय क्यों नहीं इस प्रस्ताव को पारित कराया और लागू किया । बी0 पी0 मंडल स्वयं जब थे तो उन्होंने क्यों नहीं लागू किया । जो आधार मैंने माना है वही आधार वहां माना गया है । जाति के आधार पर सम्मानित सदस्य बोल रहे थे । उनको शास्त्र और गीता का ज्ञान बहुत है । हम लोग उनके सामने जूनियर हैं और कोई किसी काम में विद्वान है तो उससे इन्कार नहीं किया जा सकता है, चाहे वह हरिजन ही क्यों न हो । डा0 अम्बेदकर विद्वान् थे और उनकी विद्वता को स्वीकारा गया । मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी नेता इन्दिरा गांधी और हमारे मुख्य मंत्री श्रीपति मिश्र की नीति उसको लागू करने की जरूर है, और वह उसको लागू करेंगे, लेकिन जातिगत के आधार पर नहीं करेंगे । इस देश में ठाकुर और ब्राह्मण बेचारे ऐसे हैं जो गरीबी की रेखा पर हैं, जो गरीबी में जीवन यापन करते हैं । चाहे सत्यपाल हों या राम स्वरूप वर्मा हों, जाति के नाम पर आरक्षण चाहते हैं चाहे व लखपति ही क्यों न हों । इसलिए मैं मंडल आयोग की रिपोर्ट का विरोध करता हूं ।

श्री भीखा लाल—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मंडल आयोग की बहस पर एक प्रश्न पर बहुत जोर से चर्चा की गयी । जो लोग पिछड़े हैं उनके पिछड़ेपन के आंकने का आधार क्या हो—आर्थिक आधार हो या जातिगत आधार हो । मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि मेरी पार्टी का यह मत है कि पिछड़ेपन को आंकने का आधार आर्थिक होना चाहिए, लेकिन यह पिछड़ापन क्यों हुआ है इसे देखना होगा । हमारी वर्ण व्यवस्था ऐसी है, जिसकी पृष्ठ भूमि में जाना होगा । हमारी जाति व्यवस्था ने लोगों को पिछड़ा रखा है । अगर हरिजन और पिछड़ा व्यक्ति है तो वह हल जोतता है, फावड़ा चलाता है और मेहनत करता है लेकिन सामाजिक व्यवस्था जो है वह उनको जमीन नहीं देती है इसलिए वह गरीब है । कुछ गैर हरिजन जिनके पास जमीन है वह हल छूना पाप समझता है । उनको जाति का जो अहम् है वह उनको हल छूने नहीं देता है, अगर वह लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं तो वह अपने जाति के अहम् से पिछड़े हैं और उस अहम ने उनको पिछड़ा रखा है । इसलिए हरिजन व पिछड़े लोगों को अन्य के साथ आर्थिक आधार पर समान रूप से नहीं देखा जा सकता । इसलिये जो हमारे समाज में पिछड़ी जातियां हैं जो सामाजिक व्यवस्था के अन्तर्गत पिछड़े रखे गये हैं उनको आंकने के लिये जातीय आधार रखना बहुत जरूरी है उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती है । इसके साथ ही साथ मंडल आयोग में संरक्षण की बात तो कही गई है लेकिन उसमें कहा गया है कि इस आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिये पिछड़ी जाति को आगे बढ़ाने के लिये उग्र भूमिका सुधार लागू किया जाय ताकि इस सामाजिक व्यवस्था के अन्तर्गत जिनके पास जमीन नहीं है या जिनको जमीन नहीं मिली है उनको जमीन मिल सकें । इसलिये इसमें उग्र भूमि सुधार का लागू करने की बात कही गई है । इसके लिये हमारे यहां कानून है लेकिन हमारी सरकार

को नीयत उसको लागू करने की नहीं है । इसलिए आर्थिक आधार के साथ-साथ जातीय आधार की बात भी देखी जायेगी कि कौन किस तरह से पिछड़ा है । इसलिये जो सिफारिशें इसमें की गई हैं उनका समर्थन करता हूं ।

*संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

अधिष्ठाता महोदय, मैंने पक्ष और विपक्ष के सारे सदस्यों की बात बड़े ध्यान से सुनी और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जहां तक मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने की बात है उसमें कोई ज्यादा मतभेद न इधर की तरफ से और न उधर की तरफ है । इसमें जो संशोधन आया है उससे भी यह अनुमान होता है कि दोनों तरफ के माननीय सदस्य इसको कार्यान्वित करना चाहते हैं ।

*श्री राम आसरे वर्मा--

व्यवस्था का प्रश्न है । मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न यह है कि अभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने अपने भाषण के दौरान यह कहा कि जहां तक मंडल आयोग की संस्तुतियों को लागू करने का प्रश्न है चाहे इधर के हों या उधर के माननीय सदस्य हों, कुछ इस तरह की बात उन्होंने कही । तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या शासन ने मंडल आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है ? यदि हां, तो क्या वे इसकी घोषणा सदन में करेंगे ?

श्री अधिष्ठाता--

यह व्यवस्था का सवाल नहीं है । इस पर बाद में स्पष्टीकरण आप पूछ सकते हैं ।

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, व्यवस्था में कितनी अव्यवस्था इन्होंने पैदा की है, इसका निर्णय वे स्वयं करेंगे । मान्यवर, मैं निवेदन कर रहा था कि जो बात माननीय प्रदीप कुमार यादव जी ने अपना भाषण शुरू करने से पहले कही थी कि पिछड़ेपन का जो आधार हो वह आर्थिक होना चाहिये । जाति-बेस की जो बात उन्होंने कही, उसका हम स्वागत करते हैं ।

श्री मित्रसेन--

आप तब यहां मौजूद नहीं थे ।

श्री अम्मार रिजवी --

माननीय मुख्तार अनीस, माननीय नेगी जी ने और सारे सदस्यों ने भी यह कहा कि जो पिछड़ेपन का आधार हो वह जाति न हो बल्कि आर्थिक होना चाहिए । इसमें संविधान का भी हवाला दिया गया । उसमें स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 16 (4) में लिखा है--इस अनुच्छेद की किसी बात से राज्य को पिछड़े हुए किसी नागरिक वर्ग के पक्ष में, जिनकी प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्याधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के रक्षण के लिए उपबन्ध करने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री अम्मार रिजवी--]

में कोई बाधा न होगी । इसके अन्दर भी वर्ग की बात कही गई है । किसी विशेष धर्म या पिछड़े वर्ग की बात या जाति की बात नहीं कही गई है । संविधान में जहां भी आरक्षण की बात आयी है उसमें पिछड़े वर्ग की बात आयी है जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है । जाति की बात वहां नहीं कही गई है ।

मान्यवर, मंडल आयोग जो बना, वह यहां पर आया था सन् 80 में । उसने सारे अधिकारियों के साथ बात की । मंत्रि-परिषद् के सदस्यों के साथ उसकी वार्तालाप हुई और तब उसने अपनी सिफारिश की है । उन पर विस्तार-पूर्वक परीक्षण किया गया । एक रिपोर्ट शासन से वहां पर भेजी गई जिस पर उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया । जो बैकवर्डनेस का आधार है वह जाति न होकर आर्थिक होना चाहिये । इसकी इतनी व्यापक डेफिनेशन है कि उसके अन्दर जो वैसी जातियां है, पिछड़ी हुई हैं वे भी आ जाती हैं और साथ ही साथ जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं वे भी आ जाते हैं । तो एक जो सीमित चीज थी उसे और फैला दिया गया और सारे वर्ग उसम आ गये जिसका इब लोगों को स्वागत करना चाहिये । इसके बाद भारत सरकार से हर प्रदेश सरकार से राय मांगी गई । उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ कमेटियां इस सिलसिले में गठित कीं । एक सचिव स्तर पर फिर मुख्य सचिव स्तर पर फिर मन्त्रि परिषद् स्तर पर । माननीय प्रदीप यादव जी ने कहा कि मुख्यमन्त्री जी ने दिल्ली में कहा कि वे मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने के पक्ष में नहीं हैं तो यह बात सत्य से परे है । जो बात उन्होंने कही थी वह यह थी कि बहुत से ऐसे भी लोग हैं या वर्ग हैं जिनको पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता है कि बैकवर्ड नहीं हैं, बहुत से लोग देश और प्रदेश में ऐसे हैं जो पिछड़े हुए हैं उनको भी ध्यान में रखना है । तो उस बात को यह कहना कि श्री श्रीपति मिश्र जी ने ऐसा बयान दे दिया जो कि मण्डल आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के सम्बन्ध में है, सत्यता से परे है । जो बात वहां पर कही गयी उसके नोट बने उस बात को न कह कर अपनी तरफ से बात कह देना कहां तक न्यायसंगत है ।

माननीय राम स्वरूप वर्मा जी ने जाति को ही आधार मानने की बात कही मुझे आश्चर्य हुआ । माननीय राम स्वरूप वर्मा जी बहुत ही प्रगतिशील विचार के व्यक्ति हैं लेकिन आज उधर बैठ कर संकीर्ण दृष्टिकोण अपनाये हुये हैं । उनकी बात को सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ । मैं उनका ध्यान आकर्षित करते हुये निवेदन करना चाहता हूं कि जो यहां पर काका कालेलकर जी के सम्बन्ध में बात कही गयी, उन्होंने एक पत्र माननीय राष्ट्रपति जी को जो 30 पृष्ठों का था, उसके दो-एक पैराग्राफ्स की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं । जिसमें उन्होंने अपनी पहली राय को बदला है जो इस प्रकार है "विश्वास हो जाने पर, कि हिन्दुओं की उच्च जातियों को करना पड़ेगा, जो "निम्न" वर्ग की उपेक्षा करने की अपराधी रही थी, मुझे सरकार से सिफारिश करनी पड़ी कि सभी विशेष सुविधायें केवल पिछड़ा वर्गों को ही दी जानी चाहिये और उच्च वर्गों के गरीब और पात्र व्यक्तियों तक को पूर्णतया, इस विशेष सहायता से वंचित रखा जाय । तथापि, जाति पर आधारित उपायों को सुझाने की जोखिमों को देखकर मेरी आंख खुल गई । जब मैंने देखा कि राष्ट्र के मुस्लिम और ईसाई वर्गों पर इसका बहुत बुरा असर होगा ।"

आगे फिर वह कहते हैं "इससे मुझे काफी धक्का लगा और मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि हमारे द्वारा सुझाये गये उपाय उस बुराई से भी बदतर हैं जिन पर हमें काबू पाना था :"

अपनी पहली राय को उन्होंने बदला है और 30 पेज का पत्र राष्ट्रपति जी को उन्होंने भेजा। यहां पर जो संस्तुतियां आई उसके परीक्षण की बात कही गयी है। उसमें जो सारी बातें हैं उत्तर प्रदेश की सरकार जहां तक पिछड़े वर्ग का सम्बन्ध है, जो आगे नहीं बढ़ सके हैं उनके लिए हम कटिबद्ध हैं : माननीय साकेती जी ने जो बात कही उसको दुहराना मैं नहीं चाहता। माननीय निषाद जी ने तथा माननीय राजभर साहब ने जो बातें कहीं कि कुछ जातियां हैं, जो रह गयी हैं। तो इन सब पर विचार करना है। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिस पर अगर कोई जल्दी निर्णय ले लिया जाता है तो कल को कहा जायेगा कि यह लोग वंचित रह गए, जो डिजर्व करते थे उनको नहीं लिया गया।

इस कारण यह अत्यन्त आवश्यक है कि मा0 सदस्यों ने जो संशोधन दिये हैं कि इसका गुण अवगुण पर परीक्षण किया जाये, यह देखा जाय कि उ0 प्र0 में परीक्षण में कौन कौन सिफारिशें लागू करना चाहिये और कौन जातियां रह गई हैं, इसलिए चूंकि मंडल आयोग ने हर जिले से केवल 2 गांव लिए हैं जबकि हर जिले में लगभग दो हजार से साढ़े तीन हजार के गांव होते हैं, तो क्या दो गांवों की सेम्पिलिंग से सारी बातों का पता चल सकता है। इसलिए जो सरकार और यह सदन है, हम सभी मण्डल आयोग की सिफारिशों का स्वागत करते हैं लेकिन चाहते हैं कि प्रदेश की हालातों की कसौटी पर कस कर कि क्या ठीक है और क्या नहीं हो सकता है। चूंकि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो मण्डल आयोग में, हो सकता है कि न हों, इसलिए उनको भी कंसीडर किया जाये, इसलिए मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि न तो सरकार किसी स्टेज पर मण्डल आयोग की सिफारिशों को लागू न करने की बात कर रही है और न श्री श्रीपति मिश्र, मुख्य मन्त्री की सरकार ने यह कहा कि मण्डल आयोग की सिफारिशें न लागू की जायं।

मान्यवर, न किसी स्टेज पर पिछड़े वर्ग को, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, तमाम सुविधाओं से वंचित रखा जाये बल्कि सरकार उनको आगे बढ़ाने के लिए तैयार है और यह कांग्रेस सरकार और इन्दिरा गांधी की नीति है कि उनको आगे बढ़ाया जाये, इसलिए उस पर पूरी तरह से अमल होगा।

श्री अधिष्ठाता—

श्री रामेश्वर प्रसाद, अपने संशोधन पर कुछ कहना चाहते हैं।

श्री रामेश्वर प्रसाद—

मान्यवर, मैंने जो यह संशोधन का प्रस्ताव रखा है उसपर सभी से अनुरोध करता हूं कि इसको सर्वसम्मति से स्वीकार करें।

श्री प्रदीप कुमार यादव—

मान्यवर, जो प्रस्ताव रखा है उस पर मैं बल देता हूं और पक्ष एवं विपक्ष से उम्मीद करता हूं कि वह इसको मानेंगे।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि श्री प्रदीप कुमार यादव के प्रस्ताव में शब्द "शासन को निर्देश देता है कि मंडल आयोग की रिपोर्ट को शीघ्रातिशीघ्र लागू किया जाय" के स्थान पर शब्द "शासन से अनुरोध करता है कि मंडल आयोग की रिपोर्ट का गुणावगुण के आधार पर परीक्षण करके शीघ्र आवश्यक कार्यवाही करे" रख दिए जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता—

अब मैं संशोधित प्रस्ताव रख रहा हूं । प्रश्न यह है कि सदन मण्डल आयोग की रिपोर्ट का स्वागत करता है और शासन से अनुरोध करता है कि मण्डल आयोग की रिपोर्ट का गुणावगुण के आधार पर परीक्षण करके शीघ्र आवश्यक कार्यवाही करे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

ईंट भट्ठा मालिकों द्वारा प्रस्तावित प्रदेश व्यापी हड़ताल के सम्बन्ध में चर्चा

* श्री मित्रसेन—

मान्यवर, मैं अपने पक्ष और विपक्ष के मा० सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि ग्रामीण उद्योग, जो पूरक रोजगार है, से प्रदेश सरकार को कम से कम सभी टैक्सों और चुंगी टैक्स को मिलाकर 10 करोड़ रुपया सालाना और निर्माण के क्षेत्र में और बेकारी के क्षेत्र में जो मदद करता है, उस पर गम्भीरता पूर्वक विचार करना चाहिये और भट्ठा उद्योग के समक्ष केन्द्र और प्रान्तीय सरकार ने जो कानून बनाये वह एक कठिन समस्या खड़ी कर दिया है जिसपर आज विचार करना चाहिये । श्रीमन्, यह भट्ठा उद्योग हमारे प्रदेश में 6 हजार भट्ठा, जो 5 लाख मजदूरों को रोजगार देता है और यह उद्योग हमारे प्रदेश की सरकार को करीब 10 करोड़ रुपया सालाना देता है । सारे निर्माण कार्यों की रीढ़ यह उद्योग है । पर इस उद्योग के प्रति सरकार की उपेक्षा की नीति है । कई तरह के कानून इस उद्योग पर लागू कर रखे हैं जिसके कारण भट्ठा मालिक भी परेशान हैं और भट्ठा मजदूरों का भी उत्पीड़न हो रहा है ।

सरकार को और इस आदरणीय सदन को चाहिये कि वह इस गम्भीर प्रश्न पर गम्भीरता के साथ विचार करे । तरह-तरह के कानून इस भट्ठा उद्योग पर लागू होने के कारण इस उद्योग का चलना मुश्किल हो गया है । एक प्राविडेन्ट फंड ऐक्ट है, एक फैक्टरी ऐक्ट है, एक इन्डस्ट्री ऐक्ट है, एक बान्डेड लेबर ऐक्ट है, एक मिनिमम वेजेज ऐक्ट है, एक बाग संरक्षण ऐक्ट है, इसी तरह के कई ऐक्ट हैं जो भट्ठा उद्योग पर लागू होते हैं जिसके कारण भट्ठा मालिक इस उद्योग को बन्द करने पर मजबूर हो रहे हैं और मजदूरों का भी हित नहीं हो पा रहा है । कुछ विधेयक तो ऐसे हैं इनमें जिनको केन्द्रीय सरकार ने लागू कर रखा है । कुछ इस सरकार के हैं जिनका सम्बन्ध में माननीय श्रम मन्त्री, माननीय खाद्य मन्त्री तथा माननीय उद्योग मन्त्री से है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सरकार ने प्राविडेन्ट फंड ऐक्ट लागू किया है, पर सभी जानते हैं कि इस उद्योग में जो मजदूर काम करते हैं वे सीजनल होते हैं। यह उद्योग ही केवल जनवरी मास से जून मास तक चल पाता है। फैक्ट्री उद्योग की श्रेणी में यह उद्योग आता ही नहीं है, पर वह ऐक्ट भी लागू कर रखा है। प्राविडेन्ट फंड के अन्तर्गत जो पैसा मजदूरों का काटा जाता है, उसे यह पता ही नहीं है कि उसका लाभ उसे मिलेगा या नहीं और उसका क्या हिसाब रखा गया है। जितने भी ऐक्ट इस उद्योग पर लागू किये गये हैं किसी भी ऐक्ट के अन्तर्गत यह उद्योग नहीं आता है। इस उद्योग के सम्बन्ध में तो सरकार को विचार करके कोई नया ऐक्ट बनाना चाहिये। मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वे अपने अपनी बात हम लोगों के सामने रखें, उसके बाद हम लोग इस उद्योग के संकट के सम्बन्ध में सदन के समक्ष रखेंगे। आज अगर सरकार ने शीघ्र इस ओर ध्यान नहीं दिया तो ये लोग हड़ताल करने का निश्चय किये बैठे हैं और यह सही है कि इनके हड़ताल करने पर सारे निर्माण कार्य रुक जायेंगे और एक भीषण संकट पैदा हो जायेगा। मजदूरों का भी उससे नुकसान होगा। सरकार को चाहिये कि वह भट्ठा मालिकों से मिल कर कोई ऐसा समझौता करे जिससे कि कोई गम्भीर समस्या पैदा न हो और यह उद्योग चलता रहे। इन शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं।

खाद्य तथा रसद मन्त्री (श्री वासुदेव सिंह)--

मान्यवर, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि इस ईंट भट्ठा उद्योग के प्रश्न को हमारे कम्युनिस्ट भाई ने उठाया है। श्रमिकों के बारे में जो नियम उनका दल निश्चित करेगा, शासन उसको मानने में आपत्ति नहीं करेगा, उसे आपत्ति नहीं होगी।

ईंट भट्ठे हमारे प्रदेश में 6 हजार हैं। संक्षेप में अपने साथियों को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश शासन ने अपनी ओर से कोई कार्यवाही इनके विरुद्ध नहीं की है। जिन अधिनियमों का माननीय सदस्यों ने अभी हवाला दिया वह सब केन्द्रीय अधिनियम हैं।

(इस समय 4 बजकर 6 मिनट पर श्री अध्यक्ष, पुनः पीठासीन हुए।)

एक-एक करके मैं उनके बारे में निवेदन कर दूं, ताकि यह बहस बहुत स्पष्ट हो जाए। जैसे हड़ताल की उन्होंने नोटिस दी है, किसलिए दी है, समस्याएं जरूर हैं और हम चाहेंगे कि जो भट्ठों में मजदूर लगे हुए हैं, उनकी सुरक्षा हो, उनकी अपने भरण-पोषण का जो साधन मिला है वह पूर्ववत् चलता रहे।

यह शासन कभी नहीं चाहता कि प्रदेश में कोई श्रमिक उपद्रव हो, अशान्ति हो। हम चाहते हैं कि अधिक उत्पादन हो--चाहे ईंट हो या अन्य कोई चीज हो। लेकिन अपनी कठिनाई से मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूं। जैसे कारखाना अधिनियम है, यह एक केन्द्रीय अधिनियम है और उसकी जो परिभाषा इसमें है, उस परिभाषा के अधीन ईंट-भट्ठा उद्योग भी उसके अन्तर्गत आता है। अगर यह प्रयास करें कि इस उद्योग को उससे अलग करा सकें तो मुझको कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन हम उनकी इसमें क्या सहायता कर सकते हैं।

(व्यवधान)

[श्री वासुदेव सिंह--]

मान्यवर, मैं अभी कह रहा था, कारखाना अधिनियम में कारखाने की जो परिभाषा दी हुई है, उसके अनुसार ईंट भट्ठा उद्योग उसके अधीन आता है ।

दूसरी बात, भारत सरकार ने ईंट-भट्ठों के कारखाना अधिनियम में पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) की बात कही है और अगस्त, 82 से कारखानों की इस बारे में निर्देशित किया था । इसके तहत उत्तर प्रदेश शासन ने केन्द्रीय अधिनियम के अनुसरण में पंजीकरण कराने के लिए उपयुक्त कदम उठाए हैं, लेकिन कहीं कोई सख्ती हमने नहीं की है । किसी ईंट-भट्ठे वाले को सजा नहीं मिली है । फिर भी हमने जरूर केन्द्रीय आदेश का परिपालन करने का प्रयास किया है ।

तीसरी चीज जो बंधुवा श्रमिक अधिनियम की है, इस सम्बन्ध में सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है, वह बहुत स्पष्ट है और वह बहुत ज्यादा ईंट भट्ठे वालों को बांधता है । जैसे संविधान का अनुच्छेद 23 है, उसमें उल्लिखित है, अनुच्छेद 23 में प्रयुक्त 'जबरदस्ती लिया हुआ श्रम (फोर्स्डलेबर) से ऐसी व्यक्तिगत सेवा ही अभिप्रेत नहीं है, ज शारीरिक या विधि बल से करायी जाए, बल्कि वह सेवा भी शामिल है, जो किसी व्यक्ति को अपनी असहाय स्थिति अथवा आर्थिक दुर्दशा के कारण स्वीकार करनी पड़े । न्यूनतम मजदूरी के अधीन नियत न्यूनतम मजदूरी से कम पर सेवा की दशा में उपधारणा यह है कि जब वह जबरदस्ती लिया हुआ श्रम है, नियत न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी दिये जाने पर, इस अनुच्छेद का उल्लंघन है, ऐसी दशा में कार्यवाही करना शासन का दायित्व है । जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, उसका निर्णय है और इस निर्णय में एक मामले में यह भी कहा गया है कि जो मजदूरी दी जाती है-- ठेकेदारों के मार्फत यदि दी जाए, रु0 9.25 प्रतिदिन दी जाए और अगर ठेकेदार ने एक रुपया उसमें से काटकर पारिश्रमिक बांट दिया तो यह सर्वोच्च न्यायालय ने अभिमत अवधारित किया ।

यह निर्णय किया है कि ऐसा नहीं हो सकता एक रुपया भी काटा नहीं जा सकता है । पारिश्रमिक पूरा मिलना चाहिये ।

"वेतन की असमानता से समान पारिश्रमिक अधिनियम का ही उल्लंघन नहीं होता, अनुच्छेद 14 जो समानता का मूलाधिकार प्रदान करता है और अनुचित विभेद का निषेध करता है, उसका भी उल्लंघन होता है । 14 वर्ष से कम आयु के बालक को संकटमय कार्य में लगाने से बालक नियोजन अधिनियम के उपबन्धों का ही उल्लंघन नहीं होता, अपितु संविधान के अनुच्छेद 24 का भी उल्लंघन होता है, जो संकटमय कामों में बालकों के नियोजन का निषेध करता है ।" इस सम्बन्ध में भारत सरकार की विवशता है क्योंकि भारत सरकार अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आई0 एल0 ओ0) का सदस्य है । उस नाते इस श्रम के सम्बन्ध में जो मान्यता है वह एक मानवीय अधिकार के व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखी जाती है ।

दूसरी चीज अभी श्रम विभाग द्वारा बंधुवा मजदूरी के खिलाफ कोई कठोर कार्यवाही नहीं हुई है, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों, के अनुसार कोई विशेष उल्लेखनीय कार्यवाही नहीं की गयी है । इंटर स्टेट माइग्रेन्ट ऐक्ट का भी जिक्र किया गया, तो म जानता हूं कि प्राविडेंट फंड में कठिनाई है । प्रोविडेन्ट फंड कैसे दें ? 13 परसेंट या जो कुछ दें वह किस नाम से दें यह कठिनाई है, क्योंकि वह दूसरे

प्रदेशों से आते हैं। उड़ीसा से आ गये, बिहार से आ गये, यह सीजनल लेबर होते हैं। तो अब वह प्रोविडेन्ट फंड जमा नहीं कर सकते। सरकार हिस्सा कैसे दे यह विचार करने योग्य है। लेकिन जो इन्टर स्टेट माइग्रेट एक्ट है उसमें प्राविधान है कि जहां से वह आते हैं उनका वहां पर रजिस्ट्रेशन होना चाहिये जिससे पता चले कि वह कहां काम करते हैं।

अन्त में मैं कहूंगा कि ईंट भट्ठों के जो मालिकान हैं, 6 हजार की संख्या में ईंट के भट्ठे हैं, वह आवश्यक काम करते हैं। ईंटों की बहुत आवश्यकता है। बहुत आवश्यक पदार्थ की जो परिगणना होती है ईंट उसमें तो नहीं आती लेकिन आवश्यक है। निर्माण कार्यों के लिए ईंट की आवश्यकता होती है। या तो हम गांधी जी के युग में चले जायं और मिट्टी के मकान बनायें नहीं तो ईंट की आवश्यकता को मैं महसूस करता हूं। तो इन सब बातों पर 30 तारीख को एक त्रिदलीय सम्मेलन बुलाया गया है और उनमें जो मालिकान हैं वह भी रहें और उसमें कोई त्रिपक्षीय सम्मेलन का (ट्राईपारटाइज) निर्णय लिया जायेगा। यह हमारे और उनके बीच का जो मामला है तो वह मनोमालिन्य दूर हो जायगा। अंत में मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस अधिनियम के अधीन उच्च न्यायालय ने कतिपय ईंट भट्ठा के मालिकों की याचिका पर कंडीशनल स्टे दे दिया है। तो इसको देखा जा रहा है। यह सब प्रश्न हैं, मैंने संक्षेप में प्रश्नों की व्याप्ति और उसकी परिसीमा की ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया है।

अब जो चर्चा हमारे माननीय सदस्य करेंगे उस चर्चा के परिप्रेक्ष्य में, यदि आपने समय दिया, तो मैं अंत में शासन के दृष्टिकोण से सदन को अवगत कराने का प्रयास करूंगा।

[समय 4 बजकर 13 मिनट अपराह्न]

*श्री धरम पाल--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने ईंट उद्योग की चर्चा में मुझे भाग लेने का समय दिया सबसे पहले स्पष्ट कर दूं जो ईंट भट्ठा मालिकों के बारे में माननीय मंत्री जी ने कहा और जिसको हड़ताल की संज्ञा दी है वह इसकी संज्ञा में नहीं आता है। हड़ताल कुछ मांगों को लेकर की जाती है। ईंट भट्ठा मालिक किसी मांग के लिए नहीं बल्कि हमारा विरोध है कुछ कानूनों को लेकर···

श्री वासुदेव सिंह--

यह तो आपका शब्द है।

श्री धरम पाल--

यह मेरा शब्द नहीं है। मैंने तो यह कहा है कि मौजूदा कानून के तहत ईंट भट्ठा चलाना सम्भव नहीं है। माननीय मंत्री जी ने बन्धुआ मजदूर की बात कही है। मैं सबसे पहले बन्धुआ मजदूर की बात कहना चाहता हूं। यह सही है कि इस आधुनिक युग के मानव को बन्धुआ मजदूर बनाकर रखना मानवता पर कुठाराघात है। लेकिन जो ईंट भट्ठा सीजन में चलता हो,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री धरम पाल—]

मात्र दो-तीन महीने चलता हो, जनवरी से जून तक चलता हो और किसान जो उस पर काम करने वाला है खेती को बोकर उस भट्ठा पर आ जाता हो और कटाई के समय फिर अपने खेत पर पहुंच जाता हो। सारा काम खत्म करके फिर भट्ठा पर आ जाता हो जहां न कोई चौकीदार हो न कोई दबाव हो, चलने फिरने पर कोई रोक न हो और इसी के साथ हमारी सरकार द्वारा जो न्यूनतम मजदूरी घोषित हो उससे अधिक पैसा दिया जा रहा हो, आप कल्पना करें जहां बाजार रेट 7-8 रुपये है वहां भट्ठों पर 15 रुपये दिया जाता है। ऐसे मजदूर किस प्रकार से बन्धुआ मजदूर की परिभाषाण में आते हैं।

श्रीमन्, मैं दुनिया के अन्दर तो नहीं कहता लेकिन देश के अन्दर परम्परा है फैक्ट्री ऐक्ट के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन का जहां मालिक और मजदूर में कोई विवाद होता है तो वहां आर्बीट्रेशन होता है। कौन सा गुनाह कर किया है ईंट भट्ठा मालिकों ने जो आपने आर्बीट्रेशन नहीं रखा। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है फैक्ट्री ऐक्ट लागू होना चाहिए। लेकिन मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं उत्तर प्रदेश में या सारे देश में छोटी पूंजी वाले उद्योग, जिनको आप लघु उद्योग की संज्ञा देते हैं और लघु उद्योग के नाते आप पांच वर्ष या 7 वर्ष तक बिक्रीकर से मुक्त रखते हैं क्या उत्तर प्रदेश में ईंट भट्ठे को आप लघु उद्योग मानकर 5 या 7 वर्ष तक बिक्रीकर से मुक्त रखेंगे या किसी भट्ठे को आपने बिक्रीकर से मुक्त रखा है? कोई उदाहरण आप नहीं दे सकते हैं।

आप शौक से फैक्ट्री ऐक्ट को लगायें, हम उसका पालन करेंगे। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के अन्दर कौन सी ऐसी फैक्ट्री है जो खुले मैदान में चलती हो। कौन सी ऐसी फैक्ट्री है जो जाड़ा, गर्मी, बरसात में खुले में चलती हो। फैक्ट्री की अपनी एक सीमा होती है, फैक्ट्री की बाउन्ड्री वाल होनी चाहिए, टिन का शेड होना चाहिए, उसमें काम करने वालों के लिए स्थायी रूप से रहने का स्थान होना चाहिए। ईंट भट्ठा तो चलती फिरती फैक्ट्री है 2 साल लखनऊ में तो 3 साल गोरखपुर में किस प्रकार से आप इसको फैक्ट्री मानेंगे।

श्री राम नारायण पाठक—

व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, हाउस कुछ कन्फयूजन में पड़ गया है। वह यह है कि ऐक्ट माने या न माने इस पर बहस के पहले आवश्यकता इस बात की थी कि मंत्री जी ने जो बात कही उसमें 2-3 चीजों का उल्लेख नहीं आया।

श्री अध्यक्ष—

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। यह जरूरी नहीं है वह सब बातों का उत्तर दें। यह व्यवस्था का सवाल नहीं है।

श्री राम नारायण पाठक—

व्यवस्था का प्रश्न यह है कि माइग्रेन्ट लेबर के बारे में क्या निश्चय किया गया यू० पी०....

श्री अध्यक्ष—

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, आप बैठें।

श्री धरमपाल--

मैं कह रहा था कि संसार की कौन सी इन्डस्ट्री है जो खुले मैदान में चलती है जिसके मजदूर और मालिक खुले मैदान में रहते हों उसको इन्डस्ट्री कहना अपमान है। मान्यवर, लघु उद्योग के नाम पर जो लघु उद्योग को सुविधायें मिलनी चाहिए वह इस उद्योग को कभी उपलब्ध नहीं करायी गई, कभी इसको डिमाण्ड का कोयला नहीं दिया गया है। मान्यवर, जिसको आप बन्धुआ मजदूर कहते हैं....

श्री यशमन सिंह गहलौत--

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, यह कहते हैं कि आप अभिलेख देख लें कि हम हडताल पर नहीं जा रहे। हमें यह सुविधा नहीं दी जाती है, तो क्या यह भट्ठा प्रतिनिधियों के रूप में बोल रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष--

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री धरमपाल--

हां, तो मान्यवर, मैं कह रहा था कि एक तरफ तो बन्धुआ मजदूर की बात कर रहे हैं दूसरी तरफ माइग्रेट ऐक्ट यह कहता है कि आप यदि 50 मजदूर लाए हैं तो 50 मजदूर ही पहुंचाने पड़ेंगे। यदि किसी कारण से दो मजदूर को नौकरी मिल गई और 48 मजदूर रह जाते हैं तो जो ले जाने वाला है मजदूरों को, वह दंडित होगा। एक तरफ तो हम कहते हैं कि बन्धुआ मजदूर की प्रथा समाप्त होनी चाहिए जो मजदूर भट्ठों पर कार्य कर रहे हैं...

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिए।

श्री धरमपाल--

मान्यवर, पांच मिनट का समय और दे दें।

श्री अध्यक्ष--

पांच मिनट का समय बोलने के लिए दिया जाता है और आप कहते हैं कि पांच मिनट और दे दें। जो समय निर्धारित है, वह केवल पांच मिनट है।

श्री धरमपाल--

मान्यवर, उत्तर प्रदेश की हर इन्डस्ट्रीज में लाखों मजदूर कार्य करते हैं। इसको बन्द कर देने से मजदूरों की रोजी रोटी छिन जाएगी। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में ही नहीं विश्व के अन्दर कम पैसे में लगने वाली दूसरी इन्डस्ट्री नहीं है, इस इन्डस्ट्रीज के ऊपर कुठाराघात करना व्यावहारिकता नहीं है। मैं मांग करता हूं कि ऐसा गठन करें....

श्री अध्यक्ष--

आपका समय समाप्त। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि पांच मिनट से ऊपर न बोलें।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, भट्ठा मालिकों ने हाल ही में लखनऊ की सड़कों पर जबरदस्त प्रदर्शन किया और उसमें उन्होंने इस बात की घोषणा की कि अक्तूबर से प्रदेश के सारे भट्ठे बन्द हो जायेंगे। मान्यवर, अगर यह नौबत आती है तो इसके कई परिणाम सामने आयेंगे। लाखों मजदूर, जो इन भट्ठों पर रोजी-रोटी पाए हुए हैं, वह सड़कों पर आ जायेंगे, वह बेरोजगार हो जायेंगे। दूसरी बात मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रदेश के विकास का कार्य ठप पड़ जायेगा। सार्वजनिक निर्माण विभाग हो, चाहे दूसरे विभाग हों, सब के सब उन्हीं भट्ठों से ईंट लेकर किसी कार्य को आगे बढ़ाते हैं। तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि कोयले का अभाव हो जाएगा। चौथी बात मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि जो सरकार को राजस्व का लाभ होता है, वह खतरे में पड़ जायेगा। अगर इन्हीं स्थितियों को देखते हुए हम यह कहें कि यदि भट्ठा मालिक भट्ठों को बन्द कर देते हैं तो शासन इसका विकल्प निकाले और जिन लोगों की, मजदूरों की सड़क पर आने की स्थिति है, उनके लिए रास्ता निकाले। मान्यवर, यह बात शासन पक्ष की ओर से लोग कबूल नहीं करेंगे। इसलिए कबूल नहीं करेंगे कि यही ईंट भट्ठा मालिक सत्ता पक्ष के लिए तिजोरी खोल देते हैं। जिस समय चाहते हैं तिजोरी खुल जाती है, इसलिए उनके कहने के मुताबिक ही चलेंगे।

मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि इनकी वजह से जिन मजदूरों को सड़क पर आने की स्थिति पैदा होने वाली है, उनकी रोजी सुनिश्चित करने के लिए इन्हें हर कदम उठाने चाहिए। उन व्यवहारिक कठिनाईयों की ओर शासन को ध्यान देना चाहिए, जिससे ऐसी नौबत अक्तूबर में कायम न हो कि उनकी मजदूरों की स्थिति खराब हो जाय।

*श्री राम नारायण पाठक--

मान्यवर, यह जो समस्या है, इसके सम्बन्ध में हमारे सत्ता पक्ष के साथियों ने जो अपनी बातें कहीं व माननीय मंत्री जी ने जो बातें कहीं, तो वह अपनी बात पूरी तरह स्पष्ट नहीं कर सके। मुझे यह कहना है कि इस सरकार ने इस सम्बन्ध में जिन बातों पर गौर किया, यह जो बन्धुआ मजदूरों की बात है, इसमें यह देखा गया कि जो माइग्रेन्ट लेबर दूसरे प्रान्तों से आ रहे हैं, उसके लिए कहा गया कि ये लोग जो बाहर से आदमियों को लाते हैं तो ये वहां की उस प्रान्त की सरकार को एक लिस्ट बना करके दे दें कि इतने मजदूर जा रहे हैं, और उनका नाम पता दे दें। जब सरकार चाहेगी जान लेगी कि इन लेबरों के बारे में कि क्या स्थिति है और उनके लिए क्या व्यवस्था है।

दूसरे प्रान्तों के मंत्री भी आए थे। उन्होंने भी इस बात को स्वीकार कर लिया था। ऐसा होने पर बन्धुआ मजदूरों की समस्या सरकार के लिए

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नहीं उत्पन्न होगी और उन लोगों का रिकार्ड कायम हो जायेगा। दूसरी बात यह है कि यदि किसी ऐक्ट के लागू करने पर कारखानों के बन्द हो जाने का खतरा हो, या आशंका हो तो फिलहाल जो मजदूर काम करते हैं उनके नाम बैंकों में खाते खोल दिये जाय, तो यह पता रहेगा कि इन मजदूरों को पैसा मिला या नहीं और नहीं तो मिलना चाहिए। उनको मिनिमम वेजेज ऐक्ट को लागू करने में कोई एतराज नहीं है। अब फैक्ट्री ऐक्ट के बारे में केन्द्रीय सरकार ने कोई कानून बना दिया तो केन्द्रीय सरकार तो भट्ठे बनाती नहीं है। बनाने की यह सारी व्यवस्था प्रान्तों में हो रही है। प्रान्तों की समझ में अगर यह बात आ जाय कि किसी ऐक्ट को लागू करने से परिस्थिति गम्भीर होगी या भट्ठे या कारखाने बन्द हो जायेंगे तो मैं यह निवेदन करूंगा कि जितनी जल्दी हो सके त्रिपक्षीय सम्मेलन बुला लें। उसमें मजदूरों के प्रतिनिधि हों, सरकार के प्रतिनिधि हों, भट्ठा मालिकों के प्रतिनिधि हों ताकि उसमें यह निर्णय हो सके, वह उसकी एकाउन्टेंसी वर्क आउट करके बतावें कि इन मजदूरों के लिए क्या किया जाय। किस तरह से भट्ठे चलेंगे और मजदूरों को क्या मिलेगा। यह जल्दी से हो जाय तो झगड़े से बच भी जाएंगे और इस प्रान्त में जो मजदूर लगे हुए हैं, या जो उद्योग चल रहे हैं।

यह बात सही है कि उद्योगों पर बहुत बड़ा बोझ पड़ा तो वह बन्द हो जायेंगे। मैं निवेदन करूंगा कि मंत्री जी यह त्रिपक्षीय सम्मेलन बुला लें, जिससे एकाउन्टेन्सी, वर्क आउट करके कोई निर्णय हो सके।

श्री काशी नाथ मिश्र—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, इसमें लिखा हुआ है प्रस्तावित प्रदेश व्यापी हड़ताल। जबकि अभी हड़ताल हुई नहीं है। मान्यवर, मैं समझता हूं कि पिछले 40-50 सालों से प्रस्तावित हड़ताल पर इस सदन में बहस नहीं हुई है। जब कहीं पर कोई हड़ताल हो जाती है तभी इस सदन में उस पर बहस होती है। एक कल्पना कर लेना कि हड़ताल होगी, ऐसा कहना गलत है और उस पर चर्चा होना नियमों के प्रतिकूल है। इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ?

श्री अध्यक्ष—

इस प्रस्ताव को सदन ने स्वीकार किया है। इसे मैंने स्वीकार किया है, इस पर निर्णय ले लिया गया है। इसी आधार पर इस पर बहस हो रही है।

श्री मित्रसेन—

मान्यवर, ऐसा कह कर माननीय श्री काशी नाथ मिश्र जी अध्यक्ष पर आरोप लगा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

कृपया आप लोग बैठ जायें। मैंने आप लोगों को बोलने की इजाजत नहीं दी है।

[श्री मारकण्डेय चन्द—]

मान्यवर, किसी विषय पर कार्यमंत्रणा समिति में विचार-विमर्श के बाद समय निर्धारण हो गया हो तथा उसे आपने स्वीकार कर लिया हो तो उसके बाद उस पर चर्चा हो सकती है ।

*श्रम राज्य मंत्री (श्री सुनील शास्त्री)—

मान्यवर, माननीय खाद्य मंत्री जी ने चर्चा के शुरुआत में ही यह बताया किईट भट्ठों में जो कार्यरत श्रमिक हैं, उनको सुरक्षा के लिए जो भी श्रमिक कानून प्रदेश सरकार ने लागू किए उनका सीधा सम्बन्ध केन्द्रीय सरकार के कानूनों से है । मैं यह बताना चाहूंगा कि इस देश में जो नेशनल लेबर इन्सटी-ट्यूट है, उसने जो सर्वेक्षण किया है, उसके हिसाब से लगभग 10 हजार ईंट-भट्ठे इस पूरे प्रदेश में कार्यरत हैं । इन ईंट-भट्ठों में लगभग 75 प्रतिशत से 97 प्रतिशत जो श्रमिक हैं वे बाहर से आते हैं । इन श्रमिकों में से 75 प्रतिशत श्रमिक अनुसूचित जन जाति के हैं । मैं यहां यह भी कह देना चाहता हूं कि जो माइग्रेन्ट मेन ऐक्ट लागू किया गया है, और जैसा कि उसे यहां पर लागू किया गया है, उसका मकसद यह है कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के श्रमिक किसी और प्रदेश में जाते हैं और उनका वहां पर शोषण होता है तो हम वहां कि सरकार से इस बात को शिकायत करते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि मजदूरों के शोषण को रोका जाये । और जब वहां मजदूरों का हमारे प्रदेश में शोषण होता है तो वे लोग हमसे इस बात की शिकायत करते हैं कि मजदूरों के शोषण को रोका जाये । इसलिए इस दिशा में यह अधिनियम लागू किया गया ।

मान्यवर, जहां तक ईंट-भट्ठों के त्रि-दलीय सम्मेलन की बात है, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने पहले ही बता दिया है, इस सम्बन्ध में मैं भी कहना चाहता हूं कि उनके साथ त्रि-दलीय सम्मेलन 27 सितम्बर को बुला लिया जाय, ऐसा तय कर दिया गया था। किन्तु ईंट-भट्ठा मालिकों का हमें एक पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें उन्होंने सूचित किया था कि उन्हें एक आवश्यक बैठक हेतु 27 तारीख को दिल्ली जाना है, इसलिए इस बैठक की तिथि को पोस्टपोन्ड कर दिया जाय । हम लोगों ने उनके पत्र को स्वीकार कर लिया । हम नहीं चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में 83 हजार श्रमिक जो ईंट-भट्ठों में कार्यरत है, उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई पहुंचे और इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने एक त्रि-दलीय सम्मेलन 30 सितम्बर को लखनऊ में बुलाया है। उसमें दोनों पक्षों की बात, सेवायोजक की बात और साथ ही साथ श्रमिकों की बात की भी सुनवाई करेंगे ।

मान्यवर, मैं यह भी बताना चाहता हूं कि ईंट-भट्ठे मालिकों की, उनकी जो समस्यायें हैं, उससे भी प्रदेश सरकार भलीभांति परिचित है, उसे जानती है और इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने केन्द्रीय श्रम मंत्री जी को भी एक पत्र लिखा है, जिसमें उनसे निवेदन किया है कि जो अगले माह श्रम मंत्रियों का सम्मेलन दिल्ली में आयोजित किया गया है 23-24 सितम्बर को, उसमें इसको भी एजेन्डे में शामिल कर लिया जाय, जिसमें हर प्रान्त के श्रम मंत्री उपस्थित होंगे और सब अपना-अपना पक्ष रखेंगे, जिससे कुछ निर्णय वहां ले सकेंगे । जो इसे गम्भीर समस्या कह रहे हैं, मैं कोई गम्भीर समस्या इसे नहीं समझता हूं । बैठकर के एक साथ मिलकर बातचीत करके, सुलझा सकते हैं । तो, मैं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

इसे कोई गम्भीर समस्या नहीं कहूंगा। बाल संरक्षण अधिनियम का जहां तक सवाल है, उस पर अभी प्रदेश सरकार विचार कर रही है। लेकिन उस पर निर्णय ले लिया गया, ऐसी बात नहीं है। इसके बारे में उन्होंने जिक्र किया इसके अलावा फैक्ट्री बेजेज ऐक्ट और सीजनल लेबर्स की बात कही। सीजनल लेबर की जहां तक बात है, ईंट-भट्ठे में जो श्रमिक कार्य करते हैं, वह 8 महीने कार्य करते हैं, सीजन के समय में, उसके बाद उनके पास कोई कार्य नहीं रहता है और उसमें इस समय जो श्रमिक कार्यरत हैं, उसमें लगभग 80 प्रतिशत भूमि-हीन जो खेतिहर मजदूर हैं। वहां पर तरह-तरह के आदमी कार्य करते हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा करना प्रदेश सरकार का फर्ज है, कर्तव्य है। इस दिशा में मैं यह बताना चाहता हूं कि फैक्ट्री बेजेज ऐक्ट यह उत्तर प्रदेश में लागू नहीं है, तो उस सम्बन्ध में प्रश्न ही नहीं उठता।

दो-तीन बातें कही गयीं। फैक्ट्रीज ऐक्ट के बारे में जो कहा है कि अधिकांश महिलाएं और बच्चे उसमें कार्यरत हैं, उनके लिए रहने की कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। एक छोटा सा झोपड़ा वह बना लेते हैं। मैं यह नहीं कहता कि उन्हें मकान बनाकर दें लेकिन ईंट भट्ठे से जो संलग्न लोग हैं, उनसे विशेष अनुरोध है, अपील है उनसे कि वे कम से कम वहां पर इतनी सुविधा उपलब्ध करा दें, जहां पर वे रह सकें। उनके शौचालय उपलब्ध हो सकें, और उसमें कोई ज्यादा अधिक खर्चा नहीं बैठता। जहां तक प्राविडेंट फंड की बात है, वे भी केन्द्र सरकार का ऐक्ट है प्राविडेंट फंड के लिए। लेकिन जब एक बार पूरी जानकारी श्रमिकों के बारे में ईंट भट्ठे मालिक के पास रहेगी तो उसमें कोई ज्यादा कठिनाई नहीं होगी। प्राविडेंट फंड के सम्बन्ध में एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जहां तक हमारे श्रमिक ईंट भट्ठे में कार्यरत हैं, उनके जो एडवांस पेमेन्ट की बात करते हैं सेवायोजन लोग, ईंट भट्ठे के मालिक, उनसे निवेदन करेंगे कि जब त्रि-दलीय सम्मेलन हो, तो वे इसमें रखें और इस पर विचार किया जायेगा कि क्या उसमें से कटौती कर ली जाय प्राविडेंट फंड से। तो वहां से रखने से उसमें भी कुछ निर्णय ले सकते हैं। मैं इससे अधिक नहीं कहकर निवेदन करूंगा अपने सभी माननीय सदस्यगण से कि श्रमिकों के हितों के लिए हम जागरुक हैं और पूरी तरह से सचेष्ट हैं।

जहां तक पंजीकरण की बात है, पंजीकरण करने के लिए श्रम विभाग के माध्यम से 453 निरीक्षण हुए हैं उसमें से जो निदेश लिए गए वह 404 व्यक्तियों को दिए गए, 404 ईंट भट्ठों को। 86 लोगों ने पंजीकरण कराया है। तो, आप इससे देखें कि कोई भी सहयोग उनसे प्राप्त नहीं हो रहा है। ईंट भट्ठे मालिक गण, हमें, प्रदेश सरकार को सहयोग प्रदान करेंगे, तो श्रम विभाग की ओर से मैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो यह कठिनाइयां हैं, त्रिदलीय सम्मेलन में उनका निराकरण किया जायेगा।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

माननीय अध्यक्ष जी, ईंट भट्ठे के मालिकों ने यहां पर एक प्रदर्शन किया था और उस प्रदर्शन की अभिव्यक्ति इस आदरणीय सदन में भी हो रही है। मान्यवर, यह प्रदर्शन किस काम के लिए था इसमें केवल यह था कि उनको जो मजदूरों के शोषण का अधिकार था, उनकी मांग पर, उस अधिकार पर अंकुश

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—]

लगाने की बात चल रही है ।

मान्यवर, मुझे इस बात को कहने में संकोच नहीं होता है कि कभी-कभी सरकार प्रकारान्तर में कुछ भला काम करे, तो हम उसका विरोध कैसे करेंगे । हमारे जैसे लोग जो सारी जिन्दगी मजदूरों के बीच में काम करते रहे हों, उनके हित की किसी बात का विरोध कैसे कर सकते हैं । हमें तो कष्ट यह है कि माननीय खाद्य मन्त्री और माननीय श्रम मन्त्री की ट्यून बहुत पोलाइट थी, जसे उसमें कोई दम नहीं रहा । मजदूरों के शोषण को खत्म करने के लिए जितने मजबूत कदम आप उठायेंगे, इस प्रदेश की जनता आपका उतना ही समर्थन करेगी । जब शोषण के खिलाफ आवाज उठेगी तो इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब-जब मजदूरों ने अपने हितों के लिए आवाज उठाई, तो अगेंनाइजर्स ने हर प्रकार की रुकावट डाली है , जो भाषा मैंने सुनी कि केन्द्रीय कानून है, हम देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, इसका मतलब यह है कि आपकी कोर दब रही है, जो ईट भट्ठा मालिक हैं, वे इस प्रदेश की इकानामी पर हावी होना चाहते हैं । ये जो मजदूर बेचारे हैं, जानवरों के लिए भी नीचे परुआ डाला जाता है, लेकिन यह उड़िया मजदूर, मध्य प्रदेश के मजदूर, खुले आकाश के नीचे कैसे जीवन व्यतीत कर रहे हैं, यह कभी आपने सोचा है ?

माननीय मन्त्री जी ने कहा कि प्राविडेन्ट फण्ड ऐक्ट कैसे लागू हो सकता है । फैक्ट्री ऐक्ट के अन्तर्गत 240 दिन जब कोई आदमी काम करता है तो परमानेन्ट हो जाता है, जब परमानेन्ट हो जाता है तो प्रोविडेण्ट फण्ड का हकदार हो जाता है । सीजनल मजदूरों को भी इसकी सुविधा है । जब इण्डस्ट्रियल डिस्पयूट्स ऐक्ट लागू है, तो इसमें क्या परेशानी है ? एक ईट भट्ठे का मालिक है कि ज्यादा से ज्यादा शोषण करो, कम से कम मजदूरी दो, दूसरी ओर, एक मजदूर है कि जो ज्यादा से ज्यादा देने की बात करता है, तो डिस्प्यूट तो होगा ही, जब इन्ट्रेस्ट में क्लेश होगा । उसके लिए इण्ड्रस्ट्रियल डिस्प्यूट ऐक्ट यदि नहीं लागू करेंगे तो क्या होगा । अब जो माननीय श्रम मन्त्री ने कहा कि त्रिदलीय सम्मेलन होने वाला है, तो जो अभिव्यक्ति हुई है माननीय मन्त्री जी की तरफ से उससे लग रहा है कि यह सरकन्र मजदूर विरोधी है । यह सरकार कहती कुछ है करने कुछ जा रही है । क्या यह सही है कि कोई समझौता अलग से हो रहा है, जो कि ईट भट्ठे के मालिक परिष्ठ अधिकारियों से अलग से कर रहें हैं ? मैं माननीय श्रम मन्त्री और माननीय खाद्य मन्त्री से निवेदन करूंगा कि श्रमिकों के हित की बात करें । यह बात छोड़ दीजिए कि जब हड़ताल करते हैं तो आप यह कहते हैं कि इससे उत्पादन ठप्प हो जायगा, यदि मजदूरों का शोषण होता है तो आपको कोई हक नहीं है इस सरकार में बैठने का ।

श्री अध्यक्ष—

आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

जो कानून मजदूरों के हित में है उसे मजबूती से लागू करने के लिए इस सरकार को अपने मजबूत इरादे का परिचय देना होगा नहीं तो जो कुछ आप कर रहे हैं यह आने वाले चुनाव की तयारी समझी जाएगी, थैली लेने की प्रक्रिया समझी जाएगी ।

श्री अध्यक्ष --

आपका समय समाप्त हुआ, अब आप बैठें ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

चिन्ता मत करें भट्ठे बन्द हो जायेंगे तो इस प्रदेश के बड़े-बड़े तोंद वाले मरेंगे, मजदूर नहीं मरेंगे ।

श्री अध्यक्ष --

अब आप बैठें । आपका समय समाप्त हो गया ।

*श्री निर्भय नारायण सिंह--

मैं आपका आभारी हूं कि आपने आज जो ईंट-भट्ठा मालिकों द्वारा प्रस्तावित हड़ताल के सम्बन्ध में सूचना दी गई है, जिस पर हो रही चर्चा पर भाग लेने का अवसर दिया । मान्यवर, इस मसले की गम्भीरता पर जो हमारी सरकार ने और दोनों माननीय मंत्रियों ने जो तीन पक्षीय वार्ता का रास्ता अपनाया है, उसके लिए यह लोग बधाई के पात्र हैं । और हमें पूरी आशा है कि सेन्ट्रल नियम और अन्य जो नियम हैं, उनके अनुसार जिस तरह से भी इन मजदूरों की रक्षा की जा सकती है, वह की जायेगी और ईंट-भट्ठा मालिक ईंटों का निर्माण उचित दामों में करके उपलब्ध करायेंगे, इसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं और साथ ही अपने कुछ माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इसमें लाखों मजदूरों का हित और उनका स्वार्थ निहित है इसलिए हमें और आपको मामले की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए सोचना पड़ेगा ।

हमारे यहां एक हड़ताल हुई, उसके बाद भट्ठा मालिकों, माननीय मंत्रीगण व मजदूरों की ओर से भी सदस्य थे, तीन पक्षीय वार्ता हुई में भी उसमें सम्मिलित था । भट्ठा मालिकों ने बताया कि हमारा काम सीजनल है, इसलिए लेबर भी सीजनल हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है । फिर माननीय मंत्री जी ने बताया कि उसमें से अधिकांश मजदूर भूमिहीन हैं । दूसरे भट्ठा मालिकों ने बताया कि इस कार्य में लगा मजदूर 75 प्रतिशत बाहर से आता है, इन सारे विषयों पर बात-चीत हुई, अन्त में मैं यही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आज जो लेबर की दशा है, उसकी ओर पूरी तरह से ध्यान दिया जाय तथा माननीय मंत्रीगण बड़ी शालीनता के साथ इस मसले को समाप्त करना चाहते हैं ताकि मजदूरों का भी पूरी तरह से हित हो सके और भट्ठा मालिकान द्वारा प्रस्तावित हड़ताल भी खत्म हो सके और सारे निर्माण कार्य तेजी से हो सकें ।

श्री विद्या सागर नौटियाल--

मान्यवर, मेरी बातों को सुनकर अनेक भट्टाचार्य खुश नहीं होंगे, बल्कि उनका भट्ठा निकल जायेगा ।

मान्यवर, आज उत्तर प्रदेश का समस्त ईंट-भट्ठों में काम करने वाला मजदूर सबसे ज्यादा असंगठित है, सबसे ज्यादा शोषित है, सबसे ज्यादा पिसा और कुचला हुआ मजदूर है अगर इस सरकार ने इनकी ओर, इनकी समस्त समस्याओं की गम्भीरत की ओर सोच विचार कर ध्यान न दिया तो यह मजदूर फिर कभी उठ नहीं पाएगा ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री विद्या सागार नौटियाल—]

मान्यवर, इसमें काम करने वाला मजदूर उड़ीसा के सम्बलपुर और गंजक से आता है, छोटा नागपुर से मध्य प्रदेश से अन्य जगहों से ज्यादातर आकर काम करता है।

इसे हम बाउण्डेड लेबर कहते हैं और ये इन्डिपेंडेण्ड लेबर कहते हैं। हमारे प्रदेश में बहुत से उद्योग ऐसे हैं जिनमें चीनी उद्योग है, लकड़ी काटने वाला उद्योग है, जिसमें काम सीजनल होता है और सालों साल होता है। फिर भी इनका रजिस्ट्रेशन नहीं होता और ये मालिकान यही चाहते हैं कि इन मजदूरों का रजिस्टेशन न हो जिससे वह मनमाने ढंग से इनका शोषण करें फायदा उठा सकें। इसीलिए इस मजदूर को एक जगह काम करने नहीं दिया जाता है। कभी मुजफ्फर नगर में है तो कभी देवरिया में उसे यहां से वहां भेज दिया जाता है, इस जिले से उस जिले को।

आप कहते हैं कि हमारे भट्ठे की परिभाषा बताइये, आप कहते हैं कि हमारे ऊपर कानून लागू न कराइये। प्राइवेट फंड, वर्क में न ऐक्ट वह गरीब इंसान है जो अमियां का इन्तजार करती है, जो हरे चने का इन्तजार करता है, जो महुआ का इन्तजार करता है तो यह सरकार मिल मालिकों के बहकावे में है, यह गरीब मजदूरों की मांग को क्या मानेगी ?

*श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल—

माननीय अध्यक्ष जी, अभी पक्ष और विपक्ष के तमाम सदस्यों ने भट्ठे मालिकों द्वारा प्रस्तावित हड़ताल के सन्दर्भ में यहां पर अपने विचार रखे और वे बोले। उत्तर प्रदेश का भट्ठा उद्योग करीब एक या दो लाख पूंजी पर मजदूरों को रोजगार देता है। यह एक ऐसा उद्योग है जिसे सरकार की ओर से कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता है, पूर्णतया उपेक्षित है। आप इसको फैक्ट्री ऐक्ट में रजिस्टर्ड कराना नहीं चाहते हैं, इसे फैक्ट्री की सुविधायें देना नहीं चाहते हैं। आपके जो दो कारपोरेशन हैं सिकअप और यू० पी० एस० सी० जो कि लघु उद्योगों को लगाने के लिये कर्जा देते हैं तो ये दोनों कारपोरेशन भट्ठे को लघु उद्योग में नहीं मानते हैं। सरकार ने उत्तर प्रदेश के तमाम एरिया को बैकवर्ड इंडस्ट्रियल एरिया घोषित किया जिसमें रायबरेली है सुल्तानपुर है और यहां पर 10 परसेन्ट के हिसाब से सब्सीडी भी दी। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि भट्ठा उद्योग को आज तक सरकार ने कोई भी सब्सीडी नहीं दी है, कोई कोयला भी नहीं देती, कोई लोहा नहीं दिया।

तो मान्यवर, आज भट्ठा उद्योग मालिकों ने जो हड़ताल प्रस्तावित की है इससे तीन तरह की समस्याएं हमारे सामने आ गयी हैं एक मजदूर, दूसरा भट्ठा मालिक और तीसरी सरकार। यह सत्य है कि यह तीन पक्ष हमारे सामने आये हैं जिसमें कि काम करने वाले 75 प्रतिशत से अधिक मजदूर हरिजन हैं जो कि भूमिहीन हैं। अगर आप भट्ठा उद्योग को बन्द कर देंगे तो फिर आप इन मजदूरों को रोजगार देने के लिये कौन सा नया उद्योग खोल रहे हैं ?

मेरा सुझाव है कि सरकार को एक कमेटी बनाना चाहिये जिसमें हर एक का एक-एक प्रतिनिधि रखना चाहिये जो कि विचार करे कि मजदूरों को जो इतना कम वेजेज मिलता है तो उनका वेजेज बढ़ाया जाय। अगर मान्यवर, भट्ठा उद्योग

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बन्द हो गया तो प्रदेश के सारे विकास कार्य रुक जायेंगे चाहे वो सार्वजनिक निर्माण विभाग से सम्बन्धित हों और चाहे सिंचाई विभाग से सम्बन्धित हों। इन दोनों विभागों में कोई काम बिना ईंट के नहीं हो सकता है। प्रधान मन्त्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी का जो बीस सूत्रीय कार्यक्रम है, जिसमें हमारे प्रदेश का बड़ा भाग लगा हुआ है, वह भी रुक जायेगा।

इसके अलावा उत्तर प्रदेश में रेवेन्यू तीन तरीके से ही आता है सेल्स टैक्स, राजस्व तथा अन्य टैक्स। मान्यवर, आप देखें कि खाली उत्तर प्रदेश में जितना सेल्स टैक्स वसूल होता है वह 40 या 50 करोड़ रु0 के करीब होता है और यह केवल भट्ठा उद्योग के द्वारा ही होता है। हमारे सामने एक गम्भीर संकट खड़ा है कि सेल्स टैक्स के माध्यम से जो रुपया मिलता है वह बन्द हो जायेगा। प्रदेश का विकास रुक जायेगा और सरकार के बजट में कटौती आयेगी जो कि इस मुश्किल के समय में कैसे पूरी होगी ?

हमारे विरोधी पक्ष के लोग मजदूर नेताओं की बात करते हैं। मैं कहता हूं कि उनका तो एक सूत्रीय कार्यक्रम ही है। आज इन मजदूरों के लिये न तो कोई फैक्ट्री ऐक्ट है, न कोई पालिसी है न कोई उन्नति के साधन हैं। परन्तु आज विश्व में सबसे सस्ती ईंट हिन्दुस्तान में मिलती है। आप विश्व का रेकार्ड मंगा कर देख लें कि हिन्दुस्तान में ही केवल सबसे सस्ती ईंट मिलती है।

मैंने दोनों मंत्रियों की बातों को बड़े गौर से सुना और इसका मैं स्वागत करता हूं कि सरकार भट्ठा मिल मालिकों की समस्याओं से अवगत है मेरा निवेदन है कि 23–24 तारीख को श्रम मंत्रियों का जो सम्मेलन होने जा रहा है उसमें माननीय मन्त्री जी प्रदेश की समस्याओं को अवश्य ही रखेंगे।

*श्री मित्रसेन—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जो मुझे इस अवसर पर बोलने का मौका दिया है, उसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मैंने पक्ष और विपक्ष के सदस्यों तथा माननीय मन्त्री जी को सुना। मान्यवर, भट्ठा मालिकों का मैं पक्षधर नहीं हूं। मैं मजदूरों का पक्षधर हूं। जो वास्तविक स्थिति है वह यह है कि अगर भट्ठा उद्योग बन्द हो जायगा तो लोगों को बहुत परेशानी होगी। अगर हम सही ढंग से नहीं देखेंगे तो बहुत बड़ी भूल हो जायगी और प्रदेश को जो क्षति होगी उससे कोई इन्कार नहीं कर सकता है, इन कानूनों को देखते हुए माननीय मंत्री जी ने जो आश्वासन दिया है, मेरा विचार है कि माननीय मन्त्री जी उस पर फिर से विचार करेंगे।

मान्यवर, मैं एक दूसरी बात कहना चाहता हूं। दूसरे प्रदेशों में श्रम विभाग ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करता है लेकिन हमारे प्रदेश में श्रम विभाग ऐसे मामलों में दखलनदाजी नहीं करता है। मजदूरों के बारे में डेलीवेजेस ऐक्ट बना है उसको क्यों नहीं लागू किया जाता है ? अभी माननीय ओझा जी ने कहा कि अगर कोई श्रमिक 240 दिन काम कर लेता है तो वह रेगुलर हो जाता है लेकिन मान्यवर, भट्ठा मजदूरों को तो केवल 180 दिन काम करने को मिलता है। इस प्रकार जितने भी कानून आपने बना रखे हैं चाहे वह केन्द्र के हों या प्रदेश के हों, इस समस्या पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये। लोगों की जो धारणा बन रही है उसको सामने रखते हुए इस पर आप फिर से विचार करें और जितनी अधिक से अधिक सुविधाएं मजदूरों को दी जा सकें वह दी जाएं। इस

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मित्रसेन--]

सम्बन्ध में कोई नई नीति निर्धारित की जाए जो प्रदेश के भट्ठा मजदूरों के लाभ की हो, इससे आप बच नहीं सकते हैं। जो सम्मानित सदस्यों ने सुझाव दिये हैं उनका मैं स्वागत करता हूं और माननीय मन्त्री जी से निवेदन करता हूं कि वे इस पर फिर से विचार करें। इन शब्दों के साथ मैं अपने प्रस्ताव को प्रस्तुत करता हूं।

श्री हरदेव--

[* * *]

श्री अध्यक्ष--

यह कुछ नहीं लिखा जाएगा। इसकी मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूं। हरदेव जी अपने स्थान पर बैठे।

श्री वासुदेव सिंह--

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय सदस्यों का आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने अपने अमूल्य और बहुमूल्य सुझावों से हमें लाभान्वित किया है। लोकतन्त्र का और समाजवाद दोनों का तकाजा है कि अपनी बात धीमे से कहें जरूर उनकी भावना को अवसर मिलना चाहिए। जब यह प्रश्न उठाया गया था तो उस समय कुछ लोग विलम्ब से आये। काशीनाथ जी को उस वक्त कहना चाहिए था। हरदेव जी भी कुछ विलम्ब से खड़े हुये। सारी बातों को सोचने समझने के बाद मैंने उनके प्रतिनिधियों से बातचीत की। यह बात सही है कि जब मैं धीमे कह रहा हूं तो इसका तात्पर्य यह नहीं है कि कार्यवाही सख्त नहीं होगी। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिसमें शक्ति होती है, उसे धीमे बोलना चाहिए। जोर से बोलने से ऐसा लगता है कि कोई उग्र हो। लेकिन हो वह प्रतिगामी। धीमे बोलकर भी वह क्रांतिकारी हो सकता है।

बातचीत करके प्रेमपूर्वक उनकी समस्या का समाधान निकाल रहे हैं लेकिन अगर वह चाहते हैं कि धमकी से और इस तरह से शासन को धमकी देकर अपनी बात कहना चाहते हैं तो मैं कह सकता हूं कि 6 हजार भट्ठे के जितने कर्मचारी को कोआपरेटिव के जरिये से हम काम दे देंगे, हम बेचेंगे नहीं। और कोई क्षुब्ध हो, उसकी जीविका का कोई आधार हो तो उसको भी हम नहीं तोड़ना चाहेंगे। यदि वह समाजवादी व्यवस्था पूरी हो जाय जैसा कि संविधान में अभिप्रेत है, तब तो सम्पत्ति के आकार और प्रकार में अन्तर आयेगा और मुझे बड़ी खुशी है जैसा कि माननीय गुप्ता जी ने कहा कि उनकी पार्टी समाजवाद का नारा लगा रही है, समाजवाद का रास्ता बुलन्द कर रही है, इससे अच्छा वातावरण और क्या हो सकता है।

श्री श्याम लाल वाजपेयी--

मान्यवर, शेर के सामने कुबेर भंडारी जैसे चूहों के चुहचुहाने का प्रश्न कहां उठता।

(व्यवधान)

नोट :--(* * *) यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री वासुदेव सिंह--

प्रश्न यह है कि हमारे प्रदेश में 6 हजार ईंट भट्ठे के उद्योगी हैं और जैसा कि राम नारायण पाठक जी ने कहा, उन्होंने मेरी पूरी बात नहीं सुनी। उन्होंने एक बात नहीं कही जिसको मैंने नहीं कहा मैंने संक्षेप में सारी बातें कहीं। 23/24 तारीख को इसके सम्बन्ध में बैठक होने वाली है उसमें सारी बातें सामने आयेंगी। 30 तारीख को भी है। उसमें चर्चा होगी। मसले सामने आयेंगे। जो फैसले होंगे शासन उनका परीक्षण करे, उनके ऊपर विचार होगा और जो स्वीकार्य होंगे, उनको स्वीकार भी किया जायेगा लेकिन हठधर्मी नहीं होगी। भारत में सम्पत्ति का आकार और प्रकार अर्द्ध सामन्ती और अर्द्ध उपनिवेषी व्यवस्था के अन्तर्गत चल रही है। इसकी कोशिश हो रही है। इन्दिरा जी और कांग्रेस की तरफ से हो रही है। यहा पर समाजवादी व्यवस्था हो जिसका नाम भोखालाल जी लेते हैं और हम लोग लेते हैं। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि इन सारे मसलों पर, सारे प्रश्नों पर, उचित अवस्था में ठंडे दिल से विचार करना चाहिये। किसी कार्य में ढील नहीं की गयी है। सख्त कार्यवाही भी की गयी है और की जायेगी। लेकिन जो वार्ता का क्रम है, जब बातचीत से किसी काम को करना है तो सख्ती क्यों करें लेकिन अगर सख्ती करे तो बातचीत का प्रश्न नहीं होगा। इस बातचीत और सख्ती के दुष्चक्र से हम अपने को अलग रखें।

अभी हम पूर्ण रूप से वार्ता चलाना चाहते हैं। अगर शान्ति से, बहस से तर्क से बातचीत करके कोई अच्छा नतीजा निकल आता है तो अच्छा है, नहीं तो शासन का जो कर्तव्य है उसका निर्वहन करने में कोई कोताही नहीं करेगा। शासन यह चाहता है कि जो व्यवस्था इस वक्त है उसको अव्यवस्थित न किया जाय। मैं आपके द्वारा माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि मूल मानवाधिकार के अन्तर्गत, श्रमिक कानून के अन्तर्गत कल्याणकारी राज्य को मूर्त करने की हम चेष्टा करेंगे ताकि उभयपक्ष को कोई क्षुब्धता का अवसर न मिले।

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 1983

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 1983 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ और जिस पर विधान सभा में 18 मार्च, 1983 को विचार किया गया, को पारित किया जाय।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, एक मिनट सुन लें। यह विधेयक माननीय संसदीय कार्य मन्त्री जी ने प्रस्तुत किया है, देखने में बड़ा छोटा मालूम देता है लेकिन एक बहुत गम्भीर मामला जो कई बार उठाया जाता है जिसका इन्होंने संशोधन तो किया है लेकिन उसके बाद भी मंशा ऐसी दिखाई देती है जिसमें यह उसको करने वाले नहीं हैं। इसके उद्देश्य और कारण देखने का कष्ट करें। विश्व बैंक

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--]

द्वारा वित्त पोषित विकास प्राधिकरणों की योजनाओं की स्थिति में विश्व बैंक मिशन ने ऐसे लेखाओं की लेखा-परीक्षा किसी स्वतन्त्र लेखा परीक्षा द्वारा किये जाने के लिए जोर दिया है और भारत के नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक और महालेखाकार, उत्तर प्रदेश को स्वतन्त्र लेखा परीक्षक मानने के लिए सहमत हो गया है ।

मान्यवर, जो विश्व बैंक द्वारा पोषित योजनायें हैं उसके जो आडिटिंग की व्यवस्था थी, उससे विश्व बैंक सहमत नहीं था । उन्होंने कहा कि आडिटर जनरल से आडिट कराई गयी बैलेंसशीट को हम मानेंगे । सरकार ने उसे स्वीकार तो कर लिया लेकिन उसकी जो भाषा इसमें रखी है उसमें किसी अन्य लेखा परीक्षक की बात इन्होंने कही है । तो इससे सन्देह हो जाता कि अन्य लेखा परीक्षक का तात्पर्य किसी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट को भारी रकम देकर करायेंगे जिससे शासन को भारी नुकसान करेंगे और जो विश्व बैंक पैसा लगा रहा है, उसके हिसाब से भी काम नहीं होगा । विश्व बैंक ने जो अपेक्षा की है वह मैनडेटरी है कि महालेखाकार से आडिट करायेंगे किसी अन्य व्यक्ति से नहीं । आप संख्या के बल पर इसे पास कर लेंगे लेकिन मैं आश्वासन चाहता हूं कि और विरोध प्रकट करने के लिए यह बात कह रहा हूं । माननीय नगर विकास मन्त्री जी यहां पर नहीं हैं उन्होंने कहा था कि जो निर्माण कार्य हो रहे हैं उनका टेकनिकल सेल से जांच करायेंगे । उसका प्राविधान यहां पर नहीं है । उस समान हित को ध्यान में रख कर शासन ए0 जी0 से आडिट करायें चूंकि वह रसीद से ही चेकिंग नहीं करते हैं बल्कि उद्देश्यों को भी ध्यान में रखकर चेकिंग करते हैं । इसलिये मन्त्री जी इसमें आश्वासन दे दें ।

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त ने आपत्ति उठायी की भारत सरकार के आदेशानुसार इसमें संशोधन लाया गया है और ए0 जी0 के अलावा किसी अन्य व्यक्ति या परीक्षक का जिक्र किया गया ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

व्यवस्था का प्रश्न है कि कई बार आपत्ति उठायी जा चुकी है कि मन्त्री का विधेयक ही वह प्रस्तुत करेगा । लेकिन संसदीय कार्य मन्त्री ज्वाइन्ट रिस्पा-सिबिल्टी के नाते खड़े हो गये, इसलिए यदि सम्बन्धित मन्त्री जी होते तो मेरे प्रश्न का सही उत्तर देते । मैंने कहा था कि विश्व बैंक ने आपत्ति किया था, भारत सरकार ने आपत्ति नहीं किया था । इसलिए वे बिना विधेयक को पढ़े उत्तर देने लगे ।

*श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त ने कहा कि शायद मैंने विधेयक नहीं देखा है । आगे चलकर मैं देखूंगा भी और श्री गुप्त से मार्गदर्शन ले लूंगा । जहां तक ज्वाइन्ट रिस्पांसिबिल्टी की बात है तो आपके पास लिख कर आ गया है कि नगर विकास मन्त्री स्वस्थ नहीं हैं, उसकी प्रतिलिपि मेरे पास आयी है इसलिए इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, विश्व बैंक ने जो बात लिखी उसके पीछे मंशा थी उनका ख्याल था कि, लोकल फंड इक्जामिन सरकार के कन्ट्रोल में रहते हैं और रुपया सरकार को विश्व बैंक देती है, आडिट के लिए ऐसी एजेन्सी होनी चाहिये जो शासन के कन्ट्रोल में न हों और बिल्कुल स्वतन्त्र रूप से सारा आडिट का कार्य करे। इसलिये उन्होंने कहा कि स्वतन्त्र एजेन्सी द्वारा आडिट होना चाहिये। ए0 जी0 के लिए वह राजी हो गये और वहां स्वतन्त्र रूप से कार्य किया जा रहा है। इसलिए इसके अन्दर लिखा है कि या तो महालेखाकार द्वारा या किसी ऐसे व्यक्ति या कम्पनी द्वारा जो स्वतन्त्र रूप से आडिट का कार्य कर सके और उसके जरिये कराया जा रहा है।

मान्यवर, यह व्यवस्था इसलिए की गयी है कि इससे विश्व बैंक की मंशा और अनुरोध के अनुसार कार्यवाही किया है, उससे हटकर नहीं। इसलिए जो आपत्ति उठायी है कि लोकल फंड इक्जामिनर के, महालेखाकार के अलावा जो रखा गया है वह विश्व बैंक की मंशा से हटकर रखा गया है तो ऐसा नहीं है। इसलिए मान्यवर, जिसकी नीयत खराब रहती है तो वह दूसरे की नीयत को भी खराब समझता है।

(समय 5 बज कर 14 मिनट अपराह्न)

श्री राम गोविन्द—

मैं जानना चाहता हूं कि क्या विश्व बैंक ने इसलिए प्रतिबन्ध लगाया कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में सीवर लाइन और ड्रेनेज के लिए पैसा दिया था जिसका उसमें प्रयोग नहीं किया गया और दूसरी जगह प्रयोग किया गया, इसलिये क्या यह प्रतिबन्ध लगाया है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 1983, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ और जिस पर विधान सभा में 18 मार्च, 1983 को विचार किया गया, को पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

दंड प्रकिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन), विधेयक, 1982

हरिजन एवं समाज कल्याण राज्य मन्त्री (श्री गुलाब सेहरा)—

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि दंड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1982, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

श्रीमन्, यह बहुत छोटा सा विधेयक है। सी0 आर0 पी0 सी0 में आवश्यक संशोधन किये गये हैं। यह दंड प्रक्रिया संहिता लागू की गयी तो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के सामने मामलों के शीघ्र निस्तारण में कुछ कठिनाइयां सामने आयीं। उन कठिनाइयों को दूर करने के संबंध में महाविवक्ता की अध्यक्षता में एक कमेटी बनायी गयी जिसने अपनी रिपोर्ट दी और

[श्री गुलाब सेहरा—]

उसमें की गयी संस्तुतियों का अध्ययन करने के लिये वह भारत सरकार को भेजी गयीं। भारत सरकार ने जिन-जिन संशोधनों को स्वीकार किया, उसी को इस विधेयक में रखा गया है। आशा है यह सदन इस विधेयक को पारित करेगा।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

आज समय बहुत कम है मान्यवर, बहुत जल्दी-जल्दी में यह सब हो रहा है जो मुनासिब मैं नहीं समझता हूं। इतनी जल्दी-जल्दी यह पास कराकर संसदीय परम्पराओं की हत्या की जा रही है। हमारी नियमावली के अनुसार भी, और मान्यवर, एक बार आपने व्यवस्था भी दी थी उसके अनुसार भी, यह आवश्यक है कि जब किसी रिपोर्ट के आधार पर कोई विधेयक यहां पेश किया जाये तो संबंधित रिपोर्ट भी हमें मिलनी चाहिये। आपके श्रीमुख से यह व्यवस्था दी जा चुकी है, मगर जिस रिपोर्ट के आधार पर यह विधेयक आया है वह रिपोर्ट आपकी व्यवस्था के बाद भी आज हमें उपलब्ध नहीं कराई गई है। यह संसदीय परम्पराओं का गला घोटा जा रहा है। इस महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा का समय नहीं दिया जा रहा है। मैं इसका विरोध करता हूं।

इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज प्रातः माननीय भीखा लाल जी ने इस बात को उठाया था कि सरकार जानबूझ कर सदन को 12 तारीख को स्थगित कर रही है। महत्वपूर्ण विधेयकों पर भी यह सरकार चर्चा के लिये समय नहीं दे रही है। मैं कार्य मंत्रणा समिति के निर्णय की आलोचना नहीं करना चाहता, लेकिन इतनी जल्दबाजी में 3-3 विधेयक पास करना ठीक नहीं है। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी, माननीय गुप्ता जी ने जो कहा है, कृपया भविष्य में इसका ख्याल रखें।

*श्री गुलाब सेहरा—

मान्यवर, मैंने यह कहा था इसकी जो प्रक्रिया है, जैसे मान लीजिये कोई मैजिस्ट्रेट गुजर जाये, तो उसकी वजह से काम न रुके, उसके लिये इसमें संशोधन है कि जो ज्येष्ठ व्यक्ति हो वह काम देखें। किसी का ट्रान्सफर हो जाये, तो उसके कारण से काम न रुके। तो इस तरह के प्रक्रिया संबंधी कुछ 5-6 संशोधन इसमें किये गये हैं। यह इस दृष्टि से किये गये हैं कि जिस व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिये वह शीघ्र मिले। कमेटी ने जो अपनी संस्तुतियां कीं, उनका अध्ययन करने के पश्चात् यह संशोधन विधेयक लाया गया है। केवल कुछ धाराओं में ही यह किया जा रहा है। कुछ सत्र न्यायाधीश को अधिकार दिया गया है। इन्दरीज का जो मुआयना होता था, तो मेडिकल रिपोर्ट की प्रतिलिपि जो अपराधी है उसको भी देने की व्यवस्था इसमें की गई है। यानी सब न्यायसंगत बात की जा रही है।

इसमें कुल 6 संशोधन हैं। दूसरे मान लिया जाए कोई व्यक्ति किसी दूसरे जिले के वारन्ट से इस जिले में गिरफ्तार होता है तो उसको ले जाने के लिये सिक्योरिटी का कोई प्रबन्ध नहीं था, तो उसका इसमें प्रबन्ध किया गया है। तो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

शीघ्रातिशीघ्र न्याय दिलाने के लिए और प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए इसको किया गया है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, न्याय जल्दी से जल्दी सुलभ हो, इसलिए ऐसा किया गया है। इसके अलावा उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट में जिनकी वजह से व्यवधान या विलम्ब हुआ है, उनको इसमें हमने लिया है। कुछ निर्णय जिनकी वजह से विलम्बित हो गये और उसमें न्यायालय का जो अनुभव आया, उन अनुभवों के आधार पर ही इसमें संशोधन किया गया है। ठीक से निस्तारण हो जाए और प्रक्रिया सरल हो जाए, इस दृष्टि से इसमें किया गया है। यह जानने के बाद मैं समझता हूं कि आपका एतराज वाजिब नहीं होगा और मैं चाहूंगा कि आप इसे वापस ले लें।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि दन्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1982, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ पर विचार किया जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड 2 से 12, खंड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1982

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

दन्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 का उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के चौतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ

1--(1) यह अधिनियम दन्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1983 कहा जायगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह ऐसे दिनांक से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे और विभिन्न उपबन्धों के लिए विभिन्न दिनांक विनिर्दिष्ट किये जा सकते हैं।

अधिनियम संख्या 2 सन् 1974 की धारा 9 का संशोधन

2--दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की, जिसे आगे उक्त संहिता कहा गया है, धारा 9 में, उपधारा (5) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्--

"(5-क) सेशन न्यायाधीश की मृत्यु होने या त्याग-पत्र देने, हटाये जाने या स्थानान्तरण की या बीमारी के कारण या अन्यथा अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ होने की या ऐसे स्थान से, जहां पर उसका न्यायालय है अनुपस्थित होने की दशा में, वहां मौजूद अपर सेशन न्यायाधीशों और सहायक सेशन न्यायाधीशों में से ज्येष्ठतम न्यायाधीश, और उनकी अनुपस्थिति में, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अपने सामान्य कर्तव्यों को छोड़े बिना, सेशन न्यायाधीश के पद का कार्यभार ग्रहण करेगा और उसका भार साधक बना रहेगा

[श्री अध्यक्ष—]

जब तक कि पद का भार सेशन न्यायाधीश द्वारा पुनः ग्रहण न कर लिया जाय या उस पद पर नियुक्त किसी अधिकारी द्वारा ग्रहण न कर लिया जाय, और इस संहिता और उच्च न्यायालय द्वारा इस निमित्त बनाये गये किन्हीं नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए सेशन न्यायाधीश की किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करेगा।"

धारा 12 का संशोधन

3—उक्त संहिता की धारा 12 में, उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्—

"(4) जहां मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का पद रिक्त हो या वह बीमारी या अनुपस्थिति के कारण या अन्यथा अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो, वहां मौजूद अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेटों और अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेटों में से ज्येष्ठतम मजिस्ट्रेट, और उनकी अनुपस्थिति में जिला मजिस्ट्रेट और उसकी अनुपस्थिति में ज्येष्ठतम कार्यपालक मजिस्ट्रेट मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट के अत्यावश्यक कार्य को निपटायेगा।"

धारा 16 का संशोधन

4—उक्त संहिता की धारा 16 में, उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्—

"(4) जहां मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट का पद रिक्त हो या वह बीमारी या अनुपस्थिति के कारण या अन्यथा अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो, वहां मौजूद अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेटों और अन्य महानगर मजिस्ट्रेटों में से ज्येष्ठतम महानगर मजिस्ट्रेट, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के अत्यावश्यक कार्य को निपटायेगा।"

धारा 20 का संशोधन

5—उक्त संहिता की धारा 20 में, उपधारा (5) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्—

"(6) राज्य सरकार उपधारा (4) के अधीन अपनी शक्तियां जिला मजिस्ट्रेट को प्रत्यायोजित कर सकेगी।"

धारा 26 का संशोधन

6—उक्त संहिता की धारा 26 में, खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिया जायगा, अर्थात्—

"(ख) किसी अन्य विधि के अधीन किसी अपराध का विचारण—

(i) जब उस विधि में इस निमित्त कोई न्यायालय उल्लिखित है, तब उस न्यायालय द्वारा, या ऐसे न्यायालय से पंक्ति में वरिष्ठ किसी न्यायालय द्वारा किया जा सकता है; और

(ii) जब कोई न्यायालय इस प्रकार उल्लिखित नहीं है, तब किसी ऐसे न्यायालय द्वारा जिसके द्वारा उसका विचारणीय होना प्रथम अनुसूची में दर्शित किया गया है, या ऐसे न्यायालय से पंक्ति में वरिष्ठ किसी न्यायालय द्वारा किया जा सकता है।"

7—उक्त संहिता की धारा 54 में, उसके अन्त में, निम्नलिखित वाक्य बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्— धारा 54 का संशोधन

"रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी गिरफ्तार व्यक्ति को ऐसी परीक्षा की रिपोर्ट की एक प्रतिलिपि तत्काल निःशुल्क देगा।"

8—उक्त संहिता की धारा 54 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्— नयी धारा 54—क का बढ़ाया जाना

अभियुक्त की परीक्षण शिनाख्त

"54—क—जब कोई व्यक्ति इस आरोप पर गिरफ्तार किया जाता है कि उसने कोई अपराध किया है, और किसी न्यायालय के द्वारा, जिसे अधिकारिता है, उसकी किसी साक्षी के द्वारा प्रयोगात्मक पहचान आवश्यक समझी जाती है तो यह विधिपूर्ण होगा कि ऐसे न्यायालय के अनुरोध पर कार्यशील कार्यपालक मजिस्ट्रेट उस गिरफ्तार व्यक्ति की प्रयोगात्मक पहचान की कार्यवाही कराये।"

9—उक्त संहिता की धारा 81 में, उपधारा (1) में, निम्नलिखित तृतीय परन्तुक बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्— धारा 81 का संशोधन

"परन्तु यह भी कि जहां ऐसा व्यक्ति जमानत पर न छोड़ा जाय या जहां वह उपर्युक्त के अनुसार ऐसी प्रतिभूति देने में असफल रहे, वहां अजमानतीय अपराध के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या जमानतीय अपराध के मामले में कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट उसकी अभिरक्षा के लिए उस समय तक उस न्यायालय में जिसने वारन्ट जारी किया हो उसे भेजने के लिए आवश्यक हो, ऐसा आदेश पारित कर सकता है जिसे वह ठीक समझे।"

10—उक्त संहिता की धारा 436 में, उपधारा (1) में, प्रथम परन्तुक में, शब्द "उन्मोचित कर सकता है" के स्थान पर शब्द "छोड़ सकता है" रख दिये जायेंगे। धारा 436 का संशोधन

11—उक्त संहिता की धारा 484 में, उपधारा (2) में, खन्ड (क) में, परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित अग्रतर परन्तुक बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्— धारा 484 का संशोधन

"परन्तु यह और कि दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा यथा संशोधित इस संहिता की धारा 326 के उपबन्ध ऐसे प्रत्येक विचारण पर भी लागू होंगे जो किसी सेशन न्यायालय में इस संहिता के प्रारम्भ के समय लम्बित हो और दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1983 के प्रारम्भ के समय भी लम्बित हो।"

12—उक्त संहिता की प्रथम अनुसूची में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 363 से सम्बन्धित प्रविष्टियों में, स्तम्भ 5 में, वर्तमान शब्द के स्थान पर शब्द "अजमानतीय" रख दिया जायगा। प्रथम अनुसूची का संशोधन

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड 2 से 12 तक, खंड 1, प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री गुलाब सेहरा--

श्रीमन्, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1982, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1982, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन) अध्यादेश, 1983 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन) विधेयक, 1983

*श्री राम गोविन्द--

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन) अध्यादेश, 1983 का अननुमोदन करता है ।

श्रीमन्, निश्चय ही यह विधेयक स्वागत योग्य है, परन्तु इसमें सन्देह है कि यह सरकार इसके उद्देश्यों के अनुसार इसको लागू करेगी । दुर्भाग्य की बात यह है कि केन्द्रीय सरकार ने भी इस तरह का एक विधेयक संसद में पास करवाया है, किन्तु दो महीने के लगभग हो गये, पर अभी तक उस पर कोई कार्यवाही शुरू नहीं हुई है । मैं आशा करता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार इसको जल्दी से जल्दी लागू करने का कष्ट करेगी और इसमें अनावश्यक विलम्ब नहीं करेगी ।

श्रीमन्, मोदी ने इस विधेयक को उच्च न्यायालय में चुनौती दे दी है । सरकार को इस चुनौती का सामना वीरतापूर्वक करना चाहिये और उनसे लड़कर जो उन्होंने इसकी आड़ में अनियमितता बरती है, इसके खिलाफ कठोर कार्यवाही करनी चाहिए । अभी 5 अगस्त को मोदी ने गलत तरीके से अपनी मिल के एक यूनिट को बन्द कर दिया और सरकार के मुकदमा करने के बावजूद उसने उस मिल की मशीनों को उठाकर दूसरी अपनी मिल में लगाने का कार्य किया है और कर रहा है । इस तरह से वह इस मामले को अधिक तूल दे रहे हैं और सरकार इसमें सरकार कार्यवाही करने में अक्षम है ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्रीमन् मोदीनगर में वहां का प्रशासन असामाजिक तत्वों से सांठ गांठ करके वहां की मान्यता प्राप्त यूनियनों को तोड़ने का कार्य कर रहा है और इसी संदर्भ में उन्होंने एक मिल को बन्द कर दिया है जिससे वहां 2 हजार मजदूर बेकार हो गये हैं। वहां का प्रशासन असामाजिक तत्वों से मिलकर कुछ मान्यताप्राप्त यूनियनों को त्याग-पत्र देने के लिये बाध्य कर रहा है और उन्होंने त्याग-पत्र ले भी लिया है। तो इस तरह से इस अध्यादेश को सरकार सख्ती से लागू नहीं कर रही है इन्होंने इस अध्यादेश में यह बताने का काम किया है कि जो गलत तरीके से मिल मालिक अपनी फैक्टरियों को बन्द कर देते हैं, उस सम्बन्ध में उच्च न्यायालय में जो चुनौती दी गयी थी उनके लिये थोड़ा सा प्राविधान कर रहे हैं। लेकिन हमको सन्देह है, विधेयक तो आप पास करा लेंगे यह कानून बन जावेगा लेकिन आपकी मंशा कानून को सख्ती से लागू करने की है कि नहीं है ? क्या इस कानून को लागू न करके, लागू करने में देर करके आप मिल मालिकों का साथ दे रहे हैं या मजदूरों के हित की दिशा में काम करेंगे, इसमें मुझको संदेह है।

माननीय मन्त्री जी, आप जानते हैं कि प्रदेश में कई ऐसे कारखाने हैं जो बन्द पड़े हैं। एक पट्टीज का कारखाना है जो बन्द है, प्लास्टिक का कारखाना बन्द है। कानपुर की कई मिलें बन्द हैं। इनको खुलवाने के बारे में आपके पास पहले से कानून थे उनके अनुसार आपने काम क्यों नहीं किया। तमाम मजदूर आज बेकार हैं। तो मैं निवेदन करूंगा कि कानून को सख्ती से लागू करने की दिशा में आप काम करें। मोदीनगर में वहां के असामाजिक तत्व और प्रशासन मिलकर मजदूरों को प्रताड़ित करने का काम कर रहा है और यही नहीं उनमें से तमाम मजदूरों को इस सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत बन्द कर दिया है। ऐसे बहुत से मजदूर हैं जो 307 के अन्दर जेलों में बन्द थे, अदालत से उनकी जमानत मंजूर हो गयी उसके एक महीने गुजरने के बावजूद भी उनको छोड़ा नहीं गया बल्कि 107/117 की कार्यवाही करके उनको फांस कर जेलों में रखा गया है। सरकार उनको छोड़ने का काम नहीं कर रही है। तो यह अध्यादेश जो आप ला रहे हैं यह मजदूरों के हित में है या मिल मालिक के हित में है इसमें मुझे संदेह है। देखने में वह सुन्दर जरूर लगता है लेकिन इसको लागू करने की दिशा में आप कितने सुदृढ़ हैं और कितने हिम्मतवाले हैं। मिल मालिकों के साथ आपकी सांठगांठ है या मजदूरों के हितों की रक्षा करने की भावना है। अगर मजदूरों के हितों की रक्षा करने की भावना होती तो निश्चित रूप से आपने इस कानून को सख्ती से लागू किया होता और कोई भी कारखाना उत्तर प्रदेश में बन्द नहीं होता।

5 अगस्त को जो मोदी ने बन्द किया है उस पर आपने कोई कार्यवाही नहीं की। आप उनसे डर गये हैं। बड़े आदमी सरकार के पैरेलल, पूंजीपति और मिल वालों की पैरेलल सरकार चल रही है और हमको आशंका है कि सरकार पूंजीपतियों की समान्तर सरकार से डर रही है। तो मजदूरों का यदि हित चाहते हैं तो निश्चित रूप से इस कानून को सख्ती से लागू करें। इन शब्दों के साथ में अपने अननुमोदन के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

(श्रम राज्य मन्त्री के खड़े होने पर।)

श्री अध्यक्ष --

आप प्रस्ताव को पढ़ भी दें।

*श्रम राज्य मंत्री (श्री सुनील शास्त्री)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन) विधेयक, 1983 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय ।

मान्यवर, हमारे माननीय सदस्य श्री राम गोविंद जी ने जो अभी कहा तो उस सम्बन्ध में मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह जो अध्यादेश किया गया था और आज जिस विधेयक पर हम लोग सदन में चर्चा कर रहे हैं शत-प्रतिशत श्रमिकों के हित में है । श्रमिकों का शोषण न हो, उनको किसी प्रकार की कठिनाई न हो इसलिये इस विधेयक को यहां पर सदन के पटल पर रखा गया है और इसके ऊपर विचार किया जा रहा है ।

मान्यवर, जहां तक मोदी से डरने की बात है, मैं बता देना चाहता हूं कि मोदी या कोई भी जो श्रमिकों का शोषण करेंगे चाहे कोई सेवायोजक हो बड़े से बड़ा हो प्रदेश सरकार किसी प्रकार से नहीं डरेगी । अधिक से अधिक जितनी कानूनी कार्यवाही की जा सकती है उनके विरुद्ध की जायेगी । इस अध्यादेश को 3 अगस्त, 1983 को लागू किया गया उसके बाद एक बड़ी फर्म कानपुर में थी जिसने बिना इजाजत के अपना यूनिट बन्द कर दिया उसमें कई श्रमिक कठिनाई में आये । उनके पास जो रोजगार उपलब्ध था वह बेरोजगार हो गये । इस बात को देखते हुए महसूस किया गया कि एक ऐसा अध्यादेश होना चाहिये जिससे इन श्रमिकों की रक्षा हम कर सकें ताकि जो ऐसी बात भविष्य में हो उसके सम्बन्ध में कड़ी से कड़ी कार्यवाही कर सकें सेवायोजकों के विरुद्ध । इस सम्बन्ध में मैं बता देना चाहता हूं कि मोदी के विरुद्ध 16 अगस्त को हम लोगों ने प्रासीक्यूशन दायर किया यह बात जरूर है कि उसने हाईकोर्ट से स्टे ले लिया । लेकिन प्रदेश सरकार उसी तेजी से कार्यवाही कर रही है और हमें विश्वास है, और हमारी सख्ती के रुख को देखकर, मोदी ने इजाजत मांगी है कुछ प्रपोजल भेजे हैं कि किस प्रकार अपने यूनिट को फिर से चला सकें । इन बातों को देखने से साफ जाहिर होता है बहुत सख्ती से इस विधेयक को इस अधिनियम को प्रदेश सरकार लागू कर रही है और भविष्य में भी करेगी । जहां भी शोषण की बात आयेगी इस विधेयक का पूरी तरह पालन किया जायेगा । मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं चौधरी साहब से जिस प्रकार विधान परिषद् में सर्वसम्मति से यह विधेयक पारित हुआ इस सदन में भी यह विधेयक सर्वसम्मति से पारित किया जाये ।

श्री अध्यक्ष—

(श्री राम गोविन्द से) वापस ले रहे हैं ?

श्री राम गोविन्द—

श्रीमन्, मोदीनगर के मजदूर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम में बन्द हैं और 307 में जमानत के बावजूद 107, 117 में जेल में हैं । अगर माननीय मन्त्री जी उनको तत्काल छोड़ने का आश्वासन दे दें कि तमाम मजदूरों को रिहा कर देंगे तो मैं अपने अननुमोदन के प्रस्ताव को वापस लेने पर विचार कर सकता हूं । मिल मालिकों के दबाव के कारण तमाम मजदूर जो जेल में हैं उनको मन्त्री जी आज की डेट में रिहा करने को कहें तो मैं इसको वापस ले सकता हूं अन्यथा नहीं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री सुनील शास्त्री--

जो बात इन्होंने कही है उसका इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। मैं निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार प्रदेश की सरकार श्रमिकों के हित में काम करना चाहती है उसमें चौधरी साहब हमें सहयोग दें। क्योंकि मैं समझता हूं जिस प्रकार श्रमिकों के हित में हम काम करना चाहते हैं वह भी करना चाहेंगे। मैं निवेदन करूंगा कि इसको सर्वसम्मति से पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष--

आप वापस ले रहे हैं।

श्री राम गोविन्द--

यह सरकार मिल मालिकों की साजिश में फंसी है इसलिये वापस नहीं ले रहा हूं।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा(संशोधन) अध्यादेश, 1983 क अननुमोदन करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष --

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन) विधेयक, 1983, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 2 से 6, खण्ड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन) विधेयक, 1983

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

संयुक्त प्रान्तीय औद्योगिक झगड़ों का ऐक्ट, 1947 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के चौतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा(संशोधन) अधिनियम, 1983 कहा जायेगा।

(2) यह 3 अगस्त, 1983 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

संयुक्त प्रान्त ऐक्ट संख्या 28 सन् 1947 की धारा 2 का संशोधन

2--संयुक्त प्रांतीय औद्योगिक झगड़ों का ऐक्ट, 1947 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में, खंड (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्--

"(ङङ) 'बन्दी' का तात्पर्य रोजगार के किसी स्थान या उसके भाग को स्थायी रूप से बन्द करने से है;"

धारा 6-फ, 6-ब और 6-भ का बढ़ाया जाना

3--मूल अधिनियम में, धारा 6-प के पश्चात् निम्नलिखित धारायें बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात्--

धारा 6-ब और 6-म का लागू होना

"6-फ--(1) धारा 6-ब और 6-भ के उपबन्ध उस औद्योगिक संस्था पर लागू होंगे, जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2 के खंड (क) के उपखंड (1) में निर्दिष्ट उद्योग से भिन्न उद्योग से सम्बन्ध रखती हो, किन्तु ऐसी संस्था न हो, जो मौसमी प्रकार की हो या जिसमें केवल आन्तरायिक रूप से कार्य किया जाता हो और जिसमें पूर्ववर्ती बारह महीनों में औसतन प्रतिकार्य दिवस कम से कम तीन सौ मजदूर सेवायोजित रहे हों।

(2) यदि ऐसा कोई प्रश्न उठता है कि क्या कोई औद्योगिक संस्था मौसमी प्रकार की है या क्या उसमें केवल आन्तरायिक रूप से कार्य किया जाता है, तो इस सम्बन्ध में राज्य सरकार का विनिश्चय अन्तिम होगा।

किसी उपक्रम को बन्द करने की प्रक्रिया

6-ब--(1) कोई मालिक जो किसी औद्योगिक संस्था के किसी उपक्रम (अन्डरटेकिंग) को बन्द करना चाहता हो, जिस दिनांक को बन्द करने का अभीष्ट कार्य प्रभावी होना है उसके कम से कम नब्बे दिन पहले राज्य सरकार को पूर्व अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए विहित रीति से आवेदन-पत्र देगा जिसमें उपक्रम को बन्द करने के अभीष्ट कार्य के लिए कारणों का उल्लेख स्पष्ट रूप से किया जायेगा और साथ ही साथ ऐसे आवेदन-पत्र की एक प्रति मजदूरों के प्रतिनिधियों को भी विहित रीति से दी जायेगी :

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा की कोई बात भवनों, पुलों, सड़कों, नहरों, बांधों के निर्माण के लिए या अन्य निर्माण कार्य के लिए स्थापित किसी उपक्रम पर लागू नहीं होगी।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन-पत्र दिया गया हो, वहां राज्य सरकार ऐसी जांच करने के पश्चात् जिसे वह उचित समझे, और मालिक, मजदूरों और इस प्रकार बन्द किए जाने में हितबद्ध व्यक्तियों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् मालिक द्वारा कथित कारणों की यथार्थता और पर्याप्तता सामान्य जनता के हितों और अन्य समस्त सुसंगत बातों को ध्यान में रखते हुए, आदेश द्वारा और ऐसे कारणों से, जिन्हें अभिलिखित किया जायगा, ऐसी अनुज्ञा दे सकती है या देने से इंकार कर सकती है और ऐसे आदेश की एक प्रति मालिक और मजदूरों को भेजी जायगी।

(3) जहां उपधारा (1) के अधीन कोई आवेदन-पत्र दिया गया हो और राज्य सरकार उस दिनांक से, जब ऐसा आवेदन-पत्र दिया

जाय, साठ दिन की अवधि के भीतर मालिक को अनुज्ञा देने या देने से इंकार करने का आदेश संसूचित नहीं करती है, वहां साठ दिन की उक्त अवधि की समाप्ति पर अनुज्ञा जिसके लिए आवेदन किया गया था, स्वीकृत समझी जायेगी।

(4) अनुज्ञा देने या देने से इंकार करने का राज्य सरकार का कोई आदेश, उपधारा (5) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, अन्तिम होगा और समस्त पक्षों पर बाध्यकारी होगा और ऐसे आदेश के दिनांक से एक वर्ष के लिए प्रवृत्त रहेगा।

(5) राज्य सरकार स्वप्रेरणा से या मालिक या किसी मजदूर द्वारा दिए गए आवेदन-पत्र पर, उपधारा (2) के अधीन अनुज्ञा देने या देने से इन्कार करने के अपने आदेश का पुनर्विलोकन कर सकती है या मामले को न्याय निर्णयन के लिए किसी न्यायाधिकरण को निर्दिष्ट कर सकती है।

प्रतिबन्ध यह है कि जहां इस उपधारा के अधीन कोई निर्देश न्यायाधिकरण को किया गया हो, वहां वह ऐसे निर्देश के दिनांक से तीस दिन की अवधि के भीतर पंचनिर्णय देगा।

(6) जहां उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए कोई आवेदन-पत्र उसमें विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर न दिया जाय या जहां बन्द करने की अनुज्ञा को अस्वीकार कर दिया जाय, वहां उपक्रम को बन्द करना, बन्द करने के दिनांक से अवैध समझा जायेगा और मजदूर तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन सभी लाभ पाने के हकदार इस प्रकार होंगे मानो उपक्रम को बन्द नहीं किया गया था।

(7) इस धारा के पूर्ववर्ती उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी, यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि उपक्रम में दुर्घटना या मालिक की मृत्यु या इसी प्रकार की आपवादिक परिस्थितियों के कारण ऐसा करना आवश्यक है तो वह, आदेश द्वारा, निदेश दे सकती है कि उपधारा (1) के उपबन्ध ऐसी अवधि के बारे में लागू नहीं होंगे, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाय।

(8) जहां किसी उपक्रम को उपधारा (2) के अधीन बन्द करने की अनुज्ञा दी जाय या जहां उपधारा (3) के अधीन बन्द करने के लिए अनुज्ञा दी गई समझी जाय, वहां प्रत्येक मजदूर जो इस धारा के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन-पत्र के दिनांक के ठीक पूर्व उस उपक्रम में सेवायोजित हो, प्रतिकर पाने का हकदार होगा जो अनवरत सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के निमित्त या उसका कोई भाग जो छः मास से अधिक हो उसके निमित्त पन्द्रह दिन के औसत वेतन के बराबर होगा।

कतिपय उपक्रमों को पुनः चालू करने के बारे में विशेष उपबन्ध

6—भ-(1) यदि किसी औद्योगिक संस्था के किसी उपक्रम के बारे में जिसे उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन) अधिनियम, 1983 के प्रारम्भ के पूर्व या पश्चात् बन्द किया गया है, राज्य सरकार की राय है कि—

(क) ऐसे उपक्रम मालिक के नियंत्रण से परे किसी अपरिवर्जनीय परिस्थिति के कारण से अन्यथा बन्द किया गया है;

(ख) उपक्रम के पुनः चालू किये जाने की सम्भावना है ;

(ग) ऐसे उपक्रम के बन्द किए जाने के पूर्व उसमें सेवायोजित मजदूरों के पुनर्वास के लिए या जनसमुदाय के जीवन के लिए आवश्यक प्रदाय और सेवायें बनाए रखने के लिये या दोनों के लिये उपक्रम को पुनः चालू करना आवश्यक है;

(घ) उपक्रम को पुनः चालू करने के परिणामस्वरूप मालिक को उस उपक्रम के सम्बन्ध में कष्ट न होगा ;

तो वह ऐसे मालिक और मजदूरों को अवसर देने के पश्चात् अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा यह निदेश दे सकती है कि उपक्रम ऐसे समय के भीतर (जो आदेश के दिनांक से एक मास से कम का न हो) जो आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, पुनः चालू किया जायेगा ।

(2) जहां कोई मालिक उपधारा (1) के अधीन दिए गए किसी आदेश से व्यथित हो वहां विहित रीति में वह न्याय-निर्णयन के लिये मामला न्यायाधिकरण को निर्दिष्ट कर सकता है और न्यायाधिकरण ऐसा आदेश पारित कर सकता है जो उसे मामले की परिस्थितियों में उचित और युक्तिसंगत प्रतीत हो ।"

धारा 14-ख का बढ़ाया जाना

4—मूल अधिनियम में, धारा 14-क के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्—

"14—ख-(1) कोई मालिक जो धारा 3 या धारा 6-ब के उपबन्धों का उल्लंघन करके कोई उपक्रम बन्द करता है, कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकती है, या जुर्माना से या दोनों से दण्डनीय होगा ।

(2) कोई मालिक जो धारा 6-भ के अधीन दिये गये निदेश का उल्लंघन करता है कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकती है, या जुर्माना से या दोनों से दंडनीय होगा और यदि उल्लंघन जारी रहे तो अतिरिक्त जुर्माना से दण्डनीय होगा जो दोष सिद्धि के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए जबकि उल्लंघन जारी रहे, दो हजार रुपये तक हो सकता है ।"

द्वितीय अनुसूची का संशोधन

5—मूल अधिनियम में, द्वितीय अनुसूची में, प्रविष्टि 10 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि बढ़ा दी जायगी, अर्थात्—

"10—क—किसी औद्योगिक संस्था के उपक्रम को बन्द करने से सम्बन्धित कोई मामला ।"

निरसन तथा अपवाद

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 35, सन 1983

6—(1) उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन) अध्यादेश, 1983 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। निरसन और अपवाद

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 6, खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री सुनील शास्त्री—

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन) विधेयक, 1983, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन) विधेयक, 1983, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

माननीय अध्यक्ष महोदय, अध्यादेश के अननुमोदन के प्रस्ताव पर चौधरी जी ने भाषण दिया लेकिन मान्यवर, मैं दो-तीन बातों की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी का जहां इस विधेयक को पास कराने का प्रश्न है, शायद ही कोई यह बात कह जाए कि मजदूरों के हित में कर रहे हैं, लेकिन मान्यवर, माननीय मंत्री जी जैसे प्रतिभावान नवयुवक हैं आप स्वयं देखें कि कितनी बातों को इसमें छोड़ दिया है अगर इन बातों की ओर आपने ध्यान नहीं दिया तो यह उचित न होगा। यह सही है कि यह अधिनियम किसी का हित नहीं कर पायेगा यह जो संशोधित धारा आपने लगायी है इसमें अपवाद किसको-किसको कर दिया। भवन, पुल सड़कें जिनके सम्बन्ध में अपवाद हैं क्या इनका निर्माण कार्य मजदूर नहीं करते? क्या इसमें मजदूरों का शोषण नहीं होता है? मजदूर सरकार के भी होते हैं तथा कान्ट्रेक्टर्स के भी होते हैं। इसमें इनको छूट देने का क्या कारण है?

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि मोदी की चर्चा हुई यह आरोप है कि जब स्टे के लिए कोर्ट में गये आपकी ओर से एफीडेविट देने में देरी की गई जिसमें हाईकोर्ट ने स्ट्रिक्चर दे दिया। आपने व्यवस्था यह कर दी है कि 90 दिन पहले वह आवेदन-पत्र देंगे। 60 दिन के अन्दर आप उत्तर नहीं दे सके तो समझा जायेगा कि आपने आवेदन-पत्र को उनको स्वीकार कर लिया है। इसका लाभ उठायेगा मिल-मालिक, पूंजीपति वह सांठ-गांठ करके आपके अधिकारियों से इसका लाभ उठाकर फिर से हाईकोर्ट में चला जायेगा। इस तरह से मजदूरों का शोषण हो रहा है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--]

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आपने भी इस बात का अनुभव किया होगा कि मजदूरों का शोषण हो रहा है। ट्रिब्यूनल के लोग छिपे नही रह गये हैं। इस स्तर पर कहते हुये खुशी नहीं हो रही है ट्रिब्यूनल किसी से छिपा नहीं रह गया है। माननीय मंत्री जी अपने आदेशों को देखें, अपने निर्णय को देखें उसके बाद व्यवस्था कर दिया है उसके बाद भी सरकार छूट दे सकती है। यह तो इमरजेन्सी का कारण बताया। जहां तक विवेक कोष के पैसे की बात है तो चेहरा देखकर पैसा दिया जाता है। उसके लिये कोई रूल बना दीजिए वह एब्सोल्यूट नहीं होना चाहिये। आप इसका कोई नियम बना दें कि इस परिस्थिति में निर्णय करेंगे मैंने तीन चार बातें रखी हैं। उनका कोई लाभ नहीं होगा इन्हीं का लाभ उठाकर मोदी ने आपके चेहरे पर चपत लगा दी।

आपने तीन तारीख को आर्डिनेंस जारी किया। आर्डिनेंस उस समय जारी किया जाता है जिस समय कोई बहुत बड़ा सवाल हो और इसका विधायन कर पाना इसलिए सम्भव न हो कि विधान मण्डल सामने नहीं है, अथवा कोई चीज लागू करना अति आवश्यक है। मैंने देखा था, समाचार पत्रों में प्रथम हेडिंग लिखी थीं कि तीन माह तक कोई कारखाना बन्द नहीं हो सकता, लेकिन शायद पत्रकारों ने आर्डिनेंस पढ़ा नहीं, उनको पूरा मौका नहीं मिला होगा, नहीं तो यह तारीफ न मिलती आपको। मोदी के ढाई हजार मजदूर सड़क पर आ गये और आप निस्तारण नहीं कर सके। एफीडेविड में देरी हुई, यह क्या है? कमलाकान्त पांडे एवार्ड में है चालीस के बजाय 80 रुपया वेतन दिया जायगा। मैं अपने क्षेत्र में एवार्ड लागू करने के सम्बन्ध में मिला, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार के तीन संस्थान हैं वे कमलाकान्त एवार्ड क्यों नहीं मानते। मेरे चेहरे पर भाव आए, मैंने सोचा मैं इनसे क्या बहस करूंगा। मैंने कहा कि मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र की बात करने आया हूं। माननीय मंत्री जी राम रतन सिंह जी बहुत दिन उसकी यूनियन के प्रेसीडेंट रहे हैं। आज सरकार में हैं, तो क्यों नहीं एवार्ड लागू कराते। आपकी जो फैक्ट्रियां हैं उनमें एवार्ड लागू नहीं है। आप खुद एवार्ड लागू करना नहीं चाहते।

हम लोग किताबों में पढ़ते हैं कि सरकारी संस्थान आदर्श इम्प्लाय र्स नेमा जाते हैं। उनको देख करके प्राइवेट मालिक कन्ट्रोल करते हैं। आप ही उसका पालन नहीं करेंगे तो क्या उम्मीद करें हम इन्टरप्रिन्योर्स से कि वे उसका पालन करेंगे। इन चार बातों का आप जवाब दें। इस विधेयक की मंशा से मेरा कोई विरोध नहीं है। लेकिन उसे आप पूरा नहीं कर सकते जिसकी उम्मीद इस मामले में की जाती है और इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं। जैसा कि आपने विधान परिषद् की बात कही कि वह वहां से सर्वसम्मति से पास हो गया तो मैं राजनीति से हटकर इस पर विचार करना चाहता हूं। हम भी इसको सर्वसम्मति से पास कर सकते हैं लेकिन आप इन चार बातों का जवाब दे दीजिये। ये जो चार ड्रेन्स आपने बना दी हैं, उनके माध्यम से सारी कड़ाई बह जायगी। यह विधेयक भी मात्र कागजी दिखावा बनकर रह जायगा और इसमें मजदूरों का हित होने वाला नहीं है और इसलिए मैं इस विधेयक का इस आशा के साथ विरोध करता हूं कि इन चार प्रश्नों का उत्तर मंत्री जी देंगे।

श्री सुनील शास्त्री--

मान्यवर, इस सम्बन्ध में मैं माननीय गुप्ता जी ने जो सुझाव दिए हैं, उनका मैं आदर करता हूं । मैं यह कहना चाहूंगा कि यह हम लोगों का बहुत कड़ा कदम है । हमने इस निर्णय को लिया, यह इस बात का प्रतीक है कि हमारी प्रदेश सरकार यह चाहती है कि श्रमिकों का जो शोषण हो रहा है बड़े-बड़े पूंजीपतियों द्वारा, बड़े-बड़े प्रतिष्ठानों द्वारा, उसे रोका जाय । जो उन्होंने सीजनल इंडस्ट्रीज की बात कही तो मैं बताना चाहूंगा कि वे सीजनल इंडस्ट्रीज होती हैं, उन पर यह लागू नहीं है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, सीजनल इंडस्ट्रीज के बारे में जो छूट आपने दे दी, तो इसी का लाभ प्राप्त करके वह गलत काम करेंगे । अधिकार तो आपके पास है, आप अपवाद क्यों देते हैं ?

श्री सुनील शास्त्री--

मान्यवर, मैं नहीं समझता कि वे गलत काम करते हैं । यदि विभाग के समक्ष इस प्रकार का कोई गलत काम नजर में आता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जायेगी ।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि सुप्रीमकोर्ट की एक रूलिंग है जिसमें कहा गया है कि एक रीजनेबुल टाइम दोनों पक्षों को दिया जाना चाहिए । उसके बाद उसे ट्रिब्यूनल में रिफर कर सकते हैं और यह 7 दिन का समय है । केन्द्र सरकार का यह सेन्ट्रल आर्डिनेन्स है, उसके तहत यह आता है । इसमें स्टेट गवर्नमेन्ट ने इस बात का प्रयास किया है, जैसा कि अभी पहले हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा कि केन्द्र सरकार ने इस अध्यादेश को बनाया था और उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में स्टे ले लिया गया था एक वैक्युम की कमी महसूस की जा रही थी, उस कमी को दूर करने के लिए प्रदेश सरकार ने यह निर्णय लिया कि इस अध्यादेश को लाया जाय ।

जहां तक मोदी की बात कही गयी उस पर कानूनी कार्यवाही की जा रही है । जहां हमारे 2 हजार से अधिक श्रमिक भाइयों का सवाल है, प्रदेश सरकार यह नहीं चाहती कि उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई हो । उनको प्रदेश सरकार रोजगार उपलब्ध करायेगी, इस दिशा में भी पूरी कार्यवाही की जा रही है ।

मैं एक बार पुनः माननीय श्री चौधरी जी से तथा माननीय श्री गुप्ता जी से निवेदन करूंगा कि वे इस विधेयक को इस विधान सभा में सर्वसम्मति से पारित करें ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन) विधेयक, 1983, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश नगर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1983 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1983†

*श्री राम स्वरूप वर्मा—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1983 का अननुमोदन करता है ।

मान्यवर, इसमें एक बहुत बड़ी आपत्ति है और वह आपत्ति हमारे मौलिक अधिकारों से सम्बन्धित है । मुझे विश्वास है कि इस आदरणीय सदन के सभी माननीय सदस्य इस मासूम से अध्यादेश पर गम्भीरता पूर्वक विचार करेंगे । मान्यवर, यह देश का एक कानून है एक रिप्रजेन्टेटिव ऐक्ट है, जिसके अन्तर्गत हम यहां पर बैठे हुए हैं । जब 10 साल के बाद जनसंख्या बढ़ जाती है या घट जाती है, जो भी होता है उसे संतुलित करने के लिए वार्डों का परिसीमन होता है, इसी के तहत नागर स्वायत्त शासन विधि को कर दिया गया है जब जनसंख्या बढ़ेगी तभी परिसीमन होगा । लेकिन यह सरकार जनतंत्र के कितने खिलाफ हो गयी है । 1981 में जो जनगणना हुई वह भी चौंका देने वाली है । 2 प्रतिशत से अधिक 18 प्रतिशत की आबादी थी वह 1985 में 20 प्रतिशत से ऊपर हो गयी । नगरपालिकाओं में, नगर महापालिकाओं में तथा टाउन एरियाज में इसका मतलब हिसाब लगायें, तो 11 सैकड़ा से अधिक आबादी बढ़ी है, जब कि 10 सैकड़ा आबादी का कानून बना है ।

अगर हम बड़े कानून को देखें और लोक सभा एवं विधान सभा के परिसीमन क्षेत्रों को देखें, तो 10 सैकड़ा से ज्यादा परिसीमन नहीं होना चाहिए । 10 सैकड़ा तक वेरियेशन हो जाता है । लेकिन, 11 सैकड़ा की पापुलेशन बढ़ गयी है । शहर का औसत बढ़ाव बाहर की तरफ होता है, उसमें पापुलेशन बढ़ती है । तो, जनसंख्या के हिसाब से आप कैसे पुनर्सन्तुलित करेंगे । आप स्वयं कहते हैं कि हमको जल्दी चुनाव कराने हैं । मैं पूछना चाहता हूं कि यह 1981 की जनगणना के आंकड़े 1982 में आपके पास आ गए थे तो एक साल तक, अगर आपका जनतंत्र में विश्वास है, आप चाहते हैं कि जनतंत्र की मर्यादा के अन्तर्गत, उनकी मर्यादाओं के अन्तर्गत काम हो, तो उस हिसाब से आप उसे कर सकते थे, वार्डों के परिसीमन के लिए पूरा समय था, लेकिन मान्यवर, वह काम नहीं किया ।

इंगलैंड में जनतंत्र पर विश्वास करते हैं, उनके यहां हर वर्ष चाहे चुनाव हो या न हो उनके यहां मतदाता सूचियां तैयार रहती हैं और अक्तूबर में संशोधित हो जाती हैं । आप अपने यहां कभी 18 साल की उम्र का बहाना ले लेते हैं कि 18 साल के मतदाताओं की सूची नहीं है इसलिए चुनाव टाला जा रहा है, कभी वार्डों के परिसीमन का बहाना कर के कि परिसीमन नहीं हुआ है, इस लिए देर हो रही है । मैं तो इस संकट में पड़ गया हूं कि यदि यह कहूं कि वार्डों का परिसीमन आप करें, तो उससे आपको चुनाव टालने का बहाना मिल जायेगा, आप परिसीमन में देरी करेंगे और अगर न कहूं तो जनतंत्र की हत्या होगी । उस बात के अलावा मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अगर आप जनतंत्र

*वक्ता ने अपने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

में विश्वास रखते हैं, तो इतने दिन तक क्यों नहीं किया ? आप जानते हैं कि जनसंख्या से आंकलन हो जाता है । उसके बाद आबादी बढ़ी केवल घटे हुए परिसीमनों को सुनिश्चित करने के लिए पुनर्परिसीमन करना पड़ता है । पुनर्परिसीमन सरकार ने क्यों नहीं किया ? इसका जवाब सरकार की तरफ से नहीं आया है विधेयक में । मान लीजिए कि हम चुनाव कराने के लिए तैयार बैठे हैं, 1971 की जनसंख्या के हिसाब से वार्ड बने थे, उन वार्डों के हिसाब से अगर चुनाव करा दिये जायेंगे, तो कितना बड़ा अन्याय हो जायेगा । किसी के वार्ड में 10 हजार मतदाता होंगे, तो किसी के वार्ड में 15 हजार मतदाता होंगे । तो मान्यवर इस वजह से सरकार का जो जनतंत्र में विश्वास हट रहा है और अपने कर्मों से यह सिद्ध कर रही है कि हम जनतंत्र में विश्वास नहीं करते हैं हम नागर स्वायत्ता पर विश्वास नहीं करते हैं । इसलिये इसका हमें अत्यन्त विरोध है ।

मान्यवर, मैं एक निवेदन कर, अपनी बात समाप्त करता हूं । सरकार ने अपनी तरफ से यह नहीं बताया कि यह तो कह दिया कि 1981 की रिपोर्ट प्रकाशित हो गयी है, इसलिए संकट में पड़ गये हैं । मैं पूछना चाहता हूं कि जब प्रकाशित हो गयी है, तो कितना समय लगेगा ? विधि सम्मत आप काम करें 30 दिन, 35 दिन, 40 दिन में आप वार्डों का परिसीमन करा सकते हैं, आप कोई जल्दी चुनाव तो करा नहीं रहे हैं । मेरी निश्चित रूप से सरकार से मांग है कि सरकार विधि सम्मत काम करें और परिसीमन क्षेत्रों के आधार पर निश्चित चुनाव करायें । मैं इस चुनाव की मांग के साथ, इस संकल्प के लिये चाहता हूं कि दोनों पक्षों के माननीय सदस्य इस पर अपना मत प्रदान करें ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय संसदीय कार्य मन्त्री जी, इसी के साथ मद–29 को भी आप पढ़ दें ।

*संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1983, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय ।

मान्यवर, यह जो विधेयक इस समय सदन के सामने रखा गया है, इसमें 1971 की जनगणना को ही आधार माना गया है । डि–लिमिटेशन के लिये 1971 को इस वजह से माना गया था मान्यवर, कि जो हमारा संविधान है, उसके अन्दर भी यह बात बिल्कुल साफ कही गयी है कि 2 साल तक का डि-लिमिटेशन प्रोसेस है, उसके आधार पर 1971 में ही लगा । धारा 170 के अन्दर यह बात साफ है ।

1981 क्यों नहीं माना गया, यह बात माननीय राम स्वरूप वर्मा जी ने उठायी । इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि अगर 1981 की सेन्सस को डि–लिमिटेशन का आधार माना जाता तो 2–3 साल लगते और चूंकि उत्तर प्रदेश

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री अम्मार रिजवी---]

सरकार टाउन एरिया और म्युनिसपल बोर्ड का चुनाव फौरन कराना चाहती है, उसमें विलम्ब होता। यह विलम्ब न हो और जितनी वाडीज हैं लोकल वाडीज हैं, उनका चुनाव जल्द हो जाय क्योंकि यह सारी प्रक्रिया टाउन एरिया, म्युनिसपल बोर्ड, लोकल वाडीज की सारी प्रक्रिया आगे तक जाती है उसमें चुनाव को शीघ्रातिशीघ्र कराने की वजह से 1981 के बजाय 1971 रखा। अगर 1981 रखते तो व्यावहारिक कठिनाइयां होतीं और चुनाव सहा समय और शीघ्र सम्पन्न नहीं कराये जा सकते थे, इसलिये यह विधेयक रखा गया है।

इसमें चुनाव जल्द कराने की बात है, इसका तो माननीय राम स्वरूप वर्मा जी को स्वागत करना चाहिये था कि म्युनिसपल बोर्ड, टाउन एरियाज, जिसके चुनाव अभी तक नहीं हुए थे, उनके चुनाव को जल्द कराने का सरकार प्रयत्न कर रही है। मैं आपके माध्यम से माननीय वर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि यह अननुमोदन का प्रस्ताव जो उन्होंने रखा है, इसे वापस ले लें क्योंकि यदि इसको मान लिया गया तो चुनाव प्रक्रिया में विलम्ब होगा, जो कि किसी प्रकार से भी जनतांत्रिक प्रणाली के लिये सही नहीं है।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

यह तो जनतंत्र की हत्या है। मन्त्री जी ने कहा कि डि-लिमिटेशन में दो साल लग जाते हैं, उसमें तो बहुत थोड़ा समय लगता है। 1982 में जब जनसंख्या के आंकड़े आ गये थे, तो आप बैठे हुए क्या कर रहे थे? मैं इसको मानने के लिये तैयार नहीं हूं। इस प्रस्ताव को वापस लेने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

माननीय मन्त्री जी ने कांस्टीट्यूशनल एमेन्डमेन्ट का हवाला दिया, मैं जानना चाहता हूं कि जो संवैधानिक संशोधन हुआ है वह इलेक्शन कमीशन द्वारा जो डि-लिमिटेशन हुआ है, उसके बारे में हुआ है लोकल वाडीज के डि-लिमिटेशन के बारे में है?

श्री अम्मार रिजवी--

मैंने उस समय भी और अभी भी कह रहा हूं कि दोनों का घनिष्ठ सम्बन्ध है, इसलिये उसको नजरअन्दाज नहीं किया जा सकता।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1983 का अननुमोदन करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1983, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड 2 से 7, खंड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1983

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916, उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 और संयुक्त प्रान्त टाउन एरिया अधिनियम, 1914 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के चौतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

अध्याय एक

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1983 कहा जायेगा।

(2) यह 23 अगस्त, 1983 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

अध्याय दो

संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 का संशोधन

संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 2 सन् 1916 की धारा 9-क का संशोधन

2—संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 को, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 9-क में, उपधारा (1) में, वर्तमान प्रतिबन्धात्मक खंड के पश्चात् निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्—

"अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा में अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना में जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित कर दिये गये हैं, के प्रति निर्देश को, उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1983 के प्रारम्भ से एक वर्ष की अवधि के लिये 1971 की जनगणना के प्रति निर्देश समझा जायगा और जनसंख्या के प्रति कोई निर्देश उस जनगणना के आधार पर जनसंख्या के प्रति निर्देश होगा।"

धारा 11-क का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 11-क में, उपधारा (2) में, निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्—

"प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा में 'अन्तिम जनगणना' के प्रति निर्देश को, उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि

(द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1983 के प्रारम्भ से एक वर्ष की अवधि के लिए, 1971 की जनगणना के प्रति निर्देश समझा जायगा और जनसंख्या के प्रति कोई निर्देश उस जनगणना के आधार पर जनसंख्या के प्रति निर्देश होगा।"

अध्याय तीन

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1959 की धारा 7 का संशोधन

4--उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 को, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 7 में, उपधारा (1) में, वर्तमान प्रतिबन्धात्मक खंड के पश्चात् निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्--

"अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा में 'अन्तिम पूर्वगत जनगणना में जिसके संगत आंकड़े प्रकाशित कर दिये गये हैं' के प्रति निर्देश को, उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1983 के प्रारम्भ से एक वर्ष की अवधि के लिये, 1971 की जनगणना के प्रति निर्देश समझा जायगा और जनसंख्या के प्रति कोई निर्देश उस जनगणना के आधार पर जनसंख्या के प्रति निर्देश होगा।"

धारा 31 का संशोधन

5--मूल अधिनियम की धारा 31 में, उपधारा (2) में, निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्--

"प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा में 'अन्तिम पूर्वगत जनगणना जिसके संगत आंकड़े प्रकाशित कर दिये गये हैं' के प्रति निर्देश को, उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1983 के प्रारम्भ से एक वर्ष की अवधि के लिये, 1971 की जनगणना के प्रति निर्देश समझा जायगा और जनसंख्या के प्रति कोई निर्देश उस जनगणना के आधार पर जनसंख्या के प्रति निर्देश होगा।"

अध्याय चार

संयुक्त प्रान्त टाउन एरिया अधिनियम, 1914 का संशोधन

संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 2 सन् 1914 की धारा 5-क का संशोधन

6--संयुक्त प्रान्त टाउन एरिया अधिनियम, 1914 की धारा 5-क में, उपधारा (1) में, वर्तमान प्रतिबन्धात्मक खंड के पश्चात् निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्--

"अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा में 'अन्तिम पूर्ववर्ती जनगणना में जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित कर दिये गये हैं'

के प्रति निर्देश को, उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1983 के प्रारम्भ से एक वर्ष की अवधि के लिए 1971 की जनगणना के प्रति निर्देश समझा जायगा और जनसंख्या के प्रति कोई निर्देश उस जनगणना के आधार पर जनसंख्या के प्रति निर्देश होगा ।"

अध्याय पांच

प्रकीर्ण

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 39 सन् 1983 — निरसन और अपवाद

7--(1) उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1983 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित अध्याय दो, तीन और चार में निर्दिष्ट अधिनियमों के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित उन अधिनियमों के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड 2 से 7 तक, खंड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1983, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1983, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

डा० अम्बेदकर छात्रावास मुजफ्फर नगर मे पुलिस द्वारा कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में होने वाले वक्तव्य के स्थगन की सूचना

श्री अध्यक्ष--

मद संख्या 31 के बारे में मैं एक निवेदन करूंगा कि मेरे पास माननीय गुलाब सेहरा जी का एक पत्र आया है, जिसमें उन्होंने यह लिखा है कि इस

मामले से सम्बन्धित सूचना अभी एकत्र की जा रही, अतः कुछ समय और दे दिया जाए तो मैं इनकी इस मांग को स्वीकार करते हुए माननीय मंत्री जी को यह निर्देश देता हूं कि वह 10 दिन के अन्दर माननीय सदस्य को समस्त जानकारी से अवगत करा दें।

श्री नकुल सिंह--

मान्यवर, इसमें सूचना एकत्र करने की कोई बात नहीं है, सूचना तो इनके पास और हमारे पास दोनों के पास उपलब्ध है।

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया बैठें, एक निर्णय हो गया, कृपया शांत रहें।

[समय 6 बजे अपराह्न]

पनकी पावर हाउस, कानपुर में विद्युत् उत्पादन के ठप्प होने से विद्युत् संकट के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

*श्रम राज्य मंत्री (श्री सुनील शास्त्री)--

[पनकी पावर हाउस में कानपुर बिजली मजदूर सभा ने दिनांक 25-8-1983 को 8.00 बजे प्रातः काल से अपनी विभिन्न मांगों के सम्बन्ध में हड़ताल प्रारम्भ की थी। दिनांक 30-8-1983 को प्रथम रात्रि पाली से हाइड्रो इलेक्ट्रिक इम्पलाइज यूनियन, पनकी शाखा के सदस्यों ने तथा उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् के प्राविधिक तकनीकी कर्मचारी संघ के सदस्यों ने भी हड़ताल प्रारम्भ की थी। यह हड़ताल दिनांक 6-9-1983 को समाप्त हो गयी थी। उक्त हड़ताल की अवधि में पनकी पावर हाउस के विद्युत् उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा एवं उत्पादन सामान्य रहा।

2--हाइड्रो इलेक्ट्रिक इम्पलाइज यूनियन के सदस्यों की कुल संख्या बताना सम्भव नहीं है, क्योंकि इस यूनियन में दो गुट हैं तथा उनमें आपस में मुकदमेबाजी हो रही है। रजिस्ट्रार, ट्रेड यूनियन के पास भी इस यूनियन की सदस्यता के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक इम्पलाइज यूनियन (मिश्रा गुट) के नेतृत्व में इस यूनियन के सदस्यों ने अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, पनकी के साथ दिनांक 1-5-1983 को दुर्व्यवहार किया था तथा उन पर हमला भी किया था। इसके पूर्व भी कई अधिकारियों के साथ इसी प्रकार की दुर्घटनायें हुई थीं। उक्त बातों को ध्यान में रखते हुए इस यूनियन की मान्यता समाप्त कर दी गई है।

3--हाइड्रो इलेक्ट्रिक इम्पलाइज यूनियन (मिश्रा गुट) के अध्यक्ष राज्य सरकार के बिजली विभाग के कर्मचारी थे और वह दिनांक 1-4-1959 को विद्युत् परिषद् का गठन होने पर प्रतिनियुक्ति पर विद्युत् परिषद् में आये थे। उनकी सेवायें सन्तोषप्रद नहीं पायी गईं तथा प्रतिनियुक्ति पर होने के फलस्वरूप उनके विरुद्ध कोई कारगर कार्यवाही करने में असमर्थ होने के कारण विद्युत् परिषद् ने दिनांक 21-5-1983 को उनका वाह्य सेवाकाल समाप्त करते हुये उन्हें शासन को प्रत्यावर्तित कर दिया। शासन स्तर पर उनके द्वारा धारित वर्तमान सब--

नोट [ ] पढ़ा हुआ माना गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

स्टेशन अटेन्डेन्ट के समकक्ष कोई पद उपलब्ध नहीं था, अतएव शासन ने उनको दिनांक 4-6-1983 को सेवा-निवृत्त कर दिया ।

4--दिनांक 1-5-1983 की दुर्घटना से सम्बन्धित पनकी के 14 कर्मचारियों की सेवायें एवं 24-4-1983 को अधीक्षण अभियन्ता (मुख्यालय), लखनऊ इलेक्ट्रिक सप्लाई अण्डरटेकिंग पर घातक हमला करने वाले 3 कर्मचारियों की सेवायें समाप्त कर दी गई हैं । उनमें से 14 कर्मचारियों की ओर से माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के समक्ष याचिका प्रस्तुत की गयी है, जो विचाराधीन है । निलम्बन एवं स्थानान्तरण की कार्यवाही विद्युत परिषद् के कार्य के हित में की जाती है तथा इसका किसी यूनियन के सदस्य होने अथवा न होने से कोई सम्बन्ध नहीं है ।]

श्री राम यश सिंह--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं किसी भी यूनियन को मान्यता देने का प्राविजन अण्डर कोर्ट होता है और यदि इसका वायलेशन होता है तो इस मामले का निस्तारण का कोड आफ कंडक्ट होता है, तो क्या विद्युत् परिषद् और हाइड्रो इलेक्ट्रिक इम्पलायज यूनियन, पनकी शाखा के सदस्यों के बीच बैठक हुई थी और क्या इनकी रिकमेंडेशन पर ऐसा हुआ है, और क्या उनका इस पर सोचने-विचारने का मौका दिया गया था ?

श्री सुनील शास्त्री—

मान्यवर, हाईड्रो इलेक्ट्रिक इम्पलायज यूनियन में दो गुट हैं, एक मिश्रा जी वाला गुट, जिसके सबन्ध में यह वक्तव्य है और दूसरी बात में इस सिलसिले में बताना चाहूंगा कि इस गुट के यूनियन के सदस्यों द्वारा वहां के अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया तथा अनुशासनहीनता की भी कई शिकायतें सामने आयीं इस बात की विद्युत् परिषद् द्वारा इन सम्बन्धित इम्पलायज से जानकारी प्राप्त की और पूरा मौका दिया गया, लेकिन जब इसके द्वारा संतोषजनक उत्तर नहीं आ सका, तब इनकी मान्यता समाप्त की गयी ।

श्री रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, मैंने जिन बिन्दुओं को उस दिन उठाया था कि उत्पादन इन-इन मेगावाट का क्या रहा, इसकी कोई चर्चा इसमें नहीं की गयी है, दूसरे जो बिजली इंजीनियर मारा गया और पावर हाउस में आग लगा दी गयी या इस बीच जो भी समस्याएं उत्पन्न हुयी, उनकी जानकारी प्राप्त की गयी थी, लेकिन ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गयी है इसमें केवल मेरा नाम दे दिया गया है नाम से क्या होता है, जो बात की जानकारी चाही गयी थी, उन बातों को बताया जाना चाहिए था लेकिन यह सरकार वहां की समस्त वस्तुस्थिति से अवगत कराने में जान चुरा रही है और स्पष्ट रूप में कुछ बताना नहीं चाहती है ।

श्री सुनील शास्त्री--

मान्यवर, पनकी पावर हाउस से सम्बन्धित कुल उत्पादन क्षमता का बता पाना सम्भव नहीं है । इतना जरूर बताना चाहूंगा कि पनकी पावर हाउस में दिनांक 25 अगस्त, 1983 को प्रातः 8 बजे हड़ताल प्रारम्भ हुयी और 30 अगस्त, 1983 को हाईड्रो इलेक्ट्रिक इम्पलायज की हड़ताल हुई लेकिन इस अवधि

[श्री सुनील शास्त्री--]

में उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा । फिर यह हड़ताल 6 सितम्बर को समाप्त हो गयी, लेकिन इससे उत्पादन पर कोई असर नहीं पड़ा, अगर माननीय सदस्य चाहें तो उन्हें दिन प्रति दिन का उत्पादन का विवरण दिया जा सकता है, वैसे कुछ समय के लिए एक मशीन 110 मेगावाट की जरूर खराब हो गयी थी, लेकिन उसे भी जल्द से जल्द सुधार लिया गया था ।

श्री रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, सवाल क्या है और मंत्री जी जवाब क्या दे रहे हैं । इसमें नियम 51 और नियम 56 दोनों के वक्तव्य लगे हुए हैं और मंत्री जी ने केवल एक ही का उत्तर दिया है ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय श्रम मंत्री जी, मैं यह समझता हूं कि इसका उत्तर देते वक्त माननीय रेवती रमण सिंह ने जो सूचना दी थी उसको नहीं देखा गया है । दो सूचनायें अलग-अलग हैं । इसमें से एक ही का उत्तर दिया गया है यह पता नहीं किस कारण से दूसरा रह गया है । एक सूचना माननीय रामयश सिंह की थी और दूसरी सूचना माननीय रेवती रमण सिंह की थी ।

श्री रेवती रमण सिंह--

दिक्कत यह है कि माननीय श्रम मंत्री जी यह विभाग तो देख नहीं रहे हैं, इनको पता नहीं कैसे यहां इसको पढ़ने के लिए भेज दिया गया है और वह इन्होंने यहां पर पढ़ दी । आज थरमल का 270 मेगावाट का जनरेशन होता है । किसानों को आठ-आठ और दस-दस घन्टे दिन में बिजली नहीं मिलती है । यहीं पर पुराने लखनऊ में तीन-तीन दिन तक बिजली नहीं आती है । इलाहाबाद, सहारनपुर जैसे तमाम हेडक्वाटरों में विद्युत की सप्लाई बन्द है जिसके कारण से आज प्रदेश की स्थिति बहुत गम्भीर हो गयी है । मंत्री जी ने जवाब पनकी पावर हाउस के बारे में दे दिया है । आप गलत नहीं हैं, जो जवाब आपको मिलेगा वही आप यहां पढ़ेंगे । मान्यवर, मेरी प्रार्थना है कि मेरी सूचना का जवाब आप दिलवा दें क्योंकि यह सदन भी आज ही उठ रहा है ।

श्री अध्यक्ष--

मैं इस प्रश्न को स्थगित करता हूं । मैं माननीय श्रम मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जो माननीय रेवती रमण सिंह जी ने नयी बात कही है, वे दोनों सूचनाओं को देखें आपको दोनों सदस्यों ने सूचनायें दी थी, आप दोनों का उत्तर देंगे ।

नियम 51 तथा 56 में दी गयी सूचनाओं पर दिये जाने वाले वक्तव्य के स्थगन पर आपत्ति

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, जो रूलिंग आपने दी है वैसे तो मान्यवर, आपकी बात शिरोधार्य है लेकिन मैं यह नयी परम्परा को देख रहा हूं कि नियम 51/56 की सूचनायें सदन में ली गयी हैं वह कभी सदन में इस तरह से

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

स्थगित नहीं की गयी हैं। उत्तर पूर्ण आये या अपूर्ण आये परन्तु वे कभी भी स्थगित नहीं हुई हैं क्योंकि यह सदन की प्रापर्टी बन गयी है। आप इस तरह से नई परम्परा डाल रहे हैं मान्यवर, शून्य प्रहर में इस तरह से विचार हो सकता है परन्तु नियम 51/56 में इस तरह से करने से सदन में वांछित उत्तर न आने से ऐसा करना संसदीय परम्पराओं के विपरीत ही जायगा। आप मुझे माफ करें परन्तु आप ऐसी व्यवस्था दें और माननीय सदस्यों को सन्तुष्ट करें यह नियमों के विरुद्ध हो जायगा।

श्री अध्यक्ष—

यह बात सही है कि इसे केवल मैंने स्थगित किया है और यदि माननीय सदस्य को 10 दिन के अन्दर इसका जवाब प्राप्त नहीं होता तो पुनः इसको सदन में लिया जायगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, इसी के सम्बन्ध में तो हमारी आपत्ति है। मान्यवर, स्थगित का मतलब ही यह है कि अगले दिन एजेन्डा पर यह आयगा, जब सदन होगा। यह नियमावली के नियमों की हत्या हो जायगी। जो सत्रावसान के नियम हैं कि जब अगली तारीख तय होती है, जब सदन अगली बार बैठता है तो इस परम्परा से नियम बदल जायगा।

श्री अध्यक्ष—

यदि सदन आज उठ जायेगा तो यह कल कैसे आ जायेगा ? मैंने निर्णय दे दिया है कि जब भी सदन होगा, इसका पुनः उत्तर मन्त्री जी देंगे।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मुझे बड़ी शर्म आ रही है आपको कहते हुए कि यही तो हमारी आपत्ति है। आप नियमावली को देख लें कि किस नियम के तहत आप यह आदेश दे रहे हैं, आप हमको यह बतला दें ?

श्री प्रमोद कुमार—

मान्यवर, इनको अपने चेम्बर में बुला कर सुन लें।

श्री अध्यक्ष—

मैंने कह दिया है कि 10 दिन के अन्दर माननीय सदस्य को इसका जवाब दे देंगे। यदि यह नहीं हो पाया तो फिर इसे सदन में लिया जाएगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मुझे बड़ी लज्जा आ रही है बार-बार यह कहते हुए और मान्यवर, मेरी यही आपत्ति है। प्रथम अध्याय में दिया हुआ है जहां पर चर्चाओं की सूचना दी हुई है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

गुप्ता जी ऐसी कोई बात माननीय मन्त्री जी नहीं आने देंगे । मैं नियमों को पुनः देख लूंगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

यह ठीक है । मैं इससे सहमत हूं ।

झांसी में स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के पुत्र का अपहरण किये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य

*हरिजन एवं समाज कल्याण राज्य मन्त्री (श्री गुलाब सेहरा--)

[प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 5-9-83 को श्री रणपाल सिंह परिहार, निवासी 146, नई बस्ती, कोतवाली, झांसी ने थाना कोतवाली में अपने पुत्र श्री राजेन्द्र पाल सिंह परिहार, एडवोकेट के अपहरण के सम्बन्ध में लिखित सूचना दर्ज कराई जिसके आधार पर मु0 अ0 सं0 338/83 धारा 364 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत किया गया । श्री रणपाल सिंह परिहार ने प्रथम सूचना में तीन व्यक्तियों को नामजद किया जिन पर अपहरण/हत्या का संदेह किया ।

श्री राजेन्द्र सिंह परिहार, एडवोकेट दिनांक 7-9-83 को वापस लौट आये । स्वास्थ्य परीक्षण में उनका स्वास्थ्य सामान्य पाया गया । उनके शरीर पर चोट का कोई निशान नहीं है । अब तक की विवेचना से अपहरण की घटना संदिग्ध पाई गई है । विवेचना जारी है ।

यह सही नहीं है कि इस घटना से नगर में भय तथा असुरक्षा का वातावरण व्याप्त है ।]

श्री कुंवर सिंह मेगी--

मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि श्री राजेन्द्रपाल सिंह परिहार, एडवोकेट के अपहरण के बारे में कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट की गयी ? यदि हां, तो यह रिपोर्ट किसके विरुद्ध दर्ज की गयी है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री गुलाब सेहरा--

मान्यवर, प्रथम सूचना अंकित की गयी और उसमें अभियुक्तों के नाम लिखे गये, लेकिन वह सूचना 6-9-83 को दी गयी और 7-9-85 को वह वापस आ गया, तो कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी--

माननीय मन्त्री जी ने कहा है कि 7-9-83 को वह वापस आ गये और 6-9-83 को वह गायब हुए थे । वापस आने के बाद क्या उनसे कोई बयान लिया गया कि यह इस बीच कहां रहे ?

श्री गुलाब सेहरा--

श्रीमन् उन्होंने कोई बयान नहीं दिया, इसी लिए मेडिकल कराया गया । मेडिकल रिपोर्ट में आया कि वह नार्मल व्यक्ति है, कोई बात नहीं है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट--[ ] पढ़ा हुआ माना गया ।

श्री कुंवर सिंह नेगी--

जिन लोगों के नाम रिपोर्ट लिखायी गयी, उनके नाम क्या हैं, क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे ?

श्री गुलाब सेहरा--

मान्यवर, तीन लोगों के नाम रिपोर्ट लिखायी गयी उनके नाम हैं रतन लाल अग्रवाल, राम प्रसाद और अनवार अली पुत्र लियाकत हुसैन ।

वृन्दावन में पुलिस फायरिंग से कई लोगों के घायल होने के सम्बन्ध में वक्तव्य

*हरिजन एवं समाज कल्याण राज्य मन्त्री (श्री गुलाब सेहरा--)

[जनपद मथुरा मे विगत कुछ समय से वृन्दावन नगर पालिका के सफाई कर्मचारी, एक वर्ग के लोगों, जिनका नेतृत्व श्री मुरारी लाल गौतम, एडवोकेट द्वारा किया जा रहा है, के रवैये के कारण सफाई कार्य से अनुपस्थित हैं । सफाई कर्मचारियों के काम से अनुपस्थित रहने की अवधि में जनता के कतिपय व्यक्तियों ने नगर में सफाई कार्य का उत्तरदायित्व स्वयं ले लिया है । इस मामले में दोनों ओर से पंजीकृत कराये गये अभियोगों में कुछ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया । उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी (आई) के उपाध्यक्ष एवं भूतपूर्व मन्त्री श्री लक्ष्मीरमण आचार्य द्वारा समझौता कराने का प्रयास किये जाने तथा काफी समझाने-बुझाने पर सफाई कर्मचारी काम पर वापस आने के लिए रजामन्द हो गये थे किन्तु दिनांक 6-9-83 को कुछ लोगों द्वारा जो समझौते के पक्ष में नहीं थे, उनको काम करने से रोक दिया गया । नगर में धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता के आदेश लागू होने पर भी यह लोग उसी दिन एक स्थान पर एकत्रित हुए और जुलूस बना कर बाल्मीकियों के मोहल्ला किशोरपुरा की ओर बढ़े । जब इनको रोका गया तो इन लोगों ने भारी पथराव किया और हथगोले तथा गोलियां चलाई । इस भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने हल्का लाठी चार्ज किया तथा आत्मरक्षार्थ हवा में दो फायर किये । जिला मजिस्ट्रेट व पुलिस अधीक्षक घटनास्थल पर तुरन्त पहुंच गये । कुछ समय पश्चात् अनाज की मण्डी में भीड़ पुनः एकत्रित हो गई और भारी पथराव के साथ मकानों की छतों व गलियों से हथगोलों का फेंकना आरम्भ कर दिया । अश्रु गैस के छोड़े जाने पर भीड़ तितर बितर हो गई । भीड़ ने थोड़ी देर के बाद प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर के समीप गोवर्धन गेट पुलिस चौकी को घर लिया और पत्थर, हथगोले तथा तेजाब की बोतलें आदि फेंकना शुरू कर दिया एवं पुलिस चौकी को आग लगा देने का प्रयास किया । पुलिस बल भेज कर स्थिति को नियन्त्रण में कर लिया गया ।

इन घटनाओं के फलस्वरूप ड्यूटी पर तैनात नगर मजिस्ट्रेट तथा कुछ पुलिस कर्मचारी घायल हुए । सात व्यक्तियों को इन घटनाओं के सम्बन्ध में गिरफ्तार किया गया था जिसकी रिहाई के आदेश न्यायालय से हो गये हैं । एहतियात के तौर पर नगर में पुलिस गश्त की व्यवस्था कर दी गई है और शिक्षण संस्थायें बन्द कर दी गई हैं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री गुलाब सेहरा—]

दिनांक 1-9-83 को श्री कन्हैया लाल पुत्र श्री श्याम लाल, नि0 बंशी वाले के सामने मथुरा रोड, वृन्दावन ने थाना कोतवाली, वृन्दावन पर इस आशय की एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दी कि उनकी 3 गायों को किसी ने विष देकर मार दिया है। इस सूचना पर धारा 429 भा0 दं0 वि0 का एक अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना से 3 अभियुक्त प्रकाश में आये जिन्हें गिरफ्तार कर के जेल भेजा गया। इसके अतिरिक्त इस प्रकार की और कोई घटना प्रकाश में नहीं आई।

नगरपालिका वृन्दावन के सफाई कर्मचारियों द्वारा दिनांक 11-9-83 से नगर में सफाई का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। स्थिति सामान्य है।]

श्री दयाल कृष्ण—

मान्यवर, वृन्दावन मेरा निर्वाचन क्षेत्र है। यहां पर जो कुछ घटना घटी है वह बहुत ही वेदनापूर्ण है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो रिपोर्ट शासन की ओर से प्रस्तुत की गयी है उसमें एक कमी है जिसका जिक्र नहीं किया गया है कि काफी तादाद में हमारे हरिजन भाइयों के जानवर यानी सुअरों को मार कर नदी में बहा दिया गया, इससे अत्यन्त ही तनावपूर्ण स्थिति है। एक अजीबोगरीब स्थिति वहां पैदा हो गयी है। दूसरी बात यह है कि...

श्री अध्यक्ष—

आप स्पष्टीकरण के लिए प्रश्न करें।

श्री दयाल कृष्ण—

प्रश्न यह है कि इस रिपोर्ट में विशेषकर हरिजन भाइयों के सुअरों का नुकसान हुआ है उनके बारे में क्यों नहीं हवाला दिया गया ? क्या उनको मुआवजा देने के लिए सरकार के पास कोई प्रस्ताव आया है ?

श्री गुलाब सेहरा—

श्रीमन्, प्रश्न तो कोई नहीं किया किन्तु मैं बताना चाहता हूं कि एक रिपोर्ट यह आयी कि तीन गायों को जहर देकर मारा गया जिसकी एफ0 आई0 आर0 दर्ज हुई। तीन अभियुक्त पकड़े गये और उनको जेल भेज दिया गया। दूसरा तो उन्होंने सुझाव दिया है।

श्री चन्दन सिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो वक्तव्य दिया गया है शासन की तरफ से, वह सत्य से परे है। मैं कल शाम को मथुरा से चला हूं। 11 तारीख के अखबार में सम्भ्रान्त व्यक्ति सफाई करते हैं, फोटो छपा है। आज सुबह मुझे मथुरा वृन्दावन के सफाई मजदूर मिले और उन्होंने कहा कि अभी स्थिति वहां ऐसी नहीं हुई है कि हम लोग वहां सफाई पर जा सकें। दूसरी बात यह है कि मैं मंत्री जी से सबसे पहले यह जानना चाहता हूं कि यह झगड़ा किस तारीख से शुरू हुआ यह इसमें नहीं दिया गया है। किस तारीख से सफाई वहां बन्द हुई ?

(इस समय सदन में बिजली गयी और कुछ क्षण बाद बिजली आने पर)

नोट :—[ ] पढ़ा हुआ माना गया।

इसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी (आई) के उपाध्यक्ष और भूतपूर्व मंत्री लक्ष्मी रमण आचार्य वहां गए थे। वहां के लोगों का कहना है कि यदि आचार्य जी मौके पर न होते तो वह झगड़ा न होता। इसी वजह से वहां पर गोली चली। पुलिस ने फायर किया।

(व्यवधान)

इसमें जो जिक्र किया गया है वह असत्य है। कहा गया है कि दो गोली चलाई गई। ऐसा नहीं है। सैकड़ों गोलियां चलायी गयी हैं। मैं जानना यह चाहता हूं कि किस तारीख से सफाई बन्द हुई और उसके क्या कारण थे?

श्री गुलाब सेहरा--

श्रीमन्, वक्तव्य में बिलकुल साफ लिखा है। माननीय सदस्य देखें। 6-9-83 से यह मामला चला।

श्री चन्दन सिंह--

माननीय अध्यक्ष जी, यह असत्य है कि 6 तारीख से वहां पर सफाई बन्द है। सफाई 25 अगस्त से बन्द है और झगड़ा 15 अगस्त से शुरू हुआ है। दूसरी बात यह है कि 25 तारीख से सफाई बन्द थी तो इसके लिये वहां के प्रशासन ने क्या कार्यवाही की?

श्री दयाल कृष्ण--

मेरे क्षेत्र का मामला है ...

श्री अध्यक्ष--

कृपया बैठें।

श्री गुलाब सेहरा--

श्रीमन्, अगर आप वक्तव्य देखें और दो लाइनें पढ़ लें तो मालूम हो जायेगा। सफाई के लिये वहां मजदूरों के साथ एक समझौता हुआ था। उसमें एक पक्ष ने उस समझौते को नहीं माना। 6-9-83 से यह घटना प्रारम्भ हुई।

श्री कुंवर सिंह नेगी--

मान्यवर, वृन्दावन में 15 अगस्त से अब तक एक तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। जैसा माननीय सदस्य श्री चन्दन सिंह जी ने कहा कि वहां गम्भीर तनाव की स्थिति है और सफाई कर्मचारी अभी भी काम पर नहीं आ रहे हैं, वे अपनी बस्तियां छोड़ कर वृन्दावन से जा रहे हैं। इसलिए वहां का प्रशासन बिल्कुल असफल हो गया है। तो मैं जानना चाहता हूं कि जो जिलाधिकारी 15 अगस्त से आज तक स्थिति को ठीक नहीं कर पाया है और इस प्रकार गलत सूचना दे रहा है उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही सरकार करेगी?

[श्री कुंवर सिंह नेगी--]

दूसरा यह कि 28 अगस्त को एक सफाई कर्मचारी की हत्या कर दी गई फिर 6 सितम्बर को सोहन लाल की हत्या कर दी गई तो उनके आश्रितों को कोई मुआवजा देने की सरकार सोच रही है ?

श्री गुलाब सेहरा--

मान्यवर, वक्तव्य में लिखा है कि 11-9-83 से नगर में सफाई कर्मचारियों ने सफाई का कार्य करना आरम्भ कर दिया है। जहां तक मरने की सूचना है उसकी हमारे पास कोई सूचना नहीं है।

श्री दयाल कृष्ण--

क्या माननीय मन्त्री जी इस बात की घोषणा करेंगे, इतनी गम्भीर घटनायें वहां पर हुई हैं, शान्ति का वातावरण हो सके इसके लिए न्यायिक जांच कराने की घोषणा करेंगे ?

श्री गुलाब सेहरा--

इसका कोई प्रश्न नहीं उठता।

श्री चन्दन सिंह--

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी की तरफ से जो जवाब आये हैं वे सत्य से परे हैं इसके विरोध में मैं इस वक्तव्य को फाड़ता हूं और सदन से वाक आउट करता हूं।

(श्री चन्दन सिंह वक्तव्य की प्रति फाड़ते हुए सदन त्याग कर चले गए।)

(श्री कुबेर भंडारी ने भी सदन का त्याग किया।)

श्री हरीश भाटिया पुत्र श्री चमन लाल भाटिया, निवासी कस्बा व थाना लालकुआं, नैनीताल को पुलिस द्वारा परेशान करने के सम्बन्ध में वक्तव्य

*हरिजन एवं समाज कल्याण राज्य मंत्री (श्री गुलाब सेहरा)--

[प्राप्त सूचना के अनुसार, माननीय सदस्य द्वारा दी गई सूचना वाली घटना दिनांक 3-8-83 को न होकर 3-9-83 की है। दिनांक 3-9-1983 को 12-30 बजे दिन में श्री राम चन्दर पुत्र श्री खजन सिंह, निवासी हाथीखाना, कस्बा व थाना लालकुवां, नैनीताल ने थाना लालकुआं पर इस आशय की एक प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करायी कि एक दिन पूर्व दिनांक 2-9-1983 को प्रातः 7-30 बजे नायब तहसीलदार, हल्द्वानी ने राजस्व विभाग की लालकुआं स्थित एक पटवारी चौकीदार से एक नाजायज कब्जा हटवाया। मौके पर बरामद सामान तथा 31 मुर्गियां उसकी सुपुर्दगी में दी, लेकिन उसने सामान आदि ले जाने में अपनी असमर्थता प्रकट की। इस पर नायब तहसीलदार ने पटवारी चौकी के एक कमरे में सामान बन्द करवाकर कमरे की चाबी उसे दी और कहा कि सुपुर्दशुदा सामान आदि अगले दिन यानी दिनांक 3-9-1983 को अपने घर ले जाना। तद्नुसार, श्री राम चन्दर 3-9-83 को लगभग 12 बजे दिन में कमरे का ताला खोलकर

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :--[ ] पढ़ा हुआ माना गया।

सामान ठेले पर लादने लगा । उसी समय श्री हरीश भाटिया, जो लालकुआं में एक होटल चलाते हैं तथा भारतीय जनता पार्टी के लालकुआं कस्बा शाखा के अध्यक्ष बताये जाते हैं, अपने नौकर के साथ वहाँ आये और रामचन्दर की सुपुर्दगी की 31 मुर्गियों में से 12 मुर्गियों को जबरदस्ती छीन लिया । श्री भाटिया रामचन्दर को धक्का देकर कमरे से बाहर करके सरकारी ताला के स्थान पर अपना ताला लगाकर चले गये ।

उक्त सूचना पर, थाना लालकुआं पर अपराध अन्तर्गत धारा 392/448 भारतीय दण्ड विधान पंजीकृत हुआ । थानाध्यक्ष ने इसकी विवेचना की । नामजद अभियुक्त श्री हरीश भाटिया को पुलिस द्वारा दिनांक 3-9-83 को 7-30 बजे शाम को गिरफ्तार कर लिया गया तथा उनकी निशानदेही पर लूटी हुई 12 मुर्गियों में से 8 मुर्गियां बरामद की गई । गिरफ्तारी के दौरान श्री भाटिया को साधारण चोटें आईं । दिनांक 4-9-1983 को अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने से पहले उसका डाक्टरी परीक्षण भी कराया गया ।

पुलिस के विरुद्ध लगाए गए आरोप सही नहीं पाए गए । स्थिति पूर्णतया शान्त है ।]

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

ठीक है, मैं प्रश्न करता हूं । क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो मेडिकल रिपोर्ट का जिक्र किया गया है वह रिपोर्ट क्या है ?

श्री गुलाब सेहरा—

मेडिकल रिपोर्ट करायी गयी है उसमें 2, 3 प्वाइंट हैं स्वैलिंग आदि की बात कही है कोई गम्भीर चोट का जिक्र नहीं है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो चोटें आई हैं जिनका जिक्र एफ0 आई0 आर0 में बताया गया है कि पुलिस की मार से चोटें आई हैं । इसके लिए पुलिस के खिलाफ क्या कार्यवाही हुई ? क्या यह भाटिया वही व्यक्ति हैं जिन्होंने पुलिस द्वारा एक व्यक्ति को मारते-मारते हत्या करवाने का मामला उठाया था और शहर में उसके विरोध में हड़ताल करवाई थी ?

श्री गुलाब सेहरा—

श्रीमन्, वक्तव्य में लिखा है—तदनुसार, श्री रामचन्दर 3-9-83 को लगभग 12 बजे दिन में कमरे का ताला खोलकर सामान ठेले पर लादने लगा । उसी समय श्री हरीश भाटिया, जो लालकुआं में एक होटल चलाते हैं तथा भारतीय जनता पार्टी के लालकुआं कस्बा शाखा के अध्यक्ष बताये जाते हैं, अपने नौकर के साथ वहां आये और रामचन्दर की सुपर्दगी की 31 मुर्गियों में से 12 मुर्गियों को जबरदस्ती छीन लिया । तो उसी में झगड़ा हुआ जिससे इनको हल्की चोटें आईं ।

श्री प्रमोद कुमार—

मैं जानना चाहता हूं कि 31 मुर्गियों में से 12 मुर्गी वह छीन ले जा रहे थे क्या उसमें कोई मुर्गा भी था ?

श्री अध्यक्ष--

मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या यह सही है कि यह जो रिपोर्ट है इसमे मारपीट की बात आई है, यह चोटें कैसे आई और जो मैंने पहले सूचना दी थी उसमें आरोप लगाया था कि पुलिस के मारने से चोटें आयी हैं तो क्या इसकी जांच करायी गयी ? तीसरी बात श्री रामचन्दर की बात करते हैं तो उसकी सुपुर्दगी में उसकी इच्छा के खिलाफ माल दिया है और पुलिस ने जानबूझकर यह केस बनाया है । रिपोर्ट में लिखा है कि रामचन्दर नहीं चाहता था कि हमारी सुपुर्दगी में माल दिया जाये तो पुलिस ने जबरदस्ती रिपोर्ट लिखाई है । तो इन बातों का जवाब दें ?

श्री गुलाब सेहरा--

श्रीमन्, सीधी बात है कि एक पटवारी चौकी थी । वहां पर कुछ लोगों ने नाजायज कब्जा किया और पुलिस ने कब्जा देकर रामचन्दर को सामान दे दिया 31 मुर्गियां । दूसरे दिन जब वह सामान हटा रहा था तो इसी बीच भाटिया आये और 12 मुर्गियां छीन ले गये ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मेरा प्रश्न था कि क्या जांच करायी गई है कि पुलिस की मार से चोटें आयी हैं ? दूसरी बात मैं यह भी जानना चाहता हूं कि रामचन्दर को उसकी इच्छा के खिलाफ सामान दिया गया था कि नहीं । तीसरी बात यह भाटिया कौन हैं ?

श्री गुलाब सेहरा--

मान्यवर, भाटिया के खिलाफ रामचन्दर ने एफ0 आई0 आर0 कराया जिस पर यह गिरफ्तार हुआ । उसका मेडिकल चेकअप पुलिस ने कराया है यदि पुलिस ही उसको पीटती तो पुलिस चेकअप क्यों कराती ।

विधायकों के आवास हेतु गठित समिति के सदस्यों के नाम निर्देशन के सम्बन्ध में अध्यक्ष, विधान सभा तथा सभापति, विधान परिषद् का प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव

सचिव, विधान सभा--

मान्यवर, आपकी अनुमति से मैं सदन को सूचित करता हूं कि विधान परिषद् सचिवालय से आज यह संदेश प्राप्त हुआ है कि उ0 प्र0 विधान परिषद् की 8 सितम्बर, 1983 की बैठक में वित्त मन्त्री द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकार हो गया है--

"यह सदन निश्चय करता है कि विधान मंडल के दोनों सदनों की एक समिति माननीय विधायकों के लिये आवास उपलब्ध कराने की व्यवस्था के सम्बन्ध में सलाह देने के लिये गठित की जाय जिसमें 5

सदस्य विधान सभा से माननीय अध्यक्ष महोदय के द्वारा तथा 2 सदस्य विधान परिषद् से माननीय सभापति जी द्वारा मनोनीत किये जायं ।"

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाय ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि यह सदन निश्चय करता है कि विधान मंडल के दोनों सदनों की एक समिति माननीय विधायकों के लिये आवास उपलब्ध कराने की व्यवस्था के सम्बन्ध में सलाह देने के लिये गठित की जाय जिसमें 5 सदस्य विधान सभा से माननीय अध्यक्ष महोदय के द्वारा तथा 2 सदस्य विधान परिषद् से माननीय सभापति जी द्वारा मनोनीत किये जायं ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

मैं यह भी घोषित करता हूं कि जहां तक इस समिति के कार्य प्रणाली का सम्बन्ध है तो माननीय सभापति जी से परामर्श करके, आवश्यक निर्देश जारी कर दिये जायेंगे ।

सदन के अनिश्चित काल के स्थगन का प्रस्ताव

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन अनिश्चितकाल के लिये स्थगित कर दिया जाय ।

श्री विद्यासागर नौटियाल--

व्यवस्था का प्रश्न है कि मन्त्री जी पहले सदन को सूचित करें कि एनेक्सी में विधायकों के लिये पास के सम्बन्ध में आपने आदेश दिया था कि उपवेशन से पूर्व माननीय संसदीय कार्य मन्त्री जी सरकार के निर्णय की घोषणा करेंगे, तो एक तो वह घोषणा करें ।

दूसरी बात मैं यह भी जानना चाहता हूं कि इस सदन को 1983 के अन्दर दुबारा बुलाने की इस सरकार की मंशा है कि नहीं ?

श्री अम्मार रिजवी--

माननीय नौटियाल साहब तथा भीखालाल जी ने जो बात कही है विंटर सेशन अवश्य चलाया जायगा ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

एनेक्सी के लिये पासेज इश्यू करने के सम्बन्ध में जो बातें माननीय सदस्यों द्वारा कही गयी हैं और उस सम्बन्ध में आपके पास जो सूचनायें भेजी गयी हैं उस सम्बन्ध में आपने सदन को सूचित करने को कहा था । उस पर आप विचार कर लेंगे ।

श्री अम्मार रिजवी--

इसकी सूचना आ गयी है । मैं उसे देख लूंगा कि आप तक उत्तर पहुंचा है या नहीं ।

श्री अध्यक्ष--

आप इसकी जानकारी प्राप्त करके सूचित करेंगे ।

श्री अम्मार रिजवी--

वैसे यह आदेश करा दिये जायेंगे कि जो विधायक एनेक्सी जाना चाहते हैं उनको किसी पास की जरूरत न हो ।

श्री अध्यक्ष--

विधायक तो जा ही सकते हैं लेकिन उनके द्वारा जारी किये गये प्रवेश पत्र देने की बात कही गयी थी एनेक्सी के लिये इसकी सूचना आप मुझे दे देंगे ।

श्री अम्मार रिजवी--

यह सूचना मैं आपके पास पहुंचा दूंगा ।

(व्यवधान)

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

माननीय संसदीय मंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है कि सदन अनिश्चित काल के लिये स्थगित कर दिया जाय, मैं इसका विरोध करता हूं । इस आधार पर विरोध कर रहा हूं कि अभी बहुत से आर्डिनेन्स पड़े हैं जिनको नियमित होना है और माननीय सदस्यों की अनेक नियम 51 और 52 के अन्तर्गत सूचनायें हैं जिन पर विचार करना आवश्यक था । कौन सी ऐसी असाधारण परिस्थितियां पैदा हो गयीं कि सदन को अनिश्चित काल के लिये स्थगित किया जा रहा है । कोई भी ऐसी असाधारण परिस्थिति उत्पन्न नहीं हुई है जिससे सदन को न चलाया जाय । 90 दिन आपको पूरे करने हैं । शीतकालीन सत्र का आश्वासन दिया जा रहा है लेकिन मुझे विश्वास है कि वह आश्वासन पूरा नहीं होगा । मालूम यह होता है कि आपस में जो झगड़े पैदा हो गये हैं, फूट पड़ गयी है उससे बचने के लिये सरकार सदस्यों को यहां से हटाना चाहती है ताकि वे हस्ताक्षर कम्पेन के लिये सुलभ न हो सकें । इसलिये मैं इस प्रस्ताव का घोर विरोध करता हूं क्योंकि यह संसदीय परम्पराओं के खिलाफ है । राज्यपाल को अधिकार है सदन को बुलाने का, सरकार का काम है सदन को काम देने का लेकिन सरकार जानबूझकर संसदीय परम्पराओं का हनन कर रही है जिसके कारण मैं इस प्रस्ताव का घोर विरोध कर रहा हूं ।

श्री खान गुफरान जाहिदी--

माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त ने जो बात कही है वह असत्य है । असाधारण परिस्थिति आज पैदा हो गयी है । एक तरफ सूखा पड़ रहा है तो दूसरी तरफ सैलाब आ रहा है । आपस के झगड़े का कोई प्रश्न नहीं है । हमको अपनी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कान्स्टीटुएन्सी में जाना जरूरी है। माननीय सदस्य प्रदेश की इस असाधारण परिस्थिति की जानकारी रखते हैं। ऐसी स्थिति में माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने जो प्रस्ताव रखा है वह सर्वसम्मति से स्वीकार होना चाहिये।

श्री प्रमोद कुमार--

माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त ने जो यह कहा दल के अन्दर फूट पड़ गयी है तो यह गलत है। कोई फूट नहीं पड़ी है। यह जो उनकी इल्लीगल मैरिज हुई है लोकदल के साथ उनका यह विचार कि अगर सदन कहीं स्थगित हो गया तो कहीं वह भी समाप्त न हो जाय, इसलिये वह इसका विरोध कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है...

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मैं इसके विरोध में अपने दल सहित सदन का त्याग करता हूं।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त अपने दल सहित सदन त्याग कर चले गये।)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि यह सदन अनिश्चित काल के लिये स्थगित किया जाये।

श्री अध्यक्ष--

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अब हम अनिश्चित काल के लिये उठते हैं।

(इसके बाद सदन 6 बजकर 36 मिनट पर अनिश्चित काल तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ।

12 सितम्बर, 1983

भालचन्द शुक्ल,
सचिव,
विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

विधान सभा सचिवालय, पटना

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 4 का उत्तर पीछे पृष्ठ 14 पर)

प्रेषक,

उप शिक्षा निदेशक,

षष्ठ मंडल, लखनऊ ।

सेवा में,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,

लखनऊ ।

पत्रांक सा0/4194/ग्यारह–5 (13)/75–76–दिनांक दिसम्बर 10, 1975

विषय––प्रगति आश्रम जूनियर हाई स्कूल, बालागंज, लखनऊ की स्थायी मान्यता के सम्बन्ध में ।

महोदय,

आपके पत्रांक सा0/8214/75–76, दिनांक 22–11–75 के संदर्भ में राजाज्ञा संख्या 6157/पन्द्रह–7–4 (14)/75, दिनांक अक्तूबर, 1975 के अनुसार प्रगति आश्रम जनियर हाई स्कूल बालागंज, लखनऊ को जूनियर हाई स्कूल स्तर की स्थायी मान्यता इस पत्र के निर्गत होने की तिथि से स्वीकृति प्रदान की जाती है । स्थायी मान्यता इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की गई है कि विद्यालय द्वारा विभागीय एवं समय–समय पर शासन द्वारा निर्गत नियमों एवं आदेशों का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा । इसके अतिरिक्त विद्यालय द्वारा शिक्षा संहिता के नियमों का भी पालन करना अनिवार्य है ।

भवदीय,

ह0 ज0 प्र0 सिंह,

उप शिक्षा निदेशक

षष्ठ मंडल, लखनऊ ।

नत्थी "ख"

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 5 का उत्तर पीछे पृष्ठ 37 पर)।

विधान सभा प्रश्न संख्या 4 व 5 के सम्बन्ध में विकास खण्डवार विवरण

क्रमांक	नाम विकास खण्ड	सम्पर्क कि० मी०
1	मसौधा	2.00
2	सोहावल	3.50
3	पूराबाजार	16.30
4	मायाबाजार	1.50
5	बीकापुर	3.00
6	तारुन	4.00
7	मिल्कीपुर	3.00
8	हरिग्टनगंज	3.00
9	अमानीगंज	3.00
10	भेटी	3.00
11	कटेहरी	4.00
12	अकबरपुर	8.00
13	जलालपुर	7.00
14	भियाव	1.00
15	टाण्डा	2.30
16	बसखारी	3.00
17	रामनगर	2.00
18	जहांगीरगंज	1.40
	योग ..	71.00

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "ग"

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 31 का उत्तर पीछे पृष्ठ 46 पर)

प्रतिलिपि

धनी राम सिंह नेगी,
एम0 एल0 सी0

50 पुराना विधायक निवास,
रायल होटल, लखनऊ ।

दिनांक अप्रैल 5, 1983

माननीय यादव जी,

जनपद लखनऊ के ग्राम लीलाखेड़ा के निवासीगण के संलग्न प्रार्थना–पत्र का कृपया अवलोकन करें जो कि काकोरी रेलवे स्टेशन से ग्राम जेहटा तक एवं जेहटा से ग्राम लीलाखेड़ा जाने वाले मार्गों को पक्का कराये जाने के सम्बन्ध में है । प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को ध्यान में रखते हुये ग्रामवासियों द्वारा की गयी मांगों की आपूर्ति हेतु में प्रबल संस्तुति करता हूं ।

अनुग्रहीत हूंगा यदि आप कृपया उपरोक्त प्रकरण में कृत कार्यवाही से मुझे अतिशीघ्र अवगत कराने का कष्ट करेंगे । साभिवादन ।

भवदीय,

(ह0 धनीराम सिंह नेगी)

मा0 श्री बलराम सिंह यादव,
ग्राम विकास मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार,
विधान भवन, लखनऊ ।

प्रतिलिपि

मान्धाता सिंह, नेता
शिक्षक दल एवं
सभापति,
संसदीय सद्भावना समिति

13 आफिसर्स हास्टल
मीराबाई मार्ग, लखनऊ,
दिनांक अप्रैल 12, 1983

प्रिय यादव जी,

विधान सभा क्षेत्र मलिहाबाद, जनपद लखनऊ के अन्तर्गत ग्राम लीलाखेड़ा, थाना काकोरी के ग्रामवासियों के संलग्न प्रार्थना–पत्र का कृपया अवलोकन करने का कष्ट करें ।

मैं ग्रामवासियों की उल्लिखित मांगों की पूर्ति हेतु प्रबल संस्तुति करता हूं अनुग्रहीत हूंगा यदि आप कृपया कृत कार्यवाही से मुझे अवगत कराने का कष्ट करें।

सामिवादन

भवदीय

(ह0 मान्धाता सिंह)

मा0 श्री बलराम सिंह यादव,
मंत्री, ग्राम्य विकास विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

प्रतिलिपि

सेवा में,

माननीय ग्राम विकास एवं पंचायती राज मंत्री जी,
उत्तर प्रदेश सरकार, विधान भवन, लखनऊ।

विषय--काकोरी रेलवे स्टेशन से ग्राम जेहटा तक जाने वाली खड़ंजा निर्मित सड़क को पक्का किया जाना।

महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थीगण मलिहाबाद विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम लीलाखेड़ा, थाना व पोस्ट काकोरी, जनपद लखनऊ के निवासी हैं। प्रदेश की राजधानी से मात्र 10 कि0 मी0 की दूरी पर स्थित यह गांव अब भी एक पिछड़ा क्षेत्र है। काकोरी रेलवे स्टेशन से ग्राम जेहटा तक जाने वाली सड़क पर पहले खड़ंजा बिछाने का कार्य क्रमशः तीन चक्रों में दुर्गागंज से नवीपनाह, अंधा चौकी मार्ग से बनियाखेड़ा तथा बनियाखेड़ा से ग्राम जेहटा तक हुआ था। भारी गाड़ियों, बैलगाड़ियों आदि के निरन्तर जाने-आने के कारण उक्त सड़क पुनः जीर्ण-शीर्ण स्थिति में पहुंच गयी है जिससे निकटवर्ती लगभग 10-20 गांव के निवासी प्रभावित होते हैं।

अतः ग्रामीण जनता को राहत दिलाने तथा क्षेत्र के पिछड़ेपन को दूर करने के उद्देश्य से आपसे विनम्र निम्नलिखित प्रार्थना है :--

1--उपरिलिखित मार्ग पर गिट्टी कुटवाकर पक्का कराया जाये।

2--सड़क से ग्राम लीला खेड़ा तक जाने वाले मार्ग को खड़ंजा डलवाकर पक्का किया जाये।

पूर्ण आशान्वित हैं कि आप उपरोक्त दोनों बिन्दुओं पर तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित कराने की कृपा करेंगे।

सादर

दिनांक 31, मार्च, 1983

निवेदक,

हम हैं ग्राम लीलाखेड़ा के निवासीगण
(हस्ताक्षर / निशानी अंगूठा 44 व्यक्तियों के)

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 61 का उत्तर पीछे पृष्ठ 58 पर)

आई0 आर0 डी0 तथा स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के लाभार्थियों की सूची

क्रमांक	विकास खण्ड	आई0 आर0 डी0 योजना			स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान		
		लाभार्थी संख्या	वितरित ऋण (लाख रु0 में)	अनुदान की धनराशि (लाख रु0 में)	लाभार्थी संख्या	वितरित ऋण (लाख रु0 में	अनुदान की धनराशि (लाख रु0 में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	बिछिया	7265	46.037	16.773	57	2.16	1.008
2	सिकन्दरपुर सिरोसी	596	16.738	9.390	12	0.350	0.175
3	सिकन्दरपुर करन	1091	25.448	10.843	21	0.655	0.328
4	असोहा	4544	33.642	13.187	2	0.190	0.095
5	पुरवा	692	19.136	5.905	..	..	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6	7	8
6	हिलौली	3766	26.536	10.915	10	0.290	0.145
7	सुमेरपुर	663	23.340	8.866	..	..	..
8	बीघापुर	430	16.560	5.519	..	..	..
9	सर्फीपुर	8292	42.611	12.219	24	0.600	0.300
10	फतेहपुर चौरासी	5192	47.903	11.895	..	..	..
11	बांगरमाऊ	3182	24.842	9.47	74	2.055	1.027
12	गंजमुरादाबाद	694	22.852	6.104	..	..	..
13	औरास	2042	5.295	4.192	35	0.508	0.254
14	मियागंज	4968	59.745	22.628	96	2.665	1.333
15	हसनगंज	2564	83.573	20.256	10	0.300	0. 150
16	नवाबगंज	3362	26.437	8.980	30	0.827	0.413
	योग ..	49343	520.695	177.142	371	10.456	5.228

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "ङ"

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 104 का उत्तर पीछे पृष्ठ 74 पर)।

आडिट में प्राप्त आपत्तियों का संक्षिप्त विवरण

(1) जी0 पी0 एफ 3/73 से 4/82 तक 621.70 पैसे व्यय एवं 5,873.74 पैसे की धनराशि अधिक जमा पाई गई तथा कर्मचारियों के पी0 एफ0 लेजर अपूर्ण रहे।

(2) सी0 डी0 एस0 1/76 से 4/77 तक कुल 80,223.44 पैसे की कटौती की गई थी जिसमें से 39,559.79 पैसे के डाक पर बांसी (बस्ती) को तथा 40,663.65 पैसे क्षेत्रीय अधिकारी कार्यालय, भविष्य निधि आयुक्त, उत्तर प्रदेश, कानपुर को जमा किया गया। उक्त डाकघर बांसी द्वारा सम्बन्धित कर्मचारियों के खाते में 7,617.35 पैसे कम जमा किया गया जिसके सम्बन्ध में महाविद्यालय डाकघर से पत्र व्यवहार चल रहा है। आडिट अवधि तक क्षेत्रीय कार्यालय भविष्य निधि आयुक्त, उत्तर प्रदेश, कानपुर से 40,663.65 पैसे जमा धनराशि से 12,899.31 पैसे महाविद्यालय में प्राप्त होना शेष था।

(3) जीवन बीमा आडिट में प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर 6-12-79 से 21-1-82 तक कर्मचारियों के वेतन से रु0 75,477.70 जीवन बीमा की कटौती की गई थी जो सम्बन्धित विभाग को जमा किया गया है परन्तु आवश्यक रसीद प्रस्तुत नहीं की गई जिससे भुगतान सत्यापित नहीं हो सका।

(4) शिक्षण एवं महंगाई शुल्क आडिट अगणन के अनुसार अक्टूबर, 78 से मार्च, 82 तक का शिक्षण एवं महंगाई शुल्क 4,82,564.70 रु0 जमा होना चाहिये था परन्तु केवल रु0 3,41,962.06 जमा होना पाया गया। इस प्रकार वेतन संवाय खाते में 1,40,602.64 रु0 कम जमा किया गया।

नत्थी 'ख'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 137 का उत्तर पीछे पृष्ठ 87 पर)।

विकास खंड–राजगढ़ में संचालित प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों की सूची
वर्ष 1981–82

ग्राम का नाम	पुरुष केन्द्रों की संख्या	महिला केन्द्रों की संख्या
1	2	3
1—लहास	2	..
2—लालपुर नौडिहा	3	..
3—पचोखरा	2	..
4—रामपुर	1	..
5—दारानगर	1	..
6—विशुनपुर	1	1
7—ढड़िया भलुई	1	..
8—खुटारी	2	1
9—राजापुर	1	..
10—देवपुरा	8	3
11—कलवारी	1	..
12—कुंदरूप	1	..
13—झावां	2	1
14—कासोंपुर	1	..
15—सेमरा	1	..
16—डिहुरी	1	1
17—गुरथरा	1	..
18—गरेरी	1	..
19—रंकरी	3	1
20—थमावल	1	..
21—चिखुरियां	1	1
22—धौरहा	2	..
23—ददरा पहाड़ी	3	4
24—लूसा	2	2

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3
25—राजगढ़	2	2
26—पनिगवां	1	..
27—खतेरी	1	..
28—वघौड़ा	1	3
29—करौंदा	..	1
30—सोनपुर	1	2
31—चौकिया	1	1
32—दरियापुर	1	1
33—पटीहटा	1	1
34—खुटहागढ़	1	..
35—सोनवरसा	1	1
36—भगौतीदेई	2	..
37—चकसरिया	2	1
38—शेखवां	2	1
39—जंगल महल	1	..
40—बैरमपुर	2	1
41—बइमिलियां	1	..
42—रामपुर ढवई	2	1
43—खानजादीपुर	..	2
44—अतरौली खुर्द	..	1
45—तालर	3	1
46—खमहरियां	1	..
47—रामपुर	1	..
48—सेमरा बरहों	2	3
49—पुरनियां	1	..
50—नौविया	1	..
51—चौखंडा	1	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3
52—हिनौता	1	2
53—दरवान	2	2
54—पिपरवार	1	1
55—नदिहार	1	1
56—भागलपुर	1	1
57—धनसोरिया	..	1
58—विशुनपुरा	..	1
59—नौडिहवा	..	1
60—मुबारकपुर	2	..
61—भवानीपुर	2	..
62—परही	2	1
63—वट्ट	1	2
64—नागनाहर खेड़ा	3	1
65—कोंइलहिया	1	1
66—मझुई	1	1
67—गुलरिहवा	1	..
68—लोहरा	3	1
69—तकिया	1	1
70—आमडीह	1	..
71—भोड़री	1	..
72—मौरंही	2	1
73—पियरवो	1	..
74—मधुपुर	..	2
75—वधौरी	..	1
76—झपरी	..	1
77—सुकृत	..	1

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विकास खंड, राजगढ़ में संचालित प्रौढ़ केन्द्रों की सूची

वर्ष 1982–83

ग्राम का नाम	पुरुष केन्द्रों की संख्या	महिला केन्द्रों की संख्या
1	2	3
1—ददरा	3	..
2—लूसा	1	3
3—धौरहा	1	..
4—रंकरी	2	1
5—करौंदा	2	2
6—रंकरा	2	..
7—भीटी	1	..
8—भवानीपुर	2	..
9—पतेरी	1	..
10—बहिकटवा	1	1
11—चिखरिया	1	1
12—बघौड़ा	2	2
13—बंगालीपुर	..	1
14—लालपुर नौडीहा	2	..
15—डढिया	1	..
16—खुटारी	1	..
17—कलवारी	1	..
18—कलवारी माफी	1	..
19—कुंदरूप	1	..
20—लालपुर अटारी	1	..
21—दारोनगर	1	..
22—लहासपुर	1	..
23—पचोखुरा	1	2
24—भावा	1	2

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3
25—पहाड़ी लहास	1	..
26—विशुनपुर	1	1
27—कासीपुर	1	..
28—रामपुर 33	1	..
29—देवपुरा	2	4
30—सेमरा	1	..
31—भंवरी	1	..
32—बसंतपुर	1	..
33—बनइमिलिया	1	..
34—शेखवा	1	..
35—चकसरिया	2	1
36—चौकिया	1	..
37—सोनपुर	1	..
38—टिलहिया	1	..
39—जमुहार	1	2
40—सगराया	2	..
41—बैरमपुर	1	1
42—बरहोपुर	2	..
43—रामपुर ढवई	..	1
44—बुआव	..	1
45—मड़ईपर	1	2
46—दीक्षितपुर	1	..
47—पटिहटां	1	..
48—इमिलिया कलां	1	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3
49—ममनिया	..	1
50—वियाहुर	1	..
51—बभनी	1	..
52—खुटहागढ़	1	..
53—भगौतीदेई	..	1
54—कोइलहिया	1	1
55—झपरी	1	1
56—भवानीपुर	2	..
57—मुबारकपुर	2	1
58—बाघोर	1	1
59—तकिया	1	1
60—नागनारहरंया	1	1
61—मझुई	1	..
62—मधुपुर	1	1
63—लोहरा	3	1
64—बतरा	1	..
65—बघोरी	1	..
66—भोड़री	1	..
67—गौरंही	2	1
68—परही	1	..
69—आमडीह	..	1
70—दरवान	1	2
71—नदिहार	1	1
72—पिपरवार	1	1
73—खमहरिया	1	..

विधान सभा उत्तर प्रदेश

1	2	3
74—विशुनपुरा	2	1
75—सेमरा बरहो	1	3
76—रमसगरा	1	..
77—पड़रवा	1	..
78—नोडिहवां	2	1
79—अमहवां	1	1
80—चितविश्राम	1	5
81—कोरी	1	1
82—धनसिरिया	..	2
83—विजनपुर	..	1
84—तुलसीपुर	..	1

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "छ"

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 151 का उत्तर पीछे पृष्ठ 91 पर ।)

अतारांकित प्रश्न संख्या 151 में उल्लिखित संलग्नक

(1) प्रश्नगत अवधि में सेवा निवृत्त अनुभाग अधिकारी निम्नांकित थे :

(क) श्री सतीश चन्द्र वर्मा

(ख) श्री दीनानाथ टन्डन

(ग) श्री डेनियल लायल।

(2) प्रश्नगत अवधि में सेवानिवृत्त अनुभाग अधिकारियों द्वारा पेंशन हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने व उन पर कार्यवाही करने की तिथियां :--

(क) श्री वर्मा (सेवा निवृत्ति की तिथि 30 जून, 1982) ने 20 अगस्त, 1981 को पेंशन हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया था। पुनरीक्षित वेतनमान आदेश दिनांक 25 जनवरी, 1982 प्राप्त होने के पश्चात् कार्यवाही मार्च, 1982 से शुरू हुई।

(ख) श्री टन्डन (सेवा निवृत्ति की तिथि 31 जुलाई, 1982) ने पेंशन हेतु प्रार्थना-पत्र 29 जून, 1982 को प्रस्तुत किया तथा कार्यवाही मार्च, 1982 से ही प्रारम्भ हो गई थी।

(ग) श्री लायल (सेवा निवृत्ति की तिथि 31 जुलाई, 1982) ने पेंशन हेतु प्रार्थना-पत्र 4 मार्च, 1982 को प्रस्तुत किया तथा कार्यवाही मार्च, 1982 से प्रारम्भ हुई।

(3) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद से प्राप्त सूचना के अनुसार उपर्युक्त तीनों अधिकारियों को पेंशन मय राहत प्राप्त हो रही है।

स्वरूप कुमारी बख्शी,
शिक्षा मन्त्री।

उत्तर प्रदेश विधान परिषद

नत्थी "ज"

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 182 का उत्तर पीछे पृष्ठ 101 पर ।)

सूची

क्रम संख्या	विकास खंड का नाम	विद्यालयों के प्रकार				
		हाई स्कूल सहायता-प्राप्त	हाई स्कूल राजकीय	इन्टर-मीडिएट सहायता-प्राप्त	इन्टर-मीडिएट राजकीय	योग
1	2	3	4	5	6	7
1	सिकन्दरपुर सरौसी	4	—	7	2	1
2	विछिया	1	—	2	—	
3	नवाबगंज	—	1	2	1	4
4	सिकन्दरपुरकर्ण	2	—	3	—	5
5	पुरवा	1	1	2	—	1
6	फतेहपुर 84	1	—	2	—	3
7	गंजमुराबाद	—	—	2	—	2
8	मियांगंज	1	—	1	—	2
9	असोहा	1	—	1	—	2
10	बीघापुर	4	—	4	—	8
11	सूमेरपुर	3	—	4	—	7
12	हिलौली	—	—	3	—	3
13	सफीपुर	—	—	1	—	1
14	बांगरमऊ	—	—	1	—	1
15	हसनगंज	—	—	1	—	1
16	औरास	—	—	—	—	—
	योग ..	18	2	36	3	59

पी0एस0यू0पी0—91 वि0 सभा 28-3-84 ,813 (पी0डी0)